(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–2] दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या–19

बुधवार,

23 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 524

श्री अध्यक्ष : श्री अरुणसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट, श्री परसराम मदेरणा।

सदर थाना बाड़मेर में दर्ज जुगताराम प्रकरण

525. **श्री परसराम मदेरणा** (गुढ़ा-मालानी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सदर थाना बाड़मेर में जुगताराम नामक व्यक्ति को चार दिन तक अनधिकृत रूप से रख कर पुलिस कर्मचारियों द्वारा उसका लिंग काट दिया गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिए मुलजिमानों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जुगताराम को पुलिस थाना सदर में अनधिकृत रूप से बैठाये रखा गया था। श्री जुगताराम की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली बाड़मेर पर दिनांक 5-2-94 को मुकदमा नं. 45/94 धारा 307,326 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया गया। उक्त रिपोर्ट में उसने यह अंकित किया है कि उसे 4 दिन अवैध हिरासत में रखकर सुमेरदान, सहायक उप निरीक्षक, किशोर सिंह कांस्टेबल व भैरोंसिंह ने मिलकर उसका लिंग काट दिया। उक्त प्रकरण के अनुसंधान से यह पाया गया कि उक्त नामजद अभियुक्तों ने उसे अवैध हिरासत में रख भैरोंसिंह को जुगताराम से सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराया। प्रकरण सही और निष्पक्ष अनुसंधान हेतु राज्य सरकार द्वारा सी. बी. आई. को सुपुर्द किया गया है तथा वर्तमान में एफ. आई. आर. में अंकित

Page No. 2

(२)

(श्री कैलाश मेघवाल)

समस्त बिन्दुओं पर गहन अनुसंधान सी. बी. आई. द्वारा किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में सुमेरदान, सहायक उप निरीक्षक, थाना सदर, किशोर सिंह कांस्टेबल कार्यरत पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बाड़मेर, एवं अन्य व्यक्ति भैरोंसिंह, कुल 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। थानाधिकारी सदर सहायक उप निरीक्षक, थाना सदर, दो कांस्टेबल थाना सदर एवं एक कांस्टेबल कार्यरत पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बाड़मेर, कुल 5 पुलिसकर्मी निलम्बित किये जा चुके हैं तथा पुलिस थाना सदर बाड़मेर के पूरे स्टाफ का अन्यत्र स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक, जब जुगताराम की तरफ से एफ. आई. आर. 5 तारीख को दे दी गयी तो 36 घण्टे की एफ आई आर. दर्ज करने में जिनके द्वारा डिले की गयी है उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? आत्महत्या वाले मामले में जो सब इंस्पेक्टर ने एफ. आई. आर. दर्ज की है और वह वाकिया अगर सही भी है तो उसमें भी 6 घण्टे और 55 मिनट की इनआर्डिनेट डिले हुई है, उस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है ? कोई जांच करवायी है ? यह जुगताराम का जेनिटल कट-आफ करने के मामले में केस आपने दे दिया लेकिन पुलिस की तरफ से क्रिमिनल नेग्लीजेंस हुई है।

दूसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है, क्या जुगताराम को तलब किया गया है ? बिना नोटिस के किया गया जो पुलिस एक्ट और उसके नीचे बने हुए मैनुअल के अन्तर्गत किसी भी भारत के सिटीजन को नहीं किया जा सकता। क्या जिस वक्त उसका गुप्तांग काटा गया वह पुलिस परिसर में था ? क्या यह सही है कि उस वक्त जुगताराम पुलिस कस्टडी में किसी भी काग्नीजेबल, नान-बेलेबल, काग्नीजेबल बेलेबल आफेंस में मुजरिम नहीं था ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो प्रश्न उठाये हैं इन सारे प्रश्नों पर सी बी आई. जांच कर रही है। किसकी कितनी जिम्मेदारी है किसका कितना दायित्व है, ये दोनों ही तथ्य हैं कि एक एफ आई. आर. 36 घण्टे लेट हुई, दूसरी एफ. आई. आर. साढ़े पांच घण्टे लेट हुई....

श्री परसराम मदेरणा : साढ़े 6 घण्टे, 6 घण्टे और 50 मिनट।

श्री कैलाश मेघवाल : साढ़े 6 घण्टे, उसे मैं स्वीकार करता हूं। जो तथ्य हैं, फैक्ट्स आर. फैक्ट्स, जो वहां हैं कागजों में हैं। न आप बदल सकते हैं, न मैं बदल सकता हूं। तो उसमें तो एडमिटेडली जो स्थिति है वह मालूम है। पहले भी यह मामला, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा में आ चुका है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि ये सारी दोनों ही प्रकरणों की फाइलें सी. बी. आई. के पास हैं, सी. बी. आई. अपने स्तर पर इसमें कार्यवाही कर रही है और इन बिन्दुओं पर जो प्राथमिक कार्यवाही सरकार को

(श्री कैलाश मेघवाल)

करनी थी उससे भी आप अवगत हैं। वह कर चुकी है, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, निलम्बित भी किये जा चुके हैं, थाने का स्टाफ भी वहां से बदला जा चुका है। अब इसके बाद किस तरह का क्या दायित्व सी. बी. आई किस पर निर्धारित करती है उस बारे में मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इस केस में सी. बी. आई. जिस किसी के भी विरुद्ध, जिस किसी भी अपराध के अन्तर्गत दायित्व निर्धारित करेगी उसमें कार्यवाही करने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जायेगी। यह भी सही है जैसा मैंने स्वीकार किया कि अवैधानिक तरीके से बुलाया। तो वह जो प्रक्रिया है बुलाने की, पुलिस प्रोसेस में जो कानून हैं वह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई इसीलिए तो अवैधानिक तरीके से बुलाया गया। मैंने स्वीकार किया है। तो आपकी बात भी सत्य है यहां पर भी।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है। क्या सी. बी. आई 307 और अन्य जो भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं में इन्वेस्टीगेशन कर रही है, अन्वेषण कर रही है उसके अलावा आपका जो केस बना 309 का, यह सुसाइड वाला, इनग्राडिनेट डिले, कस्टडी और कस्टडी के अलावा उसके खिलाफ कोई आफेंस था या नहीं था काग्नीजेबल, यह सब बातें सी. बी. आई. को आपने दी हैं क्या जांच के लिए ? और नहीं दी हैं तो यह तो आपके किसी अधिकारी को, राजस्थान के होम डिपार्टमेंट को यह सब जांच करनी पड़ेगी। उनकी नेग्लीजेंस, क्रिमिनल लाइबिलिटी और कांस्पीरेसी, कवर अप, क्लाउड कर रहे थे इस कवर-अप मामले में, यह तो जांच आपकी हो जाएगी। सी. बी. आई. इसकी जांच नहीं करेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : सी. बी. आई. को दोनों ही एफ.आई.आर. में जिस तरह की पृष्ठभूमि है सारी पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए फाइलें सौंप दी गयी हैं। रहा सवाल, सी बी आई. किन बिन्दुओं पर जांच कर रही है, किन बिन्दुओं पर जांच नहीं कर रही है ? यह जानकारी आज मेरे पास नहीं है लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि जो बिन्दु लैप्सेज के हैं उन पर अगर सी. बी. आई. जांच नहीं करेगी, तो उस बारे में भी प्रशासनिक स्तर पर जो जांच होगी वह मैं करवाऊंगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : या तो आप सी. बी. आई. को स्पेशल रेफरेंस कर दीजिये। सी. बी. आई. कोई चाइना की तो एजेंसी है नहीं, हिन्दुस्तान की एजेंसी है और बिना स्टेट गवर्नमेंट के को-आपरेशन के वह इन्वेस्टीगेशन कर भी नहीं सकती। तो आप उनसे यह बात कर लीजिये टर्म्स आफ रेफरेंस पर, वह इन बिन्दुओं पर इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं ? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उनको एडीशनल बिन्दू दे दीजिये और वे बिन्दू देने से अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आप जांच करालें।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरी सहमति है। प्रतिपक्ष के नेता ने जो सुझाव दिया है मैं इससे सहमत हूं और जानकारी इन बिन्दुओं पर दे दूंगा कि इस पर भी आप जांच करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।

Page No. 4

(4)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जुगताराम का जो गुप्तांग काट दिया गया है क्या सरकार उसकी माइक्रोसर्जरी करा रही है ? और करा रही है तो कहां करा रही और कब शुरू करा रही है ? पहला निवेदन।

दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जुगताराम को वहां काटेज वार्ड में रख रखा है, मैं स्वयं आज उससे मिलकर आया हूं, उससे मेरी बातचीत हुई है, जुगताराम की हालत खराब है। उसने बताया कि मैं खड़ा हो नहीं सकता, खड़ा होता हूं तो चक्कर आते हैं, जब मैं पेशाब जाता हूं तो बड़ी भारी मेरे जलन लगती है। इस प्रकार की हालत जुगताराम की चल रही है। इलाज पर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके जीवन को किसी प्रकार का खतरा हो गया, जो सरकार ने सदन में वादा किया है कि उसका हम इलाज करायेंगे, बढ़िया से बढ़िया इलाज करायेंगे, चाहे हमको कहीं भी बाहर ले जाना पड़े उसकी सर्जरी भी करायेंगे। क्या सरकार इस प्रकार का कुछ कर रही है ? उसकी जो अस्वस्थता आज मालूम हुई हैं उसके बारे में सरकार क्या चिन्तित है ? और चिन्तित हैं तो सरकार इसके बारे में क्या करना चाहती है ?

तीसरा मेरा निवेदन है, जुगताराम को अब तक क्या सहायता दी गयी है और दी गयी है तो किस प्रकार की दी गयी है और कितनी दी गयी है ?

चौथा मेरा निवेदन है कि उसके परिवार के साथ सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है ? उसकी जो बीवी है और उसके जो घर वाले हैं, जो कि उस पर आश्रित थे, उनके साथ क्या सहायता, सहानुभूति है....इस सदन में बतायें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने पहले जब यह स्टेटमेंट दिया उस वक्त फरमाया था कि अगर जरूरत हुई तो मैं यू. के. और यू. एस ए में भी भेजकर इनका इलाज करवाऊंगा। तो यू. के. और यू.एस.ए. तो दूर रहे आपने यहां जो भी इलाज करवाया है उस पर कितना खर्चा हुआ, उसको कितना मुआवजा दिया गया, कहां पर यह मुआवजा दिया गया, आगे उसके इलाज के बारे में आप क्या सोच रहे हैं ? या जवाब तक ही यह मामला सीमित था ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट जुगताराम के विरुद्ध दर्ज हुई कि जुगताराम ने सुसाइड करने का प्रयास किया, क्या वह भी आपने जांच के लिए सी बी आई को दी है ? (व्यवधान) नहीं, नहीं। मैं स्पष्ट गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या सेण्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन उस फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट का भी इन्वेस्टीगेशन

(श्री जगदीप धनखड़)

करेगी ? क्या आपने विधिवत उस फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट को भी सी. बी. आई. को इन्वेस्टीगेशन के लिए दिया है जो जुगताराम के विरुद्ध है कि उसने सुसाइड का अटेम्पट किया है ? एक ।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में थाने का जो रिकार्ड है जिसको टेम्पर किया गया है, जिसके सम्बन्ध में डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस ने एक बयान दिया, नीचे के अधिकारियों ने दूसरा बयान दिया । अब अक्सर देखा जाता है जब भी कोई मामला सी. बी. आई. को दे दिया जाता है Everything is put under the carpet. सैण्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन का एरिया आफ आपरेशन लिमिटेड है । They will limit to that particular First Information Report तो बाकी पर, गृहमंत्री जो इतने विद्वान हैं, दिल्ली रिटर्न हैं, क्यों सो रहे हैं ? (व्यवधान) हां, दिल्ली रिटर्न है । इन्होंने कहा बहुत से लोग दिल्ली रिटर्न....

श्री रोहिताश्व कुमार (राज्य मंत्री, यातायात) : दिल्ली रिटर्न आप भी हैं ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात का बड़ा मानवीय पहलू है । यह सदन गंभीरता से इस बात पर विचार करे कि जहां दुनिया में मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति की है और आपने इस सदन को आश्वासन दिया था और जब प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं इलाज के लिए, तो क्यों नहीं जुगताराम के साथ भी सरकार इन विकट परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार करके उनको अच्छे से अच्छा इलाज दिलाये ? बजाय यहां बैठे, सैक्रेटरिएट में बैठे कह दें कि हम सबसे बढ़िया इलाज करा रहे हैं । तो वह निश्चित रूप से सदन को बतायें और सदन के मार्फत राजस्थान की जनता को बतायें कि जुगताराम के इलाज में कौनसे आवश्यक कदम आप उठा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री धारीवाल जी, आप पूछ रहे हैं ? नहीं ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सोच था कि प्रतिपक्ष के माननीय नेता से भी ज्यादा जानकारी टोडाभीम से आने वाले माननीय विधायक ने चाही है । मैं उनकी सूचना के लिए एक ही निवेदन कर सकता हूं कि जुगताराम की मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच हुई थी और उस मेडिकल बोर्ड में यहां के तीन डाक्टर थे । लुधियाना के एक प्रिंसिपल हैं क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना, के डाक्टर अब्राहम थॉमस । वह प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ माने जाते हैं । तो उस बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि उनसे इनका ऑपरेशन कराया जाए । उस समय तीन महीने का निर्धारण किया था, आज शायद उस बात को एक महीना गुजर चुका है, दो महीने बाद राज्य सरकार उनको यहां बुलायेगी । इस बारे में मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं कि मैं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्रतिपक्ष के नेता को उपलब्ध करा दूंगा, वह उससे सन्तुष्ट हो जाएं अन्यथा वह जैसी भी राय

(श्री कैलाश मेघवाल)

देंगे उसके बारे में कार्यवाही करा देंगे। क्योंकि किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक की भी इस बारे में चिंता है और मैंने यहां सदन के फ्लोर पर यह आश्वस्त किया है, मैं उस पर कायम हूं, उसमें किसी तरह से पीछे नहीं जाऊंगा।

जहां तक आज की उसकी बीमारी की स्थिति का है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी नहीं हैं, लेकिन मैं स्वयं अभी होम सैकेटरी से निवेदन करूंगा कि इनकी चिकित्सा का पूरा प्रबन्ध किया जाए। जहां तक मुआवजा देने का सवाल है, प्राथमिक रूप से एक बार पांच हजार रुपये उनको दिये गये थे, दूसरी बार दस हजार रुपये दिये गये हैं और इसमें भी प्रतिपक्ष के नेता से मैं चर्चा कर लूंगा....

श्री परसराम मदेरणा : दस हजार दिये हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, पांच हजार पहले दिये हैं। यह सरकार की तरफ से दिये गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है, वह तो उसको पूछा है कि कितना तेरा व्यय हुआ ? उसके भाई ने कहा, मेरे पांच हजार रुपये हुए। यह कोई अखबारों में पढ़ लिया होगा, पांच हजार नहीं दिये, आपके ए. डी.एम. ने दस हजार रुपये दिये थे जो उसने बैंक में जमा करा दिये और उसमें से कुछ उठा भी दिये हैं।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता था, आपने यहां पर बोर्ड बैठाया और बोर्ड के अन्दर मालती गुप्ता हैं जो यहां पर प्लास्टिक सर्जरी की सबसे बड़ी सर्जन हैं उन्होंने ही शायद उनका नाम बताया, लुधियाना के जिनको आप एक्सपर्ट कहते हैं, विशेषज्ञ हैं भारतवर्ष में माइक्रो सर्जरी के, आपने कभी उनको कन्सल्ट किया है क्या ? उनकी एक्सपर्ट ओपीनियन ली है क्या और अगर ली है तो....

श्री खेतसिंह राठौड़ : समय ही नहीं मिला।

श्री परसराम मदेरणा : क्या माइक्रो सर्जरी सम्भव है ? और क्या इस देश में सम्भव है क्या ? जैसा कि आप स्वयं जानते हैं जेनिटल इतना डेलिकेट होता है, इतना मुलायम होता है उस जगह पर कोई भी माइक्रो सर्जरी सम्भव है क्या ? और उस जगह पर सम्भव नहीं है तो कौनसी जगह पर सम्भव है ?

श्री कैलाश मेघवाल : प्रतिपक्ष के माननीय नेता जिस तरह से मेरा मेडिकल साइंस पर परीक्षण कर रहे हैं उसमें मैं सफल हो पाऊंगा, यह मैं खुद नहीं मानता। इसीलिए मैंने निवेदन किया है मैं बोर्ड की जो रिपोर्ट है, मेडिकल बोर्ड की, वह आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : किसी भी बैचलर का उसमें इतना ज्ञान हो भी नहीं सकता। यह तो हम जानते हैं इस बात को, किसी बैचलर का इस तरह का कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने पूछा है सुसाइड के केस के बारे में। सुसाइड का केस, जो जुगताराम की तरफ से एफ. आई. आर. दर्ज की गई वह, सुसाइड की जो पुलिस ने दर्ज कराई वह, और दूसरे old relevant matters pertaining to this case has been handed over to the CBI for detailed investigation.

यह मैं उनको सूचना दे दूं। 10 हजार और पांच हजार की मेरी सूचना यह है, इस बारे में मुझे सूचना दी गई कि पांच हजार पहले दिये गये थे, दस हजार बाद में दिये गये। यह तथ्यों का सवाल है, अगर इसमें कोई गलती होगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण सिंह।

श्री रामस्वरूप : दस हजार रुपये दिये, बहुत कम है। कम से कम उसके परिवार और उसकी ...

श्री परसराम मदेरणा : पहले आप उस एक्सपर्ट को यहां बुलाकर कन्सल्ट क्यों नहीं करते ? अभी तो ओपिनियन दी है। उस सर्जन से बात ही नहीं की है आपने।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आपने नहीं, इनके मेडिकल बोर्ड ने भी बात नहीं की।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आज ही इसके बारे ...

श्री अध्यक्ष : एक मिनट।

श्री हरिसिंह सोढ़ा (शिव) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण है, पुलिस में कितनी गलती है और क्या है इसके लिए विधान सभा की संयुक्त समिति बनाकर इसकी जांच कराकर विधान सभा में रखी जाए कि यह तथ्य कहां तक सही हैं।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मात्र दस हजार रुपये दिये हैं। दस हजार रुपये से.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया वह। नैक्सट। श्री नारायण सिंह जी।

श्री रामस्वरूप : परिवार के लिए आपने क्या व्यवस्था की ?

श्री अध्यक्ष : कर देंगे सब आप। श्री नारायण सिंह जी, हां।

कोछोर-खंडलेसर (दांतारामगढ़) सड़क निर्माण

526. **श्री नारायणसिंह** (दांतारामगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दांता से रानोली तक सड़क स्वीकृत है ? यदि हां, तो कोछोर से खण्डलसर के बीच की अधूरी सड़क कितने साल से पूरी नहीं हुई है ?

(श्री नारायण सिंह)

(2) क्या यह सही है कि सिर्फ चार किलोमीटर सड़क के न बनने से तहसील मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क का लाभ नहीं मिल रहा है ? क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में अधूरी सड़क को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी**) : (1) जी हां, दांता से रानौली सड़क भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा भिन्न-भिन्न मदों से भिन्न-भिन्न लम्बाई की भिन्न-भिन्न वर्षों में स्वीकृत हुई थी। कोछोर से खण्डेलसर के मध्य पांच किलोमीटर सड़क बनाने की रुपये छह लाख की स्वीकृति सन् 1989–90 में हुई थी। इस धनराशि से केवल तीन किलोमीटर कार्य सम्भव हो सका।

(2) जी नहीं। दो किलो मीटर सड़क बनाना शेष है, जिसमें भूमि अवाप्त किये बिना सड़क बनाना सम्भव नहीं है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि इस सड़क को चार साल तक दो किलोमीटर सड़क न बनाये जाने का क्या कारण रहा है ? यह सड़क तहसील मुख्यालय से 10 पंचायत मुख्यालयों को जोड़ती है और बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है और दो किलोमीटर सड़क चार साल तक नहीं बनाने का क्या कारण रहा है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया, ग्राम दांता से रानौली तक की जो सड़क है उसमें दांता से सूलियावास पांच किलोमीटर सड़क और रानौली से खण्डेलसर सात किलोमीटर सड़क कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई गई। उसके बाद 1984–85 में 22.50 लाख रुपये न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत पी. डब्ल्यू. डी. ने लिए और इस सड़क को बनाने का काम उन्होंने पूरा किया। सी. डी. वर्क्स पूरे किये। पांच किलोमीटर के लिए 1989–90 में पांच किलोमीटर का काम लिया गया और स्वीकृति छह लाख रुपये की हुई। पांच किलोमीटर सड़क बनाना छह लाख रुपये में सम्भव नहीं था। तीन किलोमीटर सड़क उसमें बन पायी। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि यह दो किलोमीटर जो बननी है उसमें किसानों के जो डोले हैं वह इतने नजदीक आ गये हैं कि सड़क की चौड़ाई इतनी रह गयी है कि एक गाड़ी जाती है तो दो किलोमीटर के बाद दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ता है, वह आती है। तो यह भूमि अवाप्ति का सवाल आकर खड़ा हो गया। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं वह कृषि भूमि बड़ी मूल्यवान कृषि भूमि है और वह देने के लिए तैयार नहीं होते, आप हमारा सहयोग करिये। मैंने इसकी जानकारी की है और 1993–94 में साढ़े तीन लाख रुपये इस मद में हमने स्वीकृत किये हैं। कुल रुपया चाहिए 11.60 लाख जिसमें 4.00 लाख भूमि अवाप्ति का भी है। हमारी स्वीकृत करने की योजना है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि वह हमको सहयोग करें इस भूमि अवाप्ति के

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लिए और यह काम नेगोसिएशन से ही होगा वरना वह किसान किसी भी डर से होने नहीं देंगे। मैं गारन्टी देना चाहूंगा, जैसा आपका इसमें सहयोग होगा, दो किलोमीटर सड़क अविलम्ब बनवा दी जाएगी।

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि दो किलोमीटर सड़क में खाली जमीन का विवाद एक खेत वाले किसान का है बाकी कहीं भी कोई विवाद नहीं है और आप यदि चाहें तो आप अपने अधिकारियों को मेरे साथ भिजवा दें। इस पर भी विवाद समाप्त हो जाता है तो फिर कोई विवाद की बात ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बस ठीक है, हो गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। माननीय इन्दौराजी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अधिकारियों को भी कह दूंगा। वैसे मेरी जानकारी के अनुसार 20 बीघा जमीन....

श्री अध्यक्ष : खैर, अब वह करवा देंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 1994-95 में कितने किलोमीटर नयी सड़कें बनायी जाएंगी ?

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : 1994-95 में कितने किलोमीटर नयी सड़कें बनायी जाएंगी ?

श्री अध्यक्ष : कहां पर ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : राजस्थान में 1994-95 में कितने किलोमीटर सड़कें बनायी जाएंगी ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल इसमें नहीं है। नैक्स्ट, श्री शम्भूदयाल।

उप कारागृह सृजन हेतु निर्धारित मानदण्ड

527. **श्री शम्भूदयाल बडगूजर** (केकड़ी) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या उप कारागृह खोलने के सम्बन्ध में सरकार के कोई मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या केकड़ी उप खण्ड मुख्यालय निर्धारित मानदण्ड में आता है ? यदि हां, तो उप खण्ड मुख्यालय केकड़ी में सरकार कब तक कारागृह खोलने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री कारागृह (श्री श्रीकिशन सोनगरा) : (1) अध्यक्ष जी नहीं। परन्तु प्रयास यह रहता है कि जहां न्यायालय हो वहां कारागार भी हो ताकि बन्दियों को पेशी पर लाने ले जाने की सुविधा रहे।

(2) उप खण्ड मुख्यालय केकड़ी में उप कारागार खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा 10वें वित्त आयोग के समक्ष स्वीकार किये जाने हेतु प्रस्तुत किये हुए हैं।

श्री शम्भूदयाल बडगूजर : माननीय

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि केकड़ी और भिनाय विधान सभा क्षेत्र का एक ही तहसील मुख्यालय है, एक ही उप खण्ड न्यायालय है, मुन्सिफ न्यायालय है, अपर मुन्सिफ न्यायालय है ए डी.जे. केम्प कोर्ट वहां स्थापित है, केकड़ी और भिनाय विधान सभा क्षेत्र के....

श्री अध्यक्ष : उन्होंने प्रस्ताव भेज दिये हैं।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : मुलजिमान और उनके परिजनों को केकड़ी से अजमेर जेल विभाग में....

श्री अध्यक्ष : वह तो मान लिया, इन्होंने प्रस्ताव भेज दिये हैं।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : मैं निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय का मैं आभारी हूं....

श्री अध्यक्ष आप कब तक....

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : मैं जानकारी चाहूंगा कि प्रस्ताव कब भेजें और कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

श्री श्रीकिशन सोनगरा . मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 10वां वित्त आयोग इस बारे पर विचार कर रहा है और प्रस्ताव प्रोसेस में हैं, वह स्वीकार हो जाएंगे, उसके बाद जैसे ही वहां से स्वीकृति आएगी इस पर कार्यवाही हो जाएगी ।

प्रश्न संख्या 528

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री लक्ष्मणसिंह, श्री माधवसिंह दीवान ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह थोड़ा विलम्ब से आएंगे, आपकी इजाजत हो तो प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : दोनों ने मुझे लिख कर नहीं भेजा है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपकी इजाजत हो तो प्रश्न महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने लिख कर नहीं भेजा है। वह भेज देते तो....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैंने मंत्रीजी को निवेदन किया था वह भी जवाब देने को तैयार थे।

श्री अध्यक्ष : ऐसी व्यवस्था नहीं है। वह खुद ही लिख कर भिजवाते तो होता। नैक्स्ट, श्री उगमराज मेहता।

एडवर्ड एक्यू महालक्ष्मी मिल्स (ब्यावर) के श्रमिकों का वेतन भुगतान प्रकरण

529. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि गत दो माह से ब्यावर स्थित एडवर्ड एक्यू महालक्ष्मी मिल्स के श्रमिकों को वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो किन कारणवश ?

Page No. 11

(19)

राज्य मंत्री, श्रम (श्री नन्दलाल मीणा): जी नहीं। भुगतान तो हो रहा है किन्तु दिसम्बर, 93 व जनवरी, 94 का वेतन विलम्ब से हुआ है जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है। विलम्ब का कारण नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन (भारत सरकार का उपक्रम) से समय पर धनराशि प्राप्त नहीं होना है।

एडवर्ड मिल्स एवं महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर में गत दो माह, दिसम्बर, 93 तथा जनवरी, 94 के वेतन भुगतान का विवरण इस प्रकार है।

अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 1993 में श्रमिकों को चूंकि श्रमिक संख्या एक हजार से कम है इसलिए सात तारीख के पहले इसका भुगतान होना चाहिए। इसमें 11 दिन का विलम्ब हुआ है और जनवरी, 1994 में 19 दिन का श्रमिकों के भुगतान में विलम्ब हुआ है और स्टाफ में दो दिन का विलम्ब हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एडवर्ड मिल्स और महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं और यह दोनों मिल्स नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन, जो भारत सरकार का उपक्रम है, कपड़ा मंत्रालय के अन्तर्गत हैं और सारी राशि की व्यवस्था इसके द्वारा होती है। तो जो भी भुगतान किया गया है, कोई ज्यादा विलम्ब इसमें नहीं हुआ है और मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च के भुगतान के लिए वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक निरीक्षक ग्रामीण और श्रमिक निरीक्षक शहर ब्यावर ने भुगतान अधिकारी अजमेर के समक्ष समय पर भुगतान नहीं होने की वजह से इनके विरुद्ध केस नम्बर पी. डब्ल्यू./14/94 श्रमिक निरीक्षक ब्यावर बनाम एडवर्ड मिल्स ब्यावर और इसी तरह से केस नम्बर 14/94 ग्रामीण श्रमिक निरीक्षक ब्यावर बनाम महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर को 8,21,088 रुपये और श्रमिक एडवर्ड मिल्स के अगेंस्ट 7,41,415 रुपये के भुगतान की कार्यवाही के लिए प्रस्तुत कर दिया है।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न का जो जवाब दिया है वह मेरे ख्याल से अधिकारियों द्वारा जो कहा गया है वह दिया है।

श्री अध्यक्ष : इसको बार-बार रिपीट करने से क्या मतलब है?

श्री उगमराज मेहता : मैं एक बात बताना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : इसमें अधिकारी नहीं तो क्या आप देंगे जवाब। आखिर सरकार के वह भी तो अंग हैं। अब मंत्री घर से लिख कर लायेंगे क्या जवाब। बार-बार यह कहना अधिकारियों ने दिया है, यह क्या है।

श्री उगमराज मेहता : 23-2 तक उनको भुगतान नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : हां, तो यह बोलिये ना।

श्री उगमराज मेहता : 23-2 को टेलीग्राम द्वारा भारत सरकार को हमारे सांसद महोदय को तार दिया गया, मुझे तार दिया गया परन्तु अभी तक भुगतान

Page No. 12

(२०)

(श्री उगमराज मेहता)

नहीं किया गया। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : किसका भुगतान नहीं हुआ ?

श्री उगमराज मेहता : श्रमिकों के वेतन का।

श्री अध्यक्ष : यह तो उन्होंने जो अभी जवाब दिया है उसमें बताया है।

श्री उगमराज मेहता : 23-2 तक नहीं दिया। आपने लिखा है, आपने जो जवाब दिया है....

श्री अध्यक्ष : वह तो हो गया। फरवरी और मार्च की बात है।

श्री उगमराज मेहता : 23-2 तक नहीं दिया है। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या वेतन भुगतान समय पर नहीं करने से श्रमिकों को मानसिक एवं आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया ? श्रमिकों को वेतन भुगतान की हर माह सात तारीख है और आज दिन तक पेमेण्ट उनको क्यों नहीं किया गया ? इसके लिए श्रमिक विभाग क्या कार्यवाही करेगा ? साथ ही मैं ...

श्री अध्यक्ष : दूसरा बाद में पूछ लीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह दोनों मिल्स हैं। नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के माध्यम से चलायी जा रही हैं और भारत सरकार का यह उपक्रम है। यह सही है कि जिस मिल में एक हजार से कम श्रमिक काम करते हैं उनको सात तारीख के पहले भुगतान होना चाहिए। इनको कुछ विलम्ब से भुगतान हुआ है और जनवरी के महीने में....

श्री अध्यक्ष : आप इसमें कुछ कर सकते हैं क्या ?

श्री नन्दलाल मीणा : हम तो केवल भुगतान में विलम्ब होने के लिए जो वेतन निर्धारण के मामले का विवाद चलता है जो अजमेर में कार्यालय है, इनके खिलाफ वहां पर केस दायर कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां तो वह करिये आप।

श्री नन्दलाल मीणा : वह कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। नेक्स्ट, श्री अर्जुनदास मदान।

होम्योपैथी चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन

530. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या होम्योपैथी के अतिरिक्त अन्य किसी चिकित्सा पद्धति में भी रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण होता है ? यदि नहीं, तो केवल होम्योपैथी के साथ ही ऐसा क्यों होता है ?

(2) क्या सरकार होम्योपैथिक पद्धति के नवीनीकरण, जो वर्ष 1971 के बाद हर तीन साल बाद करवाना पड़ता है, के

(श्री अर्जुनदास मदान)

नियम को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इसे सरकार होम्योपैथिक पद्धति के साथ सौतेला व्यवहार नहीं मानती ? यदि हां, तो सरकार सभी पद्धतियों को समान अधिकार कब तक देने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (**श्री अचला राम मेघवाल**) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। नवीनीकरण को बन्द करने से रजिस्ट्रेशन का दुरुपयोग होने की सम्भावना है।

(3) जी नहीं।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जितनी भी आज पद्धतियां हैं चाहे वह एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, केवल मात्र होम्योपैथिक छोड़कर बाकी किसी में रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं पड़ती ? और मैंने तीसरे में यह पूछा है क्या सौतेला व्यवहार नहीं मानते ? उसका भी प्रत्युत्तर दिया है कि जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं एक नहीं तीन-तीन उदाहरण देकर कह सकता हूं कि सौतेला व्यवहार होम्योपैथिक के साथ होता है....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये। देखिये क्या होता है, मैं आपके भाषण को समझ नहीं पाता। प्लीज पिन पाइंट सवाल करिये।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं उसी के ऊपर हूं, सवाल से बाहर नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : आप जब बोलेंगे पता नहीं कितनी बातें बोल जाएंगे जो समझ में नहीं आएगा।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं मेरी लक्ष्मण रेखा के भीतर हूं, बिलकुल बाहर नहीं हू।

श्री अध्यक्ष : हां, तो सवाल पूछिये ताकि उसका जवाब आ जावे।

श्री अर्जुनदास मदान : मैंने आपसे जो पूछा है इसका प्रत्युत्तर दिया है जी नहीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि होम्योपैथिक में रजिस्ट्रेशन क्यों होता है ? कारण बता दें, किस कारण से रजिस्ट्रेशन होता है ?

श्री अध्यक्ष : यह एक सवाल आ गया। अब इसमें और उसमें अन्तर क्या है ? यह बताइये। उसके नवीनीकरण करने से तो के आप रजिस्ट्रेशन के दुरुपयोग की सम्भावना बता रहे हैं और होम्योपैथिक में नहीं करने से वहां क्यों ऐसा हो रहा है, यह अन्तर क्यों है ? यह बताइये। यह सवाल सीधा है।

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड का गठन 1969 में हुआ और प्रारम्भ में ही अनुभव के आधार पर 13·11·71 तक यह जो होम्योपैथी के रजिस्ट्रेशन हुए....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं....

श्री अचला राम : और माननीय सदस्य ने बताया कि हमारे साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है तो सन् 1953 से यह जो आयुर्वेदिक....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, इनका सवाल समझिये। पहले आप। सवाल समझिये कि जिस तरह से होम्योपैथी में एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद बार-बार तीन साल बाद में नवीनीकरण करने की आपने गुंजाइश दी है, एक बार हो गया, वन्स फार आल हो गया, इसी तरह से और पद्धति में आयुर्वेद में भी तीन-तीन साल बाद यह जो नवीनीकरण करा रहे हैं, तो यह नवीनीकरण करने का आपने कारण बता दिया कि यदि हमने नवीनीकरण नहीं कराये तो रजिस्ट्रेशन का दुरुपयोग होगा। तो अब सवाल यह है कि एक बार किसी को वैध मानकर आपने उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया वह तीन साल बाद वैध नहीं रहेगा या क्या हो जाएगा? उसकी क्वालीफिकेशन हट जाएगी? यह सवाल है।

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, बार-बार जो रजिस्ट्रेशन करने का कारण है, उसमें हमने यह बताया कि उसका दुरुपयोग होता है। उस वक्त शायद वह जिंदा है....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, ऐसा मत करिये। फिर एक्जामिन कराइये आप। इसको एक्जामिन कराइये आप। आप एक्जामिन करिये कि होम्योपैथी की पद्धति में यह लागू....

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करवायेंगे। अगर इसमें सुधार की संभावना है तो निश्चित रूप से करेंगे।

श्री अध्यक्ष : परीक्षण करवाइये आप। इसमें यह अन्तर नहीं होना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : काहे का परीक्षण? यह क्वेश्चन तो नवीनीकरण का है। हर तीसरे साल दूसरी चिकित्सा पद्धति में भी नवीनीकरण होता है या नहीं होता है? और अगर इस पद्धति में होता है तो क्या किसी भी इनेक्टमेंट या लॉ के नीचे इस प्रकार के प्रावधान होम्योपैथी एक्ट में हैं क्या? प्रश्न इतना ही है।

श्री अध्यक्ष : हां, वह तो है। एक्जामिन वही तो करवा रहे हैं। होम्योपैथी में नवीनीकरण कर देंगे, दूसरे में कर रहे हैं....

श्री अचला राम : हां, परीक्षण करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : तो या तो लीगल आब्स्टेकल उसमें होगा, उससे कर लेंगे क्यों हो रहा है। ऑन मेरिट्स तो ऐसा कोई नजर नहीं आता। ऑन मेरिट्स तो यह अन्तर नहीं होना चाहिए लेकिन कानून अलग-अलग बने हुए हैं। होम्योपैथी बोर्ड के अलग कानून हैं, आयुर्वेदिक बोर्ड के अलग कानून हैं। तो वह एक्जामिन कराने की बात है। यह करा लेंगे उसको। आप अपनी बात उनको और अलग से बता देना। देखिये, इस मामले में जब आप सवाल उठाते हैं तो उसका निष्कर्ष और परिणाम निकलना चाहिए। देखिये, मैं इस

(श्री अध्यक्ष)

सवाल को सवाल के रूप में नहीं लेता। आपने सोच समझकर सवाल उठाया है So let the Government apply their mind और माइन्ड एप्लाई करके यदि उसमें कोई डिसक्रिपेंसी है तो उसको दूर करें और जो कठिनाई लोगों को आ रही है वह दूर हो। तो यह एक्जामिन करेंगे। आप अपना व्यू इनको बताइये।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि एक्जामिन करेंगे तो यह तो बता दें कितने दिनों में एक्जामिन करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप कल से शुरू कर दीजिये। कल से ही आप अधिकारियों के साथ बैठिये और कहिये कि इसमें यह अन्तर क्यों हो रहा है।

श्री अर्जुनदास मदान : वह सौतेला व्यवहार जो यह कह रहे हैं हम नहीं करते, मैं आपको तीन-तीन, चार-चार एक्जाम्पल दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां हां, अब यह ठीक है, आप सारी बात कह लेना। श्री हरिसिंहजी।

मोटर वाहनों से प्रदूषण की रोकथाम

531 **श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में मोटर वाहनों से जनित पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए मोटर वाहनों को चैक करने की क्या कोई व्यवस्था है ?

(2) क्या राजकीय मोटर वाहनों को सड़क पर आने से पूर्व चैक किये जाते हैं तथा उन्हें प्रदूषण नहीं फैलाने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व) : (1) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115 एवं 116 के अन्तर्गत धुए से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच का प्रावधान है। यह जांच वर्तमान में समस्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों पर, जहां कि स्मोक मीटर एवं गैस एनलाइजर उपकरण उपलब्ध है, सम्पादित की जाती है।

(2) प्रत्येक नये वाहन, जिनमें राजकीय वाहन भी सम्मिलित हैं, को सड़क पर आने से पूर्व वाहन निर्माता द्वारा फार्म 22/22 ए में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 47 (जी), 115 (6), 124 एवं 127 के प्रावधानों के अन्तर्गत "रोडवर्दीनेस" प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के अभाव में वाहनों का पंजीयन नहीं होता है।

वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा प्रदूषण नहीं फैलाने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाल्यूशन का मामला बहुत अहम् मामला है और मंत्री जी भी यह जानते हैं कि जो मोटर व्हीकल्स मुफ्तलिक किस्म की सड़कों पर चल रही हैं वह इतना ज्यादा धुंआ फैंकती हैं कि कई दफा तो इनके पीछे चलने में भी बड़ी परेशानी हो जाती है। तो रूल्स 115 और 116 है, और भी हैं, तो क्या

(२५)

(श्री हरिसिंह)

मंत्रीजी मुतमईन हैं कि इनका सही ढंग से इस्तेमाल हो रहा है और पाल्यूशन को किस हद तक रोकने में कामयाब हैं ? नहीं हैं, तो आप और क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं कि इस तरह से पाल्यूशन जो हो रहा है उससे लोग बच सकें ?

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, पाल्यूशन वास्तव में एक गंभीर समस्या है और इसके निवारण के लिए हमने विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष 93-94 में जयपुर शहर में स्मोक मीटर और गैस एनलाइजर द्वारा आर. टी. ओ. हैडक्वार्टर पर भी गाड़ियों को चैक कराया और यंत्र भी उपलब्ध कराये जिसमें करीब दस हजार सात सौ आठ वाहनों की इस दृष्टि से जांच करायी गयी और पन्द्रह सौ....

श्री अध्यक्ष : देखिये, इनका सवाल सिम्पल है कि जो भी प्रदूषण रोकने के लिए हम कह रहे हैं....

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, हम इस सम्बन्ध में बहुत कारगर कदम उठाने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : वह यही पूछ रहे हैं ।

श्री रोहिताश्व : अभी चालू वित्त वर्ष में भी इसके लिए हमने स्पेशल फंड्स का इंतजाम किया है और आर. टी. ओ. हैडक्वार्टर पर नये गैस एनलाइजर और स्मोक मीटर और ज्यादा उपलब्ध करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है।

श्री रोहिताश्व : और पेट्रोल पम्प्स पर, प्राइवेट सैक्टर में भी हमने ऐसी व्यवस्था की है ताकि समय-समय पर जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं....

श्री अध्यक्ष : मतलब इसमें नये-नये आयाम जोड़ते जाइये ताकि जल्दी से कण्ट्रोल हो जाए। यही बात कर रहे हैं। हां ठीक है । श्री हरजीराम ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पर्यावरण भी इसमें इन्वाल्वड है । इसमें मैं थोड़ा-सा बताऊंगा ।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, नये व्हीकल्स की तो चैकिंग आप करते ही हैं लेकिन नयों का तो मसला ही नहीं है । मसला तो पुराने व्हीकल्स का है । दूसरे सवाल के जवाब में कहा है कि वह उपकरण आपके पास में नहीं हैं जिनसे आप इसे चैक कर सकें । मसला जो पुराने व्हीकल्स हो जाते हैं वह धुआं फैंकते हैं जो प्रमाणित आपको करना है । प्रमाणित करने का प्रोग्राम कब तक आप लागू करेंगे ताकि रूल्स को इफेक्टिवली आप लागू कर सकें ।

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि हमारे पास उपकरण नहीं हैं ।

श्री हरिसिंह : नहीं प्रमाणित नहीं कर रहे हैं ना आप उनको ।

श्री रोहिताश्व : मोटर व्हीकल्स एक्ट में जो निर्माता कम्पनी है उनसे सर्टिफिकेट लेकर जो....

श्री अध्यक्ष : यह तो नयों का है। यह पुरानों का पूछ रहे हैं। यह पुराने की पूछ रहे हैं जो आलरेडी पहले हो चुके थे और अब प्रदूषण फैला रहे हैं।

श्री हरिसिंह : और उन्हें आप प्रमाणित नहीं करते हैं। सवाल के जवाब में इन्होंने फरमाया है लास्ट में....

श्री रोहिताश्व : इस प्रकार से फिटनेस के लिये टाइम पर जो गाड़ियां हैं हम उनसे प्रदूषण का सर्टिफिकेट लेते हैं उसके बाद ही उनको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पचास रुपये बंधे हुए हैं और फिटनेस मिल जाता है। वाकई फिटनेस होता नहीं है। जितने भी ट्रक जोधपुर के अन्दर पत्थर ढोने वाले, पट्टियां ढोने वाले हैं, हरेक के पीछे इतना धुआं निकलता है कि शाम के वक्त जोधपुर शहर बिलकुल काला हो जाता है।

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार की हमारे विभाग द्वारा कहीं कोताही बरती जाती है कि फिटनेस बिना प्रमाण पत्र के जारी कर दिया है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं प्रमाण पेश कर सकता हूं, मेरे पास जानकारी है। आप कुछ घोषणाएं करके बताओ।

श्री रोहिताश्व : आप मुझे लिखकर भेज दीजिये, मैं आज ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा नियमों के अन्तर्गत।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो फिटनेस बनाया जाता है वह तो पब्लिक कैरियर के हैं। प्राइवेट गाड़ियां भी हैं, प्राइवेट गाड़ियों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं क्योंकि फिटनेस के लिए सिर्फ पब्लिक कैरियर की गाड़ी आती है।

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सोचना गलत है। फिटनेस के लिये चाहे सरकारी गाड़ी हो, चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, रूल्स में प्रावधान सबके लिए समान हैं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह शायद समझ नहीं पाये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये तो सही.... (व्यवधान) ऐसा है....

श्री हरिसिंह : चर्चा समाप्त समझ लीजिये, अध्यक्ष महोदय, फरमायें।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, ऐसा है मेरे ख्याल से मैंने तो अखबारों में पढ़ा है कि आपके डिपार्टमेण्ट में कुछ नयी व्यवस्था अब की है कि जो पुराने हैं, जिनसे प्रदूषण हो रहा है उनको एक सरटेन पीरियड के बाद वह चैक करते हैं और फिर तभी उनको वह सर्टिफिकेट देते हैं जब उनसे प्रदूषण न हो। ऐसी कुछ नयी व्यवस्था हुई है। आप देख लीजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पर्यावरण से सम्बन्धित मामला है, मैं स्पष्ट कर दूं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह शायद मिस अंडरस्टेंडिंग....

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैं समझता हूं, मुझे ऐसी जानकारी है कि पब्लिक कैरियर अब कांट्रेक्ट पीरियड के ऊपर....

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। उनके लिए तो है ही।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे जितने भी व्हीकल्स हैं, उनकी फिटनेस आर टी. ओ. के आफिस में न तो होती है और न उनको प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। अभी माननीय मंत्रीजी ने यह बताया है कि कुछ व्यवस्था कर रखी है पैट्रोल पम्प्स के ऊपर। वह पैट्रोल पम्प्स के ऊपर आपने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री अध्यक्ष : वह बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : और वहां उसमें वह आप जो कह रहे हो स्मोक मीटर है, वह स्मोक मीटर लगा रखा है कि आपने गैस एनलाइजर लगा रखा है कि वहां पर उसको कांट्रेक्ट मैन बनाया है। आपने क्या व्यवस्था कर रखी है ? आपने कहा, पैट्रोल पम्प की भी व्यवस्था है। किस प्रावधान के अन्तर्गत किया ?

श्री अध्यक्ष : आप यह स्मोक मीटर और यह गैस एनलाइजर का बता दीजिये।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने सही प्रश्न किया है लेकिन हमने यह नहीं कहा कि कर रखी है। हम अब 94-95 में नये तरीके से, जैसे दिल्ली में चालू हुई है यह व्यवस्था, जयपुर में भी, बड़े शहरों में भी इसको चालू करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नसरू खां जी। (व्यवधान) अब आपका नैक्स्ट में आएगा। पूछिये आप। आप पूछ रहे हैं ? आपको पूछना है ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : स्पीकर सर, वह बात नहीं साफ हुई, वह जो है

श्री अध्यक्ष : नहीं वह पूछ रहे हैं। आपका तो हो गया, वह पूछ रहे हैं।

श्री हरिसिंह : नहीं श्रीमान्, पब्लिक कैरियर और काण्ट्रेक्ट कैरियर के अलावा जो और प्राइवेट व्हीकल्स हैं वह फिटनेस के लिए नहीं जाते। मंत्री महोदय (व्यवधान) उस बात का सीधा जवाब दें....

श्री अध्यक्ष : नसरू खां जी। आप बैठिये थोड़ा। पहले यह सवाल पूछ लें। हां, पूछिये।

श्री हरिसिंह : सीधा जवाब दीजिये आप। नेता महोदय ने भी आपसे पूछा है उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री नसरू खां : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह बताना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट के मामले में (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बैठिये।

श्री नसरू खां (लक्ष्मणगढ़) : ट्रांसपोर्ट के मामले में जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, ट्रक और बस, इनकी फिटनेस होती है बाकी ट्रेक्टर हैं, टैक्सियां हैं, जीप हैं,

Page No. 19

(२७)

(श्री नसरू खां)

कार हैं, एम्बेसेडर, कोई भी कार हो उसकी फिटनेस आज तक कहीं भी आर. टी. ओ. ऑफिस में नहीं है। यह जो प्रदूषण की मशीन बता रहे हैं उसके लिए मैंने परसों भी कहा था, यह मशीन से कोई आज तक इंस्पेक्टर या कोई और चैक नहीं करते। आज भी फिटनेस साल में एक दफा होती है गाड़ी की। फिटनेस कराने के लिए जो कहते हैं, प्रदूषण के लिए चैक कर रहे हैं वह सिर्फ एक साल में एक दफा ही चैकिंग होती है। उसके बाद में उस का कोई काम नहीं है और मशीन की तो आज भी आप इंक्वायरी करवा लें, कहीं भी किसी भी आर.टी.ओ. ऑफिस के अन्दर मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज तक किसी गाड़ी को चैक नहीं किया गया है। आज तक कहीं भी कोई रिकार्ड नहीं है इस बात के लिए,...

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। अब आप रिछपाल सिंह जी। एक मिनट में पूछ लें सवाल।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि फिटनेस के लिए आप उनको बाध्य करेंगे, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर दे मॉडल कंडीशन रखकर के, जो गाड़ियां प्रदूषण ज्यादा फैलाती हैं उनका परमिट ही रद्द कर दे। मॉडल कंडीशन रख दे, उस आधार पर उनका परमिट ही रद्द कर दे तो यह झगड़ा ही खतम हो जाए सब।

श्री अध्यक्ष : श्री शम्भूदयाल बड़गूजर।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में प्रदूषण फैलाने का काम यह टैम्पों सबसे ज्यादा कर रहे हैं। टैम्पो का माननीय मंत्री महोदय ने....

श्री अध्यक्ष : टैम्पो, टैम्पो तो बाद में, वह तो सब पर ही हो रहा है।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : कोई परीक्षण अभियान किया है ? अध्यक्ष महोदय, टैम्पो प्रदूषण फैलाने के अलावा, वाहन चालक परेशानियां भी खड़ी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप भंवर सिंहजी। हो गया।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : इसमें.... (व्यवधान)....हुड हुड करते हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप टैम्पो वालों को क्यों पकड़ते हैं, कार वाले जो करते हैं.... (व्यवधान) कार वालों को छूट है टैम्पो वालों को पकड़ लें, यह क्या बात हुई। यह सब की बात है।

श्री भंवर सिंह चौधरी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी निवेदन किया था कि सही पर्यावरण चैक करना है ...

श्री अध्यक्ष : आप सुझाव दे दीजिये ताकि मंत्रीजी उसी हिसाब से तय कर लेंगे।

श्री भंवर सिंह चौधरी : वह सुझाव यह था कि मोबाइल यूनिट्स शहरों में

(28)

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

बने और सड़कों पर चलती हुई साफ दिख रही हैं, प्रदूषण फैलाती इन गाड़ियों को रोकें और प्रदूषण ज्यादा मात्रा में हो तो वहीं जब्त किया जाकर कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। मंत्रीजी, यह हो गया, अब आप नोट कर लीजिये। श्री हरजी राम बुरड़क। नेक्स्ट।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप नोट कर लीजिये। यह सारे सजेशंस जो आये हैं उसके मुताबिक पॉलिसी बना लीजिये।

श्री रमाकान्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था इसमें।

श्री अध्यक्ष : नहीं आप सजेशंस दे देना मंत्रीजी को। बाद में सजेशंस दे दीजियेगा। श्री हरजी राम बुरड़क।

गृह निर्माण सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

532. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग ने जयपुर की कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध भूमि घोटालों के सम्बन्ध में पुलिस में मामले दर्ज कराये थे ? यदि हां, तो कब, किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या मामले दर्ज कराये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त मामलों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां। वांछित विवरण (परिशिष्ट "अ") संलग्न है।

(2) उपरोक्त विवरणाधीन पंजीकृत 51 अभियोगों में अन्वेषण के बाद 25 अभियोगों में चालान (आरोप-पत्र) व 10 अभियोगों में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं तथा 16 अभियोग वर्तमान में अन्वेषणाधीन हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जो विवरण इसके संलग्न किया गया है मैंने उसमें यह पूछा था किन किन पदाधिकारियों के विरुद्ध है। उनका इसमें नाम जरूर दिया है। लेकिन वह कौनसी समितियों के पदाधिकारी हैं यह इस विवरण में नहीं लिखा ? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह था कि 10 मामलों में एफ आर. दी गयी है और दो-दो, तीन-तीन साल के बाद में एफ. आर. दी गयी है उसमें कारण यह बताया है कि अदम बकुआ मतलब घटना हुई नहीं ? जबकि यह मामले राज्य सरकार ने जांच करके आडिट रिपोर्ट या और उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर थानों में दर्ज कराये थे। बिना घटना के ही यह मामले दर्ज करवा दिये और उनमें एफ. आर. देनी थी तो

(श्री हरजीराम बुरड़क)

तीन-तीन साल तक उनको लिए बैठे रहे, इससे यह साफ है कि जिन मामलों में एफ. आर. दी गयी है वह बिलकुल गलत दी गयी है। क्या मंत्री महोदय, उसकी दुबारा जांच करायेंगे ? एक बात। दूसरी बात, अभी 16 मामले आपके विचाराधीन हैं। जयपुर शहर के यह मामले थे और आज दर्ज हुए 5 साल हो गये और सरकार की तरफ से मामले दर्ज कराये थे और यह जो संवेदनशील सरकार कह रही है अपने आपको, इसी सरकार के दर्ज कराये हुए थे और एक शहर में यहां सारा आपका पुलिस बल तैनात है और सरकार भी यहां विराजमान है तो यह 5 साल क्यों लगाये ? इसका उत्तर दीजिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारियों के नाम मैं पता लगाकर आपको भिजवा दूंगा उसमें हमको किसी के बारे में छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो जिस पद पर होगा जैसा पदाधिकारी होगा। आपका पहला सवाल है उसके तो मैं भिजवा दूंगा। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल पुरानी तो यह नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि 1990 में दर्ज कराये गये....

श्री हरजीराम बुरड़क : 90 में दर्ज हैं तो 5 साल हो गये, गिन लीजिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : आप सुन लीजिये। 1990 में दर्ज कराये गये 39 अभियोगों में से 4 अभियोगों में कोई घटना होना नहीं पाया जाने पर अन्वेषण के बाद नतीजा अंतिम प्रतिवेदन अदम बकुआ में दिया गया है। जहां तक खोलने का प्रश्न है, तीन मामले आज यहां घोषणा करता हूं कि वापस खोल दूंगा क्योंकि उसमें जो कारण दिया है वह कारण मुझे उचित नहीं लग रहा है और तीन मामले जो हैं जो एफ. आर. दी गयी है उन मामलों को वापस लेकर के उसकी तफ्तीश प्रारम्भ करवा दूंगा। यह दूसरे 4 मामले मैं देखूंगा जिसमें मैं अभी आश्वस्त नहीं हुआ हूं। 1992 में दर्ज तीन अभियोगों में साक्ष्य के अभाव में नतीजा अदम सबूत में दिया गया है। वर्ष 1993 में दर्ज एक मात्र अभियोग विचाराधीन है और वर्ष 94 में जो मामले हैं वह अन्वेषणाधीन हैं। इस तरह पुराने मामले निपट चुके हैं इसमें और आपकी कोई शिकायत हो और आपको लगता है कि तफ्तीश ठीक नहीं है और अदम बकुआ जो एस. आर. दी गयी है वह भी गलत दी गयी है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप की दी हुई जानकारी के आधार पर मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : जो आपने कहा कि पदाधिकारियों के नाम अलग से दे दूंगा उसमें समिति के नाम सहित....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

श्री हरजीराम बुरड़क: एक मिनट, एक सवाल ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, मुझे इसी पर आपत्ति है कि आप पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं। आप के पास जो स्टेटमेण्ट आया है उसमें सब पदाधिकारियों के नाम हैं क्या पदाधिकारियों....

Page No. 22

(39)

श्री हरजीराम बुरड़क : कौनसी समितियों के हैं ?....

श्री अध्यक्ष : सभी समितियों के ।

श्री हरजीराम बुरड़क : अलग-अलग सोसायटी का नाम नहीं है इसलिए निवेदन है । क्योंकि नाम होता तो वह पदाधिकारी का नाम भी हो जाता । यह तो आपने कह दिया दे देंगे, आगे अब मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : सवाल आपका यह रहा कि समिति का नाम नहीं है । आप प्रश्न पूछ रहे हैं पदाधिकारियों का....

श्री हरजीराम बुरड़क : पदाधिकारियों का ही प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : हां तो नाम तो सब दिये हुए हैं, समिति का नाम नहीं है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : समिति का नहीं है । वह मंत्री है कि वह अध्यक्ष है, सदस्य है, यह पूछा है मैंने ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप देखिये, यह तो आपका सवाल है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के किन पदाधिकारियों के विरुद्ध है । तो इसका मतलब गृह निर्माण समितियों में जो पदाधिकारी हैं उन्हीं पर पैनल्टी हो रही है....

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मामले में चालीस नाम हैं । 40 पदाधिकारी होते हैं क्या समिति में ? समिति में 40 होते हैं पदाधिकारी ?

श्री अध्यक्ष : इसमें पदाधिकारी शामिल हैं । पदाधिकारी प्राइमरी....

श्री हरजीराम बुरड़क : तो इसलिए मैंने पूछा था और आपने हां भर दी इससे झगड़ा हो गया ।

श्री अध्यक्ष : आपका मेन प्रश्न यह है कि समितियों के नाम नहीं हैं ।

श्री हरजीराम बुरड़क : समितियों के नहीं हैं और अध्यक्ष, मंत्री के भी नहीं हैं । दूसरा, जी अदम बकुआ की एफ. आर. है उसमें आपने तीन मामलों का कहा है, जितने में भी अदम बकुआ में एफ. आर. हैं उनको आप दिखवा लें । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उनसे मिलकर पुलिस ने उनमें एफ आर. लगा रखी है और कल का आपका आश्वासन है कि जमीन के माफिया जो जयपुर के अन्दर स्केण्डल कर रहे हैं उनको आप सख्ती से डील करेंगे ।

प्रश्न संख्या 533

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री माधवसिंह दीवान ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

प्रश्न संख्या 534

श्री राजेन्द्र गहलोत ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

श्री दयाराम परमार ।

योजनान्तर्गत खाद, बीज वितरण

535. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री दयाराम परमार)

क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना में व्यक्तिगत लाभ की योजना के अन्तर्गत खाद, बीज वितरण एवं फल विकास का कार्यक्रम भी चलाया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1992-93 में एवं 1993-94 में कुल कितना खाद, बीज वितरण किया गया ? सूची काश्तकारों के नाम, पते सहित सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री नन्द लाल मीणा) : जी हां। जनजाति उपयोजना में व्यक्तिगत लाभ की योजना के अन्तर्गत खाद, बीज एवं फल विकास का कार्यक्रम भी चलाया जाता है। वर्ष 1992–93 में 98.151 टन रासायनिक खाद एवं 5413 किलो बीज वितरण किया गया है। वर्ष 93–94 में 67.022 टन रासायनिक खाद एवं 496 किलो बीज वितरण किया गया। काश्तकारों के नाम व पते सहित सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल सब-प्लान में जनजाति समुदाय के काश्तकारों को बीज और खाद का वितरण किया जाता है। इसके साथ ही में फलदार पौधे भी वितरित किये जाते हैं। माननीय मन्त्री जी स्वयं जनजाति समुदाय से आते हैं और जनजाति क्षेत्र में जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं। क्या वह इस कार्यक्रम से सन्तुष्ट हैं ? यदि वह सन्तुष्ट नहीं हैं, तो क्या इसको बन्द करने का विचार रखते हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय यह सही है कि आदिवासी कृषकों को उन्नत खाद और बीज का वितरण हो और उन्हें मुहैया होने वाली सुविधाओं का लाभ मिले। परन्तु व्यावहारिक रूप से जो लाभ उनको पहुंचना चाहिए वह सरकारी रिकार्ड के आधार पर पूर्णतः नहीं पहुंचा है। मैं माननीय सदस्य की भावना से अच्छी तरह वाकिफ हूं क्योंकि मैं स्वयं कृषक हूं और उसी वर्ग से सम्बन्ध रखता हूं। पिछली लोक सभा के चुनाव के बाद मैं बराबर मेरे गांव में खेती करता था, मेरे गांव और मेरे इलाके में कृषि विभाग के खाद और बीज के लोग नहीं आये। सारा रिकार्ड देखने के बाद पंचायत समिति अरनोद में केवल एक जिराफता गांव में आये और अपने परिवार के व्यक्तियों को ही जिनकी खाते पर जमीन नहीं है और केवल पिता के नाम पर खाते की जमीन है उनके नाम पर खाद और बीज का वितरण रिकार्ड में दर्ज किया गया है। यह सारी गम्भीर बात है। मैं यह कहना चाहूंगा कि योजना तो अच्छी है परन्तु सही ढंग से आदिवासियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। सही ढंग से लाभ किस तरह से मिले, माननीय सदस्य और अन्य उक्त उप योजना क्षेत्र के आने वाले माननीय सदस्य हैं उन सब से विचार विमर्श करके इस योजना की उपादेयता को देखते हुए और इसके गुणदोष को देखते हुए आने वाले 94-95

(श्री नन्दलाल मीणा)

के वर्ष से इसको लागू की जाए या नहीं की जाए इसका निर्णय कर लिया जाएगा।

प्रश्न संख्या 536

श्री अध्यक्ष : श्री एमादुद्दीन अहमद खां।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री रामगोपाल बैरवा।

पीपल्दा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

537. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पीपल्दा तहसील में कितने ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है व कितने ग्राम शेष रह गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शेष रहे ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री (**श्री रघुवीर सिंह कौशल**) : (1) पीपल्दा तहसील जिला कोटा में जनगणना पुस्तिका 1981 के अनुसार कुल 165 ग्राम हैं जिनमें से माह फरवरी 1994 तक 99 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है तथा 66 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं। सूची 'अ' व 'ब' सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) शेष रहे 66 स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण योजना मद में आवंटित वित्त एवं लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जाना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के खण्ड (1) में माननीय मन्त्री जी से इस बात के लिए पूछा था कि पीपल्दा तहसील में कितने गांवों को इलेक्ट्रिफाइड घोषित किया गया है और कितनों को नहीं। लेकिन जो लिस्ट मेरे पास आयी है, 92 और 93 में 8–10 गांवों को इलेक्ट्रिफाइड घोषित कर दिया गया है। इस लिस्ट में धनढोरा, अरठया, माठोली, रामपुरा, दुर्जनपुरा, बाडोली, नीमोड़ा, आदि जो गांव थे, आदि 8–10 जो गांव थे, आधों को इलेक्ट्रिफाइड बता दिया गया है और आधों को अन-इलेक्ट्रिफाइड बता दिया गया है। इन गांवों के अन्तर्गत केवल एक लोवत को छोड़कर किसी भी गांव को आज दिन तक इलेक्ट्रिफाइड नहीं किया है।

दूसरा प्रश्न यह था कि जो शेष बचे हैं उनको कब तक इलेक्ट्रिफाई कर दिया जाएगा। मान्यवर, आजादी के इतने वर्ष होने के बावजूद 165 गांवों में से 99 इलेक्ट्रिफाइड घोषित किये गये हैं यानी टोटल गांवों का केवल 60 प्रतिशत ही गांव इलेक्ट्रिफाइड किये गये हैं। यह बहुत कम उपलब्धि है और इसके लिए सरकार आगे क्या करना चाहती है ?

Page No. 25

(33)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिफाइड का मतलब यह समझा जाता है कि उस गांव में कनेक्शन हो गये या नहीं। तो कनेक्शन का मतलब यह होता है कि जब वहां लाइन खिंच जाती है, ट्रान्सफार्मर लग जाता है तब जब एप्लीकेशन्स आती हैं तब कनेक्शन दिये जाते हैं उसी के हिसाब से। किसी किसी जगह यह भी होता है कि जब एक भी एप्लीकेशन नहीं होती तो ट्रान्सफार्मर इसलिए नहीं लगाया जाता कि पास में कोई ट्रान्सफार्मर खराब हो जाता है तो किसान उस ट्रान्सफार्मर को खोलकर ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन्स आएंगी, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इनके यहां इस वर्ष 7 गांव इलेक्ट्रिफाइड घोषित हैं। एक गांव अभी नहीं हुआ है लेकिन वह सातों गांव 31 मार्च तक इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे। कनेक्शन तभी मिलेंगे जब उनकी एप्लीकेशन्स आ जाएंगी। यदि 31 मार्च के बाद एक भी गांव रह जाए जिसमें कि बिजली विभाग का कोई काम शेष रह जाए तो यह सम्भव नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : मान्यवर, अरठया में मैं खुद जाकर आया हूं और जो वहां का ठेकेदार है उससे बात भी की है, वहां खम्भे खड़े हुए हैं और आज जो लिस्ट मेरे पास आयी है उसमें इसे इलेक्ट्रिफाइड घोषित किया गया है। मैं खुद वहां होकर आया हूं। बमोरी के ठेकेदार से बात हुई है और उसने कहा है कि सरसों की फसल कटने के बाद हम लाइन खड़ी करेंगे और आपके द्वारा जो लिस्ट दी गई है उसमें इलेक्ट्रिफाइड घोषित किया गया है।

श्री रामकिशन वर्मा : वहां डी. पी. नहीं लगी तो लाइन कहां से आएगी, बिजली कहां से आएगी ? खम्भे ही खड़े नहीं हुए। तो आप इसकी थोड़ी जांच करवा लें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैंने यह कहा है कि मेरे पास सूचना के हिसाब से केवल एक गांव नहीं हुआ है। सामान सारा पड़ा होगा। यह हो सकता है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सरसों की फसल खड़ी है इसलिए खम्भे नहीं लगे। मैटीरियल सारा पहुंच गया। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च तक यदि एक भी गांव रह जाएगा तो सम्बन्धित अधिकारी को दण्डित किया जाएगा। (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : यह घोषणा केवल यहीं के लिए है या पूरे राजस्थान के लिए है ?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिन गांवों का आपने विद्युतीकरण किया है और घरों में कनेक्शन दिये हैं, क्या मीटर रीडर वहां मौके पर जाकर यूनिट अपने यूनिट रजिस्टर में दर्ज करते हैं ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह अलग प्रश्न है। इसका अलग से जवाब दिया जाएगा।

श्री रामगोपाल बैरवा : मैं माननीय

(34)

(श्री रामगोपाल बैरवा)

मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 1991–92 में तुरन्त योजना के तहत....

श्री अमराराम चौधरी : मौके पर जाकर यूनिट दर्ज नहीं कर रहा है और गलत बिल आ रहे हैं। हजारों रुपयों के बिल आ रहे हैं और काश्तकारों से वसूल किये जा रहे हैं और माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि अलग से प्रश्न है। आप विद्युतीकरण कर देंगे, मीटर रीडिंग गलत बैठे बैठे आफिस में दर्ज कर रहे हैं वह कैसे सम्भव होगा लोगों को बिल देना ? (व्यवधान) ...

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय मंत्री महोदय, जिन गांवों को 91–92 में तुरन्त योजना के तहत कनेक्शन दिये गये थे उन गांवों को अभी भी विद्युतीकृत घोषित नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि क्या इन लोकेलिटीज को इलेक्ट्रिफाई करने का प्रोग्राम 1992–93 का था ? 92–93 में जैसा कि आपने बताया अपने उत्तर में, उसको करीब डेढ़ साल, पौने दो साल हो गये हैं। जो लोकेलिटी इलेक्ट्रिफाइड हो गयी है। तो यह जो लैप्स रहा है किसी के पार्ट पर, मैं इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह कह रहा हूं कि जब मैं एनर्जी और पावर मिनिस्टर था तो एक पर्टिकूलर साल के अन्दर मेरे खुद की कांस्टीट्यूएंसी में 5 गांव इलेक्ट्रिफाइड बता दिये, मैं 6 महीने के बाद टूर पर गया, तो पांचों गांवों में (व्यवधान) इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल ही नहीं था। न तार थे, न खम्भे थे, न डी. पी. थी और न कोई ट्रान्सफार्मर था। मैंने सीधे चेयरमैन से कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी तो नहीं होनी चाहिए, यह बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हो, और वह भी पावर मिनिस्टर के साथ कर रहे हो। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता था, तालियां तो आपने बजवायी लेकिन मेरे जैसे आदमी के साथ भी कर सकते हैं। इसलिए आप यह रेस्पान्सीबिलिटी फिक्स कीजिये। 1992–93 में लोकेलिटीज इलेक्ट्रिफाइड बता दी गयीं और अभी तक वह लोकेलिटी इलेक्ट्रिफाइड नहीं हुई है, वहां पर डी. पी. लगी हुई नहीं हैं, ट्रान्सफार्मर लगा नहीं है, कनेक्शन की बात दूसरी है। आप एक लट्टू लगाकर इलेक्ट्रिफिकेशन तो बता सकते हैं 31 मार्च को।

(12.00)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह तो 1993–94 का है, 1992–93 का नहीं है। आप जैसा बता रहे हैं, ऐसा होता है, यह बात सच है। लेकिन मैं यह प्रयत्न कर रहा हूं आप सब लोगों के सहयोग से कि इस प्रकार का जो फर्जी इलेक्ट्रिफिकेशन होना बताया जाता है वह न बताया जाए। यदि किसी अधिकारी की किसी भी स्तर पर कोई गलती हुई है, मैलाफाइड इण्टेंशन है तो उसे किसी कीमत पर भी नहीं बख्शा जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऊर्जा मंत्री

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ऊर्जावान हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

रूंध मांढेरा क्षेत्र में वन गायों द्वारा फसल की क्षति रोकने के उपाय

524. श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील डीग, जिला भरतपुर के रूंध मांढेरा क्षेत्र में वनगायों द्वारा आस पास के गांवों के किसानों की फसल निरन्तर बर्बाद की जाती है? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही ?

(2) क्या यह सही है कि रूंध क्षेत्र की चारों ओर दीवार बनाने के लिए कई बार विचार हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार से आर्थिक मदद हेतु क्या कार्यवाही की गई? यदि की गई है, तो क्या प्रगति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत वर्ष कुछ वनगायें रूंध क्षेत्र से पकड़वाकर बाहर भेजी गई थी, जिनसे कुछ राहत मिली थी, अब कितनी वन गायें शेष हैं एवं उन्हें कब तक पकड़वाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जी हां। इस समस्या के समाधान हेतु रूंध के चारों तरफ बाड़ बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) यह सही है कि रूंध क्षेत्र के चारों ओर दीवार बनाने के लिए कई बार विचार विमर्श हुआ है। लेकिन इस कार्य हेतु भारत सरकार से आर्थिक मदद प्राप्त करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव अभी राज्य सरकार में विचाराधीन नहीं है।

(3) विगत वर्ष रूंध मांढेरा से 80 वन गायें पकड़वाकर बाहर भेजी गई थी। वर्तमान में लगभग 500 वन गायें रूंध मांढेरा में है। जिन्हें समयबद्ध योजनानुसार पकड़कर बाहर छोड़ने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

बड़े शहरों में संचालित निजी डीलक्स बसों से निगम को हो रही हानि

528. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : एवं

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर तथा राज्य के अन्य बड़े शहरों से रात्रि के समय सैकड़ों की संख्या में 2×2 डीलक्स प्राईवेट बसें अलग-अलग कम्पनियों के

(श्री माधवसिंह दीवान)

नाम से खुले आम रोड़वेज बस स्टेण्ड के सामने से रवाना होती हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां से कितनी-कितनी बसें जाती हैं ?

(2) सरकार इन बसों से यात्री कर किस प्रकार वसूल करती है तथा इनको चलाने हेतु सरकार से किस प्रकार की स्वीकृति ली जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन बसों के चलने से राज्य पथ परिवहन निगम को नुकसान होता है ? यदि हां, तो सरकार उसे बचाने हेतु क्या क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 सहपठित राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5:73 के अन्तर्गत ट्रेवल एजेण्ट्स को लाईसेन्स जारी करने का प्रावधान है तथा परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न शहरों में ट्रेवल एजेण्ट्स के लाईसेन्स जारी किये गये हैं। इसी अधिनियम की धारा 88(9) के अन्तर्गत पर्यटन अनुज्ञापत्र प्राप्त कर या धारा 88(8) के तहत विशेष परमिट प्राप्त कर यात्री वाहनें राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलने हेतु अधिकृत हैं। ट्रेवल एजेण्ट्स के कार्यालय शहर में कहीं भी स्थित हो सकते हैं। विशेष अनुज्ञापत्र प्राप्त कर संचालित होने वाली ऐसी वाहनों की निश्चित संख्या का आंकलन करना सम्भव नहीं हो सकता।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन बसों से यात्रा कर (विशेष पथकर) राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 (बी) में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत वसूल किया जाता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वाहन	देय विशेष पथकर प्रति सीट प्रति वर्ष
1	2	3
1–	यात्री वाहन जिनकी बैठक क्षमता 12 से अधिक एवं 20 से अधिक न हो (चालक एवं परिचालक को छोड़कर) साधारण से अतिरिक्त यात्री वाहन	रु. 1200/-
2–	यात्री वाहन जिनकी बैठक क्षमता 20 से अधिक हो (चालक एवं परिचालक को छोड़कर) साधारण से अतिरिक्त यात्री वाहन (उपरोक्त कर के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सरचार्ज और देय है)	रु. 3000/-

शादी, तीर्थ यात्रा अथवा पर्यटक यात्राओं के लिए समस्त राजस्थान अनुज्ञा-पत्रधारी को मोटर यान अधिनियम,

(यातायात राज्य मन्त्री)

1988 की धारा 88(8) के तहत विशेष परमिट लेना अनिवार्य है। जो एक वापसी सेवा के लिए जारी किया जाता है एवं जिसके आधार पर वाहनों का संचालन राष्ट्रीयकृत मार्ग पर किया जा सकता है।

(3) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के तहत पर्यटक अनुज्ञापत्र प्राप्त कर या धारा 88(8) के तहत विशेष अनुज्ञापत्र प्राप्त यात्री वाहनें नियमानुसार राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलने हेतु अधिकृत हैं। ऐसी स्थिति में इनसे निगम को हानि होने की सम्भावना नहीं रहती। किन्तु यदि ऐसी वाहनें परमिट की शर्तों का उल्लंघन करती हुई पायी जाती हैं तो निगम को नुकसान होने की सम्भावना रहती है, जिसके लिए विभाग द्वारा सम्बन्धित अनुज्ञापत्रधारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1993-94 में (जनवरी, 1994 तक) ऐसी अवैध चलती पाई गयी वाहनों के विरुद्ध 2609 चालान बनाये जाकर रुपये 34.20 लाख की कम्पाउण्डिग राशि वसूल की गई।

कालेजों की स्थापना के मानदण्ड

533. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करें :–

(1) क्या यह सही है कि कई छोटे बड़े शहरों व कस्बों में कालेज खोलने की मांग जनता से आती रही है? यदि हां, तो नये कालेज खोलने बाबत सरकार की क्या नीति है?

(2) क्या सरकार निजी संस्थाओं को कालेज खोलने बाबत प्रोत्साहित करने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या?

(3) कितने सरकारी तथा कितने प्राईवेट एवं अनुदानित कालेज राज्य में कार्यरत हैं? वर्ष 1992–93 में इन कालेजों पर कितना सरकारी खर्च आया? कालेज पर व्यय के आंकड़ों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1992–93 में उक्त कालेजों में पढ़ने व पढ़ाने वालों का अनुपात कालेजवार क्या रहा? क्या सरकार इनसे संतुष्ट है?

(5) क्या यह सही है कि अधिकतर पिरीयड में प्रोफेसर पढ़ाने आते ही नहीं तथा विद्यार्थियों को जबरन इनके वहां ट्यूशन पर जाना पड़ता है? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न क्षेत्रों से कालेज खोलने की मांग आती रही है। महिलाओं को उच्च शिक्षा की अधिक सुविधाऐं उपलब्ध कराने की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं के लिए महाविद्यालय सुविधाएं उपलब्ध कराने की वर्ष 1994–95 के बजट में व्यवस्था की गई है। वार्षिक योजना 1994–95 के बजट प्रस्तावों में राज्य में नये महाविद्या-

(उच्च शिक्षा मन्त्री)

लय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी राज्य में वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर विभाग के मानदण्डों एवं स्थान विशेष के गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(2) जी हां। अभी प्रकरण विचाराधीन है।

(3) राज्य में 69 सरकारी, 50 सहायता प्राप्त तथा 52 असहायता प्राप्त कुल 171 महाविद्यालय कार्यरत हैं। इन महाविद्यालयों पर 1992-93 में निम्न प्रकार व्यय किया गया।

(सूची परिशिष्ट क—ख संलग्न हैं)

	राशि लाखों में
सरकारी	2594-00
सहायता प्राप्त	951-28
असहायता प्राप्त (तदर्थ सहा.)	03-09

(4) सत्र 1992-93 में विभिन्न जिलों के कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात परिशिष्ट 'ग' में अंकित है। जी नहीं।

(5) जी नहीं। किसी विशेष व्यक्ति। स्थान के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होती है तो सरकार जांच करती है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

जोधपुर संभाग के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित निजी वाहनों से निगम को हानि

534. श्री राजेन्द्र गहलोत(सरदारपुरा): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर संभाग में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहनों के चलन से राज्य पथ परिवहन निगम की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार को जोधपुर डिपो के कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) सरकार अब इन अनाधिकृत वाहनों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या शहर में चला रहे ट्रेवलिंग एजेन्सीज के टिकट काउन्टर के लायसेन्स विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं ? यदि नहीं, तो इस प्रकार के लाईसेन्स जारी करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बिना परमिट वाली अथवा परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर अवैध रूप से चलने वाली वाहनों से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आय पर पड़ने वाले किसी विपरीत प्रभाव का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है। फिर भी विभाग ने राज्य में अन्य सम्भागों की भांति

(यातायात राज्य मन्त्री)

जोधपुर सम्भाग में भी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ऐसे अवैध चलते पाये गये निजी वाहनों के विरुद्ध निरन्तर प्रभावी चैकिंग कर अंकुश लगाने का हर सम्भव प्रयास किया है।

(2) उक्त सम्बन्ध में सरकार को जोधपुर डिपो के कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं अपितु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जयपुर कार्यालय से दो शिकायतें अवश्य प्राप्त हुई हैं। निगम की जोधपुर शेरगढ़ मार्ग, जोधपुर पोखरन मार्ग तथा जोधपुर-पोखरण-जैसलमेर मार्ग पर चलने वाली कथित अवैध वाहनों बाबत, प्राप्त सूची पर विभाग के पत्र क्रमांक प. 20 (6) परि/93 दिनांक 2.2.94 द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर के माध्यम से जांच करवाई गयी। उक्त जांच इन मार्गों पर अवैध रूप से चलती पायी गयी वाहनों के विरुद्ध दिनांक 16.12.93 से 31.1.94 की अवधि में 36 चालान बनाये जाकर 71922/- रुपये कम्पाउण्डिंग राशि वसूल की गयी।

इसी प्रकार निगम से अनाधिकृत वाहन संचालन की रोकथाम कराने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र दिनांक 21.2.94 के क्रम में प्राप्त सूची में अंकित वाहनों के सम्बन्ध में जोधपुर सम्भाग से सम्बन्धित ऐसी वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने बाबत विभाग द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर को पत्र दिनांक 3 मार्च, 1994 को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त जोधपुर डिपो के स्तर से जोधपुर में उपमहानिरीक्षक पुलिस, जिला कलेक्टर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आदि को भी इस बाबत लिखे जाने सम्बन्धी सूचना निगम ने दी है।

(3) राष्ट्रीय मार्गों पर वाहनों के अवैध चलन को रोकने हेतु विभाग हर सम्भव प्रयासरत है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय-समय पर वाहनों की चैकिंग की जाती है। गत पांच वर्षों में जोधपुर सम्भाग में विभाग द्वारा ऐसी वाहनों के 47621 चालान बनाये जाकर 1.68 करोड़ रुपये की कम्पाउण्डिंग राशि वसूल की गई।

(4) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 सहपठित राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5:73 के अन्तर्गत ट्रेवल एजेन्ट्स को लाईसेन्स दिये जाने का प्रावधान है।

ग्राम नसोपुर पंचायत समिति कोट कासिम (अलवर) में आयुर्वेदिक चिकित्सालय

536 श्री एमामुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही कि ग्राम नसोपुर, पंचायत समिति कोटकासिम, तहसील किशनगढ़ वास, जिला अलवर में व आस-पास कोई भी चिकित्सालय नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामवासियों ने आपस में सहयोग से एक बड़े

(श्री एमामुद्दीन अहमद खां)

भवन का निर्माण भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने हेतु कर लिया हैं ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त ग्राम सहयोग से निर्मित भवन में चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम नसोपुर तहसील किशनगढ़वास जिला-अलवर में कोई राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

ग्राम नसोपुर से 7 कि. मी. दूर ग्राम जोडिया में आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत/संचालित है।

(2) जन सहयोग से ग्राम नसोपुर में केवल दो कमरे व बरामदा औषधालय के प्रयोजन हेतु निर्मित किये गए हैं।

(3) वर्तमान स्थिति में इस भवन में औषधालय खोलना सम्भव नहीं है। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अजमेर में इंजिनियरिंग महाविद्यालय एवं विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

788. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार अजमेर में नया इंजिनियरिंग कालेज खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आई. टी. आई. संस्थान खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान में अजमेर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण वर्तमान में किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राजकीय आई. टी. आई. खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़

789. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) प्रतापगढ़ में वर्तमान में किस-किस प्रकार के ट्रेड्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है एवं कौन-कौन से ट्रेड्स का प्रशिक्षण और सम्मिलित करने की योजना है ?

(2) क्या इस संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों के आवास की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार छात्रावास निर्माण का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़ में वर्तमान में मैकेनिक डीजल, स्टेनोग्राफी हिन्दी, वेल्डर, कटिंग एवं टेलरिंग, वायरमैन व फिटर व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निकट भविष्य में अन्य कोई नये ट्रेड सम्मिलित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(2) प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़ में वर्तमान में प्रशिक्षणार्थियों के लिये किराये का छात्रावास उपलब्ध है। वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण वर्तमान में राजकीय छात्रावास का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं कृषि विश्वविद्यालय के मध्य सम्पत्ति विवाद

790. **श्री लक्ष्मणसिंह (भीम)** : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं कृषि विश्वविद्यालय के मध्य सम्पत्ति विवाद है ? यदि हां, तो सरकार उक्त विवाद को कब तक तथा कैसे हल करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार ने आदेश संख्या एफ 7 (3) शिक्षा-4/87 पार्ट-II दिनांक 2-3-1993 द्वारा इन दोनों विश्वविद्यालयों के बीच सम्पत्ति विवाद को हल करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए एक सदस्यीय राजगोपाल समिति का गठन किया था। जिसकी रिपोर्ट 4 जनवरी, 94 को राज्य सरकार को प्राप्त हो गयी है तथा राज्य सरकार के विचाराधीन है।

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में पर्यावरण विषय

791. **श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)** : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक किस-किस स्तर पर क्या-क्या प्रयास किये हैं एवं उनमें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है ?

(3) क्या सरकार स्नातक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार आगामी शिक्षा सत्र में पर्यावरण शिक्षा स्नातक स्तर पर प्रारंभ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में पर्यावरण शिक्षा से सम्बन्धित संचालित पाठ्यक्रमों की सूची परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) जी हां।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(3) एवं (4) जी नहीं, विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के बाद ही उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

टी. बी. अस्पताल, डूंगरपुर का भवन निर्माण

792. **श्री भीमराज मीणा** (आसपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर राज्य के समय नई बस्ती में टी. बी. हॉस्पिटल जनता एवं राज्य के सहयोग से बनाया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन आज भी राजकीय है मगर राजस्थान सेवा संघ ने अपने प्रभाव से उसे अपने कब्जे में कर लिया ? क्या सरकार उक्त भवन को अब अपने कब्जे में लेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भवन पी. डब्ल्यू. डी. के रेकार्ड में दर्ज है और इसका कोई किराया नहीं दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु इस भवन में टी. बी. अस्पताल कभी चलाया नहीं गया।

(2) उक्त भवन कागजों में राजकीय है किन्तु दीर्घकाल से राजस्थान सेवा संघ के अधिकार में है।

(3) जी हां। उक्त भवन सा. नि. विभाग की प्रशासनिक भवन की सूची में सम्मिलित है। संघ द्वारा इसका कोई किराया नहीं दिया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के पंचायत मुख्यालयों में सड़कों का निर्माण

793. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केकड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय हैं जो सम्पर्क सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के सभी पंचायत मुख्यालयों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के ऐसे कितने गांव हैं जिनकी आबादी 1000 की है तथा इन्हें सड़कों से जोड़ने बाबत सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) केकड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी पंचायत मुख्यालय सम्पर्क सड़क से जुड़े हुए हैं। इन सभी पंचायत मुख्यालयों की सूची व जिस प्रकार की सड़क से जुड़े हुए है संलग्न हैं।

(2) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 1991 की जनगणना अनुसार

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1000 से अधिक आबादी वाले 32 गांव हैं। इनमें से 19 गांव डामर की सड़क से व 13 गांव ग्रेवल से जुड़े हुए हैं। इन 13 गांव में से 3 गांव, जिनके नाम पाड़लिया, आलोली व कारनोज हैं, को डामर से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। शेष 10 गांवों को डामर की सड़क से जोड़ना आठवीं पंच-वर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

जिला सीकर में सड़कों की मरम्मत

794. श्री नारायणसिंह (दांता-रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सीकर जिले में कितनी ऐसी लम्बी सड़कें हैं जिनके बीच-बीच में कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा सड़कें बनाई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के यह निर्देश हैं कि ऐसी सड़कों को विभाग ले और उनका रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग करें ? यदि हां, तो क्या ऐसी सड़कों को विभाग लेकर मरम्मत करवाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में ऐसी 111 कि. मी. सड़कें हैं जिनमें से 49 कि. मी. सड़कें कृषि उपज मंडी की हैं और 62 कि. मी. सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की हैं। (सूची संलग्न है)

(2) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कें पी. डब्ल्यू. डी. सड़कों का अभिन्न भाग होने के कारण विभाग द्वारा इन्हें अपनी संधारण सूची पर लेने की प्रक्रिया जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

बुहाना-सतनाली (झुन्झुनूं) सड़क के निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

795. श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

झुन्झुनूं जिले के बुहाना-सतनाली सड़क के बीच जिन काश्तकारों की जमीन सड़क के काम आ गई है, क्या उनकी जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

झुन्झुनूं जिले के बुहाना सतनाली सड़क के बीच जिन काश्तकारों की जमीन सड़क के काम आ गई है उसके मुआवजे का भुगतान अभी नहीं किया गया है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जारी है। अवार्ड घोषित होने पर शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

फुलेरा मोड़ से वाया अवसपुरा भरवा (जयपुर) तक सड़क निर्माण

796. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

Page No. 36

(44)

(श्री बाबूलाल)

(1) दूदू विधान सभा क्षेत्र के फुलेरा मोड़ से वाया अवसपुरा मरवा तक कोई सड़क बनाने की योजना प्रस्तावित है ? अब सरकार इस पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर कार्य चालू करवाने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार कोच्यां की ढाणी से कोरसीणा के बीच के साढ़े तीन या साढ़े चार किलोमीटर के छुटे हुए सड़क के टुकड़े को जुड़वाने का भी विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार मोजमाबाद से वाया भुटियों रामपुरा से सावली तक भी सड़क बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दूदू विधान सभा क्षेत्र में फुलेरा मोड़ से मरवा वाया अवसपुरा सड़क निर्माण की योजना प्रस्तावित नहीं है। किन्तु फुलेरा मोड़ से कोरसीना वाया अवसपुरा सड़क अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत 9.00 लाख रुपये की लागत से वर्ष 93-94 में स्वीकृत किया गया है जिसका कार्य प्रगति पर है।

(2) उल्लेखित सड़क के निर्माण हेतु 4.50 लाख रु. की राशि अकाल राहत योजना के अन्तर्गत वर्ष 93-94 में स्वीकृत की गयी है तथा कार्य प्रगति पर है।

(3) निर्धारित प्राथमिकताओं के मापदण्ड में न आने के कारण वर्णित सड़क का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

जिला भीलवाड़ा में सड़क निर्माण

797. श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1990 से आज तक कुल कितनी सड़कें खान विभाग ने स्वीकृत की तथा उनमें कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों पर अब तक कितना काम हो चुका है और कितना बकाया है ? कितनी राशि आवंटित हुई जिसमें से अब तक कितनी व्यय हो चुकी है और अब कितनी शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त सभी सड़कों का निर्माण कब तक पूर्ण करने का विचार है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1990 से आज तक कुल निम्न चार सड़कों की स्वीकृति खान विभाग द्वारा जारी की गई :-

	आवंटित राशि (लाखों में)
1. गोरख्याचिलाम्बा रोड़	33.80
2. गोराना सड़क का बाड़िया	36.16
3. कटार ज्ञानगढ़	28.54
4. कटारिया खेड़ा से राजगढ़	16.62

(2) आवंटित राशि के अनुपात में व्यय, शेष राशि एवं किये गये कार्य का प्रगति विवरण संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) उक्त सड़कों का निर्माण पूरा करना विभाग द्वारा बजट आवंटन पर निर्भर करेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

तहसील सांभरलेक (जयपुर) के ग्रामों में सड़क निर्माण

798. **श्री बद्री प्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांभरलेक, जिला जयपुर के कतिपय ग्रामों जिनकी वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार आबादी 1500 नहीं थी फिर भी उनको सम्पर्क सड़कों से जोड़ दिया गया है? यदि हां, तो कितने गांवों को किस आधार पर सम्पर्क सड़कों से जोड़ा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील सांभरलेक, जिला जयपुर के ग्राम रामपुरा को मुख्य सड़क, तहसील आमेर, जिला जयपुर के ग्राम रायथल से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील चौमूं जिला जयपुर के ग्राम घिनोई से सांभर लेक तक सड़क निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रस्तावित सड़क को ग्राम रामपुरा सांभर होकर निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिला के अन्तर्गत वर्तमान में सांभरलेक नाम की कोई तहसील नहीं है। पुरानी सांभर तहसील जो अब फुलेरा तहसील हो गई है उसमें केवल 5 ग्राम ऐसे हैं, जिनकी जनसंख्या 1500 से कम है, किन्तु पंचायत मुख्यालय होने के कारण उन्हें अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ग्रेवल की सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है।

(2) जी नहीं। निर्धारित प्राथमिकताओं के मापदण्ड में नहीं आने के कारण उक्त सड़क का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी नहीं। निर्धारित प्राथमिकतानुसार मापदण्ड में नहीं आने के कारण प्रश्न ही नहीं उठता।

करनपुर घाटी (सवाईमाधोपुर) का निर्माण

799. **श्री रंगजी** (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सपोटरा जिला सवाई माधोपुर की करणपुर घाटी का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस घाटी का निर्माण कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र सपोटरा जिला सवाई माधोपुर करनपुर घाटी का निर्माण कार्य मध्यस्थता प्रकरण (आरबीट्रेशन) में संवेदक द्वारा ले जाये जाने के कारण अपूर्ण पड़ा है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। आरबीट्रेशन प्रकरण का निपटारा होने पर कार्य पुन: शुरू करवाना है।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना

800. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र घाटोल में कितनी पंचायत मुख्यालय तक सड़क बनी हुई हैं ? कितनी पंचायतें सड़क से नहीं जुड़ी हैं शेष पंचायतों को सड़क से कब तक जोड़ने का सरकार विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बांसवाड़ा जिले के घाटोल विधान सभा क्षेत्र में 50 पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुए हैं तथा 21 पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुये नहीं हैं। बिना जुड़े पंचायत मुख्यालयों में से दो मुख्यालयों कुवानियां एवं डूडका को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क से जोड़ा जा रहा है। दो पंचायत मुख्यालय मोयर (1222) एवं बेतलिया (1118) को आठवीं पंचवर्षीय योजना में डामर सड़क से जोड़ने की योजना है। पंचायत मुख्यालयों रोहानिया, ठिकरिया चन्दावत एवं बांसरीखेड़ा को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़क से जोड़ने की स्वीकृति जारी हो गई है।

प्रदेश में एम. एन. पी. के तहत सड़कों का निर्माण

801. श्री अर्जुनदास मदान(लाड़पुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में कितने-कितने पंचायत मुख्यालय सड़कों से जोड़े गये ? जिलेवार एवं वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग एम. एन. पी. के अन्तर्गत सड़कों को पूरा कर चुका है ? यदि नहीं, तो शेष गांवों को कब तक सड़क मार्ग से जोड़ दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों 88-89, 89–90, 90-91, 91-92 व 92–93 में क्रमश: 97, 125, 130, 178 व 118 पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा गया। जिलेवार व वर्षवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। एम. एन. पी. के अन्तर्गत 1971 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक आबादी के शेष 52 गांवों को सड़क से जोड़ने का जो कार्य 1992–93 में प्रारम्भ किया गया था उन्हें डामर की सड़कों के स्तर पर लाने के लिए कार्य वर्ष 94–95 में लिया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

करौली (सवाई माधोपुर) की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण

802. श्री हंसराम (करौली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हंसराम)

(1) क्या यह सही है कि कस्बा करौली जिला सवाई माधोपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की खसरा नं. 56/16 रकबा 12 बिस्वा भूमि है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन पर किसी व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर भवन निर्माण कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, खसरा नं. 5616 12 बिस्वा भूमि सर्व प्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज थी। इसके बाद 1969 में राजस्व विभाग द्वारा इस भूमि का नामांतरण अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिया। इस नामान्तरण पर जिलाधीश सवाई माधोपुर ने पुन: विचार करने के आशय से यह मामला राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित कर दिया राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय में उक्त भूमि को सार्वजनिक निर्माण की भूमि ही माना तथा राजस्व विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को अवैध घोषित कर दिया। राजस्व मण्डल के निर्णय की अनुपालना में राजस्व विभाग ने दिनांक 18-8-93 को इस भूमि का नामान्तरण इस विभाग के नाम कर दिया।

(2) जी हां, क्योंकि राजस्व विभाग के द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरण वर्ष 1969 से 1993 तक अन्य व्यक्तियों के नाम नामान्तरण करने के कारण उन व्यक्तियों ने इस भूमि पर भवन निर्माण कर लिये हैं। इसके बावजूद भी राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय करौली में वाद दायर कर रखें हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही भूमि का कब्जा लिया जा सकना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के पंचायत मुख्यालयों में सड़क निर्माण

803. **श्री बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम हैं जिन्हें पंचायत मुख्यालयों से सड़क से अभी तक नहीं जोड़ा गया है ? ऐसे ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शेष रहे ग्रामों को सरकार पंचायत मुख्यालयों से कब तक सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में 80 गांव ऐसे हैं जो कि पंचायत मुख्यालयों से किसी भी प्रकार की सड़क से नहीं जुड़े हुए है। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट 'क')

(2) इन 80 गांवों में 7 गांव जिनकी आबादी सन 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक हैं उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ना प्रस्तावित

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

है। शेष गांवों को वर्तमान में प्राथमिकता में न आने के कारण सड़क से जोड़ना प्रस्तावित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

रामगढ़-मांगरोल (किशनगंज) सड़क का निर्माण

804. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में रामगढ़ से मांगरोल सड़क की स्वीकृति हो चुकी है ?

(2) क्या सरकार इसका मध्य प्रदेश की सीमा सड़क होने के कारण निर्माण प्राथमिकता से पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, इस स्वीकृति के तहत 5 कि. मी. लम्बाई में डामर का कार्य हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

(2) जी नहीं।

कनिष्ठ एवं सहायक अभियंताओं के रिक्त पद

805. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता और सहायक अभियन्ताओं के कितने-कितने पद कब-कब से कहां-कहां पर रिक्त हैं ? और इन्हें अब तक नहीं भरे जाने के कारण क्या रहे ?

(2) सरकार अब उक्त पद किस प्रक्रिया से कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कनिष्ठ अभियन्ता

विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/विद्युत) के निम्नानुसार पद रिक्त हैं:-

स्थान	रिक्त पद (सिविल)	रिक्त पद (विद्युत)
1. मुख्य अभियंता कार्यालय	5	-
2. जयपुर सम्भाग	5	7
3. रा.रा. मार्ग सम्भाग	11	-
4. अजमेर सम्भाग	16	-
5. उदयपुर सम्भाग	17	4
6. कोटा सम्भाग	3	1
7. बीकानेर सम्भाग	14	2
8. जोधपुर सम्भाग	5	-
	76	14

सहायक अभियन्ता

विभाग में सहायक अभियन्ता सिविल/विद्युत/यांत्रिक के निम्नानुसार पद रिक्त हैं।

स्थान	रिक्त पद (सिविल)	रिक्त पद (विद्युत)	रिक्त पद (यांत्रिक)
1. मुख्य अभियंता कार्यालय	10	-	-
2. जयपुर जोन	6	2	2

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

3. रा.रा. मार्ग			
संभाग जयपुर	4	–	–
4. अजमेर संभाग	4	–	1
5. उदयपुर संभाग	5	1	1
6. कोटा संभाग	4	1	–
7 जोधपुर	2	–	–
8 बीकानेर	7	1	–
	42	5	4

उपरोक्त पद अप्रेल 1993 के पश्चात समय–समय पर प्रतिनियुक्ति पर भेजने के कारण व सेवा निवृत्ति होने के कारण रिक्त हुए हैं जिन्हें भरने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

(2) कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पद विभाग द्वारा सीधी भर्ती के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है व वर्ष 94–95 में भर्ती की कार्यवाही पूरा करना प्रस्तावित है सहायक अभियन्ता के पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं तथा आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध कराने पर इन रिक्त पदों को भरना सम्भव हो सकेगा।

उदयपुर शहर की बाईपास निर्माण योजना

806. श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या उदयपुर शहर की बाईपास निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित कर पूर्ण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

उदयपुर शहर की बाईपास निर्माण योजना के प्रस्ताव भूतल परिवहन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। इस योजना को क्रियान्वित करना केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध कराने पर ही सम्भव हो सकेगा।

ईसरराम सुनार, लूणकरणसर के घर डकैती एवं हत्या प्रकरण

807. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कस्बा लूणकरणसर में दिनांक 12 सितम्बर, 1993 को अर्द्धरात्रि में अज्ञात व्यक्तियों ने ईसरराम सुनार के घर में घुसकर परिवार के दो सदस्यों की हत्या कर दी एवं अन्य सदस्यों को मरणासन्न अवस्था में पहुंचाकर घर का सामान, नकदी व जेवर लूट कर ले गये ? यदि हां, तो पुलिस ने अपराधियों पकड़ने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। इस घटना के संबंध में थाना लूणकरणसर पर अभियोग सं. 206/93 धारा 460,458,380,302 ता० हिं० दिनांक 13.9.93 दर्ज हुआ। अनुसंधान के दौरान माल मुलजिमान की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा तत्काल एक

(गृह मन्त्री)

विशेष अन्वेषण दल गठित कर जिला बीकानेर, गंगानगर, चूरु, राजस्थान व हरियाणा के विभिन्न स्थलों पर तलाश कराई। व्यापक रूप से संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 8.10 93 को पुलिस महानिदेशक राजस्थान के आदेशानुसार अभियोग का अन्वेषण राज्य अपराध शाखा के अपर पुलिस अधीक्षक को स्थानान्तरित किया गया। उनके नेतृत्व में विशेष अन्वेषण दल गठित कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। माल मुलजिमान की तलाश हेतु जिला बीकानेर, हरियाणा, दिल्ली व प्रदेश एवं देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर तलाश एवं सुराग-रसी की गई है। अपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों से तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। घटना का सन्देह बावरियान पर किया जा रहा है। माल मुलजिमान की तलाश के हर संभव प्रयास जारी हैं।

श्रीमती प्रेम देवी पाठक, वैशाली नगर अजमेर का हत्या प्रकरण

808. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गत वर्ष 1993 में वैशाली नगर, अजमेर की निवासी श्रीमती प्रेमदेवी पाठक जो कि शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी की हत्या एक जिप्सी कार ने जानबूझ कर टक्कर मार कर की थी? क्या इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज किया गया? यदि हां, तो किन धाराओं के तहत? एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा किसी की गिरफ्तारी की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त प्रकरण में सरकार के पास हमलावर को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रकरण में सरकार ने हत्यारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो अब क्या सरकार हमलावर गिरफ्तार कर कोई कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 2.11.93 को श्री देवेन्द्र कुमार पाठक निवासी वैशाली नगर अजमेर ने उनकी माताजी श्रीमती प्रेमदेवी पाठक शिक्षिका को तेज रफ्तार से लहराकर आती हुई जिप्सी से टक्कर मारकर गिरा देने व सिर पर चोट पहुंचाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके सम्बन्ध में अपराध संख्या 32/93 दिनांक 11.2.93 धारा 279.337, भा द.सं. के अन्तर्गत थाना क्रिश्चियनगंज, अजमेर में दर्ज किया गया। दिनांक 17.2.93 को मजरूबा की मृत्यु होने पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 'ए' भा.द.स. का समावेश किया गया।

(गृह मन्त्री)

प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति(परिशिष्ट 'अ') संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिस जिप्सी का नम्बर अंकित किया गया है उस नम्बर पर कोई जिप्सी पंजीकृत नहीं है। अज्ञात वाहन व वाहन चालक का अन्वेषण से पता नहीं चलने के कारण गिरफ्तारी नहीं की जा सकी।

(3) जी हां। प्रदेशाध्यक्ष. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ अजमेर, महामन्त्री राजस्थान शिक्षक संघ जयपुर, महासचिव, राजस्थान कोन्सिल ऑफ डिप्लोमा इन्जीनियर्स, पुखराज सांखला निवासी ब्यावर, अध्यक्ष अखिल भारतीय पाराशर परिषद अजमेर, लेखाधिकारी, जिला परिषद अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर को प्राप्त होने पर उनके द्वारा अन्वेषण पत्रावली का अवलोकन कर अन्वेषण अधिकारी से विचार विमर्श कर अभियुक्त को खोजने के आवश्यक निर्देश दिये थे।

(4) जी नहीं। दुर्घटना करने वाला अज्ञात अभियुक्त की मालूमात नहीं हो सकी, फलतः अभियोग में अन्तिम प्रतिवेदन बसिग अदम पता मुलजिम दिनांक 30.4 93 को मुतिब की गई है, तदपि अन्य अभियोगों के अन्वेषण के साथ दुर्घटना कारित करने वाले वाहन व अभियुक्त की तलाश की जा रही है।

(प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

लूलवा बखेरों के बाडियों में गो हत्या प्रकरण

809. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मसूदा क्षेत्र में लुलवा बखेरों के बाडिया में दिनांक 16-17 जनवरी, 1994 के दिन दो गायें काटी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि गांव वालों ने पुलिस थाना सदर (ब्यावर) में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई और किन-किन के विरुद्ध ? विवरण सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। गांव वालों द्वारा इस आशय की कोई रिपोर्ट थाना ब्यावर (सदर) पर दर्ज नहीं कराई गई। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पुलिस थाना टोडा भीम में पंजीबद्ध मुकदमा नम्बर 123/93

810. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा भीम): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला सवाई माधोपुर के पुलिस थाना टोडाभीम में दहेज के कारण हत्या का केस नं. 123/1993 दर्ज किया

(श्री रामस्वरूप मीना)

गया था ? यदि हां, तो क्या इसमें कोई गिरफ्तार किया क्या ? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) पुलिस ने अब तक इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या सरकार उक्त मुकदमें में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां । अभियोग संख्या123/93 थाना टोडाभीम में दोनों अभियुक्तों सर्वश्री मामसिह व जनोबाई की गिरफ्तारी शेष है जो भूमिगत है ।

(2) पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है, उपरोक्त वर्णित मुल्जिमान की गिरफ्तारी शेष है ।

(3) जी नहीं । इस मुकदमें में किसी अन्वेषण कर्ता की लापरवाही नहीं पाई गई है । अतः किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

केशुलाल, श्रमिक, उदयपुर का लापता प्रकरण

811. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रंग निवास पुलिस चौकी, थाना सूरजपोल, उदयपुर द्वारा 18-4-1970 को गायब केशुलाल श्रमिक निवासी उदयपुर की जांच की गयी थी और जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, उदयपुर ने दिनांक 23-8-1985 को पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) जयपुर को प्रेषित की थी और पूरक रिपोर्ट भी पत्र संख्या21155 दिनांक 13.9.1985 से प्रेषित की ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त प्रकरण में जन अभियोग निराकरण विभाग के उच्चायुक्त एवं पदेन उपशासन सचिव ने महानिरीक्षक पुलिस (सतर्कता) जयपुर को दिनांक 9.9 1990 व 3-5-1991 जो पत्र भेजा था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, कोटा ने भी महानिरीक्षक पुलिस (सतर्कता) राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 31.1.1991 व 2.3.1991 के प्रत्युत्तर में जांच रिपोर्ट भिजवाई गयी थी ? यदि हां, तो वह क्या थी और यदि जांच प्रतिवेदन नहीं भिजवाया गया, तो क्यों नहीं भिजवाया गया ?

(4) क्या यह सही है कि केशुलाल की विधवा इसी कारण दुःखी होकर मर गई तथा पुत्र आज भी अपने पिता को लेकर न्याय की गुहार कर रहे हैं और उन्हें केशुलाल के जीवित या मृत्यु होने की सूचना नहीं मिल रही है ?

(5) श्रमिक केशुलाल के परिवार को अभी तक राज्य सरकार ने क्या सहायता दी हैं ? यदि नहीं दी है, तो क्यों नहीं ? क्या सरकार अब भी श्रमिक केशुलाल के परिवार की सहायता करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

श्री केशूलाल श्रमिक निवासी उदयपुर के दि. 18.4.70 को गायब होने की जांच रंग निवास चौकी थाना सूरजपोल उदयपुर द्वारा नहीं की गई थी। बल्कि इस प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक, उदयपुर ने वृत्ताधिकारी वृत्त गिर्वा उदयपुर से कराई थी। पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा दिनांक 23.8.85 को तथा पूरक रिपोर्ट पत्र संख्या 21155 दिनांक 13.9-85 को पुलिस अधीक्षक सतर्कता जयपुर को प्रेषित किया जाना कार्यालय रिकाड पुलिस अधीक्षक सतर्कता, राज. जयपुर में आना नहीं पाया गया है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक के पत्रांक 21563-65 दिनांक 20-8.90 तथा पत्रांक 26291 दिनांक 6.10.95 द्वारा यह परिवाद पत्रावली निस्तारण हो जाने पर जिला अभिलेख सुरक्षित कक्ष में प्रेषित कर दी गई थी। अभिलेख कक्ष के स्थानान्तरित होने पर पत्रावली इधर उधर हो गई। काफी प्रयास के पश्चात भी जांच पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई है।

(2) जनअभियोग निराकरण विभाग के उच्च आयुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव का दिनांक 9.9.90 का पत्र जो प्रश्न में अंकित किया गया है वह कार्यालय रिकार्ड के अनुसार कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया है। परन्तु दिनांक 3.5.91 का जन अभियोग निराकरण विभाग का पत्रांक सतर्कता अनुभाग में प्राप्त होने पर कार्यालय उपमहानिरीक्षक पुलिस, सतर्कता, राज. जयपुर द्वारा एक अर्द्ध शासकीय पत्रांक 47124-25 दिनांक 4.7.91 पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर को प्रेषित करते हुए प्रति उप आयुक्त पदेन उप शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग, राज. जयपुर को उनके पत्र दिनांक 3.5.91 के संदर्भ में सूचनार्थ भिजवाते हुए पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर से श्री केशूलाल श्रमिक के लापता होने की रिपोर्ट इस कार्यालय द्वारा चाही गई थी जांच रिपोर्ट परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) कार्यालय महानिरीक्षण पुलिस अपराध एवं सतर्कता, राज. जयपुर द्वारा दिनांक 31.1.91 व 2.3.91 को पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर कोटा को श्री केशूलाल श्रमिक के लापता होने की रिपोर्ट मंगवाये जाते हेतु कोई पत्र प्रेषित नहीं किया गया।

(4) केशूलाल की पत्नि की मृत्यु वर्ष 1978 में हुई केशूलाल की पत्नि की मृत्यु बाबत ऐसा कोई कारण तथा प्रमाण विद्यमान नहीं है जिससे यह माना जावे कि केशूलाल की पत्नि दुखी होकर मर गई। घटना के उपरान्त केशूलाल के पुत्र ओंकारसिंह के प्रार्थना पत्रों पर जांच हुई। केशूलाल के गायब होने का मामला काफी पुराना होने से केशूलाल का कोई पता नहीं चल पाया है।

(5) श्रमिक केशूलाल के पुत्र श्री ओंकारसिंह को निदेशक, आयुर्वेद विभाग के आदेश क्रमांक 225015-19 दिनांक 21.12.82 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में नियुक्ति दे दी गई है।

श्री केशूलाल श्रमिक के मृत घोषित होने का प्रमाण पत्र आयुर्वेद विभाग को

(गृह मन्त्री)

प्रस्तुत किये जाने पर अन्य नियमित लाभ देने के लिए कार्यवाही की जा सकेगी।

(जांच रिपोर्ट की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

घना पक्षी विहार, भरतपुर में उद्योगों द्वारा प्रदूषण

812. श्री रामनारायण (नैनवा) : क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भरतपुर के घना पक्षी बिहार की 25 किलोमीटर परिधि में निस्त्रावित प्रदूषित जल एवं वायु के जरिये प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग एवं फैक्ट्रियां हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस बाबत सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, जल एवं वायु प्रदूषक उद्योगों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों की सीमा तक प्रदूषित जल एवं वायु को उपचारित नहीं करने वाले वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम-1981 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

तहसील शेरगढ़ में पौधों के वितरण में अनियमितता

818. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि शेरगढ़ तहसील की सभी नर्सरीज में वर्षा के मौसम में पौधे उपलब्ध नहीं थे और काश्तकारों के मांगने पर उन्हें जोधपुर से पौधे लाने को कहा गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि रेन्जर के दिन भर नशे में रहने से तहसील में कहां क्या हो रहा है उसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहता ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि शेरगढ़ तहसील की सभी नर्सरियों में वर्षा के मौसम में पौधे उपलब्ध नहीं थे और काश्तकारों के मांगने पर उन्हें जोधपुर से पौधे लाने को कहा गया। अपितु वस्तुस्थिति यह थी कि विभागीय वृक्षारोपणों पर लगाने के लिए तथा वितरण के लक्ष्य के अनुरूप पौधे तैयार थे तथा पौधारोपण का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया एवं वितरण के 85000 पौधे के लक्ष्य से भी अधिक 98823 पौधे वितरित किये गये एवं नर्सरी चौरड़िया में अभी तक पौधे शेष पड़े हैं। किसी भी काश्तकार को पौधे मांगने पर उन्हें जोधपुर से पौधे लाने हेतु नहीं कहा गया।

(वन मन्त्री)

(2) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की वन भूमि पर अतिक्रमण

814. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में वन भूमि में अतिक्रमण हो रहा है ? यदि हां, तो, कितनी भूमि पर कब्जा किन-किन व्यक्तियों का है और क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में कृषि योग्य वन भूमि का नियमन तथा आवंटन भूमिहीन परिवारों को करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या सरकार वन संरक्षण के नाम पर वन कर्मियों के उत्पीडन से ग्राम जनता को राहत देने हेतु सजग एवं प्रयत्नशील है ? यदि हां, तो इस हेतु किस प्रकार क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की 9403 बीघा 10 बिस्वा वन भूमि पर 1214 व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है।

(2) भूमिहीन आदिवासियों द्वारा 1.7.80 से पूर्व वन भूमि पर किये गये अतिक्रमित क्षेत्र का नियमन राजाज्ञा क्रमांक प० 1 (18) वन/90 दिनांक 27.4.91 में वर्णित शर्तो के अध्याधीन किये जाने की कार्यवाही जारी है।

(3) वन संरक्षण के नाम पर वन कर्मियों द्वारा ग्राम जनता को उत्पीडित नहीं किया गया है। भूमिहीन आदिवासियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से खण्ड 2 के उत्तर के अनुसार अतिक्रमित भूमि के नियमन की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उपवन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर द्वारा वन कर्मियों के स्थानान्तरण प्रकरण

815. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी, धौलपुर के आदेश क्रमांक 6627-47 दिनांक 22-12-1993 के द्वारा वनकर्मियों के स्थानान्तरण किए गये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी स्थानान्तरण सरकार के प्रतिबन्ध के बावजूद किए गए थे ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार अनुशास-

(50)

(वन मन्त्री)

नात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक दृष्टि से अतिआवश्यक होने के कारण जनहित में प्रसारित किये गये थे। अतः अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

अखेराज का तालाब, जोधपुर की वन भूमि पर अतिक्रमण

816. श्री राम नारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पर्यावरण की दृष्टि से जोधपुर की कायलाना झील तथा अखेराज का तालाब क्षेत्र वन विभाग के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अखेराज के तालाब के पास वन विभाग की भूमि पर कुछ पेशेवर अतिक्रमियों तथा भूमि तस्करों ने अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो इस अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन अतिक्रमियों को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मिलना प्रारम्भ हो गया है तथा इस क्षेत्र का नाम 'श्रीराम कालोनी' रख दिया है ? यदि हां, तो यह अतिक्रमण कब हुआ तथा अतिक्रमण रोकने तथा हटाने के लिए कब-कब क्या-क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब कब तक इस अतिक्रमण को हटा दिया जायेगा तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कायलाना झील एव अखेराज तालाब के पास वनखण्ड चांदना का क्षेत्र है जो कि मुख्यतः पथरीला एवं वृक्ष विहीन है। यह क्षेत्र जोधपुर शहर की नगरीय सीमा में आने से आबादी से घिरा हुआ है।

(2) जी हां। अतिक्रमण हटाने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है।

(3) जी हां। इस वन क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से बार-बार अतिक्रमण होते रहे हैं, एवं विभाग द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण हटाये जाते रहे हैं। नवीनतम अतिक्रमण जनवरी 94 से 5-6 बीघा भूमि पर हुआ था जिन्हें भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखल किये जाने के आदेश किये जा चुके हैं।

(4) खण्ड 3 के उत्तर के अनुसार बेदखली की कार्यवाही जारी है। कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होते ही अतिक्रमण हटा दिया जावेगा।

गोविन्दराम मीणा, केबिन जोइन्टर, जयपुर के आश्रित को नियुक्ति

817. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी दिये जाने का प्रावधान है ?

(2) राज्य विद्युत मण्डल ने जयपुर जिले के कुल कितने मामलों पर गत 5 वर्षों में नियुक्ति दी और कितने विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गोविन्दराम मीना जयपुर में केबिन जोइन्टर के पद पर कार्यरत थे, के पुत्र गोपाल लाल मीना का अपने पिता के मरणोपरान्त नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जयपुर जिले में गत पांच वर्षों में 293 आश्रितों को मण्डल द्वारा अधिमानता के आधार पर नियुक्तियां दी गई हैं। 37 मामले विचाराधीन हैं, जिनकी सूची 'अ' संलग्न है।

(3) जी हां। स्वर्गीय श्री गोविन्दराम मीणा के दत्तक पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा का आवेदन पत्र अधिमानता के आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त हुआ है। मण्डल के वर्तमान आदेशों में परिवार की परिभाषा में दत्तक पुत्र सम्मिलित नहीं हैं। अतः मण्डल के नियमों के अन्तर्गत प्रार्थी अधिमानता के आधार पर नियुक्ति के योग्य नहीं है। प्रार्थी को दिनांक 2 जनवरी, 1988 को सूचित कर दिया गया था कि उनकी नियुक्ति सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ोद के गांवों का विद्युतीकरण

818. श्री प्रतापसिंह सिंघवी(छबड़ा), **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशवरायपाटन) **एवं श्री प्रभूराम पालिया** (पिन्डवाड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या छबड़ा व छीपाबड़ोद पंचायत समितियों में स्वीकृत सभी ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में कौन-कौन से गांवों का विद्युतीकरण हुआ ?

(2) क्या वर्ष 1991-92, 1992-93 व 1993-94 में विभाग द्वारा स्वीकृत सभी गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1992-93 तक पंचायत समिति छबड़ा में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित सभी 170 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। वर्ष 1993-94 में 5 ग्राम विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किये गये हैं। इनमें से 2 ग्रामों का विद्युतीकरण किया

(ऊर्जा मन्त्री)

जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल 172 ग्रामों को उक्त चायत समिति में विद्युतीकृतघोषित किया जा चुका है। विद्युतीकृत ग्रामों की सूची प्रपत्र 'अ' में संलग्न है।

(1) पंचायत समिति छीपाबडोद में वर्ष 1992–93 तक 120 विद्युतिकृत हेतु प्रस्तावित ग्रामों में से 119 ग्रामों को विद्युतिकृत घोषित किया जा चुका है। वर्ष 1993–94 में 7 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है: उनमें से अब तक किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। अत: इस प्रकार छीपा बड़ोद में अब तक कुल 119 ग्रामों को (विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। विद्युतीकृत ग्रामों की सूची प्रपत्र 'ब' में संलग्न है।)

(2) पंचायत समिति छबड़ा में वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक के प्रस्ताविव 15 ग्रामों में से 12 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। शेष प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत समिति छीपा बडोद में वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक प्रस्तावित 18ग्रामों में से 11 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है तथा शेष ग्रामों को, विद्युतीकृत किए जाने के प्रयास जारी हैं। वित्तीय संसाधनों के अभाव में सभी प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है। इसके लिए कोई अधिकारी विशेष जिम्मेदार नहीं है। पंचायत समिति छीपा बडोद के विद्युतीकृत 119 घोषित ग्रामों में से 11 ऐसे हैं जिनमें विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

करणपुर (सवाई माधोपुर) का विद्युतीकरण

819. श्री रंगजी (सपोटरा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा की उप तहसील करणपुर (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) का निकट भविष्य में विद्युतीकरण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) उक्त उप तहसील में अब से पूर्व विद्युत क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर देखें।

उत्तर

(1) जनगणना पुस्तिका में उप तहसील वार गांव दर्शाये नहीं होने के कारण विद्युत मण्डल के पास उप तहसील करणपुर के बारे में अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है। पंचायत समिति, सपोटरा में कुल 205 गांव है. जिनमें से माह मार्च,1993 तक 110 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

(2) राज्य में प्रति वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम पंचायत समितिवार निर्धारित किया जाता है न कि उपतहसीलवार। पंचायत समिति सपोटरा में जनगणना पुस्तिका 1981 के अनुसार कुल

(ऊर्जा मन्त्री)

205 ग्राम हैं जिनमें से माह मार्च, 1993 तक 110 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है जो कि पंचायत समिति सपोटरा के कुल ग्रामों का 53.65 प्रतिशत है। वर्ष 1993–94 के दौरान 7 ग्रामों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित है जिनमें से अब तक 4 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा शेष 3 ग्रामों का मार्च, 1994 के अन्त तक विद्युतीकरण कर दिये जाने की सम्भावना है। शेष रहे अस्वीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कह पाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह नयी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत करवा कर एवं राज्य सरकार द्वारा योजना मद में आवंटित वित्त एवं ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्यों पर निर्भर करेगा।

तहसील शेरगढ़ के ट्रांसफारमर्स

820. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शेरगढ़ तहसील के ग्राम चौरड़िया, देवातु, कुलक और बालेसर सब स्टेशनों पर ट्रांसफारमर्स उस केपेसिटी के नहीं लगे हुए हैं जिस केपेसिटी के लगने चाहिये ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) एक पोल कनेक्शन के लिहाज से शेरगढ़ को 8 कनेक्शन और ओसियां को 96 कनेक्शन दिए गए। इतना भारी अन्तर क्यों ?

उत्तर

(1) शेरगढ़ तहसील में प्रतिष्ठापित 33/11 केवी सब स्टेशनों पर लगे हुए पावर ट्रांसफार्मर पर देवातु सब स्टेशन को छोड़ सभी ट्रांसफार्मर में क्षमता कृषि विद्युत आपूर्ति ब्लाक्स में देने हेतु पर्याप्त हैं। देवातु 33/11 के.वी. सब स्टेशन पर क्षमता वृद्धि के लिए ट्रांसफार्मर लगाने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से साध्य पाए जाने व स्वीकृति के पश्चात 33 के वी. कार्यक्रम में सम्मिलित कर कार्य पूर्ण करने के प्रयास किए जावेंगे।

(2) शेरगढ़ व ओसियां में एक पोल श्रेणी के अन्तर्गत दिनांक 1.4.1993 को क्रमशः 32 व 440 प्रार्थना पत्र लम्बित बताए गए थे। अतः लम्बित प्रार्थना पत्रों के अनुपात में शेरगढ़ में 8 व ओसियां में 96 एक पोल श्रेणी में लक्ष्य प्राप्त किया गया।

कोटड़ा (कुशलगढ़) का विद्युतीकरण

821. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र का ग्राम कोटड़ा (रोजगा) विद्युतीकृत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुशलगढ़ के कोटड़ा के बीच वन क्षेत्र पड़ता है ? यदि हां, तो वन विभाग ने विद्युत लाइन को रोक रखा है ?

Page No. 52

(60)

(श्री फतेह सिंह)

(3) क्या सरकार इस एक किलोमीटर वन क्षेत्र में विद्युत लाइन निकालने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ग्राम कोटडा कोड नं. 218 को 31.3.1990 से विद्युतीकृत घोषित कर रखा है।

(2) जी हां। पंचायत समिति कुशलगढ़ में ग्राम रतनमल से कोटडा के बीच लगभग 4 किलोमीटर वन क्षेत्र पड़ता है तथा वन विभाग ने तार खींचने व पेड़ों को काटने पर रोक लगा रखी है।

(3) वन विभाग की अनुमति मिलने पर पेड़ों की कटिंग करने के पश्चात् ही लाइन खींचने की व्यवस्था की जावेगी।

विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के ट्यूब वेल का विद्युतीकरण

822. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में ट्यूब वेल कनेक्शन का कोटा बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

(2) अब तक सरकार द्वारा कितने ट्यूबवेल कनेक्शन दिये जा चुके हैं और कितने पेन्डिंग है जिनको कब तक कनेक्शन दे दिये जावेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ट्यूब वेलों का अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता। इनको कृषि श्रेणी के अन्तर्गत ही मानकर कनेक्शन दिए जाते हैं। किशनगंज पंचायत समिति में वर्ष 1993–94 में 29 कृषि कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त 15 कनेक्शन एक पोल श्रेणी के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, झालावाड़ द्वारा मांगपत्र जारी करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

(2) किशनगंज पंचायत समिति में अब तक 541 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। शेष 265 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं, जिन्हें वर्षवार आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् कनेक्शन दिये जायेंगे।

ग्राम शाहपुरा (धौलपुर) का विद्युतीकरण

823. श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले के ग्राम सरानी विद्युत कोड नं. 6/11/198 एवं ग्राम शाहपुरा विद्युत कोड नं. 5/11/195 दोनों जुडवां गांव हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सरानी का विद्युतीकरण काफी वर्षो पूर्व हो चुका है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सहायक अभियन्ता (ओ. एण्ड एम.) धौलपुर ने अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

विद्युत मंडल धौलपुर को दोनों गांव जुड़वां होने के कारण शाहपुरा में भी विद्युतीकरण करने की सिफारिश की थी ?

(4) यदि हां, तो सरकार कब तक इस ग्राम के विद्युतीकरण के आदेश जारी करने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जनगणना पुस्तिका 1981 में उपलब्ध तहसील धौलपुर के मानचित्र के अनुसार ग्राम सरानी जिसका कि सही कोड नं० 6/11/192 है एवं ग्राम शाहपुरा जिसका कि सही कोड नं.6/11/195 है जुड़वां ग्राम होना प्रतीत नहीं होता है।

(2) जी हां। ग्राम सरानी (कोड नं० 6/11/192) को दिनांक 31.3.1991 को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

(3) जी हां। यह सही हैं कि सहायक अभियन्ता (ओ० एण्ड एम0) धौलपुर ने अपने पत्र दिनांक 29.2.1992 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युतमण्डल, धौलपुर को उपरोक्त दोनों ग्राम जुड़वा बताते हुए ग्राम शाहपुरा का भी विद्युतिकरण करने की सिफारिश की थी, लेकिन ग्राम शहपुरा की जनसंख्या 174 है, जो कि पंचायत समिति, धौलपुर में वर्ष 1992-93 के विद्युतीकरण कार्यक्रम में चयनित किये गये ग्रामों की जनसख्या से बहुत कम होने के तथा वर्ष 1993-94 की ग्रामीण विद्युतीकरण की नीति अनुसार यह ग्राम चयनित ग्रामों में वर्ष 1993-94 में भी चयनित नहीं होने के कारण दोनों ही वर्षो में विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं किया जा सका।

(4) ग्राम शाहपुरा (कोड न. 6/11/195) का विद्युतीकरण योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित वित्त एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार आगामी वर्षों में किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जिला नागौर में कृषि कुओं का विद्युतीकरण

824. **श्री राकेश मेघवाल(परबतसर):** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) नागौर जिले के डेगाना, मेड़ता, मूण्डवा कुचामन सिटी, नावां, ए.ई.एन. क्षेत्री के काश्तकारों के कुओं को विद्युत कनेक्शन देने के लिए अनुसूचित जाति, पूर्व सैनिक तथा जनरल प्रायोरिटी के कोटे से कुल कितने कनेक्शन किस-किस कोटे के वर्ष 1993-94 में निर्धारित किये गये थे ?

(2) उपरोक्त निर्धारित किये गये कृषि कुओं के कनेक्शनों में से कितने कनेक्शन एल टी. लाईन से तथा कितने कनेक्शन 11 के.वी.ए. लाईन से किये गये ? इन कनेक्शनों में कितने ट्रांसफारमर्स का उपयोग किया गया ? सहायक अभियन्ता क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त निर्धारित कोटे में से कितने कनेक्शन एल टी. लाइन व कितने कनेक्शन 11 के.वी.ए. लाइन के करने शेष है ? इन शेष कनेक्शनों के आज तक न करने के क्या कारण रहे हैं ? क्या इन

(62)

(श्री राकेश मेघवाल)

कनेक्शनों के लिए पूर्ण सामग्री उपलब्ध है? यदि नहीं, तो कब तक सामग्री उपलब्ध करा दी जावेगी ?

(4) उपरोक्त निर्धारित कोटे में से ऐसे कितने कुओं के कनेक्शन करने शेष है ? जिनकी सिक्योरिटी माह सितम्बर, अक्टूबर, दिसम्बर, 1993 तथा माह जनवरी फरवरी, सन् 1994 में भरी गयीं है, उनको सूची डेगाना मेड़ता मूण्डवा, कुचामन सिटी, नावां, ए.ई.एन. के क्षेत्र अनुसार मय नाम गांव एल.टी. लाइन है या 11 के वी.ए. लाईन हैं, नामों के सामने इतनी देरी से सिक्योरिटी भरे जाने के कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले के डेगाना, मेडता, मूण्डावा, कुचामन सिटी, नावां एईएन क्षेत्रों के काश्तकारों के कुओं को वर्ष 1993-94 में विद्युत कनेक्शन देने का कोटा भिन्न-भिन्न श्रेणियों में क्षेत्रवार निम्न प्रकार निर्धारित किया गया था :—

श्रेणीवार निर्धारित कोटा

क्र.सं	क्षेत्र का नाम	जनरल प्रायो.	अनु. जाति	भूतपूर्व सैनिक	योग
1.	डेगाना	134	32	9	175
2.	मेडता	151	57	22	230
3.	मूण्डवा	127	48	12	187
4.	कुचामन सिटी	97	22	27	146
5.	नावां	66	17	8	91
	योग–	575	176	78	829

(2) उपरोक्त निर्धारित किये गये कृषि कुओं के कनेक्शनों में से 304 कनेक्शन एल टी. लाइन से तथा 363 कनेक्शन 11 के.वी. लाइन से दिये गये। इन कनेक्शनों में कुल 359 ट्रान्सफार्मरों का उपयोग किया गया। सहायक अभियन्ता क्षेत्रों के अनुसार संख्या सूची संलग्न है।

(3) उपरोक्त निर्धारित कोटे में से 304 एल.टी. लाइन से व 363 कनेक्शन 11 के वी. लाइन से कुल 667 कनेक्शन देने के बाद शेष 162 कनेक्शन करने हैं, जबकि 205 प्रार्थियों की मांग पत्र राशि जमा है। जिनमें से 38 कनेक्शन एल टी. लाइन के व 167 कनेक्शन 11 के वी. लाइन इन्हें कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया जारी हैं।

(4) उपरोक्त निर्धारित कोटे में से 205 कुओं के कनेक्शन करने शेष हैं जिनकी सिक्योरिटी माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1993 तथा माह जनवरी, फरवरी, 1994 में भरी गई है। इनकी संख्या सूची डेगाना, मेडता, मूण्डवा, कुचामनसिटी, नावां ए.ई.एन. के क्षेत्रानुसार एल टी. लाइन तथा 11 के.वी. लाइन आदि विवरण सहित संलग्न हैं।

(सूची व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें।)

ग्राम मम्माना (जयपुर) में 33 के.वी. ग्रिड स्टेशन की स्थापना

825. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मम्माना तहसील दूदू, जिला जयपुर में एक नया

(श्री बाबूलाल)

33 के.वी. ग्रेड स्टेशन लगाने की योजना सन 1988 से ही प्रस्तावित हैं यदि हां, तो इस योजना पर अभी तक कार्य चालू नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ?

(2) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के गांवों की विद्युत समस्या को हल करने के लिए इसी वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूर्ण करने हेतु बजट में प्रावधान किया है ?

(3) क्या सरकार इस योजना को अब तुरन्त प्रभाव से पूर्ण कराने का विचार रखती है यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) तह० दूदू जिला जयपुर के ग्राम मम्माना में 33/के/11 के०वी० सब स्टेशन ग्रामीण विद्युतिकरण योजना की ओ०बी० स्कीम में मार्च, 1990 में स्वीकृत किया गया था। सीमित वित्तीय साधनों के कारण उक्त कार्य को 33 के० वी० कार्यक्रम में कार्य प्रारम्भ हेतु सम्मिलित किया जाना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया हैं।

(2) जी नहीं, सीमित बजट/वित्तीय संसाधनों के कारण वर्ष 93-94 के कार्यक्रम में प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी हां। समुचित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार आगामी वर्षों में इसे पूरा किया जाना संभव होगा।

जिला नागौर के कृषि कनेक्शन

826. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1993-94 में नागौर जिले में कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य कितना था व कौन-कौनसी प्राथमिकता तय की गई थी और किस-किस प्राथमिकता के तहत अब तक कितने कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं ?

(2) क्या 1993-94 में नागौर वृत्त के कनेक्शन देने से पहले आवंटन किये गये थे ? यदि हां, तो कितने व कब किये गये ? अतिरिक्त आवंटन में कितने कनेक्शन दिये गये ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्ष 1993-94 में 1859 कृषि कनेक्शन का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है जिसके सापेक्ष 1372 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। पंचायत समिति वार श्रेणी वार लक्ष्य एवं दिये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण प्रपत्र 'अ' में संलग्न है।

(2) नागौर वृत्त में कृषि कनेक्शन जारी करने से पहले लक्ष्य सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं क्रमशः नागौर, मेडता, मकराना द्वारा गत वर्ष में जमा मांग पत्रों की संख्या को कम करते हुए माह जुलाई में मेडता अधिशाषी अभियन्ता द्वारा 328, जुलाई माह में नागौर अधिशासी अभियन्ता द्वारा 112 व अगस्त में 288 तथा मकराना, अधिशासी अभियन्ता द्वारा माह जुलाई में 30 व अगस्त में 319 लम्बित आवेदनों की संख्या के अनुपात में श्रेणीवार मण्डल द्वारा दिये गये लक्ष्यों के क्रम में लक्ष्य आवंटित किये गये।

(ऊर्जा मन्त्री)

इस प्रकार कुल 1077 लक्ष्य अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा आवंटित किये गये। आवंटित लक्ष्यधारियों को मांगपत्र जारी किये गये। कुछ लक्ष्यधारियों द्वारा मांग पत्र राशि नहीं भरवाने व फिटिंग पूरी नहीं होने अथवा 'एल' फार्म नहीं देने के कारण मण्डल द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं व अधिशासी अभियन्ताओं की सिफारिश के आधार पर मुख्य अभियन्ता (ग्रा.वि.) कार्यालय द्वारा अतिरिक्त स्वीकृतियां लम्बित आवेदन पत्रों के अनुपात में की गई जो कि मण्डल के आवंटित लक्ष्यों की परिधि में ही हैं अभी तक पूरे लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। वन पोल में कृषि कनेक्शन करने हेतु माह मार्च में मांग पत्र जारी हुए है। तथा कनेक्शन देने का कार्य जारी है। लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु इस वृत्त द्वारा बराबर अथक प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1993-94 में नागौर वृत को कृषि कनेक्शनों का लक्ष्य दिनांक 11.6.1993 को आवंटन किया गया था। इसके बाद 'एक पोल' योजना के तहत नागौर वृत के लिये 432 कृषि कनेक्शनों के लक्ष्य का आवंटन दिनांक 2.12.1993 को किया गया। माह फरवरी, 1994 तक नागौर वृत में 1367 कृषि कुओं को बिजली दी गई। 'एक पोल योजना' में लक्ष्य के अन्तर्गत माह फरवरी, 1994 तक कोई कृषि कनेक्शन नहीं दिया गया।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

जिला जालौर के ट्रांसफार्मर्स

827. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले में किस-किस क्षमता के कुल कितने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफारमर्स लगे हुए हैं ?

(2) वर्ष 1992 एवं 1993 में कुल कितने ट्रांसफारमर्स जल गये थे ? इस सम्बन्ध में जानकारी निम्न प्रारूप में सदन की मेज पर रखें—

(अ) ट्रांसफारमर्स जलने की वास्तविक दिनांक।

(आ) कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सूचना भेजने की दिनांक।

(इ) सहायक अभियन्ता द्वारा सूचना भेजने की दिनांक।

(ई) अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सूचना भेजने की दिनांक।

(उ) अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय जोधपुर में सूचना पहुंचाने की दिनांक।

(ऊ) अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय जोधपुर से ट्रांसफारमर्स रवाना करने की तारीख।

(ए) अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में ट्रांसफारमर्स पहुंचने की दिनांक।

(ऐ) सहायक अभियन्ता कार्यालय में ट्रांसफारमर्स पहुंचने की दिनांक।

(ओ) मौके पर ट्रांसफारमर्स लगने की वास्तविक दिनांक।

उत्तर

1. जालौर जिले में विभिन्न क्षमता के लगभग 3944 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफारमर्स लगे हुए हैं। क्षमतावार व उपखण्डवार ट्रांसफारमर्स की संख्या सूची निम्न प्रकार है :–

उपखण्ड का नाम	ट्रांसफामरों की क्षमता (के.वी.ए.) 315	250	100	63	50	40	25	16	योग
बगरा	–	–	42	115	3	–	178	8	346
जालौर	3	2	67	72	11	–	.97	6	258
आहौर	–	–	54	135	16	–	278	3	486
सायला	–	–	78	228	1	–	441	19	767
भीनमाल	–	–	112	278	3	10	304	16	723
रानीवाडा	–	–	51	163	1	–	213	25	453
रामसीन	–	–	30	106	3	–	190	26	355
सांचोर	–	–	13	136	–	9	391	7	556
कुल योग	3	2	447	1233	38	19	2092	110	3944

2. वर्ष 1992–93 में जालौर जिले में कुल 666 ट्रांसफारमर जले हैं। ये सभी बदले जा चुके है। तालिका में चाही गई सूचना आ से ए संकलित नहीं की जाती है। अत: बता पाना संभव नहीं है। वर्ष 1992–93 में जले वितरण ट्रांसफारमरों का उपखण्डवार ट्रान्सफारमर क्षमता वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं. उपखण्ड का नाम 00	ट्रान्सफारमर फेल हुए क्षमतावार 100	63	50	40	25	16	योग
1. बगरा	7	26	–	–	32	–	65
2. जालौर	15	11	–	–	30	–	56
3. आहोर	18	25	4	–	34	2	83
4. सायला	33	34	–	–	40	6	113
कुल योग जालौर खण्ड	73	96	4	–	136	8	317
5. भीनमाल	22	28	–	1	48	1	100
6. रामसीन	11	20	2	–	28	7	68
7. रानीवाडा	20	26	–	–	30	9	85
8. सांचोर	7	23	–	–	60	6	96
योग भीनमाल खण्ड	60	97	2	1	166	23	349
योग जालौर जिला	133	193	6	1	302	31	6

नवलगढ रोड (सीकर) की कालोनियों का विद्युतीकरण

828. श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पर बसी कालोनियों को देहात फीडर से बिजली दी जा रही है ? यदि हां तो क्या शहर वासियों को सिंचाई फीडर से बिजली देने से बिजली बार-बार काटी जाती है ?

(2) क्या देहात फीडर के स्थान पर कालोनियों को शहर से बिजली दी जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नवलगढ़ रोड सीकर पर बसी कालोनियों की विद्युत लाइन ग्रामीण फीडर के साथ जुड़ी हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र के फीडर को आठ घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के बाद ग्रामीण फीडर को सिंगल फेस करने के लिये दो बार प्रतिदिन ट्रिपिंग दी जाती है।

(2) देहात फीडर के स्थान पर इन कालोनियों को शहर से बिजली दिये जाने हेतु ग्राम कुण्डली में एक 33/11 के.वी. सब स्टेशन बनाने के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं, जिनके तकनीकी दृष्टि से साध्य पाये जाने के पश्चात् ही विचार किया जाना संभव होगा।

सहायक अभियन्ता कार्यालय लाडनूं द्वारा गांवों का विद्युतीकरण

829. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सहायक अभियन्ता, लाडनूं, जिला नागौर के क्षेत्र में कौन-कौन से गांवों के कितने कितने लोगों ने घरेलू लाइट के लिये डिमाण्ड नोटिस की राशि कब-कब से जमा करा रखी है और उनमें से किन किन को अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ?

(2) चालू वित्तीय वर्ष में कौन-कौन से गांवों में कितने-कितने घरेलू लाईट के कनेक्शन दिये गये और उनकी डिमाण्ड नोटिस की राशि कब-कब जमा हुई थी ?

(3) गत वित्तीय वर्ष में उक्त क्षेत्र में कौन-कौन से गांव नये विद्युतीकृत किये गये और उनमें कितने-कितने घरेलू लाइट के कनेक्शन कब-कब दिये गये ? यदि नहीं दिये गये, तो क्यों ?

(4) विद्युतमण्डल की नीति के अनुसार उपरोक्त कनेक्शन देने सम्बन्धी क्या-क्या त्रुटियां किस स्तर पर हुई तथा इस सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

(5) नये गांवों को विद्युतीकृत किये जाने एवं उनमें कनेक्शन देने के लिये बोर्ड द्वारा क्या कोई दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं ?

उत्तर

(1) इस उपखण्ड में 26 ग्रामों के 579 उपभोक्ताओं ने घरेलू लाइट हेतु

(ऊर्जा मन्त्री)

डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करा दी है। इनमें से सभी ग्रामों के सभी उपभोक्ताओं को अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। विवरण संलग्न प्रपत्र (अ) में दर्शाया गया है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष (1993–94) में 41 ग्रामों के 587 उपभोक्ताओं को घरेलू लाइट के कनेक्शन दिये गये तथा उनकी डिमाण्ड नोटिस जमा राशि का विवरण संलग्न प्रपत्र 'ब' में दर्शाया है।

(3) गत वित्तीय वर्ष 92-93 में निम्नांकित 5 ग्राम विद्युतिकृत किये गए थे। इन ग्रामों में किसी ग्राम में घरेलू लाइट कनेक्शन नहीं दिये गये।

1. बिठूड़ा 2. विश्वनाथपुरा
3. कोयल 4. बेड
5. संगार

वर्ष 92–93 में संगार ग्राम को छोड़कर किसी उपरोक्त ग्रामों में घरेलू आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये थे। वर्तमान में ग्राम बेड, कोयल, बिठूडा विश्वनाथपुरा में घरेलू आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। इन सभी ग्रामों में कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

(4) विद्युत मण्डल में विद्यमान नीति अनुसार ग्राम वार वरीयता व सर्विसलाइन से दिये जाने वाले घरेलू आवेदकों को प्राथमिकता से कनेक्शन दिये गये है।

कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया नियमानुसार की गई है। इसमें किसी त्रुटि की जानकारी नहीं मिली है। फिर भी कनेक्शनों में विलम्ब के मामले में जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

(5) प्रति वर्ष योजना मद में उपलब्ध वित्तीय साधन के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, जिसका पंचायत समिति वार आवंटन पंचायत समिति के विद्युतीकरण स्तर के आधार पर किया जाता है।

विद्युतीकरण होने के पश्चात् उन ग्रामों में आवेदन होने पर दो कृषि कनेक्शन दिये जाने का नियमों में प्रावधान है। वर्ष 1992–93 व 93–94 में दिये जाने वाले कृषि कनेक्शन की नीति की प्रति प्रपत्र 'स' व 'द' संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

प्रदेश के गांवों में कृषि विद्युत कनेक्शन

830. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गांवों का विद्युतीकरण करने के बाद भी कृषि के लिए एक भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे गांवों में कृषि के लिए शीघ्र विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां, विद्युतीकृत होने के बाद भी 31.3.1993 तक की संकलित सूचना के अनुसार 4103 गांवों में कृषि कनेक्शन नहीं थे। पंचायत समितिवार संख्या सूची 'अ' संलग्न हैं। इनमें से कई ग्रामों में अब वर्ष 1993–94 में कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

(2) राज्य की वर्तमान कृषि नीति के अन्तर्गत ऐसे प्रत्येक गांव में दो कनेक्शन दिये जाते हैं। दो कनेक्शन हो जाने के बाद लम्बित -प्रार्थना पत्रों के आधार पर पर कनेक्शन दिये जाते हैं। कृषकों द्वारा चाहे जाने पर ही कनेक्शन देना सम्भव है इस ओर शनैः शनैः प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु निश्चित समयावधि बता पाना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वर्कचार्ज कनिष्ठ लिपिक

831. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में वर्कचार्ज कनिष्ठ लिपिक हैं ? यदि हां, तो कितने व कब से ? इनको नियमित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? अब इन्हें कब तक नियमित करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। राजस्थान राज्य विद्युतमंडल में लगभग 670 वर्कचार्ज कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति माह फरवरी, 1991 से अगस्त, 1993 के मध्य की गई थी।

इनको नियमित वेतन श्रृंखला देने हेतु विभागीय परीक्षा शीघ्र आयोजित की जा रही है। कार्यरत वर्कचार्ज कनिष्ठ लिपिकों से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जा चुके हैं। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उक्त वर्कचार्ज कनिष्ठ लिपिकों को, नियमित वेतन श्रृंखला में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा।

पिण्डवाड़ा-आबू क्षेत्र के कृषकों को विद्युत कनेक्शन

832. श्री प्रभूराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिन्डवाड़ा आबू क्षेत्र के कृषकों की कनेक्शन हेतु पत्रावलियां काफी समय से लम्बित पड़ी हैं ? यदि हां, तो लम्बित पत्रावलियों की तिथिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में कितने कृषि कनेक्शन दिये गये ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) औद्योगिक क्षेत्र पिण्डवाड़ा में आज तक कितने कनेक्शन किन-किन व्य-

(श्री प्रभूराम ग्रासिया)

क्तियों को दिये गये हैं ? कितनी औद्योगिक फाइलें लम्बित हैं व इन्हें कनेक्शन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) एक पोल एवं सर्विस लाइन कनेक्शन का चालू वर्ष में कितना लक्ष्य था, इनमें से कितने कनेक्शन स्वीकृत हो चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिण्डवाड़ा आबू क्षेत्र के कृषकों को कनेक्शन हेतु 701 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। इनकी उपखण्डवार सूची निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	उपखन्ड का नाम	लम्बित कृषि पत्रावलियां
1.	ग्रा.वि.नि : पिण्डवाडा	574
2.	प. व स., आबूरोड	125
3.	प. व स., आबू पर्वत	2
	कुल योग	701

2. पिन्डवाड़ा आबू क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पिछले 5 वर्षों में दिये गये कृषि कनेक्शनों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	उपखण्ड का नाम	दिये गये कृषि कनेक्शन			
		सामान्य	अनु. जाति	अनु.ज.जा.	योग
1.	ग्रा.वि.नि., पिण्डवाडा	169	37	3	209
2.	प. व स., आबू रोड	122	12	70	204
3.	प. व स. आबू पर्वत	6	—	—	6

3. पिन्डवाडा औद्योगिक क्षेत्र में 40 औद्योगिक विद्युत कनेक्शन अब तक दिये जा चुके हैं, 4 औद्योगिक कनेक्शन दिये जाना शेष हैं। इन्हें मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं। मांग पत्र की राशि जमा करवाने एवं अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण करने के पश्चात् इन्हें भी कनेक्शन शीघ्र दिए जायेंगे। कनेक्शनों एवं लम्बित औद्योगिक कनेक्शनों की श्रेणीवार संख्या सूची निम्नानुसार है :

(ऊर्जा मन्त्री)

दिए गए औद्योगिक कनेक्शन

क्र.सं.	लघु औद्योगिक कनेक्शन (एस.आई.पी.)	मध्यम औद्योगिक कनेक्शन (ए.आई.पी.)	कुल योग
1	24	16	40

बकाया औद्योगिक कनेक्शन

1	3	1	4

4. एक पोल एवं सर्विस लाइन कृषि कनेक्शनों का पिण्डवाडा उपखण्ड को पांच का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से चार प्रार्थियों को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है तथा 6 प्रार्थियों को मांग पत्र जारी किए हैं। इनमें से 2 ने मांग पत्र की राशि जमा करा दी है। स्वीकृत हो चुके कनेक्शनों की सूची निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	गांव का नाम	प्रार्थना पत्र जमा तिथि
1.	सदा रामनाथाजी	सरूपगंज	12.8.1985
2.	सीताराम खमाजी	धनारी	21.7.1984
3.	केसराराम पन्नाजी	वीरवाडा	10.9.1988
4.	ओंकारसिंह पर्वसिंह	वीरवाडा	30.3.1990
5.	बजीमजी देवाजी	झाडोली	20.1.1987
6.	रामाभावा	नितोडा	7.2.1990
7.	जवानमल मेगाजी	जनापुर	24.1.1986
8.	पदमाराम लटुआजी	फूलाबाई खेडा	22.12.1989
9.	केसरसिंह वगतासिंह	नयासानवाडा	2.7.1988
10.	हिरालाल लाजी	नितोडा	28.1.1992

राजस्थान पथ परिवहन निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

833. **श्री हरिसिंह (महुआ)** : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान परिवहन निगम के विभिन्न कार्यालयों में ऐसे कितने दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जिन्हें लगातार 240 दिन से ज्यादा समय हो चुका है ? उक्त कर्मचारियों के सेवा नियमन एवं पूर्ण वेतन देने बाबत नियमों में क्या प्रावधान हैं तथा इन कर्मचारियों की सेवाएं कब तक नियमित कर इन्हें पूर्ण वेतन व अन्य लाभ दे दिए जायेंगे ?

(2) क्या इनमें कोई ऐसे भी कर्मचारी हैं जो पूर्व में 240 दिन लगातार कार्य करने के पश्चात् हटा दिए गए थे एवं विभिन्न न्यायालयों में अपना मुकदमा वापिस निगम से समझौते के आधार पर लिया गया ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) समझौते के बाद पुनः निगम में 240 दिन पूर्ण करने के पश्चात् भी इन कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं किया गया एवं अब सरकार इन्हें कब तक नियमित कर सभी लाभ देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में निगम के विभिन्न कार्यालयों में 87 ऐसे दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें 71 कर्मचारी ऐसे भी हैं जो निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रित हैं।

नियमों एवं प्रचलित प्रक्रियानुसार चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पद रिक्त होने पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वरिष्ठताक्रम एवं सेवा आचरण के आधार पर नियमित किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी वर्ग में पद रिक्त न होने के कारण इन्हें नियमित नहीं किया गया है, किन्तु ऐसे दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा लगातार पूरी करने पर 5/-रुपए प्रति दिन अतिरिक्त एवं जिन्होंने 2 वर्ष की सेवा लगातार पूर्ण कर ली है उनको 10/- रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है। ऐसे दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने निगम में निरन्तर 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तथा जिनकी सेवा पूर्णतया संतोषजनक रही है व जिनके कार्य व आचरण के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल शिकायत नहीं है उन्हें उनके अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 28/– रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त दिए जा रहे हैं।

(2) जी हां, ऐसा एक दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जिसके मामले का विवरण दर्शाते हुए सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट-क)

(3) दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में अधिकांश निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रित कार्यरत हैं जिन्हें निगम में रिक्त पद न होने के बाद

(राज्य मन्त्री, यातायात)

भी मानवीय दृष्टिकोण से निगम सेवा में रखा गया है। जैसे-जैसे चतुर्थ श्रेणी वर्ग में पद रिक्त होते जावेंगे वैसे–वैसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर विचार किया जाना संभव होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

निगम की बसों में धूम्रपान निषेध

834. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा): क्या यातायात राज्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में धूम्रपान करना सरकार की ओर से प्रतिबन्धित है? यदि हां, तो यात्रियों द्वारा धूम्रपान न करने वाले यात्रियों तथा विशेष रूप से महिलाओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए क्या सरकार इसे सख्ती से लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

जी हां। निगम की सभी वाहनों में धूम्रपान वर्जित है' शब्द अंकित करवाए हुए हैं तथा चालक परिचालकों को भी निर्देशित किया हुआ है कि वे न तो स्वयं चलती वाहन में धूम्रपान करें और न ही यात्रियों को ऐसा करने दें। यदि उनके निवेदन करने पर भी यात्री धूम्रपान करना बन्द न करें तो चालक–परिचालकों को निर्देशित किया हुआ है कि वे ऐसे यात्री को राजस्थान मोटरयान नियमों की पालना में वाहन से उतार भी सकते हैं।

प्रदेश के बाल कारागृह

835. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): क्या कारागार राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में राज्य की जेलों में बाल अपराधियों की संख्या कितनी है?

(2) राज्य में वर्तमान में कितने बाल कारागृह हैं और उनमें बढोतरी की क्या योजना है?

(3) क्या राज्य सरकार को जेलों में नशीले पदार्थ सेवन की शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) दिनांक 31.1.94 को स्थिति के अनुसार राज्य की कारागृहों ने बाल अप-

(राज्य मन्त्री, कारागार)

राधियों (16 वर्ष से कम आयु का बालक एवं 18 वर्ष से कम आयु की बालिका) की संख्या शून्य रही है।

(2) वर्तमान में राज्य में कोई बाल कारागृह नहीं है। बाल अपराधियों को कारागृहों में रखना ही निषिद्ध है अतः इनकी बढ़ोतरी का कोई प्रश्न नहीं है।

(3) जेलों में बन्दियों द्वारा नशीले पदार्थ सेवन की शिकायतें यदा-कदा प्राप्त हुई हैं जिनके सम्बन्ध में प्राथमिक जांच किये जाने पर दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गई है।

जनजाति उपयोजना में संचालित योजनायें

836. श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जनजाति संभाग में विशेषतया एस.टी.सी., बी.एड. स्टोकमेन, आयुर्वेद कम्पाउडर आदि का प्रशिक्षण को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक इन्हें पुनः चालू किये जाने का सरकार विचार रखती है?

(2) जन जाति उपयोजना में कितने छात्रावास कहां-कहां पर संचालित हैं? उनमें कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं और उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जन जाति उपयोजना में जनजाति सदस्यों को सीधा लाभ देने की कौन-कौनसी योंजनाएं चलाई जा रही हैं? उनसे कितने को लाभ प्रतिवर्ष दिया जाता है?

(4) जनजाति उप योजना क्षेत्र में शिक्षा का प्रतिशत क्या है? सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में जनजाति के सदस्यों का सेवा प्रतिशत आरक्षण के अलावा अब तक क्या है?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है। स्टोकमेन ट्रेनिंग एवं आयुर्वेद कम्पाउण्डर का कोर्स जब से प्रारम्भ हुआ निरन्तर चालू है। पूर्व में एस.टी.सी. एवं बी.एड. के जनजाति के छात्रों हेतु विशेष बैच चलाये जा रहे थे वो बन्द कर दिये गए हैं। शिक्षा सचिव के अ.शा. पत्रांक 1216 शि–1/92 दिनांक 30–9–93 द्वारा उक्त निर्णय महामहिम राज्यपाल महोदय के स्तर से लिया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)

वर्ष 1994–95 से यह प्रशिक्षण पुनः प्रारम्भ कर दिये जावेंगे।

(2) वर्तमान में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 63 छात्रावास संचालित हैं। उक्त छात्रावासों की सूची परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। 63 छात्रावास में 4100 छात्र एवं 650 छात्राएं कुल 4750 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाएं परिशिष्ट (ब) के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(राज्य मन्त्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(3) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति सदस्यों को सीधा लाभ देने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उक्त योजनाएं परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है। इन योजनाओं से उपयोजना क्षेत्र में वर्षवार लाभान्वित जनजाति सदस्यों का जिलेवार विवरण नीचे अंकित है। ग्रामवार सूचियां एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

जिलेवार वर्षवार लाभान्वितों की संख्या

जिला	वर्ष 90-91	91-92	92-93	फरवरी, 94
बांसवाड़ा	5667	7209	8398	2473
डूंगरपुर	7224	5610	7373	3341
उदयपुर	9179	8172	11168	6037
चित्तौड़गढ़	2529	3288	5484	1064
सिरोही	1325	1221	2489	642
योग :	25924	25500	34912	13562

(4) आरक्षण के अलावा स्वयंसेवी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में जनजाति व्यक्तियों का सेवा प्रतिशत ज्ञात किया जा रहा है। यह विस्तृत सूचना है जिसमें समय समय लगानें की संभावना है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा शहर में रसोई गैस कनेक्शन

837. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा शहर में रसोई गैस कनेक्शन हेतु पूर्व में आवेदन पत्र कब आमन्त्रित किये गये थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राप्त आवेदनों में से कितने उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं ? शेष प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं को कब तक कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर में रसोई गैस कनेक्शन हेतु पूर्व में आवेदन पत्र वर्ष 1988 में आमन्त्रित किये गये थे, जिसके तहत प्राप्त 29486 आवेदन पत्रों की रसोई गैस कनेक्शन बुकिंग हेतु वरीयता निर्धारित की गई थी।

(2) प्राप्त आवेदनों में से अब तक 7125 उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं शेष प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं को जैसे-जैसे आयल कम्पनियों को केन्द्र सरकार से कनेक्शनों का आवंटन प्राप्त होगा, कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे।

तहसील शेरगढ़ के आयुर्वेद औषधालय

838. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शेरगढ़ तहसील में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? क्या उन पर पूरा स्टाफ लगा हुआ है ? यदि नहीं, तो रिक्त स्थानों को कब तक भर दिया जायेगा ?

(2) एक औषधालय के लिए दवाइयों का कितना प्रावधान है क्या यह सही है कि पिछले एक वर्ष में इस तहसील के किसी भी औषधालय में दवाइयों का कोई प्रावधान नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जोधपुर ज़िले की शेरगढ़ तहसील में वर्तमान में 20 आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत/संचालित हैं । इनमें आयुर्वेद चिकित्सक के 5 पद, नर्स कम्पाउण्डर का 1 पद एवं परिचालक के 6 पद रिक्त हैं।

आयुर्वेद चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित कर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये हैं।

नर्स-कम्पाउण्डर के रिक्त पदों पर आगामी त्रैमास में नियुक्ति करने का प्रयास किया जा रहा है।

परिचारकों के रिक्त पद शीघ्र भरने हेतु सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश दिये जा चुके हैं।

(2) एक औषधालय के लिए दवाइयों का प्रावधान औषधालय की वार्षिक रोगी संख्या को आधार मानकर प्रतिस्थापित किया जाता है। सीमा निर्धारित करने का मानदण्ड निम्न प्रकार हैं :–

बहिरंग विभाग में एक रुपया प्रति रोगी प्रतिदिन अन्तरंग विभाग–तीन रुपये प्रति रोगी प्रति दिन।

जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में संचालित सभी औषधालयों को गत वर्ष 1992–93 में औषधियों की सप्लाई की गयी है, इसकी सूचना संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

प्रदेश में यूनानी चिकित्सा पद्धति

839. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार राज्य में यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में एक भी सरकारी यूनानी महाविद्यालय नहीं है? क्या सरकार प्रदेश में यूनानी महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या सरकार जयपुर में निजी स्तर पर चल रहे यूनानी महाविद्यालयों,

(श्री अर्जुनदास मदान)

जिनका शैक्षणिक, प्रायोगिक तथा प्रशासनिक स्तर काफी गिरा हुआ है, को अधिग्रहण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में यूनानी चिकित्सा पद्धति के 78 औषधालय एवं चिकित्सालय विभागान्तर्गत स्वीकृत/संचालित हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति की समुचित व्यवस्था एवं विकास के लिए निम्न व्यवस्था उपलब्ध हैं:–

(1) यूनानी औषधालय चिकित्सालय के प्रशासनिक व तकनीकी नियन्त्रण तथा इस पद्धति में तकनीकी सलाह देने के लिए सहायक निदेशक (यूनानी) का पृथक कार्यालय स्थापित है।

(2) यूनानी औषधियों के निर्माण के लिए रसायनशाला स्तर पर यूनानी चिकित्सक का पद सृजित है।

(3) यूनानी औषधियों के कच्चे घटक द्रव्य स्वीकार करने के लिए पृथक स्थानीय क्रय समिति गठित की हुई है।

(4) यूनानी शिक्षा हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में पृथक यूनानी संकाय स्थापित किया हुआ है।

(5) राज्य में यूनानी शिक्षा हेतु निजी क्षेत्र में तीन यूनानी महाविद्यालय स्थापित है। इनमें से दो यूनानी महाविद्यालय जयपुर में हैं एवं शेष तीसरा महाविद्यालय जोधपुर में है। जयपुर स्थित दोनों महाविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हैं। जोधपुर कालेज में वर्ष 1992-93 से नवीन प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

(6) नर्स-कम्पाउण्डर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में यूनानी चिकित्सा पद्धति के ज्ञान के लिए अलग से अध्ययन की व्यवस्था है। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी राजस्थान विश्व विद्यालय से मान्यता प्राप्त है।

(7) औषध पुनर्भरण के लिए यूनानी औषधियों को भी मान्यता प्रदान की हुई है।

(8) राज्य में राजकीय क्षेत्र में तीन यूनानी चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें कुल 30 शैयायें स्वीकृत हैं।

(9) भारतीय चिकित्सा मण्डल में यूनानी चिकित्सकों के पंजीयन की पृथक व्यवस्था की हुई है।

(10) यूनानी चिकित्सा पद्धति का वर्ष 1993-94 का संशोधित स्वीकृत बजट 119.32 लाख रुपये है।

प्रदेश में इस चिकित्सा पद्धति के अधिक प्रसार व विकास के लिये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमान्तर्गत विभाग निम्न कदम उठाने का विचार रखता है:–

(1) भविष्य में खुलने वाले नवीन औषधालयों में से अधिक से अधिक संख्या में औषधालय यूनानी चिकित्सा पद्धति

(आयुर्वेद राज्य मन्त्री)

के जनता की मांग के आधार पर खोलना।

(2) शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए उनसे प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमान्तर्गत विचार करना।

(3) विभागीय यूनानी औषधालय को फर्नीचर एवं यन्त्र-शस्त्र (उपकरण) उपलब्ध कराना।

(2) जी हां।

जी नहीं। क्योंकि राज्य में दो यूनानी महाविद्यालय (निजी क्षेत्र के) जयपुर में ही संचालित हैं तथा एक अन्य यूनानी महाविद्यालय (निजी क्षेत्र) जोधपुर में है।

(3) जी नहीं। क्योंकि ये दोनों कालेज राजस्थान विश्वविद्यालय से मान्यता व सम्बद्धता प्राप्त हैं। इनके शैक्षणिक, प्रायोगिक व प्रशासनिक स्तर में कमी सम्बन्धी कोई शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

थाना कोतवाली जयपुर में पंजीबद्ध मुकदमा सं. 720/92

840. श्री तय्यब हुसैन (कामां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि एफ.आई.आर नं. 720/92 थाना कोतवाली जिला जयपुर में बाबत अपहरण दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या अपहरण किया गया व्यक्ति पुलिस ने तलाश कर लिया है ? यदि नहीं, तो शिथिलता बरतने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या अपराधी गिरफ्तार कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो गिरफ्तार करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। अपहरण किया गया बालक अभी तक नहीं मिला पुलिस ने अपहरण किए गए बालक की तलाश हेतु भरसक प्रयत्न किए गए व अभियुक्तों के रिश्तेदारों व अन्य जान पहचान वाले जगहों साहबाद, अलीगढ, आगरा (यू.पी.) में छापे मारे व तलाश कराई गई व पूरे भारतवर्ष में मुस्तेहरी कराई गई परन्तु अपहरण किया हुआ बालक अभी तक नहीं मिला है।

(2) इस प्रकरण में फरियादी को गुमनाम धमकी भरा हुआ पत्र मिला था उस पत्र की लिखावट एक अभियुक्त महिपाल की लिखावट से मिलती हुई पाई गई एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त महिपाल को दि. 17.8.93 को गिरफ्तार किया गया व उससे पूछताछ करने पर इस प्रकरण में अन्य चार अभियुक्त सर्व श्री नूर मोहम्मद व उसकी पत्नी समीम व उसके साढू सैयाद व उसके लड़के साबर अली को भी मुलिजम माना है इन अभि. की तलाश के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं व इनके रिश्तेदारों के यहां तलाश की गई परन्तु अभी तक कोई पता नहीं चला है तलाशी के प्रयास जारी हैं।

Page No. 70

(70)

रेल्वे फाटक जगतपुरा की सार्वजनिक प्याऊ पर अतिक्रमण

841. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जगतपुरा रेल्वे फाटक के पास जन सहयोग से निर्मित एक प्याऊ थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्याऊ पर पुलिस चौकी, मालवीय नगर खोल कर सार्वजनिक प्याऊ की सुविधा से जनता को वंचित कर दिया गया है ?

(3) क्या सरकार सार्वजनिक हित में उक्त प्याऊ से पुलिस का कब्जा हटाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त स्थान पर नागरिकों की सुविधार्थ सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो कब तक ऐसी व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। प्याऊ आज भी बदस्तूर चालू है।

(3) प्याऊ पर पुलिस का कब्जा नहीं है अत: प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) सार्वजनिक प्याऊ बदस्तूर चालू है अत: वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री राजेन्द्र चौधरी एवं दो अन्य सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर जिलेकी बिलाड़ा, शेरगढ़, फलौदी, ओसियां, भोपालगढ़ तहसीलोंमें स्वीकृत अकाल राहत कार्यों पर निर्धारित संख्या से आधे से भी कम श्रमिकों के कार्यरत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :-

(2) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के ग्राम बादलपुरा निवासी नारायणसिंह की दिनांक 16.1.1994 को हुई निर्मम हत्या की निष्पक्ष जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि गवाही से की गई जांच से पाया गया कि मृतक नारायण सिंह दि. 16.1.1994 को विक्रमसिंह, जसवन्तसिंह, भंवरसिंह आदि 15-20 व्यक्तियों के साथ देवली कुचलवाड़ा में किसी प्लाट के विषय में गये

(श्री अध्यक्ष)

थे और उसी दिन शाम को 7-8 बजे आमलदा आ गये । भंवरसिंह, विक्रमसिंह व मृतक नारायण सिंह ने आमलदा में जसवन्तसिंह के यहां शराब पी और शराब पीने के बाद मृतक नारायणसिंह अकेला ही आमलदा से पैदल-पैदल अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गये। मृतक नारायणसिंह ने उसी रोज रात्रि को 8-8.30 बजे श्रीमती बाली पत्नि लादू दरोगा, निवासी आमलदा से रुपये में शराब का एक पव्वा खरीदा और रवाना हो गया। उसके बाद दिनांक 28.1.1994 को मृतक नारायणसिंह की लाश श्री भैरू दरोगा निवासी आमलदा के पड़ोसी कुए में मिली। मृतक के मृत्यु के कारणों बाबत पुलिस जांच जारी है। मृतक की किसी से रंजिश होना नहीं पाया गया। प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मृतक के बिसरा की रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पता चलेगा कि मृतक नारायणसिंह की मृत्यु किन कारणों से हुई है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री दलीचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से माही बजाज सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आये काश्तकारों को पुनर्वास एवं कृषि एवं कृषि हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर नगर निगम की माली हालत खराब होने तथा वहां सफाई आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम रघुनाथपुरा को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से जोड़ने वाली सड़क का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की पंचायत समिति शाहबाद के ग्राम करवा थाना के अन्तर्गत एक मजार पर जाने में लगी रोक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मण्डावा (झुंझुनू) के 33 के.वी. जी.एस.एस. को क्रमोन्नत कर 132 के. वी. जी. एस. एस. किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधानसभा की ओर से डूंगरपुर जिले के कतिपय ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में घोर अव्यवस्था के कारण मरीजों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(8) श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना

(श्री अध्यक्ष)

के ग्राम मेवड़ा की मेवड़ा से पाटुकला सड़क के निर्माण कार्य में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में।

(9) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यायालय के निर्णय के उपरान्त भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के ग्राम हिम्मतगढ़ में पुलिस चौकी स्थापित कर राहत दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को हटाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(12) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, टौंक द्वारा टौंक क्रय-विक्रय सहकारी समिति में हुए कथित गबन की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री महादेव सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम जेता की ढाणी के कतिपय किसानों द्वारा डिमाण्ड नोटिस राशि जमा कराने के उपरान्त भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से टौंक के पास नदी की पुरानी पुलिया पर दोनों ओर चौकीदार की व्यवस्था कर आवागमन को सुचारु करने के सम्बन्ध में।

(15) श्री श्रवणकुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से अशिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण सुविधा का पूर्ण लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि आज एक बजे हम मांग पर बहस शुरू करना चाहते हैं ताकि पांच बजे तक बहस समाप्त हो जाए और छह बजे तक मन्त्री जी उत्तर दे दें। साढ़े छह बजे तक आप उनको जो भी प्रश्न करना चाहें वह करें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): ट्रेजरी बैंचेज तालियां बजा रहे हैं, क्या मतलब ? You want to run away early ?

अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन आप तालियां बजा रहे हैं, उसका क्या मतलब ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा राज्य मन्त्री) : हम तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपका यह प्रसन्नता क्यों है ? यह ऐक्सटेसी, ओवर जायस क्यों हो रहे हैं आप ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : शून्यकाल में मैं चाहता था कि आज कोई सवाल नहीं उठे, लेकिन लगभग 11 माननीय सदस्यों ने शून्यकाल में बोलने के लिए लिखकर दिया है। अब मैं इस शर्त के साथ उनको बोलने की अनुमति देता हूं कि वे अपना यह सारा आधा घंटे में समाप्त कर दें ताकि बाकी आधे घण्टे में स्पेशल मेंशन हो जाएं। अन्यथा फिर स्पेशल मेंशन को पढ़ा हुआ मानना पड़ेगा क्योंकि एक बजे निश्चित रूप से चर्चा शुरू करनी है। शून्यकाल में आप कम से कम समय में अपनी बात रखें। श्री मांगीलाल मेघवाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन) : सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि प्रधान वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने आदेश दिनांक 16.9 1993 को बूंदी जिले के करीब 70 वर्कचार्ज कर्मचारियों का विश्व खाद्य कार्यक्रम, जैसलमेर में ट्रांसफर कर दिया। इनमें बेलदार हैं, कुली हैं, दो वृद्ध महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं जिनके चार चार बच्चे हैं। इनको बूंदी जिले से जैसलमेर, छह सौ किलोमीटर दूर भेज दिया। एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी बेलदार और कुली वहां रहेगा, यह कैसे सम्भव है ?

(12.08)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन।)

आदेश में यह स्पष्ट व्यक्त किया गया है कि अगर 5.11.1993 तक....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : जोइन नहीं किया तो सेवा छोड़ा हुआ माना जाएगा। इस निमित्त माननीय वन मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करूंगा कि उन अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों में वर्कचार्ज कर्मचारियों में विधवा महिलाएं हैं, बेलदार हैं, कुली हैं, उनको छह सौ किलोमीटर दूर भेज दिया। कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी है, कई स्टे लेकर बैठे हैं और कई वहां गये हैं। उनको जैसलमेर से एक आदेश 16.19.1993 को निकालकर कहा गया कि बीरबल शाखा पर उनकी ड्यूटी लगायी गयी है। उन क्षेत्रों में किस तरह ये अल्प वेतन भोगी कर्मचारी रहेंगे, यह बहुत चिन्ता का विषय है। राजस्थान सरकार इस पर पुनः विचार करे और उनको विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर समायोजित करने की कृपा करे। पुरजोर शब्दों में यह मांग करता हुआ उनकी सहायता के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (वन मन्त्री) : सभापति महोदय माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह सही है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो योजनाएं चल रही थीं, वे कुछ समाप्त हो गयीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, यह अव्यवस्था का प्रश्न है। सुनाई नहीं आ रहा है मन्त्री महोदय क्या कह रहे हैं।

श्री सभापति : रामस्वरूप जी, आप अपना स्वभाव बनाये रखें।

श्री रघुबीरसिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, प्रदूषण विभाग मेरे पास है लेकिन वह विधान सभा के बाहर का है। यहां के प्रदूषण की जिम्मेदारी तो आप ही की है।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह सही है। एक वर्कचार्ज का व्यक्ति, बूंदी का रहने वाला जैसलमेर जाए। लेकिन वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो योजनाएं चल रही थी, कुछ योजनाएं समाप्त हो गयीं। तो यह आवश्यक था कि जहां काम है इन्दिरा गांधी कैनाल पर, वहां उनको भेजा जाए। वैसे भी विधवाएं और महिलाएं जितनी हैं, मैंने कल ही सी.सी.एफ. से बात की थी और यह हमने सोचा है कि जितनी महिलाएं वहां गयी हैं उन सब महिलाओं को किसी भी प्रकार से बूंदी में ही वापस लाया जाए और वहीं एडजस्ट किया जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री शांति कुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने बजट की घोषणा के पहले ही और बहुत गुप्त तरीकेसे उद्योगोंपर लगनेवाले पावर फैक्टर के चार्जेज में अन्धाधुन्ध वृद्धि कीहै और वह अन्धाधुन्ध वृद्धि इस प्रकार से हुई है कि पहले उद्योगों को0.85पावर फैक्टर मेण्टेन करना पड़ता था और उस 0.85 पर अगर कोई उद्योगपति 0.70 ही मेन्टेन कर पाता था तो जो डिफरेंस 0.20 का आता था उसमें प्रति पैसा प्रति यूनिटों को पूरी यूनिटों से गुणा करके उसका खर्चा उसको देना पड़ता था। वह खर्चा करीब-करीब एक लघु उद्योगपति पर 500 से 800 रुपये तक के बीच का आया करता था लेकिन बजट की घोषणा के पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताह में ही 0.85 जो मेन्टेन करने के लिए हुक्म था उसको 0.90 मेण्टेन करने की बात कह दी गयी और मार्च के बिलों में यह बात आ गयी, अब फर्क इतना पड़ गया कि जिस उद्योगपति को पहले 500, 600, 700 रुपये पावर फैक्टर के देने पड़ते थे आज उसे 3000 से 4000 रुपये तक उस पावर फैक्टर के हर महीने चुकाने पड़ रहे हैं। इससे लघु उद्योगपतियों को खासकर जो बिजली पहले 2 रुपये के लगभग मिला करती थी, एक यूनिट के एक रुपया 25 पैसा, 48 पैसा फ्यूल चार्जेज और पावर फैक्टर अब यह 0.90 मेन्टेन करने के बाद उससे बिजली का कम से कम तीन रुपया पर यूनिट चार्ज किया जा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी से निवेदन है कि इस बारे में

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

पुनर्विचार किया जाए। एक लघु उद्योग जो 10 लाख रुपए की लागत पर लगाया जाता है उसमें बिजली के ही ट्रांसमीटर ले लें, केबल ले लें, उसका फिक्सिंग चार्जेज ले लें, सारा सब कुछ ले लें आप तो तीन तीन लाख रुपया उसका बिजली पर खर्च होता है 10 लाख रुपए की यूनिट पर। एक तरफ राज्य सरकार यह बात कहती है कि लघु उद्योगों को हम बढ़ावा देंगे, लघु उद्योगों को कन्सेशन देंगे, उनकी उन्नति के लिए ऐसे नियम बनायेंगे ताकि वे अग्रसर हों और दूसरी तरफ यह पावर फैक्टर की मार जो उन पर नयी डाली गयी है उससे हर यूनिट को 2-3 हजार रुपए महीने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कृपया इस पर आप विचार करें और विचार करके कोई न कोई युक्तिसंगत बात निकालने की कोशिश करें।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मन्त्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है इस सम्बन्ध में मेरे पास कुछ रिप्रजेन्टेशन भी आए हैं....

श्री सभापति : आप विचार करें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैंने चीफ इंजीनियर को बुलाया था इस विषय पर जानकारी लेने के लिए। चैयरमैन आज यहां हैं नहीं, जब वह आ जायेंगे तो इसका आर्थिक पक्ष क्या है, और किस स्तर पर क्या बातचीत की जा सकती है....

श्री सभापति : आज कोटा डिविजन में आपस में चर्चा होकर शून्यकाल चल रहा है। माननीय परसादी लालजी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मन्त्रीजी से एक निवेदन करूंगा, अगर वे ध्यान से सुनें तो मैं उनसे यह निवेदन कर रहा हूं कि मालवीय नगर में एक रूंगटा चिल्ड्रन अस्पताल है। वहां पर एक लालाराम मीणा है, परसों उसको एडमिट किया था, कोई अपेंडिक्स का उसका माइनर आपरेशन था। कल उसका आपरेशन हुआ करीब 12 बजे और उसके बाद उसको इतनी बेहोशी की दवा दे दी गयी जिससे उसको अब तक होश नहीं आ रहा है। वह बैंक एम्पलायी है, 25 साल की उम्र है। उसके घरवाले बैंक के अधिकारी मेरे पास आए थे उन्होंने मेरे माध्यम से आपसे निवेदन करवाया है कि आपकी कोई मेडिकल विभाग की टीम भेजकर दिखलायें उसको कल से होश नहीं है। वह यह कह रहे हैं कि सीरियस पोजिशन है और जीवन और मौत के बीच झूल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मन्त्री चिकित्सा) : माननीय सदस्य, यह चिकित्सालय प्राइवेट है क्या ?

श्री परसादीलाल मीणा: प्राइवेट है। तो आप कोई डिपार्टमेण्ट की वहां पर टीम भेजकर, कोई स्पेशलिस्ट भेजकर अगर उसके प्राण बचाए जा सकते हैं तो, माननीय मन्त्रीजी, उसका उपाय करें। उसका मेडिकल चैकअप कराएं कि क्यों उसको इतनी बेहोशी आयी। उसकी यदि व्यवस्था आप कराते हो तो एक मानवीय कार्य आपका होगा, उसके हित में

(श्री परसादी लाल मीणा)

होगा कि उसके जीवन की, उसके प्राणों की रक्षा की जा सके।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : इसको विधान सभा में क्यों कह रहे हैं ? सभापतिजी, आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं....

श्री परसादी लाल मीणा : जीवन का सवाल है। माननीय मंत्रीजी, यह जीवन का सवाल है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : देखिये, मैं जानता हूं, चिकित्सा मन्त्री मैं भी हूं। इस पर बात कर लेते....
(व्यवधान)

श्री सभापति : आप हैं नहीं, आप थे।

श्री परसादीलाल मीणा : एक मानवीय सवाल है और उनकी यह पीड़ा है, वेदना है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मानवीय सवाल की जगह है।

श्री परसादीलाल मीणा : उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम तो।

श्री सभापति : कृपया आप बिराजिए। आपकी बात आ गयी है।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय मन्त्रीजी कहना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य होगा, पुनीत कार्य होगा। आप अपनी टीम भेजकर उसकी जांच करवा लें। क्यों उसको इतनी बेहोशी आयी, उसकी जांच करवा लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात बतायी है। अच्छा यह है कि आप उनको सवाई मानसिंह चिकित्सालय में रैफर करवा दें, मैं वहां पर पहले से सारी व्यवस्था कर दूंगा। और अगर रेफर कराने में कोई दिक्कत है तो अगर सम्भव हो सका तो मैं आज ही टीम भिजवाकर उसके इलाज की व्यवस्था कर दूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी टीम से आए, साहब। यही है कि वहां पर आपकी टीम जाकर उसका परीक्षण करके ... (व्यवधान).... आप क्यों नाराज हो रहे हैं इस बात में....

श्री सभापति : श्री जितेन्द्र नीनामा।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत चिकित्सा मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल में जब से रेफरल अस्पताल हुआ है तब से स्त्री विशेषज्ञ की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। वहां आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां की महिलाओं के लिए विशेषज्ञ बहुत ही आवश्यक है। वहां के आसपास के क्षेत्र में कहीं भी रेफरल हास्पिटल दूसरा नहीं है। वहां दो पंचायत समितियां, तहसील हैड क्वार्टर भी है। वहां की महिलाएं कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं और आसपास दूसरा कोई रेफरल हास्पिटल नहीं है। विशेषज्ञ नहीं होने

(श्री जितेन्द्र मीनामा)

से काफी महिलाओं को तकलीफ महसूस हो रही है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि घाटोल रेफरल हास्पिटल में महिला विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए ताकि वहां पर आदिवासी महिलाओं के लिए सुविधा हो सके।

साथ ही आसपास के नरवाली, केलामेला आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां भी प्राथमिक चिकित्सालय में डाक्टरों की नियुक्ति नहीं है। आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जहां-जहां डाक्टरों की पोस्ट खाली है, जल्दी से जल्दी भरी जाएं ताकि हमारी आदिवासी महिलाओं, आदिवासी मजदूर लोगों की सुविधा हो सके।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा, उप सचेतक।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान राजस्थान के महाविद्यालयों के अस्थायी व्याख्याताओं की ओर दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में अस्थायी व्याख्याता 77-78 में नियुक्त किए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, नियुक्त करने के बाद में लगातार ये सर्विस कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुःख की बात है, सरकार ने एक आदेश जारी करके इनकी नियुक्तियों को खतम करने के इरादे कर लिए है और दूसरे लोगों को इनकी जगह ले रहे हैं। इतने वर्षों की सर्विस होने के बावजूद आज +++ जो यह सेवा कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, आज इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, माननीय सभापति महोदय, अगर इनको हटा दिया गया तो। जिन लोगों को इन्होंने पढ़ाया है, जो इनके शिष्य हैं, उनको इनकी जगह लिया जाए और गुरुओं को हटा दिया जाए, यह कौनसी मानता है?

माननीय शिक्षा मन्त्रीजी, दूसरा मेरा निवेदन है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और सारे राज्यों में जो अस्थायी व्याख्याता थे उनको सब को स्थायी कर दिया गया लेकिन राजस्थान के अन्दर आपने अभी तक इनको स्थायी नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, इसके द्वारा राज्य सरकार पर कोई किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आएगा, कुछ भी नहीं करना है सरकार को किसी प्रकार का। केवल मात्र घोषणा करनी है। माननीय सभापति महोदय, फिर सरकार क्यों नहीं कर रही है? अनुसूचित जाति और जनजाति की सारी सीटें भी इसके द्वारा भर दी गयी हैं। उनके साथ भी कोई इसमें अन्याय नहीं हुआ। फिर भी यह सरकार इतनी देर क्यों कर रही है?

चौथा मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि यह व्याख्याता हर साल आ जाते हैं, जब-जब भी राजस्थान विधान सभा का सत्र चलता है। तो ये शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इन लोगों की इस प्रकार की मांगों को नहीं माना जाता है तो इनको हर साल विधान सभा के

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(8)

(श्री रामस्वरूप)

सामने धरना देना पड़ता है। क्या शिक्षकों का काम, व्याख्याताओं का काम धरना देने का रह गया है ? फिर लोग कहते हैं कि रिजल्ट कमजोर रहता है। हालत खराब होती चली जा रही है, माननीय मन्त्रीजी, आगे हालत और खराब होगी। क्योंकि जो गुरू लोग हैं जिनको 20 साल का अनुभव है, 20 साल से लगातार जो सेवा कर रहे हैं उनके अनुभव का आप लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं, नये लोगों को बुलाना चाहते हैं। पिछली बार भी इसी सदन में घोषणा हुई थी, माननीय सभापति महोदय, यह घोषणा की प्रतिलिपि है जिसमें लिखा हुआ है। अस्थायी शिक्षकों का स्थायीकरण नहीं होने के कारण शून्यकाल के दौरान सूचना के द्वारा उठाते हुए कहा था कि महाविद्यालयों के शिक्षक बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से बहुत से शिक्षक 10–12 साल से अस्थायी हैं और जब-जब भी विधान सभा चलती है तो उनकी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि इससे छात्रों की पढ़ाई तथा शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है। इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि उनकी समस्या को जल्दी सेजल्दी हल कर दिया जाएगा और शिक्षकों की समस्या इसी सत्र के दौरान हल हो जाएगी। यह अस्थायी शिक्षकों के बारे में है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। माननीय श्री रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : दूसरा मेरा, माननीय सभापति महोदय, निवेदन है, महाविद्यालयों के शिक्षकों की कुछ समस्याएं इसी सत्र में स्वीकार की जाएंगी।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूपजी, कृपया सुनिये। श्री रामस्वरूपजी कृपया सुनें।

श्री रामस्वरूप : बहुत गम्भीर मसला है। अस्थायी व्याख्याता बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। उधर सत्र चल रहा है शिक्षा का और इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज ही इस सदन में माननीय शिक्षा मंत्रीजी को घोषणा करनी चाहिए।

श्री सभापति : मैं साढ़े 12 बजे इसको समाप्त कर दूंगा। आपके माननीय सदस्य और कितना समय लेंगे ?

श्री रामस्वरूप : आपको घोषणा करनी चाहिए इसी सत्र के दौरान कि अस्थायी व्याख्याताओं को स्थायी कर दिया जाएगा। यह बहुत गम्भीर मसला हैं। अगर इस सत्र में भी उन शिक्षकों को न्याय नहीं दिला सके, फिर इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसकी कापियां भी मैं, सभापति महोदय, आपको पेश करना चाहता हूं....

(श्री रामस्वरूप द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी। (व्यवधान) मेरे पास नहीं आएंगे।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके

(श्री भीमसेन चौधरी)

माध्यम से गृह मंत्री महोदय का.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि.... (व्यवधान) मेरी बात सुन लें। कई बार ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं करेंगे।

(श्री रामस्वरूप द्वारा धरना समाप्त)

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री सभापति : आप मेरी बात सुन लें। आप आसन द्वारा आपको दी गयी सुविधा का दुरुपयोग करना चाहें तो आपकी मर्जी है.. (व्यवधान).... आप आसन द्वारा दी गयी सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। माननीय सदस्य, शून्य काल में इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है....(व्यवधान).... अंकित नहीं करेंगे।

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री सभापति : आप बाधा नहीं डालें। माननीय सदस्य, सदन में कई बार यह प्रश्न विभिन्न मुद्दों से उठाया गया है और आसन पूरी सुविधा दे रहा है बोलने की माननीय सदस्यों को और आज शिक्षा पर बहस है, शिक्षा मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं इन बातों का, और आप इस प्रकार का अनुचित तरीके से व्यवहार करके उनको हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार जो 2-2 मिनट बोलने का समय दिया जा रहा है उसका इस तरह से दुरुपयोग किया जाएगा....(व्यवधान)....प्लीज सिट डाउन। श्री भीमसेन चौधरी। (व्यवधान)....सरकार बोल चुकी है इस पर और आज माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री महोदय का ध्यान थाना खाजूवाला में दिनांक 4 तारीख को बावरी जाति की कन्या के साथ बलात्कार का जो केस हुआ उसके सम्बन्ध में पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है, उस बारे में आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें शीघ्र कार्यवाही की जाय।

श्री सभापति : श्री जगदीप जी धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में कल एक खबर छपी, मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री और माननीय गृह मंत्री ने उसकी ओर जरूर ध्यान दिया होगा। वह खबर है, "अभी बाकी हैं सामन्तवाद के अवशेष – मेहरू खुर्द की जनता त्रस्त।" माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की पत्रकारिता को मैं बधाई देता हूं कि जब कल मेरे ध्यान में यह खबर लायी गयी तो मैंने स्वयं सोचा कि गहराई में जाकर जांच की जाय। मैंने कागजात को देखा और खुद मेरा दिल

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

दहल गया है कि आजादी के इतने वर्षों पश्चात भी इस प्रकार की घटनाएं अजमेर और भीलवाड़ा जिले में बाउण्ड्री पर हो रही हैं।

राजस्थान पत्रिका के पत्रकार गोपाल शर्मा ने वहां जाकर जांच की। मैं जांच के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। जिसकी इस सदन को जानकारी आवश्यक है। सभापति महोदय, लिखा गया है कि आजादी के 47 साल बाद भी अजमेर भीलवाड़ा जिले की सीमा पर बसी केकड़ी तहसील की 50-60 घरों की आबादी वाला गांव मेहरू खुर्द के लोग सामन्ती आतंक और दहशत के साये में रह रहे हैं। वहाँ के लोगों का आरोप है कि सामन्तवादी तौर-तरीकों के चलते पिछले वर्षों में 3 लोग मर चुके हैं। गत दिनों वहां पर लक्ष्मण रैगर की साढ़े सात बीघा जमीन में उसके द्वारा जो सरसों तैयार की गयी थी उसको पूर्व जागीरदार ने पुलिस से मिलकर कुर्क करवा दिया और उसके परिवारजनों सहित 7 लोगों के खिलाफ फ़सल चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया।

सभापति महोदय, इस गांव में अधिकांश अनुसूचित जाति, जन जाति व पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित परिवार के लोगों में भारी आतंक है। उनको जो 30 वर्ष पूर्व जमीन मिली थी, जिस जमीन पर वह काबिज है, जिस जमीन के बारे में जागीरदार ने लिख कर दे रखा है कि इनका कब्जा है, जिस जमीन के सम्बन्ध में जागीरदार ने कहा है कि मैं कोई बेदखली की कार्यवाही करवाना नहीं चाहता, तीन दशक पहले कह दिया माननीय गृह मंत्री जी, आपके विभाग की मिली भगत की वजह से, राजस्व मंत्री जी, आपके विभाग की मिलीभगत की वजह से, विद्युत विभाग की मिलीभगत की वजह से उन लोगों के ऊपर मुकदमों पर मुकदमें थोपे जा रहे हैं, उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है, उन लोगों की भूमि पर जागीरदार पुलिस प्रशासन की मदद से बिजली के कनेक्शन ले रहा है। मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति की भलाई की दुहाई देने वाले कम से कम अब तो पसीजेंगे और तुरन्त ही इस सदन में दो बातों की घोषणा करेंगे उनको तुरन्त राहत देने के लिए। क्योंकि वहाँ पर एक किस्सा इस प्रकार का आया है....

श्री सभापति : विराजिये आप।.... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, जागीरदार बन्दूक लेकर गया.... (व्यवधान)....जागीरदार बन्दूक लेकर जाता है.. (व्यवधान).... जब बन्दूक लेकर जाता है तो वहां उसको उस गरीब व्यक्ति की मां मिलती है, उसे कहा जाता है कि आप यहाँ से रफा-दफा हो जाएं। माननीय गृह मंत्री जी, इतने ज्यादा मुकदमें उन गरीबों पर लगा रखे हैं और जितने भी गवाह हैं, मैंने उन मुकदमों की जानकारी की है वह उस गांव के नहीं हैं। जागीरदार जी बाहर से उनको लाते हैं और उनके खिलाफ चालान करा देते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए न तो भारत का संविधान है और न आप लोगों का राज है, न कोई कानून की मर्यादाएं उनके लिए

(श्री जगदीप धनखड़)

हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पहले तो उन पीड़ित परिवारों को तुरन्त पुलिस सहायता दी जाय और सच्ची राहत, माननीय सभापति महोदय, एक होगी कि यदि वे वर्षों तक मुकदमें लड़ते रहे, जो झूठे हैं, और बाद में वह बरी भी हो गये तो वे बरबाद हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से डिवीजनल कमिश्नर स्तर के अधिकारी से तुरन्त जांच करवायी जाए। जो भी पुलिस के मुकदमें हैं माननीय गृह मंत्री जी, चालान उनके खिलाफ हुए हैं, आज आपने इस सदन में कहा है कि कुछ फाइनल रिपोर्ट्स को आप री-ओपन करेंगे, आपकी मानसिकता उससे झलकती है। इस मामले में भी आप सूक्ष्म रूप से जांच करवा कर उनको तुरन्त राहत दिलवायें।

मैं मानता हूं माननीय सभापति महोदय जी ने इस प्रकार के बहुत से मुद्दे इस सदन में उठाये हैं, मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मैंने इस मामले को कल इसलिए नहीं उठाया कि सरकार निश्चित रूप से राजस्थान के प्रमुख दैनिक में इस खबर को पढ़कर जरूर कुछ करेगी। एक दिन का समय पर्याप्त है जांच करवाने के लिए। माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इस प्रकार से सिलिंग कानून के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इस विषय में भी इस सदन को आश्वस्त करें कि इस अत्याचार को रोका जाएगा, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी। (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति जी, सरकार और मामले में बोली है, माननीय ऊर्जा मन्त्री जी बोले हैं....

श्री सभापति : ताम्बीजी इसी बात पर बोल रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : इस मामले में एक दिन का समय हो गया .. (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रतनलाल जी ताम्बी इसी मामले में बोल रहे हैं। आप विराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : मैं भी इसी मामले में बोल रहा हूं।

सभापति जी, यह जागीरदार मेरे इलाके का है और मैंने 10 साल तक टिटोड़ा गांव जो है उसमें संघर्ष किया है और यह उससे जुड़ा हुआ है, डेढ़ किलोमीटर आगे यह गांव है। बिल्कुल कम्प्लीट सारा रिकार्ड झूठा बनवा लेता है और पूरा प्रशासन उसकी मदद करता है। मैं 10 साल तक लड़ा हूं, हजारों किसानों को परेशानियां हुई हैं। और बड़ी मुश्किल से बंदूक की गोलियों के बीच से उन लोगों को जमीन का हक दिलाया है, वैसा ही मामला यह है। यह मामला बहुत गम्भीर है। आज गृह मंत्री एस. सी. के मसीहा के रूप में माने जा रहे हैं, आपको चुनौती के रूप में कहना चाहता हूं कि सारे मामले को आप देखेंगे। ऐसा ही टिटोड़ा में हुआ, 10 साल तक लाखों रुपये खर्च हो गये, लोग

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बरबाद हो गये, एस. सी. के मीणा लोगों को हमने जिस समय मदद दिलाई, मोहनलाल सुखाड़िया थे उस समय, तो उन्होंने पुलिस को, प्रशासन को, सबको भीलवाड़ा में बुलाकर कहा कि मैं कुछ नहीं देखना चाहता, इन गरीबों की मदद करो। उसके बावजूद भी उस लड़ाई में चार साल लगे हैं। ये वैसे ही मामले फर्जी हैं। गृह मंत्री महोदय और राजस्व मंत्री महोदय, आप संम्भागीय आयुक्त को और डी आई. जी. को जितने भी आपके हैं, लगाकर देखेंगे, रिकार्ड देखेंगे तो सारे फर्जी मिलेंगे। कुत्ते के नाम पर जमीन है वहां पर सीलिंग के नाम से निकली हुई। बेनामी जमीनें बहुत हैं। बरसों से कब्जे हैं इन लोगों के।.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, पुलिस उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, और जागीरदार उनके साथ में जुल्म कर रहा है। और जो जमीन उसने उनको बेची है उससे उनको बेदखल कर रहा है और सैटलमेंट के रिकार्ड के अन्दर, रिकार्ड आफ राइट्स में बेचने के बाद अपना नाम लिखवाया है। तो प्रश्न केवल आपका नहीं है, आपको तो प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन इसलिए देना है कि गरीब आदमी उस जमीन में है। अगर सीलिंग की सरप्लस लैण्ड भी है, आप अलाट कर दीजिये। उस दिन मंत्री जी बता रहे थे यहां पर, उस पर लोग पजेशन नहीं लेने दे रहे हैं, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार से, सांडेराव में मैंने अलाट कराई थी, 9000 बीघा जमीन इरिगेटेड, जो जागीरदार ने बेचना बताई थी। रेफरेंस से गवर्नमेंट में रेटोर हुई, फिर गवर्नमेंट ने अलाटमेंट किया। अलाटमेंट करने के बाद वहां पर आर. ए. सी. की पूरी की पूरी कम्पनी रखी गयी, फिर भी 5 महीने बाद उनको पजेशन मिला। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक तरफ तो पुलिस से उसकी मिलीभगत है, दूसरी तरफ सैटलमेंट के रिकार्ड के अन्दर उसने हेराफेरी की है, रिकार्ड्स आफ राइट्स में उनके इन्द्राज नहीं होने दिया है। यह बहुत रेलेवेन्ट मैटर है। रेलेवेन्ट मैटर, सभापति जी, यह है कि क्या सीलिंग के मामले में इस केस के अन्दर फाइनल आर्डर हो गया था? अगर फाइनल आर्डर हो गया था 1963 के एक्ट के नीचे जो एक अप्रेल 1966 से लागू हुआ है, तो नया सीलिंग लॉ जो लागू हुआ है शायद मेरी समझ में 1973 में, तारीख कौनसी है, एक अप्रेल है या एक जनवरी है, जब वह लागू हुआ है तो मेजर सन के नाम से उसने उस केस को रिओपन करवा कर पहले के अधिनियम में जो सरप्लस जमीन थी उसके ऊपर उसने अपना क्लेम पुट-अप किया होगा। कुछ न कुछ मामला है, मुझे इसमें एक प्रकार का रहस्य दिखता है। इसलिए इस मामले को रेवेन्यू साइड से देखें जहां तक उसका रेवेन्यू आस्पेक्ट है सीलिंग का और उसके रिकार्ड्स के अन्दर इन्द्राज नहीं होने का। दूसरा जब आज लगातार वह पजेशन के अन्दर है, और कल्टीवेटरी पजे-

(श्री परसराम मदेरणा)

शन है, अनइंटरप्टेड जिसका अनइंटरप्टेड कल्टीवेटरी पजेशन होता है, तो आप उसको सी. आर. पी. सी 145 में सबसे पहले प्रोटेक्शन देते हैं। अगर उन्होंने कुएं बना लिये हैं, वह खेती कर रहे हैं, तो रेवेन्यू बोर्ड से इन मामलों के अन्दर उनके प्रोइटरी राइट्स को लेकर जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाए तब तक आप उनको संरक्षण दीजिए।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये। सारी बातें आ गयी हैं अब। (व्यवधान) मेघवाल साहब।

श्री रामस्वरूप मीणा : ....मेरा उनसे निवेदन है उनके कब्जे करवाये जाएं और उनकी जमीन उनको सम्भलाई जाए।

श्री सभापति : श्री मेघवाल साहब।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह की जानकारी सदन को दी है और इस जानकारी में जिस तरह की पेचीदगियां हैं उसके बारे में प्रतिपक्ष के नेता ने भी प्रकाश डाला है, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय रेवेन्यू मंत्री जी भी यहां बिराजे हैं और मैं अपने स्तर पर कह सकता हूं कि पुलिस इसमें निष्पक्ष रहे और किसी पक्ष का कोई पक्ष नहीं ले, इस बात की मैं व्यवस्था कर लूंगा। परन्तु एक मुश्किल मेरे सामने भी आती है और प्रतिपक्ष के नेता इस बात से सहमत होंगे कि मिसयूज आफ दी प्रोसेस आफ लॉ भी एक होता है कई बार और जो कानूनी पहुंच वाले, सिफारिशी लोग होते हैं वे मिसयूज आफ दी प्रोसेस आफ लॉ को भी लेते हैं जैसा अभी जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 10-10 साल तक मुकदमे चले, और बरी हो गये। लेकिन मुकदमें की प्राथमिक स्थिति गवाहों के आधार पर बनती है। तो यह भी इसमें एक स्थिति बन सकती है। तो, सभापति महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुलिस इसमें निष्पक्ष रहेगी, पुलिस अपने स्तर पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिनका कब्जा है तथ्यों के आधार पर उनका कब्जा बना रहे, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : आई. जी. स्तर के अधिकारी को इस काम के लिए डेप्यूट कीजिए। बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री कैलाश मेघवाल : इसकी मैं जानकारी ले रहा हूं।

श्री सभापति : एक मिनट, माननीय मंत्री जी, मुझे भी यह सारा प्रसंग ध्यान में है और रेवेन्यू मंत्री जी और आप दोनों बिराजमान हैं, एस. सी., एस. टी. के लोगों को प्रोटेक्शन देने के बारे में कहना चाहता हूं कि उनके अधिकारों का प्रोटेक्शन तो होना ही चाहिए। रेवेन्यू मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?

Page No. 84

(९२)

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, एस. सी. के कब्जे की जमीन चाहे अलाटेड हो, चाहे उनकी खातेदारी की हो, उसमें अगर कोई दूसरा आदमी दखल करता है तो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में पहले से ही प्रावधान है और सुओ मोटो हमारे राजस्व अधिकारी इसमें जुरिस्डिक्शन लेकर बेदखल की कार्यवाही करते हैं। पिछली बार सदन में धारा 183 (बी) के साथ एक क्लॉज जोड़ा था, उसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि अगर एस. सी. के कब्जे की जमीन पर कोई दूसरा दखल करता है तो उसको तीन साल की सजा और 20,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है, उसमें बर्डन आफ प्रूफ रख दिया गया था एक्यूज्ड पर। वह बिल विधान सभा में तो पास कर दिया लेकिन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए उसको भिजवाना पड़ा। केन्द्र सरकार जब उसकी स्वीकृति दे देगी, प्रेसीडेन्ट असेन्ट दे देंगे तब वह हमारा एक्ट बन जाएगा और वह कानून उस दिन से लागू हो जाएगा। इस प्रकरण में मुझे विशेष जानकारी नहीं है लेकिन इसकी जानकारी करके आवश्यकतानुसार निर्देश दे दिये जायेंगे।

श्री सभापति : आप जानकारी करें। धन्यवाद। बिराजिए। मैं प्रसंग समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान) श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री जगदीप धनखड़ : इस मामले को डी. जी. के....

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें एक जानकारी.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) नो, नो। इस समय इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री जगदीप धनखड़ : चर्चा नहीं....

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसमें स्थिति साफ हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी।

श्री अमराराम (धोद) : मेरे सीकर में....(व्यवधान)

श्री सभापति : कोई खराबी नहीं होगी। आप बिराज जाइये। (व्यवधान)

श्री अमराराम : मंत्री जी कह रहे हैं ...

श्री सभापति : श्री कन्हैया लाल मीणा (व्यवधान) यह ऐसा प्रसंग नहीं है।

श्री अमराराम : शिड्यूल्ड ट्राइब की जमीन 17 बीघा पर इस सदन के माननीय सदस्य जगतारसिंह जी ने 30 साल से कब्जा कर रखा है। वह शिड्यूल्ड ट्राइब की जमीन है....

श्री सभापति : अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम : ××× (व्यवधान)

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : कृपया बिराज जाइये। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने सारी बातें कह दी हैं, सरकार ने सारी बातें कह दीं, अगर इसमें आवश्यक हुआ तो सरकार सोचेगी। अगर ये वक्तव्य की मांग करेंगे तो सरकार वक्तव्य के बारे में... (व्यवधान) आप बिराज जाइये। (व्यवधान) आप बैठ जाइये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सभापति महोदय....

श्री हरेन्द्र मिर्धा : मेरी स्लिप दी हुई है, सभापति महोदय....

श्री सभापति : आपकी स्लिप आएगी तो....

श्री हरेन्द्र मिर्धा : दी हुई है, मैं ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा।....

श्री सभापति : इसी पर ? उस पर चर्चा हो गयी।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : इस पर नहीं, यह बलात्कार का मामला है।

श्री सभापति : वह आयी थी, वह आ रहा है। आ रहा है आपका नम्बर। आप बोल लेना। (व्यवधान) अमराराम जी, बिराजिये। दूसरा प्रश्न नहीं उठेगा। आपने लिखकर नहीं दिया है। दूसरा नहीं उठेगा। बिराज जाइये। (व्यवधान) कन्हैयालाल जी मीणा।

श्री जगदीप धनखड़ : आप तो स्वयं जीरो आवर के हीरो हैं।

श्री सभापति : आप कोशिश करें।

श्री जगदीप धनखड़ : कोशिश तो तब कर सकते हैं जब आप यहां बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिनांक 22-3-1994 को एक सी. टी. एस. बस से रामनारायण मीणा नाम का व्यक्ति रामगंज थाने के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो गया। शाम को 6 बजे सोहनलाल यादव नाम के व्यक्ति ने उसको ले जाकर इमरजेंसी में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद में मरीज के सारे हालात पूछने के बाद जब डाक्टर को मरीज ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उन्होंने भली प्रकार जांच करने के बाद कहा कि यह केस इमरजेंसी में नहीं सम्भाला जा सकता, न्यूरोलोजी विभाग को उन्होंने एक पर्ची लिखकर दी। वह व्यक्ति सोहन लाल यादव जो उठाकर उसको ले गया था, वह रात के 10 बजे तक न्यूरोलोजी विभाग के डाक्टर को ढूंढता रहा परन्तु कोई डाक्टर आया नहीं और 10 बजे बाद में, इमरजेंसी में उसका देहान्त हो गया। इस केस के लिए उस व्यक्ति, जो उसे उठाकर ले गया था, द्वारा डाक्टरों से बार-बार मिन्नतें करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 22 तारीख को दुर्घटना हुई, इमरजेंसी में भर्ती हुआ और अभी प्रातः 9 बजे डेड बॉडी रूम में मैं गया तब जाकर थाने वाले आये। रामगंज थाने वाले तो कह रहे हैं यह एक्सीडेंट का मामला है इसलिए वह एफ. आई. आर.

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

लोज करेंगे और एक्सीडेंट वाले कह रहे हैं कि यह रामगंज थाने में एफ. आई. आर. लोज होगी । रामगंज थाने वालों और एक्सीडेंट थाने वालों को भी पता नहीं है। 22 तारीख की शाम 5 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ लेकिन अभी सवेरे 9 बजे एफ. आई. आर. लोज हुई । जब हमने उनसे पूछा तो कहा कि हम तो रामगंज के भरोसे रह गये, वे बोले हम एक्सीडेंट थाने के भरोसे रहे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एस. एम. एस. के इस यूरोलोजी विभाग में वल एक भी डाक्टर उपस्थित नहीं होने, एक भी कम्पाउण्डर नहीं मिलने और 10 बजे इस प्रकार दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्ति की मौत होने की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच कराकर दोषी डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उस व्यक्ति के परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए। इसकी जांच की जाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद, विराजिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा कथित लापरवाही बरतने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करूंगा कि यह पूरे प्रकरण को लिखकर दे दें, निश्चित रूप से जिन चिकित्सकों ने इलाज में कोताही बरती है, लापरवाही बरती है उनके खिलाफ जांच करके समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

एक माननीय सदस्य : कब तक कह दी जायेगी ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक महीने के अन्दर-अन्दर ।

श्री सभापति : श्री रिछपाल मिर्धा ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमन्त्री जी का ध्यान एक बलात्कार केस की तरफ ले जाना चाहता हूं । यह 10 तारीख को हुआ।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, जिस प्रकार आप शून्यकाल में कर रहे हैं यह उचित नहीं है। आप बोलने दें। आप बोलने दें माननीय सदस्य को। हर माननीय सदस्य को बोलने में आप टोक रहे हैं।... (व्यवधान) श्री रामस्वरूपजी की किसी बात को अंकित नहीं किया जाए। श्री रिछपाल मिर्धा ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मेरी बात तो बताने दें क्या हुआ, फिर बोलना आप ।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : क्या इनको बोलना नहीं आता क्या ? माननीय सदस्य आप अपने को ज्यादा होशियार समझ रहे हैं। I will not allow.

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, दिनांक 10-3-94 को ग्राम ढाढरिया खुर्द, पंचायत समिति मूण्डवा, तहसील नागौर में अनुसूचित जाति की महिला गुरजा के साथ दुर्गादान पुत्र मनोहरदान ने रात्रि को 12 बजे उसके घर में घुसकर जबरन बलात्कार किया जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना कुचेरा में 10-3-94 को दर्ज की गयी। धारा 452, 376 आई. पी. सी. में मुकदमा नं. 32/94 में दर्ज हुआ। इसकी जांच सी. ओ. मेड़ता कर रहे थे। सी. ओ., मेड़ता जांच करने पहुंचे नहीं उसके पहले ही राजनीतिक प्रभाव से जांच बदल दी गयी। जांच सी. ओ., मेड़ता करने गये ही नहीं थे और वह फाइल डीडवाना एडीशनल एस. पी. के पास पहुंच गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री जी से यह मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति की महिला की इज्जत से खेला गया, उसके साथ खिलवाड़ हुआ। मुकदमा न 3 /94 में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसे 13 दिन हो गये हैं लेकिन, माननीय गृह मन्त्रीजी, आज तक न तो कोई गिरफ्तारी हुई है, न किसी से पूछताछ की गयी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि मुलजिमों को तुरन्त गिरफ्तार किया जावे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मेरे पास पर्ची है जिसको माननीय अध्यक्ष महोदय ने अलाउ किया है पर इस पर माननीय सदस्य का नाम नहीं है। यह जयसिंहपुरा खोर का मामला है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने नाम लिखा है।

श्री सभापति : नाम नहीं लिखा है। बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मेरे इलाके में, जो जयपुर से लगा हुआ इलाका है, बंध की घाटी से डेढ़ किलोमीटर थाना ब्रह्मपुरी है। इसमें बराबर चोर आ रहे हैं और वे हथियारों से लैस होकर आते हैं, बन्दूक चलाते है और घरों में घुसकर चोरी करते हैं। इनकी शिकायत बराबर की गयी। कल रात को भी सशस्त्र लोग आये। मेरे पास करीब 150 लोग आकर गये थे मैंने कहा कि अभी किसी प्रकार से पुलिस को भिजवाती हूं। थाने का फोन खराब था, कलक्टर को कहकर मैंने पुलिस को भिजवाया लेकिन उससे पहले ही वे वारदात कर चुके थे। जब तक मेरे पास से लोग गये और पुलिस वाले वहां पहुंचे, वे चले गये। मेरा निवेदन है कि इसी रोड पर, बाईपास रोड है डेढ़ किलोमीटर पर, बहुत दिनों से चर्चा थी कि यहां चौकी कायम की जाएगी लेकिन वह नहीं नहीं की गयी। आये दिन वारदातें होती हैं। पिछले दिनों तलवार घुमाकर एक आदमी को लूट लिया गया। इस तरह की वारदातें बराबर चल रही हैं लेकिन थाना

(श्रीमती उजला ग्ररोड़ा)

दूर होने के कारण कुछ कर नहीं पाते। मेरा निवेदन है कि इसमें सक्षमता से कोई कार्य किया जाए। इससे सायपुरा करीब 7-8 किलोमीटर पड़ता है वहां पर दीवार फोड़कर चोरी की गयी ग्रौर सामान निकाला गया। इसी प्रकार लालवास में परसों दो चोरी हुई। मैंने इन सबके बारे में मंत्री महोदय को लिखकर दिया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय काम करें।

श्री सभापति : कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : जमुग्रारामगढ़ में 20 चोरी 6 दिन के ग्रन्दर हो गयी जिसमें रैगर, धोबी, मोची, माहेश्वरी ग्रौर ब्राह्मण जाति के लोगों के घरों में चोरियां हुई हैं। धाड़ामार-मारकर बराबर चोरी हो रही है। इस क्षेत्र में इस तरह की कोई गैंग ग्रायी हुई है। मेरा निवेदन है कि इसमें थाना बस्सी लगता है, थाना जमुग्रारामगढ़ लगता है, थाना ग्रामेर लगता है ग्रौर थाना ब्रह्मपुरी लगता है। मन्त्री महोदय सुन रहे हैं ?

श्री सभापति : हां, सतर्क कर देंगे मन्त्री महोदय।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ग्राप सक्षमता से सारे विभाग को सक्रिय करके इधर गश्ती दल भेजें, सशस्त्र दल को भेजें। ये चोर कहां से ग्राये हैं, कौन हैं, इनको पकड़वाकर लोगों को ग्राश्वस्त करें जिससे लोग ग्रपने ग्रापको सुरक्षित महसूस करें। मंत्री महोदय बतायें कि वे इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री सभापति : श्री नाथूराम ग्रहारी।

श्री नाथूराम ग्रहारी (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, मेरे डूंगरपुर में पंचायत समिति द्वारा माण्डवा पंचायत में एक बालिका प्राथमिक विद्यालय का भवन बनना था।। उसका स्थानीय बी. जे पी. के जो नेता हैं, डूंगरपुर शहर में सुथारवाड़ा में चोरी-छिपे निर्माण करा रहे थे। वो घटिया माल था ग्रौर घटिया किस्म का काम हो रहा था, चोरी-छिपे हो रहा था इसलिए जल्दी-जल्दी भी कर रहे थे ग्रौर इसी बीच दिनांक 20 को उसका पिलर गिर गया ग्रौर उसमें दबकर लक्ष्मण नामक एक युवक मर गया ग्रौर तीन ग्रन्य घायल हो गये। एक जो ज्यादा सीरियस था उसको ग्रहमदाबाद ले गये हैं। मैं पंचायत राज मंत्रीजी से ग्रौर सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इस तरह की हरकत हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में जो निबन्ध–कोष योजना की राशि थी उसको चूंकि वहां खर्च करनी थी, माण्डवा में वैसे भी स्कूल का भवन कम है लेकिन न जाने क्या कारण हुग्रा, मैं समझता हूं कि स्थानीय बी. जे. पी. के नेताग्रों का प्रभाव ज्यादा है, ये लोग ऐसा करते रहते हैं, जब इस ग्राम पंचायत का भवन था तो इसे शहर में, सुथारवाड़ा में, जो 5–6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पड़ता है, क्यों ले गये ? इससे यह हादसा हुग्रा ग्रौर यह युवक मर गया। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाए ग्रौर मृतक के परिवार को ज्यादा

(श्री नाथूराम अहारी)

से ज्यादा सहयोग दिया जाए और घटना-स्थल पर जो गम्भीर रूप से घायल हुए हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग दिया जाए। साथ ही, इसमें जो भी अधिकारी या नेता इन्वाल्व हैं उसके लिए उच्च स्तरीय जांच कराकर इनको सजा दी जाए और सरकारी अफसर या कर्मचारी हैं उनको नौकरी से बरखास्त किया जाए।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिनारायण बैरवा।

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सवाई माधोपुर, बांध परियोजना में बसे गांवों की ओर दिलाना चाहता हूं। 16 जनवरी को मैं खण्डार गया था। वहां पर किसानों ने यह कहा कि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वह हमको नाजायज परेशान करते हैं। लकड़ियां तो ये कटवाते हैं, सारा जंगल साफ हो गया, आप चलकर देखें। मैं मौके पर गया और मैंने जाकर देखा कि जंगल को तहस-नहस कर रखा था। किसानों से पूछा तो कहा कि लकड़ियां यहां से कट कर मध्य प्रदेश की ओर ले जाई जाती हैं और वनविभाग के कर्मचारी इनको कटवाते हैं। वन विभाग के कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भैंसों वाले और बकरियों वाले ये काटते हैं। इसी सम्बन्ध में मैंने एक प्रार्थना पत्र माननीय मुख्य मन्त्रीजी को दिया था। उसी के सन्दर्भ में उन्होंने जवाब मांगा और इससे बचने के लिए उन्होंने क्या उपाय ढूंढा? यह हुआ कि 31 जनवरी को जो भैंस चराने वाले थे वहां के, उनकी भैंसों को उन्होंने पकड़ लिया। 4600 रुपये में एक सौदा तय किया कि इनको छोड़ दिया जाएगा, जिसमें से ढाई हजार रुपये तो नकद ले लिये और 2100 रुपये बंशी गूजर, खंडार की जमानत पर वह भैंसें छोड़ दीं। जब वह ग्वाले उन भैंसों को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में वन विभाग के कर्मचारियों ने फिर रोक लिया और उनके ऊपर गोलियां चला दी। गोलियां चलाने में राधे, सीताराम, रामफूल और मनफूल, यह चार व्यक्ति घायल हो गये। इनमें भी मनफूल और रामफूल ज्यादा घायल हो गये थे। मनफूल को तो गांव वाले दिन में ही खाट में डालकर ले गये। रामफूल रात को दो बजे एक नाले में बेहोश मिला उसको भी उठाकर ले गये। अब इन गांव वालों को यहां से उठाया जा रहा है। इसमें कठूली....

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री हरिनारायण बैरवा : पादड़ा, मोरडूंगरी और इंडाला डांग है। इन लोगों को उठाने के पहले इनको जहां भी बसाया जाए, वहां इनको मकान और कालोनी बना कर दी जाए, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, स्कूल और चिकित्सालय खोले जाएं, बिजली की व्यवस्था की जाए और इनके यहां जो मंदिर हैं उन मंदिरों को वहां पर बना कर दिया जाए और सड़क की व्यवस्था की

(श्री हरिनारायण बैरवा)

जाए। जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए उसके बाद में इन गांवों को उठाकर वहां बसाया जाए।

धन्यवाद।

श्री सभापति : बिराजिये। आज बहुत काम है, शिक्षा पर बहस है, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता....

श्री जगदीप धनखड़ : पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति : क्या कहना चाहते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, स्मगलिंग के ऊपर काबू पाने के लिए कल ही गृह मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है....

श्री सभापति : इस समय देखिये....

श्री जगदीप धनखड़ : आज ही खबर मिली है, सभापति महोदय....

श्री सभापति : रोज खबर छपती है अखबार में तो।

श्री जगदीप धनखड़ : जो इस सदन के लिए चिंता का विषय है। खबर यह है कि पुलिस ने एक जीप की तलाशी ली....

श्री सभापति : यह कोई खबर नहीं है, इस प्रकार से क्या फायदा। बिराजिये, माननीय सदस्य। अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री सभापति : अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं, अंकित नहीं होगा। यह कोई पाइंट आफ इन्फार्मेशन नहीं है। नो।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री सभापति : आप नियमों के अन्तर्गत उठाइये इस मामले को। माननीय सदस्य, ऐसे नहीं उठेगा यह मामला। नहीं, अब आप बिराजिये। अंकित नहीं होगा, मैंने कह दिया।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर के ऊपर पाइंट आफ आर्डर क्या होता है।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : आप बिराजिये। मामला गम्भीर है तो नियमों में उठाइये, माननीय सदस्य।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री सभापति : गम्भीर मामले को मैं सदन में ऐसे ही आकर ऐसे ही नहीं जाने दूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री सभापति : नो, नो। अंकित नहीं होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है....

श्री सभापति : आप विराजिए, एक मिनट। मैं नहीं सुन रहा हूं। हां, बोलिये।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : सभापतिजी, आप हर बात को नहीं सुनने की बात करते हैं।

श्री सभापति : आप विराजिये। पहले मेरी बात पूरी कर लूं। आप विराजिये पहले। विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री सभापति : अंकित नहीं होगा, बिलकुल नहीं होगा, मैं नहीं सुन रहा हूं, विराजिये आप। विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री सभापति : आप करिये। करिये, करिये।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री सभापति : मैं, सदन को कोई एक माननीय सदस्य अपनी मर्जी से चलाये, अलाउ नहीं करूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री सभापति : जीरो आवर की परम्परा है, मैं जानता हूं, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : ....आपने उनको दे रखा है सारा जीरो आवर।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री सभापति : आप बोलते रहिये। डा. हरिसिंहजी को अलाउ कर रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : सुन तो लें, श्रीमन्।

डा. हरिसिंह : सभापतिजी, आपने कहा कि मैं बिलकुल ही अलाउ नहीं करूंगा।

श्री सभापति : नहीं, मैंने यह नहीं कहा है। एक मिनट, आप सुन लीजिये मेरी। डा. साहब, आप मेरी बात सुन लें। इन्होंने पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन उठाने के लिए कहा। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन अपने

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सभापति)

सदन में इस प्रकार के आते हैं कोई सार्वजनिक हित के मुद्दे, कोई आकस्मिक घटना इस प्रकार की घटित हो गई हो। अब आपने जिस प्रकार का मुद्दा उठाया है, वह नियमों के अन्तर्गत आना चाहिए सदन में। गम्भीर मामला है, उस पर चर्चा हो। शून्यकाल में किसी पर हम कुछ कहकर चले जाएं, वह किसी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप अध्यक्ष महोदय से मिल लें और नियमों में इस मामले को उठा लें, जिस प्रकार की कार्यवाही होगी उस प्रकार की जाएगी।

डा. हरिसिंह : सभापतिजी, मेरे कहने का एक ही मतलब है कि ऐसी गम्भीर बातें जब पब्लिक पढ़ती है उसका स्पष्टीकरण अगर पब्लिक तक नहीं जाता है....

श्री सभापति : हां, वह नियमों में आ जाएगी तो हो जाएगा।

डा. हरिसिंह : तो बड़ा एक गलत असर पड़ता है।

श्री सभापति : वह at this particular moment, तुरन्त तो कोई स्पष्टीकरण दे नहीं सकते ऐसे मामलों का। अगर लिखित में आएगा नियमों में, आप बिराजिये माननीय सदस्य, नहीं, धनखड़ साहब, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर आ रहा है। पाइंट आफ आर्डर, श्री महावीर प्रसादजी, सचेतक। महावीर प्रसादजी, बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, अपना यह हाउस परम्पराओं और नियमों के अन्तर्गत चलता है।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : शून्यकाल में पाइंट आफ आर्डर नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप मीणा : इन परम्पराओं और नियमों को आप तोड़ रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : और अपने यहां प्रक्रिया और नियमों में व्यवस्था भी है, अध्यक्षीय व्यवस्थाओं में भी है, एक तो वह जगह पर जाकर बोलें ...

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। आसन पैरों पर है। माननीय विपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के किसी नियम के अन्तर्गत किशन-

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इस मामले को नहीं उठा रहे हैं इसलिए आप अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैं उनको यह परामर्श दे रहा हूं कि नियमों के अन्तर्गत इस मामले को अध्यक्ष महोदय से बात करके उठा लें। लेकिन मामला बहुत सीरियस है, सभापति महोदय, ऐसे स्मगलिंग के मामले में जो राष्ट्र की इंटीग्रिटी से प्रश्न रखता है और जैसा कि आप जानते हैं यह अपना बोर्डर एरिया कितना सेंसेटिव है, गवर्नमेंट को आप निर्देश क्यों नहीं देते कि वह कल स्टेटमेंट दे।

श्री सभापति : आप अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बात कर लें, सरकार भी उनसे बात करे।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट तो इन्फार्मेशन सीक कर सकती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं मेरी बात पूरी कर लूं।

श्री परसराम मदेरणा : why shouldn't the Government be asked to make a statement on such an important matter which has got international bearings and implications.

श्री सभापति : सरकार सुन रही है।

डा. हरिसिंह : सरकार सुन भी रही है पर +++ भी है।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही उसके हिसाब से आप चैम्बर में बात कर लें और मामला ऐसा है तो सरकार जरूर वक्तव्य दे इसमें।

श्री रामनारायण : नहीं-नहीं, कब स्टेटमेंट देगी सरकार ? सरकार कब स्टेटमेंट देगी ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराज जाएं। अब मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं....

श्री रामनारायण : स्टेटमेंट कब दे रही है सरकार, यह आप बता दें।

श्री सभापति : आप बिराजिये। आप अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में वार्ता कर लें। माननीय सदस्य, बिराजें। रामनारायणजी, बिराजें। मैं आप लोगों से यह निवेदन कर रहा हूं कि आज शिक्षा पर बहुत लम्बी बहस चलनी है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यदि इजाजत हो तो 295 के प्रस्ताव सब पढ़े हुए मानकर आगे कार्यवाही प्रारम्भ करें।

श्री परसराम मदेरणा : हां।

श्री सभापति : नियम 295 के सब प्रस्ताव पढ़े हुए मान लिये गये।

(295 के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री गोविंदसिंहजी गुर्जर (अनुपस्थित)।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No. 94

(102)

याचिकाओं का उपस्थापन । श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा याचिका उपस्थापित करेंगे । (अनुपस्थित)

माननीय श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

अनुदान की मांग

मांग संख्या–24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षामंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,08,19,70,000 (तेरह अरब आठ करोड़ उन्नीस लाख सत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ।

श्री सभापति : श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत । श्री रामनारायणजी कुछ कह रहे हैं ।

मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

1. प्रदेश में गिरते शिक्षा स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

2. शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

3. राजस्थान में शिक्षा, कला एवं संस्कृति के गिरते स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी एव शिक्षकों की स्थायी स्थानान्तरण नीति के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

5. राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन पूर्ण रूपेण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

6. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

7. राज्य में सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों से इच्छानुसार फीस वसूल किए जाने पर भी उन्हें दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

8. राज्य की वास्तुकला, पुरातात्विक एवं कलात्मक भवनों तथा मूर्तियों के संधारण एवं सुरक्षा की कारगर व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

9. शेरगढ़, बालेसर, सेतरावा, बेलना

Page No. 95

(103)

(श्री खेत सिंह राठौड़)

हायर सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. शेरगढ़ तहसील के उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों व अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. अध्यापकों की कमी व प्राइवेट स्कूलों में ट्रेन्ड अध्यापकों के न रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

12. नियम विरुद्ध नियुक्ति पाने वाले अध्यापकों की निदेशक महोदय (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा) बीकानेर द्वारा सेवाएं समाप्त कर एफ. आई. आर. दर्ज करवाने के आदेशों की जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) बीकानेर द्वारा अवहेलना किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र लूणकरसर में बीस बी. डी. डेली तलाई, अमरपुरा, राजरा, कल्याणसर, सूरतसिंहपुरा की प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में सीमांत क्षेत्र खाजूवाला की माध्यमिक शाला को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. पंचायत समिति मुख्यालय लूणकरणसर को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में व्यवसायिक शिक्षा एवं जीव विज्ञान विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु कन्या उच्च प्राथमिक शाला उदासर को कन्या माध्यमिक शाला में एवं कन्या माध्यमिक शाला, लूणकरणसर, नापासर को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम):

17. शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

18. शिक्षा विभाग में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) :

19. वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण में बरती जा रही कोताई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा भीम) :

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) :

20. राजस्थान में शिक्षा के गिरते हुए स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

21. शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

22. ग्राम-कलोठ कलां (सूरजगढ़) में पिछले चार साल से प्रधानाध्यापक का रिक्त पद नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. ग्राम-सावलोड (सूरजगढ़) में हायर सैकण्डरी स्कूल में प्रधानाध्यापिका का पिछले चार साल से रिक्त पद नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. शिक्षा विभाग में पिछले कई वर्षों से एक ही स्थान पर बैठे अध्यापकों के स्थानान्तरण नहीं होने से शिक्षा में गिरावट पर चर्चा के लिये।

25. झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में हायर सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. शिक्षा विभाग में स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) :

27. माण्डल विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों में अध्यापकों के पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर):

28. गरीब, विधवा एवं अपंग महिलाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

29. सनातन धर्म महाविद्यालय ब्यावर में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत की सीमा पर चर्चा के लिये।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :

30. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु 5वीं कक्षा में बोर्ड की तरह परीक्षा आयोजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द (दानपुर)

31. दानपुर क्षेत्र में दूर दराज के गांवों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने में राज्य सरकार की असफला पर चर्चा के लिये।

32. दानपुर क्षेत्र में दानपुर बालक छात्रावास भवन निर्माण पूर्ण कराने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

33. दानपुर क्षेत्र में दानपुर, अम्बापुर, नया गांव, कर्जी, पीपलखूंट में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. दानपुर विधान सभा क्षेत्र में पोढी तेजपुर, कटुम्बी बोरतलाब, खेडावडलीपाड़ा, बोरिया, गामडी में माध्यमिक

(श्री दली चन्द)

विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. दानपुर विधान सभा क्षेत्र में बारी, नादिया, कोटड़ा, जहाजपुरा, मकनपुरा डुगरा, महेशपुरा, केसरपुरा, गणाऊ, काकणसेजा आदि में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :

36. ग्रामीण शिक्षा प्रसार साक्षरता बढ़ाने के लिए योजना के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

37. कस्बा गोविन्दगढ़ (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

38. तहसील लालसोट के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. पंचायत समिति लालसोट में उच्च प्राथमिक विद्यालय निजामपुरा, श्रीरामपुरा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. पंचायत समिति, लालसोट के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

41. लालसोट तहसील के ग्राम भण्डोचरी के माध्यमिक विद्यालय (छात्र) को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

42. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के विद्यालयों इटावा, मियाना, सम्मानपुरा आदि में रिक्त पदों के भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. क्षेत्र पीपल्दा की सभी पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशन वर्मा (लाडपुरा) :

44. रामगंज मण्डी क्षेत्र में सभी विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. रामगंज मण्डी क्षेत्र में सभी पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलनें की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह (महुआ) :

46. प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

Page No. 98

(१८)

(श्री हरीसिंह)

47. शिक्षा की दोहरी व्यवस्था समाप्त कर पब्लिक स्कूलों को बन्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. क्षेत्र महुआ के माध्यमिक कन्या विद्यालय मंडावर को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) :

49. राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, जालोर में संगीत ऐच्छिक विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी को दिये जाने वाले कम अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

51. प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) :

52. तिजारा क्षेत्र के स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्री माधोपुर) :

53. प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता के नाम पर हो रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. प्रदेश भर में स्कूलों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. राजस्थानी भाषा को प्रदेश की स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करवाये जाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

56. प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाना फीस वसूल किये जाने के उपरान्त भी उन्हें दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

57. इण्डिया इन्टरनेशनल स्कूल मानसरोवर द्वारा अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार किये जाने पर भी उसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर) :

58. अकलेरा विधान सभा क्षेत्र खानपुर में कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. प्रदेश में अध्यापकों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

60. प्रदेश में स्कूलों में सत्र के शुरूआत में शहरी व आस पास के क्षेत्रों में शिक्षकों की संख्या अधिक रखने के लिए छात्र/छात्राओं के फर्जी नामांकन करने एवं बाद में कम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

62. प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय व सभी स्तर के विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

63 पीसांगन (पुष्कर) में कन्या महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

64. प्रत्येक राजस्व ग्राम में साक्षरता प्रसार हेतु तथा 200 की जनसंख्या की ढाणी में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) :

65. राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही जिलों में स्थित स्कूलों में स्थानीय अध्यापकों को चयनित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर) :

66. राज्य में गैर सरकारी शिक्षा अधिनियम 1993 से मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं व विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

67. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ की शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) :

68. डग क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं को क्रमोन्नत करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) :

69. निवाई नगर में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

70. राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में कमरों की हालत जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

71. धौलपुर महाविद्यालय में एम. एस. सी. की कक्षाएं नहीं होने के कारण हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. धौलपुर महाविद्यालय में एम. ए. के छात्रों के लिए गणित, हिन्दी, समाज शास्त्र विषयों की सुविधाऐं नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. धौलपुर महाविद्यालय में अध्ययन कक्ष, छात्रावास का प्रबन्ध एवं पेयजल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

74. धौलपुर जिला मुख्यालय पर बालिका महाविद्यालय नहीं होने के कारण बालिकाओं को पढ़ाई में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) :

75. जालौर जिले की आहोर पंचायत समिति में लोक जुम्बिश शिक्षण योजना की धीमी प्रगति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. जालौर जिले की आहोर तहसील क्षेत्र में स्थित प्राथमिक शालाओं, उच्च प्राथमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं एवं उच्च माध्यमिक शालाओं में रिक्त पड़े अध्यापकों के पद शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. जालौर जिले की आहोर तहसील में स्थित उच्च प्राथमिक शाला पादरली, नोलरा, घाणा, देबावास, रामा बाला को सैकण्डरी स्कूलों के रूप में क्रमोन्नत करने एवं माध्यमिक शाला भाद्राजून भवरानी, चांदराई एवं भारेड़ा को उच्च माध्यमिक शाला के रूप में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) :

78. सांस्कृतिक महत्व के गलियाकोट के पुरातत्व किले आलेख एवं मन्दिरों का संरक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. नादिया माध्यमिक शाला में अध्यापकों के नवीन पद सृजन कर खाली पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. सागवाड़ा क्षेत्र की दरियाटी, नरदूनिया व घोराद को माध्यमिक शाला में एवं माबीता प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. ग्राम बगरू कला तहसील सांगानेर में राजकीय कन्या पाठशाला को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

82. गंगापुर जिला सवाई माधोपुर स्थित राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल वजीरपुर में कृषि विज्ञान विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. गंगापुर जिला सवाई माधोपुर में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम रायपुर, कुंसाया, कुंनकटा, पच्छीपुरा, ऊमटी, नो गांवा, मोहचा, मोहचा का पुरा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी को स्थाई मान्यता व अनुदान

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85 राजकीय माध्यमिक विद्यालय पिलोदा एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय तलाबड़ा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतीकुमार धारीवाल (हिण्डोली):

86. राज्य के निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता न देने तथा सरकार की नीति के कारण निजी शिक्षण संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. राज्य के शिक्षण विभाग के अध्यापकों द्वारा ड्यूटी से अनुपस्थित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन):

88. केशवरायपाटन के लाखेरी स्थित आई टी. आई केन्द्र को एन. सी. वी. टी. की मान्यता दिलाकर छात्रों को हो रही भारी असुविधा से राहत दिलाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

89 केशवरायपाटन क्षेत्र के लाखेरी कापरेन एवं केशवरायपाटन नगरों में कार्यरत सभी विद्यालयों के अपर्याप्त भवनों को बनाने एवं मरम्मत करवाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. लाखेरी नगर में सभी मापदण्डों की शर्त होने के साथ-साथ 32 कमरों का भवन मय फर्नीचर, बिजली एवं जल व्यवस्था के स्थानीय ए. सी. सी. कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराने पर भी महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा न करने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

91. केशवरायपाटन (बून्दी) क्षेत्र के झालीजी का बराना, कापरेन छात्रा, अरनेठा आदि माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक एवं गेन्डोली दईखड़ा, लेसरदा, भीया, अडीला, रोटेदा आदि उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने तथा झालीजी का बराना में कृषि विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92 बून्दी की विश्व विख्यात चित्र शैली एवं संस्कृति को बचायें रखे जाने एवं प्रचार प्रसार को प्राथमिकता दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा):

93. पिड़ावा (झालावाड़) क्षेत्र के गांव सिरपोई के प्राथमिक कन्या शाला को उच्च प्राथमिक कन्या शाला में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. पिड़ावा (झालावाड़) क्षेत्र के गांव सिरपोई में सैकण्डरी स्कूल भवन में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

95. पिड़ावा (झालावाड़) क्षेत्र के गांव रामपुर के माध्यमिक विद्यालय को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. पिड़ावा (झालावाड़) क्षेत्र के गांव सुनेल के माध्यमिक कन्या शाला को सीनियर हायर सैकण्डरी कन्या शाला में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. पिड़ावा (झालावाड़) क्षेत्र के गांव डोला के उच्च प्राथमिक शाला के क्षतिग्रस्त भवन का पुनः निर्माण कराने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण (नैनवां) :

98. ओपन विश्वविद्यालय कोटा द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के छात्रों की छात्रवृति स्वीकृत नहीं करने पर भी उसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

99. स्टेशनरी सप्लाई नहीं होने पर भी खुला विश्वविद्यालय कोटा को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

100. नैनवां में राजकीय कालेज खोलने में की जा रही देरी से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

101. हिन्दी साहित्य एकेडेमी के मनोनीत अध्यक्ष के कार्य में अड़चन डालकर विघ्न पैदा करने वाले एकेडेमी सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

102. संस्कृत विद्यालय, मोतीपुरा (तहसील बून्दी) के विद्यार्थियों के बैठने के लिये उचित व्यवस्था एवं सामान उपलब्ध कराने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

103. उदयपुर जिले की मावली तहसील के ग्राम इन्टाली के श्री निरंजननाथ आचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भौतिक शास्त्र/रसायन एवं जीव विज्ञान के व्याख्याताओं के पद पिछले तीन वर्षों से नहीं भरे जाने के फलस्वरूप विद्यार्थियों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) :

104. सांचौर तहसील में प्राथमिक विद्यालय वाया कुआ, टापी, विरोल, सूथड़ी, दातिया, पलादर, को उच्च प्राथमिक विद्यालय में व जेलातरा, पांचला, देवड़ा, सरबाना, आडरवा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. राजस्थान के पश्चिम में पिछड़ा हुआ सांचौर तहसील में महाविद्यालय खोलने सन् 1990 में बन्द की हुई स्कूलें खोलने व ढाणियों में ज्यादा

(श्री हीरा लाल विश्नोई)

से ज्यादा स्कूलें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) :

106. बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों, व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. कुशलगढ़ क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ टिमेड़ा बड़ा, सागवा, खुन्दनी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. कुशलगढ़ क्षेत्र में गांव बिलड़ी, पाली, नागदा, सरसीया, पाड़ा, गोदाबाड़ा, हिम्मतनगर के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

109. लोसल कस्बे में महाविद्यालय खोलने एवं पूरा बड़ी पंचायत समिति धोद सीकर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोई पोस्ट स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. मूण्डवाड़ा ग्राम में कृषि उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

111. जोधपुर शहर में स्कूल भवनों की हालत अच्छी नहीं होने पर भी उनको ठीक कराने की पहल करने में विभागीय उदासीनता से उत्पन्न असुरक्षा पर चर्चा के लिये।

112. राज्य स्कूलों में हिन्दी भाषा व संस्कृत भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाये जाने हेतु विभागीय प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. जोधपुर शहर की स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

115. राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा 30-5-93 की विज्ञप्ति के आवेदन कर्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 के अनुसार याचिकाकर्ताओं को तीन माह बाद भी नियुक्ति नहीं देने के कारण उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

116. पंचायत समिति बालोतरा व बायतु में पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक शालाएं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (हिण्डोली):

117. कोटा शहर में छात्राओं की उच्च शिक्षा के प्रबन्ध व बून्दी शहर में

(श्री शांतीकुमार धारीवाल)

छात्राओं की शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) :

118. सागवाड़ा कस्बे में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं को मध्यनजर रखते हुए महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (मकराना) :

119. राजस्थान की कला एवं संस्कृति के रख रखाव के समुचित उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर) :

120. राजस्थान साहित्य अकादमी के कार्यकलापों को रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) :

121. राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में कार्य ठप्प होने व अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

122. राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष द्वारा सरकार के साथ अनावश्यक रूप से विवाद पैदा करने के कारण बजट राशि बच रही है और साहित्यकारों को नुकसान होने से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

123. भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर की गिरती हुई आर्थिक समस्या को हल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. धान मण्डला बालिका माध्यमिक विद्यालय उदयपुर के गिरते हुए भवन की मरम्मत कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. उदयपुर नगर में पानेरियों की मादड़ी के माध्यमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के वेतन को रुपये 1600 से रुपये 2000/–कर देने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास (चौहटन) :

127. चौहटन क्षेत्र की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. चौहटन क्षेत्र में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या माध्यमिक शालाएं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. चौहटन क्षेत्र में शिक्षा की ओर रुझान पैदा करने हेतु प्राथमिक पाठशालाओं को अन्य क्षेत्रों के अनुपात में अधिक क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भगवान दास)

130. चौहटन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इस वर्ष अधिक से अधिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

131. झुंझुनूं जिले की उच्च प्राथमिक शालायें गुढ़ाबावनी/भाटीवाड़ा/मझाऊ कैरोठ/हुकमपुरा/हासिलपुर बजावा/सीथल/पोसाना को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

132. पंचायत समिति मुख्यालय उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के बारे में चर्चा के लिये।

133. झुंझुनूं जिले के अजाडी कलां गांव में कन्या उच्च प्राथमिक शाला खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. उदयपुरवाटी पंचायत समिति (झुंझुनूं जिले) की राजकीय प्राथमिक शालायें नाटास-महला की ढाणी (टीटनवाड़) गढवालों की ढाणी (भोडवी) ओलखो की ढाणी (इन्द्रपुरा) गिरावडी, खातियों की ढाणी (पंचलंगी) हरीपुरा को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :

135. आसीन्द तहसील में नई प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

136. आसीन्द शहर में महिलाओं के लिए एक नया सैकण्डरी स्कूल खोलने बाबत चर्चा के लिये।

137. आसीन्द तहसील में बदनोर एवं आसीन्द में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में एन. सी. सी. प्रशिक्षण चालू करने हेतु विभागीय प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. आसीन्द तहसील में ब्राह्मणों का सरेरी गांव में अन्यथा शम्भूगढ़ गांव में सैकण्डरी स्कूल को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

139. हाई स्कूल दयालपुरा जिला नागौर के छात्र कोष का स्कूल के लिये उपयोग करने की स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. जिला शिक्षा अधिकारी नागौर द्वारा ग्राम वल्दू तहसील लाडनूं में एक फर्जी निजी शिक्षण संस्था को गलत रूप से मान्यता दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

141. मिडिल स्कूल कन्या मीठड़ी तहसील लाडनूं के प्रधानाध्यापिका के लम्बे समय से पड़े रिक्त पद को नहीं भरे

(श्री हरजीराम बुरड़क)

जाने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

142. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) नागौर के पास जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) का कार्यभार रहा उस समय सामान की खरीद में की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार) :

143. राजस्थान की कला व संस्कृति को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

144. तकनीकी शिक्षा के पोलीटेक्नीकों के प्राध्यापक एवं अन्य अध्यापकों को अन्य समकक्षों के बराबर नियमानुसार वेतन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. कुम्हेर कस्बे में छात्रा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलकर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. कुम्हेर क्षेत्र में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अभाव को दूर करने हेतु और उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा स्तर को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) :

148. राजसमन्द तहसील के ग्राम केलवा में छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक-पृथक माध्यमिक शालाओं में बहुत अधिक संख्या में छात्र-छात्राओं की संख्या होने के बावजूद भी छात्र शाला को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

149. चराणा पंचायत मुख्यालय पर संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. घोसुन्डा (चित्तौड़गढ़) में जिले के सबसे पुराने ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

151. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर महाविद्यालय शिक्षा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. कुआरिया (राजसमन्द) के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला संकाय की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :

153. जन जाति परिवार की बालिकाओं की शिक्षा को उन्नयन के लिए उनके

Page No. 107

(115)

(श्री महावीर भगोरा)

अभिभावकों को अधिक, आर्थिक सहयोग दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विद्यालय क्रमोन्नति में जिन क्षेत्रों के निवासी दो वर्षों तक अध्यापकों का व्यय वहन करने को तैयार हों उन विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

155. सिरोही जिले में महिला एस. टी. सी. खोलने तथा आबू पर्वत स्थित डाइट (एस. टी. सी.) में आदिवासियों के प्रवेश हेतु सूची में सिरोही जिले के आशार्थियों विशेष तौर से शिवगंज क्षेत्र के लोगों को भी प्रवेश मिल सके इसलिये जिले के लोगों को प्राथमिकता देने की दृष्टि से बोनस अंक अथवा नियमों में कुछ छूट दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. सिरोही क्षेत्र के गांव मणादर तथा मणोरा एवं पाडीव में सैकण्डरी एवं ग्राम पंचायत पालडी में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. बालिका शिक्षा के व्यापक प्रसार हेतु सिरोही जिले में शिक्षा कर्मी योजना में पिण्डवाड़ा, सिरोही, शिवगंज तथा रेवदर को जोड़कर पूरे जिले में शिक्षाकर्मी योजना लागू करने तथा महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिये महिला शिक्षाकर्मी ट्रेनिंग सेन्टर (एम. एस. के. टी. सी.) खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. सिरोही तहसील के ग्राम बान्ता, मोकरोडा, पालड़ी, देलदर तथा शिवगंज तहसील के ग्राम भाडोली, वाण, चूली, आल्पा रोबाडा आदि गांवों एवं ग्राम पंचायतों में मिडिल स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) :

159. भांगरोली, गोवर्धनपुरा में उच्च प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करने एवं प्रतापगढ़ उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

160. बांदीकुई पंचायत समिति के प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी को दूर करने तथा स्कूल भवनों के रख रखाव की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. बांदीकुई में स्नातक महाविद्यालय (राजकीय) में विज्ञान संकाय न खोलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

162. बांदीकुई क्षेत्र में मिडिल, सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

163. रविन्द्र मंच, जयपुर कथक केन्द्र, राजस्थान ललित कला अकादमी

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर भी उन्हें दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) :

164. निम्बाहेड़ा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा लिये।

165. निम्बाहेड़ा छात्रा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में व्याख्याता के खाली पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. छोटी सादड़ी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में साइन्स, कला एवं वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. क्षेत्र निम्बाहेड़ा में सैकण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) :

168. शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विभिन्न स्तर के विद्यालयों क्रमोन्नत को करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

169. दान दाता द्वारा कालेज भवन उपलब्ध कराने तथा तीन वर्ष का खर्चा देने पर भी पीसांगन (जिला अजमेर) में गर्ल्स कालेज खोलने की स्वीकृति न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

170. अजमेर जिले में इन्जीनियरिंग कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह महुवा :

171. क्षेत्र महुवा में बन्द किये गये शिक्षा के केन्द्रों के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाने में विभाग की पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

172. व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के युवकों के लिए विशेष तौर पर अलग से प्रशिक्षण आयोजित करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) :

173. हिण्डौली पंचायत समिति के अध्यापकों द्वारा शिक्षा में कम रुचि एवं राजनीति में ज्यादा रुचि दिखाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

174. पंचायत समिति धोद में अध्यापकों एवं एस. डी. आई. की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रगति प्रतिवेदन के वितरण में विलम्ब

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, इतना इम्पोर्टेन्ट डाकूमेंट

(श्री रामनारायण चौधरी)

है और शिक्षा विभाग की मांग पर डिस्कशन में यह आना है, यह अभी-अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यह वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग, 1993–94 अभी-अभी मिला है, इसको कैसे देखें, कब देखेंगे और अभी डिबेट में....

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय, यह सरकार ध्यान दे। आप क्या कह रहे हैं, मंत्री जी ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इनके छपकर आने में विलम्ब हुआ, छपकर रात को ही आये हैं, हड़ताल के कारण सारी व्यवस्था गड़बड़ हुई।

श्री सभापति : हड़ताल के कारण से यह कह रहे हैं कि कुछ दिक्कत हुई।

श्री रामनारायण चौधरी : खेल-कूद का भी आया है।

डा. हरिसिंह : सभापत्ति जी, माननीय मंत्री जी Can not take this House for a ride.

श्री रामनारायण चौधरी : युवा एवं खेल विभाग, राजस्थान, जयपुर का, क्रीड़ा परिषद का प्रतिवेदन भी अभी आया है।

डा हरिसिंह : कभी तो+++हो जाते हैं, कभी कुछ बहाना ले लेते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अब हम क्या बोल सकेंगे, कैसे डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे फिगर्स और फैक्ट्स पर।

श्री सभापति : समय से पहले ही माननीय सदस्यों के पास जाना चाहिए, माननीय मंत्री महोदय, बिराजें।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत।

(13.00)

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री सभापति : मुझे सभापति ही रहने दें।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कि आप शिक्षा मंत्री बनें।

सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से राजस्थान के शिक्षा जगत की जो हालत है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं।

सभापति महोदय, आज राजस्थान के विश्वविद्यालयों का वातावरण जो कुलपतियों को लेकर बना हुआ है, बड़ा अशोभनीय है। कौन कुलपति कल रहेगा, किसका त्याग-पत्र मंजूर हो गया, किसका नहीं हुआ, कौन त्याग-पत्र दे रहा है, इस प्रकार की अखबारों में जो सूचना रोज छप रही है, शिक्षा जगत में से जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, निश्चित रूप से उससे बहुत बड़ा नुकसान शिक्षा जगत को

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

होने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज सदन में वह इस बात का कृपया स्पष्टीकरण दें कि कौन-कौन से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आप घर भेज रहे हैं, कौन-कौन से शिक्षा-जगत में परिवर्तन कर रहे हैं या यह परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। जिससे कि एक प्रकार का जो दूषित वातावरण चल रहा है वह स्पष्ट हो सके। आज विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है, न राजस्थान की जनता से छुपी हुई है, न सदन से छुपी हुई है, न राजस्थान की सरकार से छुपी हुई है आज एकेडेमिक कलेण्डर का कहीं पता नहीं है। कब परीक्षाएं होंगी, कब प्रवेश होंगे, कब परीक्षा में लोग पास होंगे, कब रिजल्ट आएंगे, इस प्रकार का कोई मूल्यांकन राजस्थान सरकार करने नहीं जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिक्षा का एक कलेण्डर तय करें। आने वाले समय में, राजस्थान की जनता को आप इस बात का आभास करायें शिक्षा के स्तर में आप आमूलचूल परिवर्तन की बात तो करते हैं लेकिन स्तर को कितना सुधारना चाहते हैं, इस तरफ आपका गौर है या नहीं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं रिवेल्यूएशन के लिए लोग अप्लाई करते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय का उदाहरण है, एक साल तक रिजल्ट नहीं आता है। आखिर रिवेल्यूएशन का अर्थ क्या रह जाता है ? यही नहीं, रिवेल्यूएशन की फीस जमा कराने के बाद छात्रों को जवाब मिलता है कि आपकी कापी खो गयी इसलिए अपनी फीस वापस ले लीजिये। आखिर यह स्थितियां कब तक राजस्थान विश्वविद्यालय में आप चलाना चाहते हैं ? बड़ा गम्भीर प्रश्न है, आप इस पर कृपया विचार करें।

सभापति महोदय, शिक्षा के नाम पर स्कूल चलते हैं, शिक्षा के नाम पर विश्वविद्यालय चलते हैं। राजस्थान में जनसंख्या की समस्या हो, माननीय मुख्य मन्त्रीजी का भाषण होता है कि हम गांव में लोगों को शिक्षित करेंगे, महिलाओं को शिक्षित करेंगे। शिक्षा के नाम पर अरबों रुपये का बजट खर्च होता है। लोगों को सम्पूर्ण साक्षर करना चाहते हैं। शिक्षा के नाम पर प्रौढ़ शिक्षा देना चाहते हैं। आखिर इस शिक्षा का उद्देश्य आप कहां ले जाना चाहते हैं ? मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूं, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का नारा एक साधारण प्राइमरी स्कूल का छात्र भी सुनता आया है, उसका अध्यापक भी देता आया है, उच्च शिक्षा के लोग भी देते आये हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति भी देते आये हैं, राजस्थान के मंत्री, मुख्य मंत्री भी देते आये हैं और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्री, बड़े से बड़े मंत्री, प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति की ओर से एक ही चर्चा हम सुनते आये हैं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होगा। आखिर आमूलचूल परिवर्तन क्या होगा ? इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता सदन की है।

आपने शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने की बात कही। आज दसवीं के बाद छात्र

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

की मजबूरी होती है कि वह हायर सैकण्डरी में प्रवेश ले। सीनियर हायर सैकण्डरी के बाद छात्र की मजबूरी होती है कि वह कालेज में प्रवेश ले। कॉलेज में ग्रेजुएशन के बाद उसकी मजबूरी होती है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाए। आखिर में वह जाए कहां ? आपने उसके रोजगार की क्या व्यवस्था की है ? रोजगार कार्यालयों में केवल नाम अंकित कर देने से रोजगार की व्यवस्था नहीं होती। आई. टी. आई. खोल देने मात्र से रोजगार की व्यवस्था नहीं होती। आपको डायरेक्शन देना होगा कि दसवीं के बाद ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, उसके लिए काम की व्यवस्था आपने की है। यदि ऐसी शिक्षा आप नहीं दे पाते हैं तो मैं समझता हूं कि शिक्षा का आज कोई औचित्य नहीं रह जाता। आज जो स्थितियां बनी हुई हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में खोली जहां कृषि पर आप लोगों को ज्ञान देते हैं। मंत्री महोदय ने बड़ी कृपा करके घोषणाएं की, कृषि के विषय खोले जाएंगे। कृषि विश्वविद्यालय खोलने के पीछे आपका उद्देश्य यही था, कृषि विषय का ही एक उद्देश्य था, केवल कृषि विषय को लोग पढ़ें और जा करके राजस्थान सरकार की कृषि पर्यवेक्षक की नौकरी के लिए इन्तजार करें ? आखिर राजस्थान का कृषि विश्वविद्यालय रिसर्च के मामले में कहां टिका है ? राजस्थान के विश्वविद्यालयों के प्रति एक बहुत ऊंची आस्था थी, सम्मान था केन्द्र में, भारत सरकार के स्तर पर, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर। केवल क्लासेज में एम. ए., एल.एल.बी. और पी एच.डी. सबजेक्ट पढ़ाने के अलावा, आज राजस्थान के विश्वविद्यालय रिसर्च के लिए अपना कितना योगदान दे पाये ? इसका मूल्यांकन कराने की बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान की सरकार के सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

आज जो स्थितियां बनी हुई हैं राजस्थान में, सभापति महोदय, स्कूलों के अन्दर रिक्त पदों के बारे में सदन में हर बार चर्चा चलती है। हर बार मंत्रीजी की तरफ से आश्वासन आते हैं। चाहे इधर के पक्ष में बैठने वाले लोग हों, चाहे उधर के पक्ष में बैठने वाले लोग हों, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे दल-दलों की या जनता पार्टी की सरकार रही हो, आमूलचूल परिवर्तन की बात और रिक्त पदों को भरने की बात हर बार इस सदन में चर्चा का विषय रही है। सभापति महोदय, घोषणाएं भी होती हैं, हर बार नियुक्तियां भी होती हैं, नियुक्तियों में घपले भी होते हैं, ट्रेनिंग स्कूल भी चलते हैं। लेकिन हर बार शिक्षा के अन्दर जब स्कूल खोले जाते हैं, स्थिति यही रहती है, जब माननीय सदस्य गांवों में जाते हैं, हर गांव में, हर ढाणी में, शिक्षकों की कमी के सवाल पैदा होते हैं। मंत्रीजी ने जवाब दिया, आश्वस्त किया इस सदन को कि हम इतने पदों को भरेंगे लेकिन इसके लिए आपको ठोस नीति तय करनी पड़ेगी कि आप स्कूल तब खोलें नया जब आपके पास शिक्षक की व्यवस्था हो, सब्जेक्ट तब खोलें नया जब आपके पास नये शिक्षकों की व्यवस्था हो। सब्जेक्ट खुल जाते हैं स्कूल खुल जाते हैं, अध्यापक मिलते नहीं। परीक्षाएं हो जाती हैं, अध्या-

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

पक नहीं होते हैं। आखिर उन बच्चों के भविष्य के साथ राजस्थान की सरकार किस प्रकार न्याय करना चाहती है, यह एक बहुत बड़ा अहम सवाल है।

मैं शिक्षा मंत्रीजी, कटारियाजी को खास तौर से इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सदन में इस बात की घोषणा की है कि प्रतिनियुक्तियां समाप्त कर दी जाएंगी। बड़ा अच्छा लगा हमको और निश्चित रूप से यह निर्णय लिया जाना चाहिए था। मैं प्रतिपक्ष में बैठ करके भी इस निर्णय की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। लेकिन दुःख होता है, जब उच्च शिक्षा में मैं देखता हूं प्रतिनियुक्तियों पर लोग भरे पड़े हैं, 20–20 वर्ष से प्रतिनियुक्तियां चल रही हैं, अंग्रेजी पढ़ाने वाला अध्यापक हिन्दी में प्रतिनियुक्ति पर चल रहा है। लम्बे अरसे से कोई पूछने वाला नहीं है। आज राजस्थान में 60-65 के करीब शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं उच्च शिक्षा में। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह भी साहस दिखावें और कटारियाजी की तरह आज ही सदन में इस बात की घोषणा करें कि आज के बाद राजस्थान में जितनी भी प्रतिनियुक्तियां की गयी हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से सदन और राजस्थान की जनता इस बात का स्वागत करेगी। लेकिन घोषणा का मतलब, आदरणीय चतुर्वेदी जी घोषणा होनी चाहिए, फर्जी घोषणा नहीं होनी चाहिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : घोषणा नहीं काम।

श्री सभापति : घोषणा का मतलब काम होना चाहिए, घोषणा नहीं चाहिए।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : वही मैं आगे चल रहा हूं क्योंकि आप केवल घोषणा करते हैं और घोषणा केवल घोषणा रहती है। मैं आपका उदाहरण निवेदन करना चाहता हूं। पिछले दिनों उदयपुर में आपने घोषणा कर दी, शायद आपको याद होगा, कि हर कॉलेज में पी. जी. कोर्स चालू किया जाएगा। क्या राजस्थान के 39 कॉलेज में आप पी. जी. कोर्स चालू करेंगे ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : महिला महाविद्यालयों में। आप आधा ही पढ़कर रह गये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं, मैंने तो पूरा पढा है, शायद घोषणा करते वक्त भूल गये, बाद में आप सुधार कर रहे हो। आपने यहां घोषणा करते वक्त महिला का नाम नहीं लिया आपने तो घोषणा कर दी जो अखबारों में छप गयी। इसलिए इस पर ध्यान करते हुए या तो अपनी घोषणा को पूरी करें वरना केवल 10 कॉलेजेज की घोषणा की है।

श्री सभापति : यह संशोधित कर रहे हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : धन्यवाद। दूसरी घोषणा शायद आपको याद हो, एकेडेमिक स्टाफ कालेज के प्रिंसिपल के ओरियन्टेशन कैम्प में आपने घोषणा की थी कि प्रिंसिपल को 500 रुपये अतिरिक्त दे दिया जाएगा। क्या आपने दिया ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जवाब दूंगा।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : धन्यवाद।

श्री सभापति : रुपये देंगे या जवाब देंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : रुपयों के बारे में जवाब दूंगा।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर 2363 प्राइमरी स्कूलें खोलने की घोषणा की गयी। दोनों तरफ से इसका स्वागत किया गया। किन्तु जब प्रतिपक्ष के सदस्यों ने पूछा कि छः हजार स्कूल बन्द करने का कीर्तिमान तो आपने स्थापित कर लिया और 2363 की शाबासी आप लेना चाहते हैं, माननीय सभापति महोदय, उस वक्त चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि वह 6000 स्कूलें तो केवल राजनीतिक +++ पैदा करने की स्थिति थी। तो फिर मैं सवाल करना चाहता हूं, उन राजनीतिक पुरुष +++ को तो आपने समाप्त कर दिया, किन्तु यह सरस्वती योजना क्या है इसमें क्या राजनीतिकमहिला +++ पैदा करना चाहते हैं ? कितना फर्क है मेरी समझ में नहीं आया। इसलिए शिक्षा के नाम पर चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे सैकण्डरी शिक्षा हो, चाहे प्रौढ़ शिक्षा हो राजस्थान की जनता के पसीने की गाढ़ी कमाई का जो पैसा खर्च होता है उसका जब तक सदुपयोग नहीं होगा तब तक शिक्षा जगत में चाहे आप घोषणाएं करें, चाहे मान्यताएं लागू करें, चाहे अध्यादेश लागू करें, कुछ नहीं होने वाला है। आखिर राजस्थान के शिक्षा जगत को आप देना क्या चाहते हैं, इस तस्वीर को आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। बड़े जोर शोर से आज प्रौढ़-शिक्षा पर चर्चा चल रही है, साक्षरता पर चर्चा चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों सम्पूर्ण साक्षरता की बात कही गयी। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान राज्य में वर्ष 1990 में प्रारम्भ किया गया, यह आपका बजट भाषण है, जिसके फलस्वरूप अजमेर जिले को उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। वर्तमान में इन दो जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम एवं पांच अन्य जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। अगले वर्ष 8 अन्य जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। इस हेतु तीन करोड़ 78 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

सभापति महोदय, सौभाग्य से आपका गृह जिला और मेरा भी गृह जिला सीकर सम्पूर्ण साक्षरता में लिया गया है। इसको सम्पूर्ण साक्षरता आप दें। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे यहां कई ढाणियां

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

बता दूं, कई गांव बता दूं जहां एक व्यक्ति भी साक्षर नहीं है। सीकर जिले की भी यही स्थिति है। डूंगरपुर की चर्चा डूंगरपुर के लोग कर रहे हैं। सीकर जिले में मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर गांव में, हर ढाणी में नारे लिखे गये हैं साक्षरता के। आखर देवरे बनाये गये हैं। लेकिन कितने लोगों को साक्षर किया है इसका मूल्यांकन किसी ने किया? निश्चित रूप से अधिकारियों को आप इनाम दीजिए, राष्ट्रपति पुरस्कार दीजिए लेकिन साक्षरता कितनी हो रही है इसका आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। मैं एक अधिकारी अशोक शेखर को निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा, जब वह सीकर कलक्टर थे, उन्होंने गांव गांव जाकर इसके लिए अलख जगाया। लेकिन उसके बाद आपने एक सरदार जी भेजे, एक भी गांव में जाकर उन्होंने साक्षरता का प्रतिशत नहीं देखा। रोज प्रेस वालों को बुलाकर अखबार में स्टेटमेंट देते थे। आप चलिये, सीकर जिले के आधे गांव ऐसे मिल जायेंगे जहां निरक्षर लोगों की भीड़ आपको मिलेगी। पैसा खर्च हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है। परचेजिंग भी बहुत बड़ी बड़ी हुई है कहीं आखर देवरों के नाम पर, कहीं स्लेट परचेज के नाम पर। गत्ते को काला पोतकर पट्टियां सप्लाई की गयी हैं। कहीं ब्लैक बोर्ड के घोटाले हुए हैं और उन ब्लैक बोर्डों में यह कहते हुए बड़ा दुख होता है, आज सदन में तो नहीं हैं, एक मन्त्री जी का जब नाम उछला तो मुख्य मन्त्री जी को शिकायत हुई मन्त्री जी के लिए, तो मुख्य मन्त्रीजी कहने लगे, मन्त्रीजी ने तो नहीं किया, घोटाला उनके बेटे ने कर लिया होगा। यह हालात पैदा हो गये हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, सम्पूर्ण साक्षरता के माध्यम से, दूसरी योजनाओं के माध्यम से साक्षरता कीजिए लेकिन साक्षरता का आप मूल्यांकन तो करिये। आज वन विभाग अरबों रुपये खर्च कर रहा है, उन अरबों रुपयों के खर्च का आखिर मूल्यांकन कहां होता है? वही हालत आपकी शिक्षा की हो रही है।

आज जब चर्चा चलती है विश्वविद्यालयों के बारे में बड़ा अजीब माहौल है। पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में अलवर के एक होम्योपैथिक कालेज को मान्यता दी है 1993-94 के अन्दर। मान्यता देना अच्छी बात थी लेकिन उसका इंस्पेक्शन कब हुआ? बिना इंस्पेक्शन के आप मान्यता दे दो और वह भी होम्योपैथिक कालेज को। लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है। दो साल पहले राजस्थान सरकार ने लिखा कि इसको मान्यता नहीं दी जाए, इसका इंस्पेक्शन किया जाए। राजस्थान सरकार ने मना किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने बिना इंस्पेक्शन किये ही मान्यता दे दी। आखिर जो लोग होम्योपैथी पढ़कर के निकलेंगे और बिना मान्यता के गड़बड़ तरीके से निकलेंगे वह किस प्रकार से लोगों के भविष्य के साथ न्याय

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

कर पायेंगे, यह बहुत बड़ा मसला आज हमारे सामने है।

माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार की भी चर्चा की। आपकी कमेटीज के माध्यम से भी एक मूल्यांकन होता है लेकिन आखिर उसका नतीजा क्या निकलता है वह सबसे बड़ा प्रश्न है। राजस्थान विधान सभा का पटल केवल एक डिबेट का मंच बनकर नहीं रह जाए। कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं पूर्व शिक्षा निदेशक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच हुई। आखिर उसका हश्र क्या हुआ ? जांच के बाद दोषी पाया गया किन्तु जिस दिन वह रिटायर हो रहे थे, 31 जनवरी को रात को पौने बारह बजे उनको चार्ज शीट दी गयी। आखिर इस परिपाटी को आपको बदलना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आखिर जांच का अर्थ क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है।

पिछले दिनों राजस्थान विश्वविद्यालय में साइन्स कांग्रेस का एक माहौल बना, हिन्दुस्तान भर के साइन्टिस्ट इकट्ठे हुए, अखबारों में छपा; बड़ी तारीफ हुई. प्रधान मन्त्री जी को उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया और हिन्दुस्तान भर के वैज्ञानिकों को राजस्थान आने का अवसर मिला लेकिन, सभापति महोदय परदे के पीछे उस साइन्स कांग्रेस के नाम पर पचास लाख रुपये से अधिक का खर्चा किया गया साइन्स कांग्रेस हो, लेकिन पचास लाख रुपये का व्यय करके हमने उपलब्धि क्या की, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। ताज्जुब करेंगे आप, 16 लाख रुपये तो लोगों को एडवांस दे दिया जिसका हिसाब आज दिन तक नहीं आया। चालीस टैक्सियां चली हैं जयपुर की सड़कों पर कागजों में, परन्तु टैक्सियां चली कहां इसका कोई जवाब नहीं। यह तो स्पष्ट हुआ है विश्वविद्यालय प्रांगण में प्राध्यापकों के बीच में झगड़ा हुआ है, हाथा पाई हो गयी, आप खा गये, आप खा गये। वह टैक्सियां कहां चली हैं, आज तक पता नहीं चला। क्या आप इसकी इन्क्वायरी करवायेंगे ? इस प्रकार के वातावरण में क्या आज का शिक्षा जगत चल पायेगा।

रूक्टा का अधिवेशन था पिछले दिनों, छुट्टियां दी गयी। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी से कि आखिर शिक्षा को आप राजनीतिकरण की तरफ मत पहुंचाइये। कोई शिक्षा के अन्दर यूनियन बने, कोई शिक्षक संघ बने, उनके प्रतिनिधि कोई हों, यह राजस्थान सरकार के देखने का प्रश्न नहीं है और न राजस्थान के शिक्षा मन्त्री की प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि कौनसी शिक्षक यूनियन का कौन अध्यक्ष बने, कौन महामन्त्री बने, बने तो उसको क्या सुविधा दी जाए, नहीं बने तो क्या सुविधा नहीं दी जाए, आपको ताज्जुब होगा देखकर, राजस्थान में रूक्टा जो गवर्नमेंट कालेजेज की एक संस्था है, प्राइवेट कालेज के लोग भी हैं, यूनियन में चुनाव हुए, संस्था के चुनाव में कुछ व्यक्ति चुने गये, उनका अधिवेशन हो गया, दो दिन की छुट्टी की गयी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं, शायद राजस्थान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो, मुझे पता

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

नहीं, पहली बार हुआ है और शिक्षक संघ को दो दिन के लिए छुट्टी दी गयी, अधिवेशन कर दो। मन्त्री जी के चहेते शिक्षक संघ के पदाधिकारी नहीं थे इसलिए दूसरा शिक्षक संघ उसी नाम से खड़ा हो गया और कहा कि पदाधिकारी उसमें किस तरह से बनाये जाएं। नकली तरीके से अधिवेशन हो और उनकी दुकान जमाने के लिए दो दिन की छुट्टी फिर घोषित की जाए, राजस्थान सरकार ने दो बार छुट्टियां देकर के आदेश जारी किये हैं, मेरे पास उसकी प्रतिलिपि है. आखिर राजस्थान में शिक्षा जगत का राजनीतिकरण करके भा.ज.पा. के लोग उनके माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से जड़ें जमाना चाहें. यह उनका भ्रम है। इसका नतीजा आने वाले वर्षों में आगे की पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा इस बात की चिन्ता करने की सदन को आवश्यकता है।

सभापति महोदय, राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण सस्था अधिनियम पारित किया गया। जनवरी, 93 से लागू किया गया। सौभाग्य से, सभापति महोदय, आपने भी एक कमेटी बनी है ललित किशोर जी की अध्यक्षता में उसके सदस्य बनाये गये। एक्जामिन करने के लिए जब कोई कमेटी बनती है तो एक्जामिन करती है। एक्जामिन करने के बाद राजस्थान सरकार को सुझाव देती है। सुझाव देने के बाद राजस्थान सरकार को सुझाव देती है। सुझाव देने के बाद या तो आप अध्यादेश निकालें या सदन में इस बात की जानकारी दें कि हम इसको लागू करें, सदन इसकी इजाजत दे। बिना किसी जानकारी के क्योंकि मन्त्री जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, मन्त्री जी जो लागू करना चाहते थे लागू किया, जो लागू नहीं करना चाहते थे, लागू नहीं किया। आखिर किस लिए? यह सवाल पैदा होता है, राजस्थान के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आप नियमों को किस प्रकार लागू करना चाहते हैं? जहां आपको नियम पसन्द नहीं उन नियमों को क्या काटना चाहते हैं? इस तरह को स्थितियां बनी हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं आप न्याय करें, सबके साथ करें और न्याय का तराजू लेकर के बैठें।

आज राजस्थान में बहुत सी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं उनमें कर्मचारियों की स्थिति क्या है इस पर भी एक नजर डालने की आवश्यकता मैं सदन में महसूस करता हूं। राजस्थान में भारतीय शिक्षा समिति के नाम से तीन सौ स्कूल खुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करने की एक अखण्ड ज्योति जलायी गयी और चालीस स्कूल आदर्श शिक्षा परिषद के नाम पर जयपुर और दौसा जिले में चल रहे हैं। शिक्षा मन्त्रीजी की पूर्ण कृपा है, कितना वेतन उनको मिलता है, कितना उपयोग उन शिक्षण संस्थाओं का दूसरे कामों में आप लेना चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की नींव ही मजबूत करने के उद्देश्य मात्र से इन संस्थाओं को आप चलाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब राजस्थान की जनता आपसे जानना चाहती हैं।

सभापति महोदय, हर बार जब सदन आता है राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी शिक्षकों द्वारा आन्दोलन किया

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

जाता है। अस्थायी शिक्षकों द्वारा रोजगार परमानेंट तरीके से उपलब्ध कराने की मांग की जाती है। मुझे ताज्जुब होता है, 1986 से लेकर आज तक आर.पी.एस.सी. ने कभी इन्टरव्यू नहीं लिये। वह बेरोजगार पड़े हैं। उनको न्याय आप कब देंगे, कितना देंगे, कितना उनके साथ आप मानवता का दृष्टिकोण रखेंगे, यह सवाल पैदा होता है। पिछले दिनों राजस्थान विधान सभा में तत्कालीन और वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने भी आश्वासन दिये थे और उन आश्वासनों के आधार पर राजस्थान के समाचार पत्रों में भी छपा था कि आप उनके साथ न्याय करने वाले हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इस समाचार की कटिंग के माध्यम से जो राजस्थान पत्रिका में छपी थी। "भा.ज.पा. विधायकों ने असत्य आश्वासन देने का आरोप लगाया। महाविद्यालय शिक्षकों की कुछ समस्यायें इसी सत्र में सुलझेंगी। मुख्यमन्त्री. भैरोंसिहजी शेखावत ने गुरुवार को राज्य विधान सभा में कहा कि महाविद्यालयों के शिक्षकों की कुछ समस्याओं का समाधान विधान सभा सत्र के दौरान कर दिया जाएगा तथा कुछ समस्याएं बाद में राज्य की माली हालत देखकर हल करने की कोशिश की जाएगी। आज तक उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया।"

यह पहले के सदन की बात चल रही है।

मुख्यमन्त्री शून्यकाल के दौरान भा. ज. पा. के दस विधायकों की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के महाविद्यालय संघ द्वारा किये जा रहे आन्दोलन को लेकर रखे गये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर दे रहे थे।

आज भी आश्वासन दे दिया जायेगा। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा कर ली जाएगी। कानून और नियमों की आड़ में आप अपना पक्ष भी रख देंगे। लेकिन सदन से मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आखिर उनको न्याय कब मिलेगा? क्या वह घर भेज दिये जायेंगे? आखिर कब तक मानवता के आधार पर आपके कटघरे के नीचे लटके रहेंगे? आप सदन में आज आश्वासन दें और कोई न कोई स्पष्ट घोषणा करें ताकि उन लोगों के साथ न्याय हो सके।

कला एवं संस्कृति की बात की गयी। राजस्थान की कला और संस्कृति

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सिर्फ दो मिनट में समाप्त करता हूं। राजस्थान की कला और संस्कृति दुनिया के सामने बेमिसाल है। लेकिन इस कला और संस्कृति को जिन्दा रखने के लिए राजस्थान सरकार के कदम कहां बढ़ रहे हैं यह प्रश्न वाचक चिन्ह है। कई बार राजस्थान की धरती पर ऐसे-ऐसे कलाकारों ने जन्म लिया जिन्होंने विश्व ख्याति प्राप्त की है। उनको क्या सुविधा दी? पदम श्री मिल जाता है, नेशनल अवार्ड मिल जाता है, सराहना हो जाती है; आखिर उन लोगों को आप सुविधाएं कितनी दे पाते हैं? राजस्थान के कलाकारों का महासंघ बना। जयपुर में अधिवेशन हुआ। माननीय सदस्य भी वहां

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

मौजूदथे, मैं भी वहां उपस्थित था । कलाकारों ने मांग की कि हमको अलग कालोनी बनाकर दी जाए,हमारे को मार्केट दिया जाये, हमारे को सुविधाएं दी जाये जिससे हम हमारे रोजगार को चला सकें और कला को जिन्दा रख सकें। राजस्थान के अन्दर लघु उद्योग निगम को इस बात की सुविधा के लिए तैयार किया गया। लेकिन क्या राजस्थान का लघु उद्योग निगम इन कलाकारों को राहत देता है ?

मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक बार राजस्थान के लघु उद्योग निगम को कुछ तस्वीरें खरीदनी थीं। जब सलेक्शन का सवाल आया, सलेक्शन बोर्ड बना। कलाकारों के सौभाग्य से उसमें एक कलाकार को सदस्य रख दिया गया। जब परचेजिंग का सवाल आया, उस कलाकार ने कहा कि मैं केवल कलाकारों से परचेज करना चाहूंगा। उस तस्वीर में जो हिरण का सिर बना हुआ है वैसा जो कलाकार अपने हाथ से मुझे बनाकर दे दे उस कलाकार की सारी कृतियां हम खरीद लेंगे। केवल मात्र एक व्यक्ति हिरण बना पाया बाकी लोग जो बीस-तीस थे वह सब बिचौलिया थे, दलाल थे, अफसरों से मिले हुए थे। एक व्यक्ति के अलावा दूसरा व्यक्ति उस सिर को नहीं बना पाया। इसका मतलब स्पष्ट है। जिन कलाकारों को, जिस कला और संस्कृति को पनपाने के लिए, संरक्षण देने के लिए राजस्थान की सरकार मन से चाहती थी योजनाएं बनी थीं कांग्रेस के शासन में शुरूआत हुई थी, क्या उस पर अमल होगा ? क्या कलाकारों को सुविधा मिलेगी ? मैं सदन में घोषणा चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि रास्थान के जो कलाकार कला को अंगुलियों से सिंचित करते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करते हैं, क्या राजस्थान की सरकार उनको सही मायने में संरक्षण देगी ? क्या उनको बसाने के लिए लोन मिलेगा, मकानों के लिए ? क्या उनको कालोनियां मिलेगी ? क्या उनको मार्केट मिलेगा ? क्या खरीदार पहुंचाने की सुविधा उन तक होगी ? क्या राजस्थान के लघु उद्योग निगम के माध्यम से उनको संरक्षण मिलेगा ? क्या उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वास्तव में सरकार दृढ़ संकल्प है ?

अन्त में मैं सिर्फ आधा मिनट लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। बाद में प्रश्न उठते हैं कि हमारे में कटौती क्यों हो रही है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पिछले वर्षों से महाविद्यालय की मांग चलती आयी है और श्री माधोपुर में कांग्रेस के शासन में महाविद्यालय की मांग को पूरा करने की शर्तें पूरी हो चुकी थीं। किन्हीं कारणों से परिवर्तन के कारण वह रुक गयी। मैं उच्च शिक्षा मन्त्रीजी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सम्भाग की मांग को देखते हुए, क्षेत्र की मांग को देखते हुए इस सत्र में महाविद्यालय खोलने का जब प्रश्न आये तो श्री माधोपुर को उस सूची में रखने का

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

कष्ट करें। और कटारियाजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो क्राइटेरिया आपने स्कूलों के खोलने का बनाया है उसमें थोड़ा-सा संशोधन आप करलें। ढाणियों में जहां स्कूलों के लिए आपको पर्याप्त आबादी नहीं मिल पाये, वहां यह ध्यान आप रखें कि दूर की आबादी से, खेतों में बसे हुए लोग वहां तक पहुंच सकें। उनको क्राइटेरिया की वजह से कहीं वंचित नहीं रख दिया जाए। उनको स्कूलों का लाभ मिलना चाहिए। और मैं तो यह प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि यदि आप 23 सौ, साढ़े 23 सौ स्कूल खोलना चाहते हैं वह 6 हजार स्कूल जो बन्द किये गये हैं उनमें जो स्कूल रह गये दुबारा खोलने से, उन स्कूलों को आप प्राथमिकता देंगे तो आप बच्चों के साथ न्याय कर पायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ पुन: मैं सभापति महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति : श्री शान्तिलाल चपलोत।

श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली) : माननीय सभापति महोदय, दोनों शिक्षा मंत्रीजी ने, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने राजस्थान का कायाकल्प करने के लिए, राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़े, राजस्थान में शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो इसके लिए अबकी बार बजट में बहुत ज्यादा राशि रखी है।

माननीय सभापति महोदय, संविधान बना। संविधान के डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स तय किये गये और यह तय किया गया कि हर हालत में 14 साल के बच्चों को हम शिक्षित करेंगे। माननीय सभापति महोदय, यह 10 और 12 साल में हो जाना चाहिये था और आज तक हम यह नहीं कर पाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, 1951 में राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत इस सारे हिन्दुस्तान में सबसे कम था, 8.95 प्रतिशत लोग हमारे प्रान्त में साक्षर थे। 1951 से चल कर आज जब हम देखते हैं तो आज हमारा साक्षरता प्रतिशत 38.55 आ गया है। हमने कुछ छलांग तो लगायी। 40 साल निरन्तर यात्रा से कुछ प्रगति जरूर की है किन्तु अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है। माननीय सभापति महोदय, 1951 में जितने प्राथमिक स्कूल थे आज वह आठ गुना ज्यादा हो गये। उच्च प्राथमिक शालायें जितनी थी वह 13 गुना ज्यादा हो गयी। माध्यमिक विद्यालय जितने थे 1951 में आज 18 गुना ज्यादा हो गये। उच्च माध्यमिक विद्यालय 40 गुना हो गये। फिर भी हम 38.55 पर ही जा सके हैं। लेकिन आज हम कितने शिक्षित हो गये, केलिबर हमारा क्या हुआ, यह निर्णायक बिन्दु है जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय 1951 में 18,600 शिक्षक थे। आज, माननीय सभापति महोदय, 2.25 लाख अध्यापक कार्यरत हैं जो करीब-करीब 12.1 गुना ज्यादा बढ़ गये हैं। 1951 में 6 साल से 14 साल के बच्चे करीब 10 लाख थे। 1993–94 के वर्ष में 72 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यह 7.2 गुना ज्यादा हुआ। कितना

(श्री शांतिलाल चपलोत)

हम पहले शिक्षा पर खर्च करते थे, 1975-76 के आंकड़े उठा कर देखें, सभापति महोदय, तो 23 रुपये प्रति बच्चा खर्च शिक्षा पर आता था। मात्र 23 रुपये। और आज जब हम 1994-95 में चल रहे हैं या 1994 में चल रहे हैं तो हमारा खर्चा 214 रुपये प्रति बच्चा पड़ता है। यह पौने दस गुना, दस गुना के आस-पास बैठता है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय औसत खर्चा जो शिक्षा का है वह 208 रुपये है और हमने राजस्थान में अबकी बार छलांग लगा कर 214 रुपये किया है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के खर्च पर जो राष्ट्रीय औसत है उसमें हम बढ़कर आगे हैं। पहली बार ऐसी छलांग लगायी है। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था सन् 2000 तक सबको शिक्षा और सबको साक्षरता। यूनिसेफ के सहयोग से 1992 में इस नीति को आगे बढ़ाया गया और इसके तहत 7-8 जिलों को हमने लिया है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : लम्बी छलांग जो लगायी है उससे 38 प्रतिशत जो लिटरेसी 1994-95 में, उसमें कितने प्रतिशत इन्क्रीज होगी एक ? और एट्थ फाइव ईयर प्लान के एण्ड के अन्दर यह कितने प्रतिशत इन्क्रीज हुआ दो ? और इस वक्त जो आप बात कह रहे हो, 1951 की, उस वक्त राजस्थान की पापूलेशन....

(13.30)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन।

से क्या पर्सेन्टेज था, और अब पापूलेशन राजस्थान की क्या है उसके कितने प्रतिशत आप इन्क्रीज करने वाले हो ? इतने बढ़ गये, रुपये वह हो गये, रुपये का बेसईयर क्या था उस वक्त का ? 60 से रुपये की इन्क्रीजिंग वेल्यू 8 नये पैसे रही है। इसलिए बारह आठे 96, आप 12 टाइम्स जो कर रहे हो वह रुपये की वेल्यू उसी एक रुपये के बराबर है जो 1953 में खर्च कर रहे थे।

श्री शांतिलाल चपलोत : नहीं, वेल्यू तो रुपये की अभी घटी है, पहले के मुकाबले में घटी है।

सभापति महोदय, प्राथमिक शिक्षा पर पहले और अभी 63 हजार 94 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है, माध्यमिक शिक्षा पर 40 हजार 867 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है अर्थात 631 करोड़ रुपया प्राथमिक शिक्षा पर और माध्यमिक शिक्षा पर 409 करोड़। इसके साथ-साथ शारीरिक शिक्षा के लिए भी प्रावधान रखे हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए 497 लाख और संस्कृत शिक्षा के लिए 1026 लाख। सभापति महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा में जिस तरीके का विकास अबकी बार करने की चेष्टा की है, एक ही साल में, कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि 6 हजार स्कूल बंद कर दिये, वह 6 हजार तो घट करके पिछले तीन सालों में हमने जो स्कूल खोले हैं दो-ढाई हजार कम से कम प्राथमिक शालाएं खोली गयी हैं और अब की बार हमने बहुत बड़ी.... (व्यवधान) ... वह तो केवल अध्यापकों का शोषण था, चार-चार सौ रुपये की एक भर्ती थी। मैं यह नहीं कहता

(श्री शांतिलाल चपलोत)

कि वह पोलिटिकल कारणों से थे या कैसे थे। उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। अब की बारे हमने यह तय किया....

श्री परसराम मदेरणा : वास्तव में शिक्षकों का नम्बर तो बढ़ा लेकिन उसके साथ ही उस ऐज ग्रुप के, आप 6 साल से लेकर 14 तक जो यूनिवर्सल एजूकेशन की बात करते हैं, उस पर्सेण्टेज में बच्चे कितने आ गए उसका पर्सेण्टेज कितना बढ़ा ?

श्री शांतिलाल चपलोत : काफी बढ़ा है। 72 लाख का हिसाब लगाया जाए तो पहले के हिसाब से 7.2 गुना बढ़ा है और अबकी बार यदि हिसाब लगाया जाए, गत साल से हिसाब लगाया जाए तो भी काफी प्रतिशत बढ़ा है और अब की बार एक करोड़ के आस-पास बच्चे प्राथमिक शालाओं में पढ़ने के लिए जाने लग जायेंगे।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं कि राजस्थान की जिस तरीके की दुर्गम स्थितियां हैं बड़ी-बड़ी पहाड़ियां, नंगी-नंगी पहाड़ियां, बड़ा विस्तृत रेगिस्तान है और संसाधन कम, शिक्षा कम और पापूलेशन एक्स्प्लोजन इस हिन्दुस्तान भर में सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी, सारी कठिनाइयों के बावजूद, सारी भौगोलिक स्थितियों के बावजूद भी उन्होंने एक छलांग लगाने का प्रयास किया है यह अपने आप में एक स्तुत्य कार्य है। अबकी बार 2313 प्राथमिक शालायें हमने खोलने का लक्ष्य रखा है और यह इस तरह से नहीं कि केवल एक-एक अध्यापक पांच-पांच सौ रुपये का लगा दिया। ऐसा नहीं है। सभापति महोदय, अबकी बार यह तय किया गया है कि हर हालत में एक स्कूल में दो अध्यापक होंगे। जो चार-चार हजार स्कूल एक अध्यापक से रन कर रहे हैं, 3646 ग्रामीण क्षेत्रों में और 40 स्कूल हैं शहरी क्षेत्र में, उनमें केवल एक-एक ही अध्यापक रन कर रहे हैं, उनमें सब म नियुक्तियां देकर दो-दो अध्यापकों के स्थान बनाये गये हैं और दो-दो अध्यापक हर स्कूल में काम करेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : यह क्या नियुक्तियां देंगे; यह तो जो व्याख्याता लड़ रहे हैं उनको ही स्थायी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। आप उनकी तो कुछ कहो।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री रामस्वरूप मीणा : + + + में लग रहे हो सरकार की।.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, तारीफ कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप क्यों आवेश में आ रहे हैं ? क्या आवश्यकता पड़ गयी आपको आवेश में आने की ? बोलने दीजिये उनको आप। बिराजिए।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप क्यों आ रहे हो लेकिन, मैं तो नहीं आ रहा हूं।

श्री शांतिलाल चपलोत : आप थोड़ा-सा धीमे से फरमाते मैं आपके धीमी गति के समाचारों को प्राथमिकता से....

श्री सभापति : कृपया आगे बोलें और समाप्त करें।

श्री शांतिलाल चपलोत : सभापति महोदय, 50 नये प्राथमिक स्कूल शहरी क्षेत्रों में खोलने का लक्ष्य रखा है। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि आपने बहुत दरियादिली रखी है और काफी स्कूलों का इजाफा करने की चेष्टा की है, उसको कम से कम 100 तो किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, एक हजार उच्च प्राथमिक शालाएं खोलने का लक्ष्य रखा है। हर पंचायत में एक स्कूल हो सकता है। पहले कुल मिलाकर 9 हजार या 10 हजार मिडिल स्कूल रहे होंगे। केवल उच्च प्राथमिक 9 हजार या सवा नौ हजार सारे राजस्थान में होंगे उसके मुकाबले एक सालएक हजार उच्च प्राथमिक शालाएं खोलने का निर्णय लेकर के सरकार ने गरीब और एक असहाय व्यक्ति का, अनपढ़ व्यक्ति का जिस तरीके से उत्थान करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है वह अपने आप में बहुत ही स्तुत्य है। सभापति महोदय, अबकी बार 90 माध्यमिक शालाएं खोलने का लक्ष्य रखा है, मैं चाहूंगा इसको कुछ आगे बढ़ाया जाये। 138 उच्च माध्यमिक का लक्ष्य रखा है, यह अपने आप में एक स्तुत्य कार्य है और इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, 20 नये उप जिला कार्यालय खोलने का भी एक लक्ष्य है, यह भी अपने आप में कीर्तिमान कायम करने वाली बात है।

सभापति महोदय, मैं जब भी बोलता हूं आप मेरी तरफ थोड़ा मुखातिब हो जाते हैं। दो-तीन मिनट मैं और लेना चाहूंगा।

श्री सभापति : संयोग की बात है जब आप बोलते हैं तब मैं यहां होता हूं।

श्री शांतिलाल चपलोत : नहीं मेरे को कोई शिकायत नहीं है।

सभापति महोदय, दो-चार बातों के लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बताना चाहूंगा। जहां जिस स्कूल में जिस अध्यापक का रिजल्ट 100 प्रतिशत हो या 90 प्रतिशत हो, जिनके अच्छे रिजल्ट हों उनको पोस्टिंग के मामले में प्रायोरिटी दी जाकर वह जहां चाहें उनका पोस्टिंग किया जाए। घोड़ा और गधा एक भाव में नहीं चलाये जा सकते, सिंह को और गधे को एक घाट पर पानी नहीं पिलाया जा सकता। एक तो जिसके 10 प्रतिशत रिजल्ट हैं वह शहर में आकर अपनी मनमर्जी से ट्यूशन कर रहा है और वह यहां बैठा हुआ है और एक वह अध्यापक है जो दिल लगा कर के मेहनत करके बच्चों का भविष्य संवारने में लगा हुआ है वह गांव में दूरस्थ स्थान पर वर्षों से वहीं पड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को प्रार्थना करूंगा कि उनके बारे में विचार करें और उन ऐडेड इन्स्टीट्यूशंस के बारे में भी विचार करें जिनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, 100 प्रतिशत या 95 प्रतिशत

(श्री शांतिलाल चपलोत)

रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसी कई संस्थाएं उदयपुर में भी है सारे राजस्थान में हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो उनकी ऐड बढ़ायी जानी चाहिए। सरकारी स्कूलों में जो खर्चा हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों में उससे कम हो रहा है। तो हमारा तो उद्देश्य शिक्षा को बढ़ाना है, शिक्षा को प्राथमिकता देना है इसलिए ऐसे इन्स्टीट्यूशंस को ज्यादा से ज्यादा ऐड दी जानी चाहिये। ब्यावर में में भी एक संस्था है शांतिनाथ जैन स्कूल, उसकी भी ऐड बढ़ायी जाए। उदयपुर में विद्या निकेतन स्कूल है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं; हालांकि एक माननीय सदस्य ने उसके बारे में आब्जेक्शन उठाया है। माननीय सभापति महोदय, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, जो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने वाले हैं उन इन्स्टीट्यूशंस को ज्यादा से ज्यादा ऐड दी जानी चाहिए।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। नैतिक शिक्षा का प्रावधान भी सिलेबस में, कोर्सेज में किया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा के बिना हैं क्या ? आज स्थिति यह आ गयी है कि 40 साल में हम इस मोड़ पर पहुंच गये, "ग" गधे का जबकि "ग" गणेश का होता था। "क" कबूतर का "ख" खरगोश का और "ग" गणेश का होता था, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, मैं धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, आखिर हमारा सोच क्या है ? "ग" गणेश का उसके स्थान पर "ग" गधे का पढ़ाना चालू कर दिया, यह कौनसी हमारी शिक्षा है ? "ग" गणेश का होते ही दिमाग में एक विचार आता है कि यह हमारे बुद्धि के देवता है लेकिन "ग" गधे का पढ़ाना चालू कर दिया। सभापति महोदय, जो हमारे राष्ट्रीय हीरो सूरजमलजी का अभी प्रकरण आया, महाराणा प्रताप का भी प्रकरण आया, दुर्गादासजी राठौड़ का प्रकरण आया, बच्चों के लिए इस प्रकार की ट्रेनिंग आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के साथ....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : इस प्रकार से अध्याय कक्षाओं में जोड़े जाने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में ही अपनी बात खतम कर रहा हूं। सभापति महोदय, स्कूल की बाउण्ड्रीज बनाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। खेल का मैदान हर स्कूल को मिले इस प्रकार का प्रयास चाहे वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट या मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर करें, हर स्कूल का एक मैदान होना चाहिए। हमारे देश की 87 करोड़ की आबादी है और हम लोग ओलम्पिक में गये और एक भी कांस्य पदक प्राप्त नहीं कर पाये, माननीय सभापति महोदय, यह हमारे लिए दुखद पहलू है।

माननीय सभापति महोदय, एक कहावत है– England was made on the fields of Aton.

एटन के विशाल खेल के मैदानों में इंग्लैण्ड का निर्माण हुआ था। उसी तरीके

(132)

(श्री शांतिलाल चपलोत)

से हम हिन्दुस्तान का निर्माण कराना चाहते हैं, हिन्दुस्तान को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि इसके लिए हम खेल के मैदान तैयार करें। (व्यवधान)

आप बैठिये, बीच–बीच में नहीं बोलें।

श्री सभापति : कृपया अब समाप्त करें क्योंकि आज 5 बजे डिबेट समाप्त होनी है और बहुत लम्बी लिस्ट है मेरे पास। आपको 20 मिनट हो गये हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एक-एक हैण्डपम्प एक–एक स्कूल के बाहर या स्कूल के अन्दर लगाया जावे। ढाई सौ तीन सौ बच्चे पढ़ते हैं, पानी के लिए गरमी में मारे मारे फिरना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक स्कूल के बाहर एक हैण्डपम्प की व्यवस्था अवश्य हो।

टेक्निकल एजुकेशन मन्त्रीजी भी यहां विराजमान हैं....

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री हबीबुर्रहमान।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय एक एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी थी, आज उदयपुर का दर्जा नहीं घटाया जाए।

श्री सभापति : मैंने दूसरा नाम बोल दिया है।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां उदयपुर में इन्जीनियरिंग कालेज की व्यवस्था करवायें, पोलीटेक्निक कालेज की व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरे क्षेत्र में सौ बड़ी–बड़ी फैक्ट्रियां।

(13.41)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

काम कर रही हैं परन्तु आज पोलीटेक्नीक की कोई एजुकेशन नहीं है, आई. टी. आई. की कोई एजुकेशन नहीं है और हमारे उच्च शिक्षा मन्त्री जी, तकनीकी शिक्षा मन्त्री जी, इस बारे में सारी बातें जानते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य, भाषण समाप्त करें। श्री हबीबुर्रहमान।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे हमारे यहां इस बात को देखकर इस क्षेत्र को प्राथमिकता दें।

आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हबीबुर्रहमान। (अनुपस्थित) श्री आर पी. शर्मा। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है, आज आप समय सीमा में रहेंगे। श्री शर्मा जी बोलें।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के मामले में मैं यह कहना चाहता हूं। हमारे यहां एक कहावत प्रसिद्ध है "यथा राजा तथा प्रजा।"

(श्री आर. पी. शर्मा)

प्रजा किस तरह की होगी ? प्रजा वही होगी जो उसको शिक्षा मिलेगी। इसलिए शिक्षा का महत्व पूर्व से लेकर अब तक रहा है और आज भी बहुत महत्व है। मैं शिक्षा के सम्बन्ध में सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जैसा हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने इसमें.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें, आपका भाषण हो चुका है।

श्री आर. पी. शर्मा : इसमें दो राय नहीं है कि शिक्षा के प्रति एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं यह कदम सिर्फ ऐसा न हो कि यह कदम जितना उपयोगी होना चाहिए वह नहीं हो पाये। जैसे हम अपना काम बढ़ा दें और काम बढ़ाने के साथ-साथ वह हमारे सम्पट में नहीं आये, हम उसमें सफल नहीं हो पायें। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपने स्कूलों का विस्तार करने की, अध्य पकों की जो योजना बनायी है उसको पूरा करने में आप लगनशीलता से काम करेंगे तभी सफल हो पायेंगे। साथ ही साथ, कुछ खामियां भी शिक्षा में हैं जो मैं कहना चाहता हूं जैसे समय पर स्कूलों का न खुलना, समय पर परीक्षा परिणाम न आना, साथ ही साथ जो यूनियन्स के चुनाव होते हैं उनका न होना। यूनियन्स के चुनाव होने के साथ साथ आज जो शिक्षा मे बिसंगतियां शुरू हो गई हैं वह यह हैं कि जो ट्रांसफर्स होते हैं वे ट्रान्सफर्स मात्र राजनीतिक द्वेष भावना से या राजनीति से होते हैं उन पर भी चैक किया जाए। साथ ही साथ, शिक्षा में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आज गांवों में टीचर्स का अभाव पाया जाता है और शहरों में टीचर्स अधिक से अधिक मिलते हैं। मेरी समझ में जो आता है वह सुझाव यह है कि गांवों के टीचर्स के रहने के लिए आवासीय व्यवस्था का प्रावधान खास तौर से उन बड़े गांवों में जरूर करना चाहिए जो गांव दूर हैं और शहर वहां के नजदीक नहीं है। साथ ही साथ, मैं आज की शिक्षा के बारे में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह शिक्षा सिर्फ ज्ञान की प्रणाली न होकर हम स्वावलम्बी कैसे बनें, इसका भी इसमें समावेश करने की आवश्यकता है। इसलिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भी हमको साथ-साथ खोलने चाहिए जो इस बजट में नहीं खोले गये हैं।

दूसरा, आज शिक्षा के बारे में बच्चों के लिए होस्टल्स की सुविधा का ध्यान हमको रखना चाहिए था उस पर हमारे बजट में कोई ज्यादा प्रावधान नहीं रखा गया है। जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं उनको होस्टल में रहने से ही जो शिक्षा का अच्छा माहौल मिल पाता है वह हमारे यहां नहीं मिल पाता है। जो होस्टल्स हमारे पास हैं उनमें भी जो सुविधाएं मिलती हैं जैसे अच्छे कमरों की, साफ कमरों की, लाइट व्यवस्था आदि, वह पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं। बल्कि यहां तक है, माननीय मन्त्री जी जानते हैं कि जो होस्टल्स हमारे पास हैं उन पर वे ही लोग कब्जा किए हुए हैं जो शिक्षा भी पूरी कर चुके हैं। साथ ही साथ, जो बच्चे नये आते हैं उनको होस्टल में एडमिशन के लिए सुविधा नहीं मिल पाती है। लिहाजा,

(श्री आर. पी. शर्मा)

बच्चों के होस्टल्स साफ सुथरे रहें, उनमें लाइट की व्यवस्था पूरी करें, वहां वार्डन्स की व्यवस्था पूरी हो, इसका भी प्रावधान हमको रखना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : शांतिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : माननीय सभापति महोदय, इस बार माननीय मुख्य मन्त्री जी ने शिक्षा मद में प्रावधान रखे हैं वास्तव में वे बहुत सराहनीय हैं। किसी बात को अच्छा कहने के लिए तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है और तुलनात्मक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो राजस्थान में पहली बार शिक्षा के मद में जो बढ़ोतरी हुई है उतनी बढ़ोतरी प्रिवियस ईयर्स की तुलना में कभी नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के प्रावधानों में टोटल 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और पूरे प्रदेश की जनता इसके लिए आभार व्यक्त कर रही है और इस बात की सराहना कर रही है।

इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षा में माननीय सदस्यों को जानकर आश्चर्य होगा कि 119 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि हमारी सरकार शिक्षा के प्रसार के लिए वास्तव में बहुत चिंतित है और चिन्तन करके निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार 40 वर्ष के शासन में भी इतना प्रचार प्रसार शिक्षा में नहीं कर पायी और अब क्योंकि हमने यह अहसास किया कि पूरे देश में हमारे राजस्थान का यदि सूचीबद्ध तरीके से देखें तो नीचे से दूसरा स्थान आता है इसलिए शिक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का इस बात के लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं।

इसी तरह से सैकण्डरी शिक्षा के लिए उन्होंने लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि की है इस बजट में। तो देखना इस बात को है कि टोटल प्रावधानों के अनुसार हमें इन बातों के संकेत मिलते हैं, एक तो शिक्षा प्रसार के लिए काफी प्रावधान रखे हैं और एक शिक्षण संस्थाएं जो पहले खुल चुकी हैं लेकिन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं उनके सुदृढ़ीकरण के लिए।

शिक्षा प्रसार के बारे में मैं निवेदन करूं आपके समक्ष कि यह जो इनफार्मेशन हमको विभिन्न पत्रों के माध्यम से मिली है कि इस बार जितनी नयी संस्थाएं खुलेंगी, जितनी नयी प्राथमिक शालाए खुलेंगी इसमें झुग्गी झौंपड़ियों में, कच्ची झौंपड़ियों में भी प्राथमिक शालाएं खोलने का प्रावधान रखा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति की कालोनीज में जहां पर सामान्यतः ढाई सौ की जनसंख्या के आधार पर प्राथमिक शाला खोलने का प्रावधान रखा है लेकिन इनके लिए 150 का ही रखा है। इस बात के लिए माननीय मंत्री महोदय बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़ी जाति का बहुत ध्यान

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

रखा है कि इनकी शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा उन्नति हो ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी का कार्य क्षेत्र भी ज्यादातर वही है ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : यह भी सही बात है कि इनको इसमें जिस तरह का एक्सपीरियेंस है और अनुभव है उस अनुभव का पूरा-पूरा लाभ राजस्थान की जनता को शिक्षा की दृष्टि से मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको भी एक सैकण्डरी स्कूल दे देंगे ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मेरे को तो सैकण्डरी स्कूल भी मिलेगा, हायर सैकण्डरी स्कूल भी मिलेगा और एक कालेज भी मिलेगा । जब घोषणा होगी तब आप देख लेना । धन्यवाद ।

तो मैं यह निवेदन करना चाह रहा था, माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : रामनारायण जी पीछे नहीं रहेंगे, माननीय सदस्य ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : शिक्षा के सुदृढ़ीकरण का जहां तक सवाल है ।

श्री रामनारायण चौधरी : जिनके मर जाएं बादशाह उनके रूलते फिरें वजीर, तो हमारी तो जब दिल्ली....

श्री सभापति : आप तो खुद ही बादशाह हो, बिराजो ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : कांग्रेस शासन में जितनी नयी संस्थाएं खुली थीं....

श्री रामनारायण चौधरी : आप हमारी जो हैं वे बन्द नहीं करवा दो यह तो गारण्टी रखना ।

श्री सभापति : आप तो खुद ही बादशाह हो । शीशरामजी से कहें तो वे खुलवा देंगे एक दो ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : कांग्रेस शासन में जितनी नयी शिक्षा संस्थाएं खुली थीं उनके सुदृढ़ीकरण के बारे में कोई व्यवस्था नहीं दी थी उन्होंने । इसलिए हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि सिर्फ फार्मेलिटीज के नाते शिक्षण संस्थाएं नहीं खोली जाएं, अपितु वह वास्तव में कारगर दृष्टि से लाभप्रद हों और इससे बच्चों को लाभ हो ऐसी स्थिति लाने के लिए प्रावधान रखें हैं । जहां पर एक टीचर है वहां पर दो टीचर्स का प्रावधान किया है और इसी वर्ष उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी । इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा और शिक्षा में भी सुधार होगा ।

इसी के साथ, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजसमन्द को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिला बनाया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिला बनाने के बाद बहुमुखी वहां पर विकास हो रहा है । एक दफ्तर, एक विकास की संस्था को लाने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

लेकिन जिले के साथ में कई चीजों का सामान्यत: वैसे ही विकास हो जाता है। तो उस क्षेत्र की जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है और आज वहां के लोग अहसास करते हैं कि जिला नहीं था तब क्या स्थिति थी और आज विकास की दृष्टि से क्या स्थिति बन रही है। तो इसके लिए वह बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी सरकार बहुत-बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि राजसमंद जिला एक ऐसा जिला है राजस्थान के तीस जिलों में, जहाँ पर महाविद्यालय जैसी कोई संस्था नहीं है। न सरकारी हैं, न प्राईवेट है। वहां महाविद्यालयीय शिक्षा उपलब्ध न होने के कारण वहां की बालिकाओं को विशेष तौर से दिक्कत होती है। साढ़े तीन सौ बालिकाएं वहां के विभिन्न महा विद्यालयों में पढ़ने जाती हैं और कई तो इस कारण नहीं जा पाती हैं पढ़ने के लिए बाहर कि पेरेण्ट्स इजाजत नहीं देते हैं। आज कल की स्थिति, सभापति महोदय, आपको मालूम है कि बालिकाओं का रोज स्वच्छन्द रूप से एक-दूसरे गांव में रहना या दूसरे शहर में शिक्षा की दृष्टि से रहना खतरे से खालीनहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जीसे कि उस क्षेत्र की जनता पर उपकार करें यह बहुत बड़ा उपकार होगा यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक महाविद्यालय की व्यवस्था कर देंगे। इससे बालिकाओं और विशेष तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ होगा। मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं और खुले आम कह रहा हू, इसमें कोई आशंका की बात नहीं है।

दूसरा मेरा निवेदन, सभापति महोदय, यह था कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो इनका एकमात्र उद्देश्य यह रहता था कि संस्थाएं खोल दो। इनकी स्थिति कैसी है, कैसी नहीं है, इस बात की चिन्ता नहीं करती थी। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। रेलमगरा तहसील में खण्डेल गर्ल्स मिडल स्कूल है और इसी तरह राजसमन्द तहसील में सांगड़तला गर्ल्स मिडल स्कूल है। राजनैतिक दबाव के कारण जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने वहां पर गर्ल्स मिडल स्कूल खोल दिए। आज वहां की स्थिति यह है कि वहां के गर्ल्स मिडल स्कूल में बच्चों को एडमिशन नहीं देते सांगड़तला स्कूल में मात्र दो विद्यार्थी हैं, सभापति महोदय। इसलिए नहीं कि शिक्षा के प्रति वहां की जनता जागरूक नहीं है लेकिन इस लिए कि वहां (समय-समाप्ति सूचक घण्टी) नहीं है बच्चों को। दूसरी बात यह है कि उस गांव की लोकेशन इतनी ओड़ है कि वहां पर कोई भी महिला अध्यापिका अपनी पोस्टिंग पसन्द नहीं करती। यदि किसी की पोस्टिंग कर भी देंगे तो वहां जाएगी नहीं। वह रिकार्ड में तो रहेगा कि हमने इतनी अध्यापिकाओं की पोस्टिंग कर दी है लेकिन फिजिकली वहां पर स्कूल के ताला लगा रहता है। मेरा निवेदन यह है कि इन दोनों गर्ल्स स्कूलों को ब्वायज में कन्वर्ट करने की कृपा करें। ब्वायज स्कूल में कन्वर्ट....

श्री रामनारायण चौधरी : कैसे करते हैं बताओ आप ?

श्री शांतिलाल खोईवाल : मेरी बात सुन लीजिए, माननीय, आप तो बहुत सीनियर सदस्य हैं। मेरी बात सुनिए।

श्री सभापति : कृपया सुनें, माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल खोईवाल : बॉयज में कन्वर्ट कर देंगे तो निश्चित तौर से लड़कों के साथ लड़कियों की शिक्षा भी उन शालाओं में दिया जाना सम्भव हो पायेगा।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। राजसमन्द जिला औद्योगिक दृष्टि से अच्छा विकास कर रहा है। वहां मार्बल व्यवसाय बहुत पनप रहा है, दरीबा माइन्स है, जे.के. टायर्स है।

श्री सभापति : तो, माननीय सदस्य, मार्बल लगाने की व्यवस्था करना चाहते हैं?

श्री शांतिलाल खोईवाल : हां, वह भी हो जायेगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा निवेदन यह है कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिले में न तो कोई पोलीटेक्नीक कालेज की व्यवस्था है न आई.टी.आई है। तो मेरा निवेदन उच्च शिक्षा मन्त्रीजी, जो तकनीकी शिक्षा का काम भी देख रहे हैं, से है कि कम से कम एक टेक्नीकल शिक्षण संस्थान इस बार यदि खोल दें तो निश्चित तौर से वहां के व्यवसायियों को इसका लाभ मिलेगा और वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसी तरह सिर्फ एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि चित्तौड़गढ़ जिले में घोसूण्डा सैकण्डरी स्कूल है.......

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था पांच मिनट में समाप्त करने की है।

श्री शिवनाथसिंह : आप इसको मान नहीं रहे हैं।

श्री सभापति : मैं मान रहा हूं। मैं समाप्त कराऊंगा।

श्री शांतिलाल खोईवाल : और वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति की है। उस गांव की जनसंख्या दस हजार से भी अधिक है। लेकिन कांग्रेस सरकार आज दिन तक उस सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत नहीं कर पायी और इसका एक मुख्य कारण यह था कि वहां के लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी में है। सुखाड़िया जी तो चित्तौड़ में भाषण देते समय यह कहा करते थे....

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय सभापति महोदय, एक तथ्य बता रहा हूं आपको।

श्री सभापति : आप मांग करें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : स्वर्गीय सुखाड़ियाजी जब भाषण दिया करते थे चित्तौड़ में तो यह कहा करते थे कि यदि आप कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो हम आपकी स्थिति घोसूण्डा जैसी बना देंगे।

एक माननीय सदस्य : बी.जे.पी. थी ही नहीं, साहब।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं यह कहना चाह रहा हूं कि घोसूण्डा जैसी स्थिति जब चित्तौड़ की बना देंगे, इस तरह का वक्तव्य वह अपने भाषणों में दिया करते थे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, माननीय सदस्य। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि घोसूण्डा स्कूल को क्रमोन्नत करके इसको सीनियर सैकण्डरी स्कूल का दर्जा दिलायें।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): माननीय सभापति जी, राजस्थान की जो स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके अनुरूप यह बजट इस साल बना है और यह बजट शिक्षा को समर्पित है। मैं राज्य सरकार को बधाई के साथ आगाह भी करना चाहता हूं कि इतना बड़ा जो बजट आपने शिक्षा के क्षेत्र के लिए रखा है उसका अपव्यय न हो, इसकी चिन्ता और चिन्तन आवश्यक हैं। वैसे तो इस सम्बन्ध में आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का क्रम कन्टीन्यूटी में होना चाहिए अन्यथा अगले वर्ष अगर इस अनुपात में, इतना पैसा इसमें हम नहीं रख पाये तो इस वर्ष का सारा खर्चा व्यर्थ जाएगा। इसलिए इसकी कन्टीन्यूटी भी आवश्यक है। These are the little philosophies for the progress of education जिस क्षेत्र की हम सबको चिंता है और राजस्थान के उत्थान की चिंता हम सबको है। राजस्थान की जो शिक्षा का स्तर सारे देश के अनुपात में है उसको ऊपर उठाना है तो यह चिन्तन और चिन्ता दोनों आवश्यक है। यह न हो जाए कि हम फिर होड़ में गलतियां कर जाएं।

मुझे इस बात का गर्व है कि नार्थ इण्डिया में अजमेर जिला साक्षरता के क्षेत्र में पहला जिला बना। किन्तु इसको पहला जिला बनाने के पीछे, जो परदे के पीछे खेल हुए उसकी जानकारी मुझे है, इसकी व्यथा मुझे है।

श्री सभापति : परदा उठा रहे हैं आप।

श्री किशन मोटवानी : परदा उठाया था किन्तु उठने नहीं दिया गया। उसके कारण, विगत में मैं नहीं जाऊंगा। मैं विशेष तौर से ललित किशोर चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि इनकी निष्पक्षता पर मुझे विश्वास है, वह इसकी तह में जरूर जाएं। माननीय मंत्रीजी, जो शिक्षा मंत्री हैं वैसे वह भी सक्षम हैं उनके सराहनीय कदम हैं, मैं अभी आगे बात करूंगा किन्तु उनका स्टेटस जूनियर है। वह सिनियोरिटी के नाते एक ऐसी सीढ़ी पर है उसमें जा सकते हैं, तह में जाकर जानकारी कर सकते हैं और मैं अब इस बात के विगत में नहीं जा रहा हूं, जानकारी करके ऐसा कोई कारगर कदम आगे उठायेंगे कि इस तरह के असत्य आंकड़ों के आधार पर कोई जिला साक्षर घोषित न हो जाए और फिर आने वाले वर्षों में उसके साथ अन्याय हो जाए इसका जरूर ध्यान रखें। अजमेर जिले के लिए, पहला जिला

(श्री किशन मोटवानी)

घोषित हुआ, हमें गर्व है किन्तु दु:ख इस बात का है कि आने वाले समय में अन्य जो बजट आना था वह बजट रुक गया।

(14.00)

जिससे जो गल्तियां, त्रुटियां रही हैं, उनका सुधार नहीं हो सकेगा। इसलिए मैंने बधाई देते हुए आपको आगाह किया हैं सतर्क किया है कि इस व्यय का अपव्यय न हो और इसकी कंटीन्यूटी आवश्यक है।

मैं इसी परिप्रेक्ष्य में निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर क्षेत्र की जिस तरह की बनावट है, जिस तरह का वहां की पापूलेशन का एटीट्यूड है, वह आप स्वयं जानते हैं। सदन में कई बार यह भी कह चुका हूं कि इतना शालीन है, इतना शांतिप्रिय है, चिन्ता भी करते हैं किन्तु उसकी अभिव्यक्ति नहीं करते हैं। इसका कारण वहां के कुछ सांस्कृतिक गुण हैं जो इम्बाइब्ड है उस सिटी में, जो उन लोगों ने अडाप्ट किये हैं। इस कारण वे शालीन रहते हैं, सभ्य रहते हैं, किसी कष्टदायक बात को भी सहन कर जाते हैं। इसलिए उसका एक विश्लेषण आवश्यक है। मेरी नजर में यह है कि यह शहर, यह जिला शायद इण्डस्ट्रीयली ग्रोथ नहीं कर पायेगा। दुर्भाग्य से ऐसी नीतियों के कारण इसको इण्डस्ट्रियली बैक वर्ड जिला घोषित किया गया है। बैंक वर्ड होने के नाते जो सुविधाएं हैं, इनकम टैक्स की टेरिफस की अन्य छूटें हैं वह अजमेर को नहीं मिली। तो उद्योग वहां लगा नहीं, औद्योगिकरण नहीं हो सका। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि इस अजमेर शहर को शैक्षणिक शहर बना दीजिए, एक इंस्टीट्यूशनल सिटी बना दीजिए। उसका ब्लूप्रिन्ट बनायें। देखिए, आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं 21वीं सदी में जाने की बात सोचते हैं तो इस तरह का सोच हमको डवलप करना पड़ेगा और साइंटिफिक ग्रोथ जब तक हम नहीं लायेंगे, आगे नहीं बढ़ पायेंगे, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसका ब्लू प्रिंट बनायें। उसमें एक ऐसा क्षेत्र था, एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको आज भी इन्स्टीट्यूशनल एरिया के नाम से घोषित किया हुआ है। शिक्षा मंत्रीजी वहां आये, बैठें, उसका अध्ययन करें और आगे के वैकल्पिक जो सुझाव हैं, वह सुनें और उसको उस तरह से डवलप करें। तो मैं समझता हूं कि एक सुझाव उसको शैक्षणिक सिटी बनाने की नीयत से भी आवश्यक है।

दूसरा, मैं उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी हमारे यहां आयी वह अधिकार था अजमेर का। बहुत देर से आयी किन्तु आयी और अधिकार के रूप में मिली। किन्तु उसका एक स्वरूप होना चाहिए था जो थोड़ा थोड़ा डवलप हो रहा है। एकेडमिक स्वरूप उसको दीजिये क्योंकि हम करोड़ों-करोड़ों रुपये के खर्चे से उस कैम्पस को डवलप कर रहे हैं। वैसे तो जो स्टेटस उसे दिया गया था, वह तो सिर्फ एक्जाम कण्डक्ट करने का था। तो एक आफिस बन जाए, आफिस को स्टाफ मिल जाए। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, वैसे थोड़ा डवलप किया हैं, आपकी इस प्रगति रिपोर्ट, जो हमको आज मिली हैं, हमने थोड़ा-सा देखा है उसमें आप शैक्षणिक एक्टिविटी को बढ़ा के देने के प्रयास कर

(श्री किशन मोटवानी)

रहे हैं, उसको तीव्र गति देकर उसका सही उपयोग करें। तो इस दिशा में यह मेरा दूसरा सुझाव है।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि छात्राओं के लिए एक सरकारी महाविद्यालय की अत्यन्त आवश्यकता है। वैसे आपने घोषणा की है जिस भी राजकीय महाविद्यालय में हजार छात्राएं होंगी वहां आप एक राजकीय छात्रा महाविद्यालय खोलेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर का जो महाविद्यालय है जिसको हमने आटोनोमस स्टेटस दे रखा है उसमें दो हजार से भी ज्यादा छात्राएं है और अनुपात में अगर मैं कहूं उसको आप अन्यथा लेकर के मुझे फिर यूं फीगर्स में नहीं फंसाइयेगा कि 60 पर्सेन्ट लड़कियां है, किन्तु उसको छात्राओं के महा विद्यालय की अत्यन्त आवश्यकता है। यह तीसरा जो सुझाव है यह अजमेर सिटी को एजूकेशनल स्टेटस देने की नीयत से मैने निवेदन किया है वह आवश्यक है।

अजमेर को इंजीनियरिंग कालेज की भी अत्यन्त आवश्यकता है। पेराफरने लिया उपलब्ध है। मैं समझता हूं, माननीय ललित किशोरजी जानते हैं कि जिस सनन कोटा का इंजीनियरिंग कालेज खोला गया था, उसी दौर में अजमेर के लिए भी एक इंजीनियरिंग कालेज की बात हुई थी और खोलने की सारी तैयारी थी किन्तु किन्हीं कारणों से नहीं खुल पाया। मैं उस विगत में नहीं जाकर इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह आवश्यक है यह मूल भूत आवश्यकता है। वहां पर आपको पेराफरने लिया भी उपलब्ध है जिसको आप सही तरीके से पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसलिए चौथे नम्बर पर उस मांग को भी मान लीजिये कि चौथी यह चीज है जो अजमेर को एजूकेशनल सेन्टर बनाने की नीयत से खोली जाए तो अति उत्तम होगा। वहां महिला पोलीटेक्निक, महिला आई टी.आई भी स्थापित है। उसकी बिल्डिंग वगैरह का विस्तार और उसमें अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आप विस्तार करें तो उसके साथ एक न्यायसंगत बात होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उसमें अन्य सब्जेक्ट्स भी खोलें।

आटोनोमस कालेज अजमेर की स्थिति के सन्दर्भ में एक निवेदन करूंगा। जिस इच्छा के साथ अजमेर के गवर्नमेंट कालेज को एक आटोनोमस कालेज का स्टेटस दिया था उसके अनुरूप सारी कार्यवाही हुई किंतु एक कार्यवाही जो रही गयी है, जो अत्यन्त आवश्यक है इस आटोनोमस कालेज को सही स्टेटस देने के लिए वह है स्क्रीनिंग आफ दी लैक्चरर्स। जो टीचर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग आवश्यक है। कोई पालिटिकल प्रेशर वाला या इन्फ्लूएंस वाला वहां पर सुविधा से पोस्टिंग करवा लें उससे क्या होता है कि जो इच्छा है आटोनोमस कालेज की वह पूरी नहीं होती। क्योंकि उस आटोनोमस कालेज की इच्छा मिनी-यूनिवर्सिटी की तरह से है, तो उसकी जो व्यवस्था है, वह एकेडेमिक होनी चाहिए और इसलिए वहां स्क्रीनिंग होना अति आवश्यक है आज तक स्क्रीनिंग नहीं हुई है। अच्छे प्रोफेसर, ज्ञाता और सब्जेक्ट्स के

(श्री किशन मोटवानी)

जानकार वहां पर नियुक्ति हो स्क्रीनिंग होकर के तो, मैं समझता हूं, उस इच्छा की हम प्राप्ति कर पायेंगे और This will be another feather in the cap.

इसके बाद मैं अपग्रेडिंग के लिए जो सुझाव हमसे मांगे गये हैं, उसमें एक ही लाइन कहूंगा कि जो आपने हमसे आंकड़े मांगे हैं, माननीय मन्त्रीजी, हम उन आंकडों के आधार पर ही आपको विद्यालयों की क्रमोन्नति की बात करेंगे। मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि कृपा पूर्वक उन आंकड़ों पर ही आधारित होकर के क्रमोन्नति की बात करें और मै समझता हूं यह सदन आप में विश्वास व्यक्त करेगा।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा विस्तार होगा इस वर्ष में, नये टीचर्स आप अपाइंट जरूर करेंगे। उसमें हमारी एक विडम्बना है कि अमूमन शहर शहर का जो प्रत्याशी नियुक्ति पाता है और उसको जो तकलीफ है वह हमारे सिर पर आती है। वह बारबार हमारे पास आता है। क्योंकि उसको उस गांव में मूलभूत सुविधाएं जो सबसे पहली हैं, जैसे हमारे तो हैं आजकल ..

श्री सभापति : मोटवानी साहब, आप व्यवस्थाप्रिय हैं।

श्री किशन मोटवानी : मैं बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हू। आप जब नियुक्ति करें तो या तो जैसे पहले था वैसा करें उसी गांव का बच्चा या बच्ची जो तैयार हो पढ़ाने के लिए तो पढ़ायें, मेट्रीकुलेट हो उसको नियुक्ति दें कि वह पढ़ाये ताकि वह अपना गांव छोड़कर नहीं जावे। अगर दूसरे शहर का या गांव का आदमी उस गांव में नियुक्त कर देते हैं तो उसकी आवश्यकताएं थोड़ी भिन्न हो जाती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो तो वह वहां बैठकर लगन के साथ उन बच्चों को पढ़ा सकेगा और अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सकेगा। इस दिशा में जरूर सोचें। नहीं सोचेंगे तो आप पर, हम पर, दोनों पर बोझ है हम पर बोझ आयेगा तो हम आपके पास लाकर के पटक देंगे, फिर आप जितना भी उसको ढो सकते हैं; ढोयेंगे और फिर रह जायेगा तो हमारी सारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी, हम पर प्रेशर डवलप होगा और हम आप पर प्रेशर डवलप करेंगे। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि नियुक्ति करने से पूर्व थोड़ा उन व्यवस्थाओं की ओर भी आपका ध्यान आवश्यक है।

मैं आपको इस बात को तो बधाई देता हू कि आपने जिलेवार विधायकों की और अफसरों की बैठक की जिसमें व्यावहारिक विद्यमान तकलीफों और शिकायतों का आदान-प्रदान आमने सामने करवाया। यह मैंने ही उस समय आपको एक सुझाव दिया था कि ग्राउण्ड रियलिटीज को देखने के लिए आप एक बार जिले में आयें। किन्तु फिर जो बातें वहां हों उन पर कार्यवाही आवश्यक है अन्यथा यह बातें निरर्थक हो जाती हैं। इसलिए आप इस बात के लिए बधाई के पात्र है। पुन: इस क्रम को चालू रखें और इस तरह से जो दिक्कत वहां विद्यमान हैं वह दूर होंगी।

(श्री किशन मोटवानी)

मैं दो बातों की ओर इंगित करके दो मिनट में बात समाप्त करूंगा। मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक षडयंत्र चल रहा है पर्टिकूलरली अजमेर में और मेरे ख्याल से वह सारे राजस्थान में है कि जिन मकान मालिकों के घर में स्कूल चल रहे हैं उनको खाली कराने के तरीके चल रहे हैं उसमें मकान मालिक का इण्टरेस्ट है। जन प्रतिनिधि का इण्टरेस्ट यह है कि बच्चे वहां पढ़ते रहें, विभाग का भी यही इण्टरेस्ट होना चाहिए कि किसी तरह से वह स्कूल रिटेन रहें। किन्तु जब विभाग का आदमी उसमें शिथिलता बरतता है, मैं दूसरा शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, मैं अपने को शिथिलता तक ही सीमित रखता हूं, कि वह शिथिलता बरतें और उसमें स्कूल खाली कराने की डिक्री हो जाये तो फिर आप उस व्यथित स्थिति को कैसे संभालेंगे ? इसको आप रोकने का प्रयास कीजिए। मैंने आपमें देखा है, कुछ कुव्वत है, कुछ क्षमता है, इसको आप रोकने का प्रयास करें। (व्यवधान) मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मैं अजमेर से आया हूं। मैं कह रहा हूं शुरू से इसलिए मैं वह बात नहीं कह कर....

श्री रामनारायण चौधरी : समझने में गलतफहमी हो जाएगी।

श्री किशन मोटवानी : वह समझते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं। जरूरी थोड़े ही है। आप तो समझ रहे हैं फिर भी मेरे को कुरेद रहे हैं।

लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज करके एक एस. टी. सी. का स्कूल है वह भी एक बहुत बड़े व्यापारी ने ले लिया है, अब वह उसको खाली कराने के लिए काफी ऊंचे स्तर तक बड़ी कोशिशें कर रहा है। मुझ पर भी प्रैशर डालने का प्रयास किया गया। मैंने उस दिन भी आपको मीटिंग में खुले आम कहा, आज भी खुले आम यहां सदन के प्रांगण में कह रहा हूं कि वह षडयन्त्र चलने न दीजिये, मन्त्री महोदय, यह आपकी विफलता हो जाएगी, विफलता में गिनती होगी आपकी अगर वह खाली होता है तो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कल भी एक आर्य समाज के स्कूल के सन्दर्भ में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। आपने अच्छे आंकड़ों के साथ जवाब दिया है मुझे इसमें एतराज नहीं है। यह उस इंस्टीट्यूट का उत्तरदायित्व है कि अपने शिक्षकों को तनख्वाह दे किन्तु उसने उस पांच स्कूल के शिक्षकों को नोटिस दे दिया, जून में उनकी सर्विसेज समाप्त मानी गयी हैं। अब उनकी सर्विसेज तो मेरे लिए गौण है, मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है कि उसमें जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा ? उनका उत्तरदायित्व तो सरकार का है। उनकी भले ही नौकरी का उत्तरदायित्व सरकार का न हो, जैसा कि जवाब दिया गया है किन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका उत्तरदायित्व हम पर है इसका आपको ध्यान रखना होगा। पूल में पाल बांधना होगा। बात करनी होगी। उस संस्था के व्यवस्थापकों को बुलाकर आपको बात करनी होगी कि यह नोटिस वापस लें। अन्यथा होगा क्या ? वह शिक्षक तो अदालत में जाएंगे....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री किशन मोटवानी : सिर्फ एक मिनट। इसलिए आप उस पर और भी ध्यान दें।

माननीय चतुर्वेदी साहब से निवेदन करूंगा कि बार बार सवाल उठ रहा है टैम्प्रेरी लैक्चरर्स हैं गवर्नमैन्ट कालेजेज में उनके बारे में। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री सभापति : मन्त्री महोदय सीज्ड हैं। मन्त्री महोदय कुछ सुलझाने में लगे हुए हैं।

श्री किशन मोटवानी : इसमें कुछ घोषणाएं करेंगे। मैं एक बात को इंगित करना चाहता हू जो मुझे पीड़ा हुई थी, मुझे पीड़ा इस बात की हुई थी कि जब अजमेर में आर. पी. एस. सी. के सामने वह धरना दे रहे थे, मुझे बुलाने आये मैं गया, मैंने कहा, इसमें तो आपको मन्त्री महोदय से मिलना चाहिए, यह तो आपका गेजनेबल, जेनुइन और जस्टिफाइड केस है, इसमें कहां दिक्कत है, तो थोड़ा उनके मन में एक कुंठा थी उन्होंने मुझे यह एक्सप्रेशन दिया, अब कितना सच है, कितना असत्य है मैं नहीं जानता, कि आप जब तक सड़कों पर मामले को नहीं लाओगे तब तक आपके साथ न्याय मुश्किल है। यह थोड़ा मुझे फील हुआ। अगर वह सत्य कह रहे हैं तो ठीक नहीं है, वे असत्य कह रहे हैं तो उनको नहीं कहना चाहिए था। यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि सड़कों पर वह जाएं। यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मसले को आप आज ही इस सदन में समाप्त करें। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की गरिमा के अनुकूल होगा, शिक्षा जगत के अनुकूल होगा।

मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आखिर में एक बात अकादमियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारी सिंधी अकादमी में अभी चेयरमैन किसी अच्छे व्यक्ति को, जो पूर्व में रहे हैं उनको हमने....

श्री रामनारायण चौधरी : मोटवानी जी को बना दो।

श्री किशन मोटवानी : उनका एक्सपीरियेंस ले लें। मुझे नहीं बनाइये। मैं नहीं बनूंगा। एक्सपीरियेंस उनका हमको हो गया, किसी नये अच्छे व्यक्ति को बनाइये। साथ में, आपके वेदव्यास जी के सन्दर्भ में जो है, मैं निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : वह काफी आ गया।

श्री किशन मोटवानी : वह प्रगतिशील व्यक्ति हैं, कुंठित व्यक्ति नहीं हैं। उनके सन्दर्भ में जो आपके यहां का एटीट्यूड है इस एटीट्यूड को संकीर्ण मत कीजिये, इस पर खुलापन लाइये। वह भी एक अच्छे सुदृढ़ चेयरमैन रहे हैं और एक दिशा देने वाले चेयरमैन रहे हैं। उनके साथ इस तरह की अन्यायपूर्ण स्थिति न हो, उनकी गरिमा के अनुकूल कार्य हो, ऐसी मैं आपसे आशा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी। आज सभी सभापति तालिका के माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इसलिए मैं सबसे

Page No. 136

(144)

(श्री सभापति)

निवेदन कर रहा हूं कि आप सब व्यवस्था प्रिय हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, हमारी मारवाड़ी में कहावत है कि भणया री चार आंख यानि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है उसकी चार आंखें मानी गयी हैं। शिक्षा का बहुत महत्व प्रारम्भ से ही माना गया है।

श्री सभापति : मैं चार आंख करने के पक्ष में नहीं हूं। आप बोलें।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप तो पहले ही कर चुके। आप तो पहले ही पढ़ाई कर चुके हैं।

सभापति महोदय, शिक्षा का बहुत ही महत्व है। हमारे यहां प्राचीन काल से ही शिक्षा को अति महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हुए गुरुकुलों की स्थापना की गयी, शिक्षित करने की योजनाएं बनायी गयीं और शास्त्र भी लिखे गये वह भी इसी श्रेणी में आते हैं। आज किसी भी राज्य की कल्याणकारी छवि तब तक नहीं बन सकती जब तक वहां के अधिकतम लोग शिक्षित न हों, । साक्षर न हों या राज्य की कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम जब तक हम लोग राज्य के निवासियों को, समाज को शिक्षित नहीं कर लें, तब तक सफल हो ही नहीं सकती। आज आप देखें, फेमिली प्लानिंग कार्यक्रम फैला जा रहा है, पर्यावरण दिनोंदिन दूषित हो रहा है। जिस प्रकार की भी हमारे यहां समस्याएं हैं उन सबके पीछे जाकर अगर देखें तो एक ही बात सामने आयेगी कि इसका जो प्रमुख कारण है वह इललिटरेसी। चाहे जनसंख्या वृद्धि हो, चाहे पर्यावरण को नष्ट करने की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, देश में अराजकता की बात हो, सबसे पहली बात आयेगी इल-लिटरेसी। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा ही उस प्रजातन्त्र की सफलता का मूल आधार है।

सभापति महोदय, हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं परन्तु राजस्थान देश के अन्य प्रान्तों की तुलना में कहां है इसे भी तो हम देखें। राजस्थान का जो शिक्षा का प्रतिशत है, देश के जितने भी प्रांत हैं चाहे वे केन्द्र शासित प्रदेश हों, चाहे और प्रान्त हों, उन सारे 31 प्रान्तों में नीचे से दूसरा हमारा नम्बर है। सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महिला शिक्षा में हमारे राजस्थान को 31 वां स्थान प्राप्त है। सबसे लास्ट में है। 20.44 प्रतिशत है हमारा महिला शिक्षा का। अब आप विचार करें कि जिस प्रान्त में माताएं शिक्षित नहीं होंगी उनके बालक कैसे शिक्षित होंगे, कैसे राष्ट्र की योजनाओं का निष्पादन होगा, कैसे एक सुदृढ़, विकसित राष्ट्र की हम कल्पना कर पायेंगे ?

सभापति महोदय, आज इस मांग संख्या 24 शिक्षा पर जो वाद-विवाद रखा गया है, मैं कहना चाहूंगी कि इसमें न वाद है, न विवाद है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के पिछड़ेपन को चुनौती मानते हुए शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए राजस्थान को शिक्षा की दृष्टि से दूसरे प्रान्तों के मुकाबले सम्मानजनक स्थिति

(श्रीमती ताराभण्डारी)

दिलाने के लिए एक गहरी सूझबूझ का उपयोग करके, एक दृढ़ मानसिकता का उपयोग करके और परिवर्तन की पूरी-पूरी मंशा को रखते हुए बजट का जो 25% भाग शिक्षा के मद में खर्च करने का प्रावधान किया है, यह अभूतपूर्व है। मैं बधाई देना चाहती हूं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को। कि राजस्थान में महिलाओं के शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, महिलाओं के स्वावलम्बन को बढ़ाने के लिए, महिलाओं में शिक्षा के प्रति रुझान पैदा करने के लिए जिस प्रकार के इस बजट में प्रावधान किये हैं उसके लिए राजस्थान का समस्त महिला समाज उनकी दीर्घायु और स्वस्थ आयु की कामना करता है।

सभापति महोदय, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं, वे आदर्श विद्या मन्दिर की बात कर रहे थे। यह आदर्श विद्या मन्दिर, माननीय सभापति महोदय, मैं इनको बता देना चाहती हूं कि सेवादल के संस्थान नहीं हैं। आदर्श विद्या मन्दिर जो संस्थान हैं

श्री राजेन्द्र चौधरी : आर एस. एस. के संस्थान हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : हां, सेवा दल के अड्डे नहीं हैं। आर. एस. एस. की संस्थाएं हैं या किसी की भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में जिस बालक का निर्माण होता है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि उसको भविष्य में किसी प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती। इन आदर्श विद्या मन्दिर ने बालक को स्वावलम्बी बनाने के लिए, उसकी मौलिक प्रतिभाओं को उभारने के लिए, उसको अनुशासनबद्ध रखने के लिए और एक सुदृढ़ राष्ट्र की कल्पना के कारण उसमें अच्छे संस्कार भरने की दृष्टि से जो शिक्षा का स्तर बनाया है, उसके कारण माननीय विपक्ष के सदस्य भी मन से सब लालायित रहते हैं कि हमारे यहां भी आदर्श विद्या मन्दिर या सरस्वती विद्या-मन्दिर या भारतीय शिक्षण संस्थान का कोई संस्थान खुले तो हम अपने बच्चों को भेजें इनमें कई सदस्यों के बच्चे पढ़ रहे हैं.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसने कहा ? (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं कह रही हूं। बाहर बात करते हैं, तब कहते हैं। बाहर जब बात करते हैं, यही भावना रहती है।

श्री सभापति : बाहर की बात अन्दर मत लाइये।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह बात ठीक है। (व्यवधान) सभापति महोदय, आदर्श विद्या मन्दिर के बारे में जब इन्होंने चोट की तो मुझे बरदाश्त नहीं हुआ। आदर्श विद्या मन्दिर को क्या अनुदान दिया जाता है और वहां के शिक्षक क्या पाते हैं, माननीय सदस्यों को पता नहीं होगा। मैंने एक शिक्षक से बात की थी कि आपको तनख्वाह क्या मिलती है। उन्होंने कहा, 'बहिनजी, तनख्वाह की बात मत कीजिए, तनख्वाह की दृष्टि से बात करोगे तो जितनी मेहनत

(श्रीमती तारा भण्डारी)

हम करते हैं उतना पाते नहीं लेकिन जो हम पाते हैं वह कोई पाता नहीं क्योंकि जैसे युवकों का निर्माण आदर्श विद्या मन्दिर में रहकर हम कर रहे हैं, जिन बालकों का निर्माण आदर्श विद्या मन्दिर में रहकर हम कर रहे हैं वह हमारे लिए एक सुख और सतोष का साधन है। सभापति महोदय, आज हमारी राज्य सरकार, हमारी केन्द्र सरकार सभी की इच्छा है कि शिक्षा, चिकित्सा या जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें राज्य सरकार बहुत काम नहीं कर पाती है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अभी तो भूमिका ही शुरू नहीं हुई।

श्री सभापति : आप सिरोही की बात कीजिए। सिरोही की बात कीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, सभी लोग चाहते हैं कि यह जो मूलभूत सुविधाएं हैं चूंकि राज्य पूर्ण रूप से यह सुविधाएं दे नहीं पाता, इसलिए निजी संस्थान आगे आयें और जो भी निजी संस्थान अच्छा काम करते हैं उनको बराबर सुविधाएं भी राज्य सरकार को देनी चाहिए।

सभापति महोदय, इस बजट में माध्यमिक शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, बालिका शिक्षा को सारे परिप्रेक्ष्य में देखते हुए सारी ही संस्थाओं के लिए बजट बढ़ाया गया है ताकि समाज में शिक्षा का एक वातावरण बने। सरकार कितना भी दे दे, पुस्तकें निःशुल्क दे दे पढ़ाने के लिए, फ्री में वर्दी दे दे फीस नहीं ले लेकिन जब तक हमारे समाज में शिक्षा का वातावरण नहीं बनेगा, सभापति महोदय, तब तक कुछ भी सम्भव नहीं है। हमारे इस बजट में समाज के सभी वर्ग शिक्षा से लाभान्वित हों, इस तरह का विचार करके अन्यान्य तरीकों से शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है ताकि लोग इससे जुड़ें। और तो और, सभापति महोदय, पहली से आठवीं तक की बालिकाओं की शिक्षा के लिए पुस्तकें निःशुल्क देने की बात कही है। सभापति महोदय, आप कल्पना कीजिये उस बालिका की जो गरीब के घर जन्मी है और भाई को बस्ता लेकर स्कूल जाते हुए निहारती है, पड़ोसी को स्कूल जाते हुए निहारती है, पड़ोसी को स्कूल जाते हुए देखकर शिक्षा की ललक मन में लिए विचार करती है कि क्या कभी मेरा भी नम्बर आएगा। धन्यवाद है राजस्थान के मुख्य मंत्री को और मंत्रिमण्डल को, राजस्थान की सरकार को जिसने इस गरीब के घर जन्मने वाली बालिका को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाकर उसके जीवन में उजाला भरने और उसके जीवन को स्वावलम्बी बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। सभापति महोदय, राजस्थान में महिला शिक्षा के लिए ...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : समाप्त ही करूं। ठीक है सभापति महोदय, दो बात कहकर समाप्त करूंगी। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। एक बात उच्च शिक्षा से सम्बन्धित है। हमारी सरकार ने मान-

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सिकता बनायी है कि महिला कन्या महाविद्यालयों को 90% अनुदान देंगे। मैं बधाई देना चाहती हूं रायसिंहनगर के लोगों को, जिन्होंने वहां की महिला शिक्षा के लिए प्रयास किया। लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाई को देखकर वहां के निवासी रो पड़े और वहां सम्पूर्ण कन्या महाविद्यालय जन सहयोग से चल रहा है। वह लोग कल यहां आए थे, मुझे मिले, उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले अगर हमें कोई अनुदान नहीं मिला तो, उच्च शिक्षा मन्त्रीजी जा रहे हैं, सभापति महोदय, यह उन्हीं का विषय है, मैं चाहती हूं कि 31 मार्च से पूर्व जितने भी कन्या महाविद्यालय हैं, चाहे संगरिया का मीरा कन्या महाविद्यालय हो, चाहे अजमेर का कन्या महाविद्यालय हो, चाहे कहीं का भी हो जो जन सहयोग से चल रहे हैं उन्हें अनुदान की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, एक बात और कहूंगी। मेरे क्षेत्र में सन् 78 में इसी सरकार ने मनादर में एक सैकण्डरी स्कूल खोला था। सभापति महोदय, वह सैकण्डरी स्कूल 1978 से 1983 तक चलता रहा। उसके बाद 1980 में जो माननीय विधायक जीतकर आये, उनको उस मनादर गांव से वोट नहीं मिले इसलिए मेरा वह मनादर का स्कूल दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिया गया। 1983 तक मनादर का सैकण्डरी स्कूल चला परन्तु सभापति महोदय, राजनैतिक भेदभाव से मेरा वह स्कूल स्थानान्तरित कर दिया। अब सरकार हमारी है, दुबारा इस बात पर विचार करके मनादर में सैकण्डरी स्कूल की स्थापना करें।

सभापति महोदय, महिला शिक्षा की भी कमी है तो महिला प्रशिक्षण संस्थानों की भी कमी है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी को सुझाव देना चाहती हूं कि वे गर्ल्स एस. टी. सी. की भी स्थापना करें। अगर महिलाओं को स्वावलम्बी बनाना है तो गर्ल्स एस.टी. सी. भी खोलना जरूरी है। पश्चिमी राजस्थान में आप महिला शिक्षा के आंकड़े देखिये, बाड़मेर 7%, जालौर 7%, जैसलमेर 11%। महिला शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो पश्चिमी राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान में सिरोही सेण्टर में पड़ता है। अतः वहां पर एक महिला एस. टी. सी. खोला जाए....

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्रीमती तारा भण्डारी : धन्यवाद तो दूंगी। आबू रोड में लोक जुम्बिश और शिक्षा कर्मी कार्यक्रम चल रहे हैं। सिरोही सारा आदिवासी इलाका है, एस. सी. का क्षेत्र है, लोक सभा कांस्टीट्यूएंसी पूरी एस. सी. की है तो पूरे सिरोही जिले में बाकी की पंचायत समितियों में भी लोक जुम्बिश और शिक्षा कर्मी कार्यक्रम चालू कराकर समाज में एक वातावरण बनाया जाए।

सभापति महोदय, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की जो स्थापना की है वह अपने आप में बड़ा साहसिक कदम है। जिन घरों से बालिका पढने नहीं जाती हैं, उनके माता पिता उन्हें मजदूरी में लगा देते हैं।

श्री सभापति : धन्यवाद, माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन नहीं पढ़ने जा सकने वाली बालिकाओं को उपयुक्त साधन और वातावरण उपलब्ध कराएगा।

इस नाते मैं शिक्षा मन्त्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, शिक्षा की मांग संख्या 24 पर बहस हो रही है। सारा सदन राजस्थान का जो शिक्षा का स्तर है हमारे देश के मानचित्र पर और विशेषकर महिला शिक्षा का जो स्तर है उससे चिंतित है। इस चिंता में मैं भी अपने आपको शामिल करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मन्त्री महोदय से कि बजट के बारे में यह कहा गया है कि शिक्षान्मुखी बजट है, काफी पैसा इसमें दिया गया है, इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि वह इस चिंता में शामिल हुई है।

मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से स्कूल हमने खोले हैं, प्राइमरी स्कूल भी खोले, मिडिल स्कूल भी खोले, सैकण्डरी स्कूल भी खोले लेकिन जो विशेष बात और समस्या हमारे सामने हैं, नये स्कूलों के खोलने की बात तो हमारे सामने है ही उसके लिए भी बजट में प्रोविजन किया हुआ है लेकिन सबसे मुख्य बात जो है वह शिक्षकों की कमी की है। वह एक चिंता का विषय है और मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सारे सदन की चिंता का विषय है। हम जब भी गांवों में जाते हैं तो वहां हमारे सामने सबसे पहले समस्या यह आती है कि स्कूल तो खुल गये हैं पर वहां पर 6—7 साल से टीचर्स नहीं हैं। हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने यह घोषणा की है कि मैं टीचर्स लगवा दूंगा। सभापति महोदय, मैं एक्जाम्पल देना चाहूंगा कि मेरी कांस्टीट्एंसी बिलाड़ा में जो भावी स्कूल है, वहां पर साइन्स के चूंकि टीचर्स ही नहीं थे इसलिए बच्चों ने वहां पढ़ना ही बन्द कर दिया यह विषय होते हुए भी। स्कूलों में बच्चों ने जाना ही बन्द कर दिया और एडमिशन ही लेना बन्द कर दिया। यह समस्या आ गयी। रतकुड़िया का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। वास्तव में पिछले दो-तीन सालों से विज्ञान विषय के अध्यापक नहीं हैं। यह तो आपको मैंने एक टैस्ट केस बताया है, ऐसी बहुत सी जगह स्थितियां हैं - जब मैंने अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात की तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जो भी रिटायर्ड टीचर्स हैं और जो प्रवक्ता लेवल का रिटायर्ड टीचर है उसको हम 100 रुपया पर-डे के ऊपर रखेंगे. यह शिक्षा विभाग की तरफ से व्यवस्था है। यह बहुत सुन्दर व्यवस्था है, मैं इसका स्वागत करता हूं पर साथ में मेरा यह भी सुझाव है कि जहां पर रिटायर्ड टीचर्स उपलब्ध नहीं हैं 100 रुपये में और आज क्योंकि इतनी

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

बेरोजगारी भारी समस्या है हमारे सामने और हम इस बात की चिंता करते हैं और सदन इस बात की चिंता करता है, जब हमारे पास ट्रेण्ड उपलब्ध नहीं हैं, तो जो एम. एस. सी. किया हुआ है, अनट्रेण्ड, है जो विज्ञान विषय का है, उसको हम उसी नीति के अन्तर्गत क्यों नहीं लगाते ? हमारा उद्देश्य शिक्षा देने का है रिटायर्ड आदमियों को लगाते हैं तो उनको भी हमें लगाना चाहिए। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में आप जरूर विचार करें और इसके बारे में जरूर जानकारी दें सदन को और इस बारे में जरूर निर्देश कर दें कि जो आलरेडी स्कूल खुले हुए हैं उनमें उनको लगाया जाएगा।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब नये 6 हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने जा रहे हैं। अब यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस शासन ने 6 हजार खोल दिये और भारतीय जनता पार्टी के शासन ने उनको बन्द कर दिया। खोले यह भी सत्य है और बन्द किये हैं यह भी सत्य है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी चर्चा हुई थी कि अब हम चार हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और खोलने जा रहे हैं। उसमें उसी तरह से हम टीचर्स लगायें जो मेरा सुझाव है। मेरा यह भी सुझाव है और कि जो पहले खोले गये थे इस समय उनको प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए क्योंकि वह राजस्थान के बाहर नहीं खोले गये थे, वह राजस्थान के अन्दर ही थे और वहां जरूरत थी, बच्चे भी पढ़ रहे थे। शाला का भवन बन गया, लाखों रुपये के भवन बन गये और बच्चे वापस चले गये, टीचर्स वापस चले गये। तो आप इस बात का ध्यान रखें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, मुझे आज ही मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, आज प्रदूषण और पर्यावरण की भारी समस्या है जो कि एक चिंता का विषय है। हम सभी चिंतित हैं आपने यह कहा है कि हम इसका इरादा रखते हैं और खोलेंगे। तो स्नातक स्तर पर हमको इसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ा चिंता का विषय है और जब आप अपना उत्तर दें तो पर्यावरण और प्रदूषण को स्नातक स्तर पर शुरू करने की बात जरूर करें

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महाविद्यालय आप अभी कोई भी नहीं खोल रहे हैं, जैसा कि मुझे उत्तर में बताया। तो जब भी खोलें, मैं उच्च शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि बिलाड़ा के आसपास का क्षेत्र जैतारण, सोजत आदि का है, यहां पर एक महाविद्यालय खोलने के बारे में जरूर निर्णय करें।

सभापति महोदय, अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एकेडेमी के बारे में बात कही थी। मेरे कल के प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मन्त्री जी ने बताया था। मैं साहित्य अकादमी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं, सभापति महोदय, 3 मार्च, 1994 के नवभारत टाइम्स में बात छपी है कि प्रदेश में भाजपा सरकार

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

के गठन के पश्चात आर. एस. एस से जुड़े भारतीय साहित्य परिषद् ने अजमेर के अपने प्रान्तीय अधिवेशन में अकादमी अध्यक्ष को हटाने की मांग की। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मांग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सभापति महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि साहित्य अकादमी जैसी सस्था जहां साहित्यकारों की बात हम करते हैं, जो साहित्य का सृजन करते हैं, जो हमें दिशा देते हैं और जो हमें ज्ञान देते हैं, वहां पर हम इस तरह की बात करेंगे ? साहित्य अकादमी के गले में संघ का फन्दा। सण्डे मेल के अन्दर 20 या 26 मार्च का आया, संघियों की निगाह में खटकता है एक साहित्यकार। इसमें कुछ बातें भी लिखी हुई हैं। मैं वही बात कर रहा हूं, शिक्षा मन्त्री जी, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। यह भी लिखा है कि जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उन्होने आपको कोई पत्र लिखा है। मैं चाहूंगा, क्योंकि अध्यक्ष का पत्र है और उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं और इन पेपर्स में भी वह बात है तो आप उसकी जांच जरूर करवाइये। मैं जांच के लिए आग्रह कर रहा हू कि इन बातों में सत्यता है कि नहीं। माननीय सभापति महोदय, मेरे एडजोर्नमेंट मोशन के माध्यम से जो उत्तर आया, मुझे जो रिप्लाई मिला, उसमें विरोधाभास है। विरोधाभास यह है कि 17 जनवरी, 94 को ऑर्डर करके राज्य सरकार ने यह कहा है कि आक्षेपों के निर्णय तक यह कार्यवाही, कोई मीटिंग संचालक के और सदस्य के बीच नहीं हो सकती। यह आदेश जारी किये हैं और उसके अन्दर किसके खिलाफ आक्षेप हैं, यह कोई उल्लेख नहीं है। जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं उनको इन दो महीनों के अन्दर आज तक किसी प्रकार की सूचना सरकार की तरफ से नहीं मिली।

(14.39)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पंदासीन।)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की स्थितियां एक साहित्य अकादमी के साथ होती हैं और उसकी कार्यप्रणाली को रोक दिया जाता है जबकि वह एक स्वशासित निकाय है। मेरे ख्याल से आपको भी ध्यान है, इसके अन्दर जो बात कही गयी है कि विवाद उत्पन्न हो गया आपस में इसलिए कार्य रोका गया है, जब कि आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से तो यह कहा है कि कार्य नहीं रुका है। जो कल उत्तर दिया है उसमें आपने कहा है कि गतिरोध उत्पन्न हो गया है और काम रुक गया है। वस्तुस्थिति यह है कि कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। अध्यक्ष ने केवल जो सैक्रेटरी है अकादमी के और जो दूसरे मैम्बर्स हैं संचालिका के, वे अपने हित के लिए आर्थिक प्रोजेक्ट बनाकर जो फायदा लेना चाहते हैं उसकी पुनर्समीक्षा की बात की है। कोई उसमें गतिरोध वाली बात नहीं है। दूसरे, इन्होंने कहा कि जो पहले के कार्यक्रम थे वह रुक गये हैं, जब कि यह बिलकुल असत्य बात है। यह उत्तर अपूर्ण है। मैं आपको जानकारी दे दूं, आपके संचालकों द्वारा निर्देशित ऋषभदेव, सोजत शहर, अजमेर एवं हिण्डौन सिटी के कार्यक्रम निर्धारित

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

स्थान पर एवं संयोजकों से ही करवाये गये हैं। कोई संयोजक नहीं बदला। यह बिलकुल असत्य बात कही गयी है। भीलवाड़ा कार्यक्रम सम्बन्धी संयोजक की असमर्थता के कारण करवाया जाना बाकी है, जबकि बूंदी के कार्यक्रम के संयोजक ने यह कार्यक्रम करने से मना कर दिया। इसी प्रकार कोटा का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा लगाये गये 17 जनवरी के प्रतिबन्ध के कारण पूरा करना बाकी है। संचालिका का निर्णय बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। जब शिक्षा उन्मुखी हमारा बजट है, हम शिक्षा के प्रति चिन्ता कर रहे हैं, इसमें हम राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, तो अब साहित्य अकादमी जैसी स्थिति में तो बिलकुल ऐसा नजर आता है कि सरकार....

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : साहित्य अकादमी और शिक्षा का क्या सम्बन्ध है? साहित्य अलग चीज है, शिक्षा अलग चीज है।

श्री रामस्वरूप मीणा : व्याख्याताओं के मामले में तो आप खड़े नहीं हुए और अब खड़े हो रहे हो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने कल यह नहीं कहा था, जब पुलिस की मांग पर बोल रहे थे, कि आपका पुलिस से क्या सम्बन्ध है। बड़ी चिन्ता कर रहे थे पुलिस के लिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें स्टेटमेंट बिलकुल गलत दिया गया है। इस तरह की हालत पैदा हो गयी कि सरकार ने तय कर लिया बिना कोई जानकारी के। आप संचालिका की बैठक रोक दें, आप सरस्वती सभा की बैठक रोक दें और काम नहीं करने दें, यह एक चिन्ता की बात है। आप जब यहां थे तो आपने भी चिन्ता व्यक्त की थी। मैं उस चिन्ता में अपने को भी शामिल करता हूं और यह सदन की भी चिन्ता का विषय है। साहित्यकार सभी के हैं, उसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। फिर इस तरह किसी के प्रति कार्यवाही कर उसको मजबूर करना कि आप इस्तीफा दे दो चूंकि उसका लेखन ऐसा है। साहित्यकार अपना लेखन अपनी भावना से करता है, मर्जी से करता है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं हो सकता ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक-दो बातें और निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल खोलने की बात की है। इसमें यह जरूर है, जैसा आपने सुझाव दिया था यहां से, आपका निश्चित रूप से यह मानस है कि राजस्थान में शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हो। अभी माननीय सदस्या ने, जो सिरोही से आती हैं, चिन्ता व्यक्त की थी पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान में सिरोही भी है, बाड़मेर भी है, जैसलमेर भी है और जालोर भी है। ऐसी स्थिति के अन्दर मैं यह चाहूंगा, मेरी आपसे कोई यह बात नहीं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्कूल खुलवाने के लिए आपसे बात करूं, आप उसमें प्रतिशत देखें, कहां पर स्टूडेण्ट का प्रतिशत कम है, छात्र कितने आ रहे हैं, पुराने स्कूल कहां कितने खुले हुए हैं। इस बात का जरूर आप उसमें ध्यान रखें, यही

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति लोग मिल गये आपस में।

श्री रमाकान्त शर्मा : क्या करें, सभापति इसी सदन के सदस्य हैं तो मिलेंगे भी।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारी शुभकामना है आपके साथ, सहानुभूति है।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : सभापति महोदय, यह जो बजट है, शिक्षा को पूर्ण समर्पित बजट है। इसके लिए मैं मुख्य मन्त्री जी का, वित्त मन्त्री जी का और शिक्षा मन्त्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। सारे राजस्थान के लोग इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं। आज के नहीं, आने वाली पीढ़ी जो आभार प्रकट करेगी वह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज की पीढ़ी यह महसूस कर रही है कि पिछले 40 वर्षों में शिक्षा पर जो व्यय करना चाहिए था, शिक्षा को जो महत्व देना चाहिए था वह नहीं दिया गया।

शिक्षा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बढ़ोतरी हो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, बेसिक फैक्टर है। जिस भी देश का शिक्षा का प्रतिशत या साक्षरता का प्रतिशत कम होता है, सकल उत्पादन बढ़ ही नहीं सकता। मैं आपको उदाहरण देकर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पंजाब में पानी भी उपलब्ध है, बिजली भी उपलब्ध है, खाद भी उपलब्ध है और अच्छा बीज भी उपलब्ध है परन्तु एक हैक्टेयर में वे 30 क्विण्टल से आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक उसी प्रकार की परिस्थितियों में अमेरिका का किसान 60 क्विण्टल पैदा कर लेता है, क्योंकि अमेरिका का किसान लेटेस्ट जनरल के अन्दर लेटेस्ट रिसर्च को पढ़ लेता है। अमेरिका का किसान यह जानता है कि जिस समय बोया जा रहा है, यदि धरती का टैम्प्रेचर आधा डिग्री कम है या आधा डिग्री ज्यादा है तो उसके उत्पादन में इतने प्रतिशत की कमी होगी या बढ़ोतरी होगी। वह वह पढ़ सकता है। हमारे यहां वही बीज, वही खाद देने के बावजूद, क्योंकि वह लेटेस्ट टेक्निक पढ़ नहीं सकता, किसान उत्पादन बढ़ा नहीं सकता। क्या वजह है कि दिल्ली का आदमी या जयपुर का आदमी उद्योग नित्य प्रति लगा रहा है? मेरे गांव के आदमी ने तो आज तक एक भी उद्योग नहीं लगाया और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि अगले पचास वर्षों में लगा सके, क्योंकि वहां पर शिक्षा नहीं है। शिक्षित आदमी यदि उद्योग लगा सकता है, कृषि उत्पादन को ज्यादा बढ़ा सकता है तो निश्चित ही सकल उत्पादन इन्हीं चीजों पर निर्भर करता है। सकल उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत शिक्षा के अन्दर लगाना चाहिए था, प्रारम्भ से लगाना चाहिए था। प्रथम प्लान के अन्दर कुछ कोशिश की गयी, परन्तु उसके सब्सिक्वेंट प्लान के अन्दर विकृति आयी मस्तिष्क के अन्दर। उन्होंने

(श्री रमाकान्त शर्मा)

सोचा कि सीधा इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से या सीधे उद्योगों से या कृषि से, कृषि का तो नाम था, पूरे देश में बिजली पानी देने से, उसमें भी सफल नहीं हो पाये, बड़ी-बड़ी स्टील मिल, बड़े-बड़े कल-कारखाने लगाकर हम देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ा देंगे। आर्थिक समृद्धि बढ़ा नहीं पाये। और बढ़ा नहीं सकते।

मैं दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि यदि कोई देश शिक्षित है और समसामयिक कारण से, भावनात्मक कारण से अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में कोई गलती कर बैठे तो उस गलती को तत्काल ठीक कर सकता है। परन्तु यदि देश शिक्षित नहीं है तो वह नहीं कर पा सकता। जर्मनी नेस्तनाबूद हो गया सैकिण्ड वर्ल्ड वार के अन्दर। बचे हुए चन्द आदमी जो थे चाहे वे महिलाएं थीं, बुड्ढे आदमी थे, बारह वर्ष तक के बच्चे थे, वे सब शिक्षित थे। पांच वर्षों के अन्दर उन्होंने जैसा पहले था, ठीक वैसा का वैसा बना लिया। रशिया का 1917 के बाद यदि उस कार्यक्रम को देखा जाए तो रशिया में सबसे पहले लेनिन ने, स्तालिन ने यह कहा था कि मेरा देश सम्पूर्ण शिक्षित होना चाहिए। आज तो 99 प्रतिशत शिक्षित है ही, परन्तु जहां 1917 के अन्दर कुल 32 प्रतिशत लोग साक्षर थे, उन्होंने जाकर 1954 के अन्दर ही अपने देश को 80 प्रतिशत शिक्षा में पहुंचा दिया। परिणाम देखिये कि पिछले पांच वर्ष पहले उन्होंने रियलाइज किया कि हम गलत राजनैतिक रास्ते पर जा रहे हैं और चन्द सालों के अन्दर ही 180 डिग्री दूसरी दिशा में चल पड़े। क्योंकि वह देश शिक्षित था। मेरे देश के अन्दर यह जो डंगल प्रस्ताव आया हुआ है इसको देश का किसान, जो सीधा उससे सम्बधिन्त है, न आज समझ पाएगा, न कल समझ पाएगा और इसके कुप्रभाव बीसों वर्षों तक चलते रहेंगे, कभी परिवर्तन नहीं कर सकेगा। क्योंकि जो इसको लागू कर रहे हैं वे सीधे प्रभावित नहीं हैं और जिन पर लागू हो रहा है वे सीधे प्रभावित हैं, परन्तु वह उसकी बात को समझ नहीं पा सकता। अशिक्षित होने का उनको जो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, वह बहुत ही मुश्किल की चीज होगी।

सभापति महोदय, इस वार्षिक प्रगति विवरण के अन्दर कहा गया कि प्राथमिक विद्यालय आठ गुना हो गये पिछले 42 सालों के अन्दर। बधाई हो सभी लोगों को, बहुत अच्छा काम किया। आठ गुना देखने के अन्दर तो बहुत अच्छा लगता है; बड़ा प्रभावशाली लगता है, परन्तु लिखने वालों को यह देखने की बात है कि इसकी बेस लाइन क्या है। यदि बेस लाइन सिफर है, मायनस है, नैगेटिव है तो आठ गुना नहीं अठारह गुना भी बेकार है। मैं उदाहरण के लिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ग्रोथ रेट अमेरिका की आज एक प्रतिशत हो और हमारी दस प्रतिशत हो, तो वह एक प्रतिशत हमारी दस प्रतिशत से दस गुना ज्यादा है क्योंकि उनकी बेस लाइन बहुत ऊंची है। उस एक प्रतिशत का जो वाल्यूम है सारे आर्थिक उत्पादन का, वह हमारे से कई सैकड़ों गुना ज्यादा होता है। आज हमारी तीन प्रतिशत, चार

(श्री रमाकान्त शर्मा)

प्रतिशत ग्रोथ रेट उस एक प्रतिशत के मुकाबले में कुछ नहीं है। तो प्रश्न यह आता है कि जब हमारे पास में स्कूल नहीं थे बिलकुल, न माध्यमिक स्कूल थे न प्राइमरी स्कूल थे, कुछ भी नहीं थे, और उसमें हम यह कहें कि यहां आठ प्रतिशत बढ़ गये हैं, यहां 15 प्रतिशत बढ़ गये हैं, यहां 20 प्रतिशत बढ़ गये हैं तो बेमानी है। हम कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छे काम किये परन्तु वास्तव में देश की जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता के मुताबिक ये उपलब्धियां बहुत बड़े गौरव का विषय नहीं है। हां, पिछले तीन-चार वर्षों में जो उपलब्धियां हैं वे उपलब्धियां जरूर गौरवशाली हैं।

सभापति महोदय, एक सम्पूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम चल रहा है। मैंने भी पिछली विधान सभा के दौरान निवेदन किया था, पिछला सत्र नहीं, पिछली 9वीं विधान सभा के अन्दर कि मेरे अलवर में भी होना चाहिए और धन्यवाद है राजस्थान सरकार का, कि उन्होंने अलवर के अन्दर भी इस साल प्रारम्भ कर दिया। परन्तु यह जो साक्षरता कार्यक्रम है यह कोई बहुत सार्थक होने वाला नहीं है जब तक इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उन बेसिक इंग्रेडिएन्ट्स के बारे में पूरा ध्यान नहीं रखा जाए। बेसिक इंग्रेडिएंट यह है कि 6 वर्ष से 14 तक वर्ष के जो बच्चे हैं, बालक-बालिकाएं हैं, उनके लिए स्कूल, नैक्स्ट डोर उपलब्ध हैं या नहीं हैं। यदि 6 से 14 वर्ष के सारे के सारे हण्ड्रेड पर्सेण्ट बच्चों को हम स्कूल के अन्दर प्रवेश नहीं दिला सके तो जिस जिले को सम्पूर्ण साक्षर 1994 में कर देंगे, 1995 के अन्दर जो नये बच्चे आएंगे वह उस स्कूल के अन्दर प्रवेश नहीं लेंगे तो सम्पूर्ण साक्षर नहीं रहेंगे और 2–3 वर्ष के बाद हम कहेंगे कि इस जिले में सम्पूर्ण साक्षरता के लिए

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फिर दुबारा कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाए। तो इसलिए सम्पूर्ण साक्षरता के मामले के अन्दर यह अत्यन्त आवश्यक है। यह सोचना पड़ेगा कि जिन-जिन जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम है, उन जिलों के अन्दर जो 6 वर्ष का बच्चा है उसके लिए नैक्स्ट डोर स्कूल खोलने की आवश्यकता है। वे खोलेंगे तो हां हम यह समझते हैं कि यह सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम होगा।

सभापति महोदय, कई चीजों के अन्दर यह जो अभियान की कल्चर हमने डाल रखी है यह सम्पूर्ण साक्षरता भी उसी कल्चर का कार्यक्रम है। बड़ा अच्छा लगता है, पापूलर-सा लगता है परन्तु यह अभियान की कल्चर से हम नियमित तरीके से प्रगति नहीं कर सकेंगे। हैण्डपम्पों के लिए अभियान चलाते हैं। अब के सब ठीक करा दिये, दो महीने के बाद सब वापस वही की वही बराबर। राजस्व के अभियान चलाते हैं, इतने नामान्तरण खोल दिये, दो महीने के बाद फिर वही की वही हालत है। यह अभियान जो सम्पूर्ण साक्षरता का है, यह भी उसी तरह की बात होगी। जो हमारा नियमित जीवन है उस नियमित जीवन को नियमित तरीके से तथा नियमित विभागों को नियमित तरीके से अपनी आगे प्रगति करने की

(श्री रमाकान्त शर्मा)

आज्ञा नहीं देंगे और न यह कल्चर डालेंगे तो हम अभियान-अभियान के चक्कर में रहेंगे और कभी भी आवश्यक प्रगति नहीं कर सकेंगे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैंने तो माननीय, अभी कुछ भी नहीं बोला है।

श्री सभापति : 7 मिनट हो गये हैं। और निर्देश दिये हैं कि 7 मिनट में....

श्री रमाकान्त शर्मा : बस दो मिनट में समाप्त करता हूं। मैंने 2.45 से शुरू किया....

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा था, आप वहां बिराजमान थे, आपने भी तुरन्त हमको रोक दिया था, जब अस्थायी व्याख्याताओं का मामला चल रहा था। अब आपके साथ क्या बीत रहा है, वह आपको दुःख हो रहा है। वे अस्थायी व्याख्याता बेचारे रो रहे थे बाहर और आपने मुझे रोक दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं 2-3 बातें शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। यदि शिक्षा के क्षेत्र में नियमित तरीके से प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले बच्चों के लिए जितने स्कूल चाहिए उतने स्कूलों की व्यवस्था हो। और बच्चे स्कूल में जांए, उनके लिए और उनके अभिभावकों के लिए किसी न किसी प्रकार का इन्सेन्टिव होना चाहिए। जब तक इन्सेन्टिव नहीं होगा, वे वहां जाएंगे नहीं। शिक्षा की इस प्रकार की गुणवत्ता होनी चाहिए कि जो फेमिली अपने बच्चे को पढ़ाती है, वह यह महसूस करे कि अब यहं कुछ हमसे बैटर हो रहा है, हमसे कुछ बढ़िया हो रहा है और इसको वहां भेजने से इसमें क्वालिटी आ रही है और शिक्षा के स्तर में क्वालिटी आ रही है। यह उसके लिए एक प्रकार से ज्यादा बैटर इन्सेन्टिव होगा। स्टूडेण्ट-टीचर जो रेश्यो है वह इतना पूअर है कि अब उसकी वजह से गुणवत्ता आ ही नहीं सकती। इसमें बहुत अधिक ध्यान देना होगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्राथमिक शिक्षा के अन्दर ज्यादा से ज्यादा महिला टीचर लगायें। इस बात की भी यदि हमने व्यवस्था कर ली तो मैं समझता हूं कि हम गुणवत्ता और बहुत कुछ प्रगति प्राप्त कर सकेंगे।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री रमाकान्त शर्मा : एक बात कह करके समाप्त करूंगा, मेरे पास बात तो बहुत हैं। माननीय, मैंने आपको निवेदन किया, 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं। टाइम नोट करने की मेरी आदत है, मैंने नोट किया हुआ है, 2.45 पर शुरू किया था अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं, अभी तीन मिनट बाकी हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर....(व्यवधान)....आप बतायें, बैठ जाऊं ? नहीं यदि आपको अच्छा नहीं

(श्री रमाकान्त शर्मा)

लगे तो कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूं। कोई सारी विद्वता मेरी पास ही थोड़ी है। यदि आप चाहें ...

श्री अमराराम चौधरी (धचपदरा) : हां पक्ष बोल दिया, ना पक्ष भी बोल दिया, निष्पक्ष को कब बुलाओगे आप ?

श्री सभापति : बुलायेंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था, भारत वर्ष गुप्तकाल के अन्दर सोने की चिड़िया था। वह सोने की चिड़िया इसलिए था क्योंकि उस समय शिक्षा का बहुत ज्यादा, सारी दुनिया से ज्यादा यहां पर प्रभाव था। वह शिक्षा सारी की सारी निजी क्षेत्र में थी, सरकारी क्षेत्र में नहीं थी। वह समय था जिस समय हमने कालीदास को पैदा किया, जिस समय हमने लीलावती पैदा की जिसने खगोल शास्त्र के अन्दर उस समय वह पुस्तक लिख दी जो कि बहुत बाद में भी दूसरे लोग नहीं लिख सके। तो निजी क्षेत्र शिक्षा के अन्दर बहुत महत्व रखता है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय ने खोला। वह सरकार ने नहीं खोला था, एक निजी आदमी ने खोला था। और आज भी स्थिति यह है कि सारे के सारे जो मध्यम वर्ग के, बड़े वर्ग के लोग हैं, अपने बच्चों को निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। फिर पता नहीं सरकार को निजी शिक्षण संस्थाओं के मामले के अन्दर पेट में दर्द क्यों चलता है। उनको प्रगति करने नहीं देते, आगे नहीं बढ़ने देते। उन पर किसी न किसी प्रकार के रोड़े अटकाते हैं। हमें इन्सेन्टिव देना होगा निजी शिक्षण संस्थाओं को। जो गड़बड़ करे, देखियेगा कि ठीक है, टीचर को तनख्वाह ज्यादा मिलनी चाहिए। परन्तु हर प्रकार की शिक्षा जहां तक ज्यादा से ज्यादा सम्भव हो सके, निजी क्षेत्र में होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय, मेरे क्षेत्र थानागाजी के लोग कहेंगे कि थानागाजी के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। मैं कह देना चाहता हूं आखिर के अन्दर....

श्री सभापति : आपकी दृष्टि व्यापक है, आप थानागाजी तक सीमित थोड़े ही हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : थानागाजी में प्राथमिक शिक्षा के अन्दर प्रगति बहुत कम है, माध्यमिक शिक्षा में भी प्रगति बहुत कम है, कालेज शिक्षा है नहीं, तकनीकी शिक्षा है नहीं बालिका शिक्षा है नहीं। इन सब के बारे में मेरे यहां जो दो लाख आदमी हैं उनके साथ आप जस्टिस करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण जी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, आज शिक्षा की मांग पर विचार हो रहा है। मैंने इसमें एक ही कटौती प्रस्ताव दिया है, प्रदेश में गिरते

(श्री रामनारायण चौधरी)

शिक्षा स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मान्यवर, मैंने बजट भाषण भी सुना है। शिक्षा के अन्दर जो आज माननीय मंत्रीजी ने रकम रखी है, काफी बजट बढ़ाया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। आप दोनों ही, हायर एजुकेशन और एजुकेशन मन्त्री के साथ व्यक्तिगत तौर पर मेरी श्रद्धा और शुभकामनाएं हैं। मैं दोनों को ही सक्षम मानता हूं। मैंने, मान्यवर, बजट भाषण के समय कहा था कि मंत्रीजी ने जो यह बजट पेश किया है, आंकड़ों की, फिगर्स की जगलरी है और जगलरी से मेरा तात्पर्य इन्द्रजाल से था। यह जादूगरी नहीं है, जगलरी का तात्पर्य इन्द्रजाल है। इन्द्रजाल इस तरह से है कि वास्तविकता का पता नहीं चले। यह मेरी तरफ से इन्द्रजाल है। यह आज दोनों बिराज रहे हो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो शिक्षा का बजट आपने रखा है, मैं आपको आने वाले मार्च में चुनौती दूंगा कि आप इतने रुपये शिक्षा में खर्च नहीं करोगे। जितना बजट आपने रखा है, अमल दरामद बजट के अलावा इस बजट के खर्चे की शुरुआत ही आप नवम्बर, दिसम्बर में करोगे। 400 करोड का जो बजट का घाटा है, मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरकीब से, होशियारी से यह कह दिया कि डेफिसिट को इस तरीके से पूरा करूंगा, आप लो स्टाफिंग रखेंगे जो खर्चा आपने एस्टीमेटेड रखा है वह खर्चा नहीं करेंगे और उस हिसाब से 400 करोड़ रुपये की इकानामी के नाम पर, दूसरे नाम पर पूर्ति करेंगे। यदि वास्तव में इतना आप खर्चा करेंगे, जुलाई से ही आप स्कूलों के लिए, कालेजों के लिए अनुदान, यह सब चीजें दोगे तो निश्चय ही आप धन्यवाद के पात्र बनेंगे और निश्चय ही अगले मार्च के अन्दर हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। पर मुझे इसमें डर लग रहा है।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जयपुर के अन्दर कार्यरत चार कालेजों में पी.जी. क्लासेज चालू करने की अनुमति दी।

(15.00)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

सिफारिश आपकी सरकार न कर दी थी और यूनिवर्सिटी ने उसमें झंझट डाल दिया था उसमें आपने बहुत दिलचस्पी ली और चारों ही कालेजों के अन्दर वे लड़के पढ़ रहे है जो बाहर गांवों से आये हुए हैं। कानोडिया कालेज की जो लड़कियां हैं वे सभी बाहर से आयी हुई हैं, शहर की बहुत कम हैं। यही दूसरी कालेजों की है। यही स्थिति सुबोध कालेज की है। सत्यसांई कालेज को पहले ही दी थी, यही स्थिति पारीक कालेज की है। यह आपने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं पर्सनली बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन चारों कालेजेज के लड़कों के भविष्य को आपने बचाया है और संवारा है।

शिक्षा मन्त्रीजी, मैं आपका ध्यान कुलपति और शिक्षकों के बीच जो विवाद गहराया है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। यह दो तीन दिन से आ रहा है। मान्यवर, जब हम पढ़ते थे तब हम सुनते थे कि गवर्नर के बराबर वाइस चांसलर की हैसियत होती है। कुलपति का स्टेटस, प्रेस्टीज, गरिमा राज्यपाल के बराबर होती है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

आज वाइस चांसलर और टीचर्स इस प्रकार से झगड़े सड़कों पर जो कोई नहीं झगड़ता है। सभापति महोदय, सर्वोच्च संस्था है यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी में हाईकोर्ट और लेजिस्लेचर के अन्दर हम जिस तरीके से वे लड़ रहे हैं वैसे ही यहां झगड़ें, वाकयुद्ध करें और उससे आगे कई जगह हो जाता है, वैसा हम करें तो लोग हमें देख कर गांवों में और शहरों में क्या कहेंगे ? सबसे ऊंचा, सर्वोत्तम स्थान है लेजिस्लेचर, सबसे ऊंची है जुडिशियरी और सबसे ऊंची है यूनिवर्सिटी । तो इस विवाद को [illegible] विवाद को आप सलटाइये और ऐसे विवाद उत्पन्न होने ही नहीं दीजिये । आप तो स्वयं इस मामले में बहुत अग्रणी हैं; टीचर्स की समस्याओं को समझने में । क्योंकि आप भी सफल टीचर रहे हैं। इसलिए जो आपका अनुभव और और ज्ञान है उससे इन सब समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलनी चाहिये ।

दूसरा, मैं हमारे जो सैकण्डरी स्कूलों के शिक्षा मन्त्रीजी हैं, श्री कटारिया साहब, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब वी वी जोन था उस वक्त मेरिट के आधार जो फार्मूला गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने शिक्षा विभाग को दिया था, उस फार्मूले के आधार पर इन लोगों का चयन किया हुआ है और उस फार्मूले के आधार पर चयन किये हुए लैक्चरर्स को आप सड़कों पर लाना चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि आप लेना नहीं चाहते हैं। आपकी व्यवस्था लाना चाहती है। उधर से यूनिवर्सिटी बाधक हो गयी, इधर आर.पी एस.सी बाधक हो गयी। ठीक है, आर.पी.एस.सी. स्वतंत्र है, आटोनामस है, कोई दो राय नहीं है लेकिन वह भी गवर्नमेंट से गाइड होती है, यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट से गाइड होती है। मेरी नजर में कोई माननीय सदस्य इस बात से सहमत नहीं होगा जो आप यह बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ही सबकी गवर्निंग नहीं है ? पैसा हम देते हैं, हमारे पैसे से ही सब कुछ चलता है, पैसा सब असेम्बली पास करती है। आटोनामी हमने दी है कि काम अच्छा हो। काम बिगाड़ने के लिए हमने आटोनामी नहीं दी है। आटोनामी इसलिए दी है कि जो हो रहा है उससे अच्छा करके दिखाओ। हम नहीं सम्भाल सके थे वरना जरुरत क्या थी यूनिवर्सिटी को ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, बड़ा अन्याय कर रही हैं। मैं व्याख्याताओं के मामले में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस संबंध में आर्डिनेंस लायें या कुछ भी लेकर आयें, मन्त्रिमण्डल में बैठकर तय करें, कैसे भी करें। इतने साल के ये लोग अनुभवी हैं उनके लिए आर्डिनेंस लेकर आयें, उनकी क्वालिफिकेशन का क्या करेंगे। एक डिसीजन करके इनको स्थायी कर दीजिये बैकडेट से, जब से वह कर रहे हैं। इसमें क्या फेवरेटिज्म करेंगे कि लोग कह देंगे कि पक्षपात किया। क्या पक्षपात किया है ? ये मेरिट से आये हैं। इसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिये।

स्कूलों के अन्दर फिजीकल एजूकेशन के लिए, श्री कटारियाजी, मैंने आपके लिए एक चीज नोट कर रखी है। कि फिजीकल एजुकेशन के लिए हमारे यहां बहुत स्कूलें

(श्री रामनारायण चौधरी)

हैं। बहुत इतनी नहीं है कि जितनी कि अपन को आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहां के लड़के अमरावती से पढ़कर आते हैं। कितना खर्चा वे महाराष्ट्र में जाकर करते हैं? इसलिए आप यहां की आवश्यकता के अनुपात में एक दो जहां पर भी आप मुनासिब समझें, जिस पर भी आपकी कृपा हो वहां खोल दीजिये। लेकिन राजस्थान से बाहर लोग महाराष्ट्र में जाकर पैसे खर्च करके वहां दुःखी हों, उचित नहीं है। उनको वहां होस्टल नहीं मिलते हैं, जगह नहीं मिलती है, भाषा नहीं मिलती है। वहां हमारे लड़कों के बराबर उनका कम्पीटिशन होता है लेकिन वे वहां दुखी होते हैं। राजस्थान जैसे फिजीकल इन्स्ट्रक्टर महाराष्ट्र में है ही नहीं यहां जैसे फिजीकल लड़के वहां नहीं हैं। जो हमारेलड़के वहां जाएं यह हमारे लिए बहुत अशोभनीय बात है। इसकी तरफ आप ध्यान दीजिये।

आपने शिक्षा का बजट डबल किया है. निस्संदेह इसमें किसी को सन्देह नहीं है लेकिन इस बजट को आप खर्च कर दीजिये। जुलाई से स्कूलें खुलें, जुलाई से उनको अनुदान मिले। सारा खर्चा जो आपका शिक्षा का है वह जुलाई से प्रारम्भ हो जाना चाहिए और उसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए। निश्चय ही आपने जो कदम उठाये हैं वह स्वागत योग्य हैं।

मान्यवर, आप जो सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में रिटायर्ड टीचर्स 100 रुपये देकर रख रहे हैं, ठीक है, यह जो स्थिति है, जो आपने एडहाक अरेन्जमेंट कर रखा है वह अच्छी है।

श्री सभापति : श्रीमान्, आप कन्क्लूड कर लें।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी पार्टी के समय में से काट लीजिये, साहब।

श्री सभापति : लेकिन आपकी पार्टी के दूसरे लोग भी बोलेंगे आपके पीछे यह नहीं कि वह नहीं बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप इसमें जो बेकार लड़के हैं, बेकार से मतलब अन-एम्पलायड एजुकेटड ट्रेंड, बी. एससी, एम. एससी., बी.एड. जो लड़के-लड़कियां हैं, 100 रुपये उनको देने के बजाए उनको आपको रखना चाहिए था। आप उनको मेरिट के आधार पर रख लेते। जिनके अच्छे नम्बर्स थे उनको रख लेते, इन्टरव्यू रख देते, उनकी परीक्षा रख देते। कैसे भी करके इन लड़कों को आपको रखना चाहिए था ताकि बेरोजगारी के अन्दर उनको मदद मिलती। वे हर तरह से एलिजीबल थे।

माननीय सभापति महोदय, आप घंटी बजा रही हैं, दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने स्वयं माना है कि पिछले 12 महीनों के लिए आप पर ज्यादा आक्रोश निकालने की स्थिति में हम नहीं हैं, हम आपको एकदम +++

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

कहने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसा हम कहेंगे तो +++ होगी, एक साल का राष्ट्रपति का शासन था, वो नौकरशाही का था। गवर्नर साहब को मैं नौकरशाही में नहीं बता रहा हूं, गवर्नर साहब का तो नाम था, बाकी सारी की सारी व्यवस्था ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में थी और ब्यूरोक्रेट्स किसी के नहीं होते हैं। आपको मालूम है, पंचायतों के प्रशासन के मामले में, ग्राम सेवकों के मामले में सदन सर्वसम्मत था....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब मैं दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकारूंगी।

श्री रामनारायण चौधरी : तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एक साल का कार्यकाल था उसका हम आपको उलाहाना नहीं देते हैं, आपके ऊपर आक्रोश नहीं आ रहा है। पत्रकार लॉबी लिख देगी कि हमला नहीं हुआ सत्ता पक्ष पर। सत्ता पक्ष पर वह हमला कैसे होगा? एक साल का तो शासन आपका था ही नहीं और हमला होता है तब जब गलतियां होती हैं, लेटबेज होते हैं। और जो काम करता है उससे गलतियां होती हैं। आपने दो ढाई साल पहले जो किया था वह तो इस एक साल के अन्दर धुल-धुला गया, साफ हो गया। अब जो आप काम करेंगे, एक साल के बाद आपकी परफारमेंस मानी जाएगी। इस साल के दरमियान में जो स्कूल खाली रहे हैं, कृपा कर स्कूलें खाली नहीं रखें। पूरा स्टाफ दीजिये और स्टाफ ही नहीं दीजिए, कटारिया साहब, आप इस बात को एनश्योर कीजिये कि टीचर्स स्कूलों के अन्दर जाएं।

श्री सभापति : देखिए, बहुत लोग सुझाव देने वाले हैं। आपका सुझाव वह समझ गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : वह आप कृपा रखें कि टीचर्स स्कूलों के अन्दर जाएं, स्कूलें खाली नहीं रहें।

मैं शिक्षा मन्त्री महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि आज गांवों के अन्दर पब्लिक स्कूलों के नाम से इतनी इन्स्टीट्यूशंस चल रही हैं, आपकी तरफ का मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपकी ट्राइबल बैल्ट है लेकिन इधर जयपुर की तरफ से चण्डीगढ़ की तरफ चले जाएं तो हर बड़े गांव में 2-2, 3-3, 4-4 पब्लिक स्कूलें मिल जायेंगे और वहां टीचर्स कौन हैं? टीचर्स वे हैं जो नान-मैट्रिक हैं, मैट्रिक हैं और ग्रेजुएट्स हैं जिन्हें 200-200, 300-300 रुपये मिलते हैं। लेकिन फर्ज इतना है। मेरे खुद के गांव के अन्दर प्राइमरी एजूकेशन के अन्दर 2 स्कूल हैं एक लड़कियों का और एक लड़कों का उनकी स्ट्रेंथ गिर गयी और जो पब्लिक स्कूल खुला है उसके अन्दर ढाई सौ लड़के हैं। वहां पढ़े लिखे और क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं लेकिन एक क्वालिटी उनके अन्दर है कि वहां सब एकदम टाइम पर आते हैं, लड़कों को सम्भालेंगे उनको डिसिप्लीन में रखेंगे। इसलिए आप अपने

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

टीचर्स को रेगूलर कीजिये, नियमित वे जाएं। शिक्षा मंत्रीजी आज स्थिति यह है उधर गांव में टीचर दौड़ता हुआ आता है। और दौड़ते हुए स्कूल के अन्दर आता है तो अगर पायजामा है तो ऊपर चढ़ा रखा है और अगर धोती है तो पाटी मार रखी है और आते ही एक लड़के को आवाज देता है कि तुम घण्टी बजाओ, एक लड़के को कह देता है कि तुम प्रेयर करवाना, तुम मेरे लिए बोतल लेकर आओ मैं लैट्रीन हो आता हूं। पीछे प्रार्थना होती है और वह टीचर बोतल लेकर जंगल के अन्दर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजये। श्री समर्थलाल मीणा।

श्री रामनारायण चौधरी : ....पाखाना करने के लिये निकल गया तो....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। आ जाएगा। आप बिराजिये। जैसे भी आसन की व्यवस्था है. उसी के अनुसार बोल रही हूं। आप बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : दो इधर के दो उधर के और फिर एक का बीच से बुलाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारा कोई समय निश्चित नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : हम नहीं बैठेंगे। निकाल दो हमको। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति : रूल्स में नहीं है पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आसन से प्रोटेक्शन चाहता हूं। आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति : कौनसे नियम में है? पाइंट आफ इन्फार्मेशन किस नियम में है, बताइये आप। बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आसन को शायद जानकारी नहीं है कि कोटा में....

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, आप किताब निकाल लीजिये। इन्होंने पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन उठाया है।

श्री रामनारायण मीणा : आप नोटिस लीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें। ये बता रहे हैं ना पाइंट आफ इन्फार्मेशन। आप बिराजें।

सूचना

निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध चुनावी मुकदमे

श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : आप नोटिस तो लें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कोटा में 45 आदमियों के खिलाफ चुनावों के मुकदमें दर्ज किये जा रहे हैं। उसमें से बीजेपी वालों को

(163)

(श्री रामनारायण मीणा)

छोड़ा जा रहा है, कांग्रेस के मेम्बर्स के खिलाफ दर्ज किये जा रहे हैं सबको नोटिसेज दिये जा रहे हैं जो यहां सदन के इलेक्टेड मेम्बर्स हैं। किशनगंज वालों के यहां सरकार के द्वारा फोटो खींचे जा रहे हैं। ये इन्स्ट्रक्शन्स गवर्नमेंट दे रही है कि जहां बीजेपी के एम.एल.एज. जीते हैं उनको छोड़कर बाकी के खिलाफ नगरपालिका अधिनियम की धारा 198 के तहत मुकदमे दर्ज किये जाएं। इस तरह का भेदभाव और ++ + जो किया जा रहा है....

श्री सभापति : आपने सूचना दे दी, ठीक है।

श्री रामनारायण मीणा : मैं निवेदन करना चाह रहा हूं इस पर सरकार का स्टेटमेंट आना चाहिए। सरकार का स्टेटमेंट आना चाहिये क्योंकि टी.एन. शेषन कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है, राज्य सरकार अपने अधीनस्थों को इस तरह के आदेश देकर, अपने कर्मचारियों को जो यहां इनके ई. ओज. वगैरह लगे हुए हैं....

श्री सभापति : आपकी सूचना हो गयी। बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : यह सूचना नहीं है। हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और सरकार से स्टेटमेंट दिलाइये कि हमारे खिलाफ जिस तरह से मुकदमें बनाये जा रहे हैं, सदस्यों के खिलाफ....

श्री सभापति : देखिये, सूचना दे दी। आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : जिस तरह से मुकदमे बनाये जा रहे हैं सदस्यों के खिलाफ, उनको काम करने से रोका जा रहा है, उनको टेरेराइज किया जा रहा है, मैं आसन से प्रोटेक्शन चाहता हूं, सरकार स्टेटमेंट दें कि ऐसा क्यों हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरे स्वयं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : .... ये भेदभावपूर्ण नीति नहीं चलेगी, किसी कीमत पर भी नहीं चलेगी, माननीय सभापतिजी। (व्यवधान) मुकदमे दर्ज किये गये है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस तरह का कोई तरीका हैं क्या... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मामला गम्भीर लगता है। (व्यवधान) चतुर्वेदी साहब हंस रहे हैं, ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं। चतुर्वेदी साहब का इस बारे मुस्कराना, हंसना रहस्यमय लग रहा है (व्यवधान) देखिये आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये आप, सूचना हो गयी। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : सरकार के प्रतिनिधि, चतुर्वेदी साहब हंस रहे हैं

++ + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(163)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसलिए मुझे इस मामले में रहस्य लग रहा है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : रहस्य बड़ा गम्भीर है और बात नहीं सुन रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर के विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। (व्यवधान) क्या राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है ?

श्री सभापति : सूचना आ गयी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस बात का नोटिस दिया जा रहा है यह क्या मामला है ? इसलिए इस बात को गम्भीरता से लेते हुए .. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : यह नेता विहीन विपक्ष है। अनुशासनविहीन, नेता विहीन विपक्ष है।

(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता नहीं चलेगी। इस तरह के.... (व्यवधान) सभापति महोदया, इस तरह की राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता नहीं चलेगी।

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) विराजिये तो सही। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) एक बार विराजिये तो सही। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह चिन्ता का विषय है।

श्री राजेन्द्र पारीक : हमको प्रोटेक्शन दिया जाए।

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोटा के दो मन्त्री यहां विराजमान हैं और उनको कहना चाहिए कि इस प्रकार के कोई मुकदमे नहीं हो रहे हैं पॉलिटिकल.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है। विराजेंगे नहीं आप ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसकी व्यवस्था नहीं हुई है ? (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : अगर इस प्रकार का कोई मामला है.. (व्यवधान) अगर इस प्रकार का मामला है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, चिन्तापूर्ण है। (व्यवधान) और इसको राजनैतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : इस तरह से हमको.... (व्यवधान) आपके लोगों को छोड़ा जा रहा है, जबकि यह हुआ है एरिया में सबसे ज्यादा आप लोगों ने पोस्टर लगाये हैं, सबसे ज्यादा नारे लिखे हैं और सबसे ज्यादा प्रचार किया है, इस बारे में व्यवस्था दें आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : We want protection. आसन से प्रोटेक्शन चाहते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन का समय खराब कर रहे हैं ये लोग ।

श्री सभापति : आप बिराजें, बिराजें ।

एक माननीय सदस्य : टी. एन. शेषन से बात करो ।

श्री सभापति : आप बिराजिये ।

एक माननीय सदस्य : नेता विहीन विपक्ष (व्यवधान) नेता बिहीन नेता ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारे तो नेता भाग गये ।

श्री रामनारायण डूडी : हमारे तो कोई नेता नहीं भागे हैं, आप लोगों के नेता भागेंगे । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, गम्भीर मामला है । कभी आप सत्ता में हैं, कभी हम आयेंगे, यह कार्यक्रम तो किसी न किसी रूप में चलता रहेगा पर मेरा कहना है कि....

एक माननीय सदस्य : कृपया सदन की गरिमा रखें, गरिमा....

एक माननीय सदस्य : आसन दो बार पैरों पर होने के बावजूद नहीं बैठे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजेंगे नहीं आप ? बैठेंगे नहीं आप ?

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं यह कहना चाह रहा हूं सीकर के विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और क्या राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है ?

(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह चौधरी : आपको शिष्टाचार में रहना है।

श्री नाथूराम अहारी : सारी नगरपालिकाओं में यही हाल हो रहा है, आपके कार्यकर्ता यही....

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें। आप बिराज जाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि नहीं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : चतुर्वेदी साहब बताओ न इस बारे में कि क्या स्थिति है, क्या मामला है ? आप हंस रहे हो। (व्यवधान) सारी जानकारी है आपको ।

एक माननीय सदस्य : जब तक व्यवस्था नहीं होगी, काम नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आज सारे सदन में आप ही दिख रहे हो हमको तो। आप बताओ जरा । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्यों सरकार नहीं है क्या ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : सरकार बैठी है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजनैतिक दृष्टि से प्रतिद्वन्द्विता से इस तरह का काम किया है। जानबूझ कर राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता से इस तरह किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिए, आप लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं, बैठने को तैयार नहीं। आप चाहते क्या हैं ? (व्यवधान) व्यवस्था कैसे बनेगी ? बिराजिये आप। बिराजिये एक बार। आप बिराजिये। (व्यवधान) आसन पैरों पर है, आपको कोई चिन्ता नहीं है। खड़े-खड़े बात कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : आसन तो पैरों पर है लेकिन सरकार सो रही है।

श्रीमती मीना अग्रवाल : सो रही है तो जागेगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार को जगाइये।

श्री नाथूराम अहारी : यह +++ नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : जो पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन उठाया गया है।

श्री नाथूराम अहारी : यह +++ नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलिये, जब तक आप विराजेंगे नहीं सदन की व्यवस्था नहीं चलेगी।

श्री रामनारायण मीणा : पालिटिकलाइजेशन हो रहा है. राजनीतिकरण हो रहा है। राजनीतिकरण किया जा रहा है (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह+++ नहीं है माननीय सदस्य। देश के प्रधान मन्त्री माननीय नरसिम्हा रावजी को यदि आप कहें, टी.एन. शेषन जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो अपना निर्णय ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर के मैम्बर के खिलाफ मुकदमा .. (व्यवधान)

श्री सभापति : सदन के नियमों का पालन करें। बिराजें आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह+++ नहीं है+++

श्री रामनारायण मीणा : हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। (व्यवधान) हमारे साथ अन्याय हो रहा है और आप नियमों की बात कर रही हैं। आसन से हमें प्रोटेक्शन चाहिए। आसन से हम प्रोटेक्शन चाहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : भाई साहब, आप बैठिये। शान्ति से बैठिये आप। समय की कीमत समझिये। (व्यवधान) भाई साहब, आप बैठ रहे हैं ना। बैठिये, बैठिये।

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

माननीय सदस्य, बैठिये । समय की कीमत समझिये । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए कहा है । मैं आपकी इजाजत से खड़ा हू ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कोई इजाजत नहीं है । किसी को भी इजाजत नहीं है । श्री समर्थलाल मीणा का नाम पुकारा गया है, आपको इजाजत नहीं है । आप बिराज जाइये और फिर भी बोलेंगे तो अंकित नहीं होगा ।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्रीमती मीना अग्रवाल : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अमराराम चौधरी ×××

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री सभापति : बिराजें । मंत्रीजी कुछ बता रहे हैं । बिराजें....(व्यवधान)....आप कुछ भी व्यवस्था नहीं चाहते हैं ।....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने एक कागज हाथ में लेकर यह जिक्र किया कि राज्य.... (व्यवधान) बैठें तो सही । अखबार में याद है, बोलने तो दें । नहीं बोलना हो तो खड़े रहो । You don't want to hear. सुनना ही नहीं चाहते हैं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री सभापति : उनको सुनना नहीं है केवल कागज हिलाना है । कुछ भी नहीं कहना है । आपको सुनना नहीं है ?... (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री सभापति : जब वे आपको बता रहे हैं, आप बोलने ही नहीं देते । .... (व्यवधान) .... सुनना भी नहीं है आपको ।

श्री जगदीप धनखड़ ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री रामनारायण डूडी : ×××

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री सभापति : लेकिन आप क्या चाहते हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री सभापति : बोले तो खड़े हो गये आप।....(व्यवधान).... आप नहीं सुनेंगे तो क्या बोलेंगे ? आप बिराजिये।

श्री रामनारायण डूडी : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री सभापति : आपके कान भी खुले हुए हैं और मुंह भी खुले हुए हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : + + +

श्री रामनारायण डूडी : + + +

श्री सभापति : देखो, अगर आप कान और मुंह दोनों खुला रखेंगे तो नहीं सुन सकते। या तो कान खुला रखें या मुंह खुला रखो।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री रामनारायण डूडी : + + +

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदया....

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री सभापति : आपको सुनना नहीं है? आप बार-बार खड़े हो जाते हो, यह व्यवस्था है ? माननीय सदस्य, आपको डेढ़ लाख लोग देख रहे हैं आपको चुनने वाले। यह क्या बार-बार खड़े हो जाते हो ?.... (व्यवधान)... बिराजें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप बैठें तो सही।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री सभापति : आपको दुहाई नहीं, आपको याद दिला रही हूं। जनता आपके आचरण को देख रही है। क्यों बार-बार खड़े हो जाते हैं आप ?

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री सभापति : बिराजें आप। .... (व्यवधान) ... बिराजें । बिराजें । + + + है वो ठीक है। आपका भी + + + देखा हुआ है, सबका देखा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री सभापति : क्या बात है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री सभापति : क्या कहा मैंने ?

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री सभापति : आपने कहा, 'आपके × × × को देख रहे हैं। बिराजें। मैंने नहीं कहा।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री सभापति : आप विराजें। इन्होंने कहा कि आपका +++ जनता देख रही है तो मैंने कहा कि आपका भी देखा होगा। आपमें तो सब शामिल हैं। आपका +++ इन्होंने कहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री सभापति : आपने कहा कि आपका +++ जनता देख रही है तो मैंने कहा। बिराजें आप। ...(व्यवधान).... आप बिराजें। अगर आप को न सुनना हो तो मैं मन्त्री जी को खड़ा करती हूं। आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री सभापति : बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक ×××

(15.25)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

श्री अध्यक्ष : देखिये, आज जैसा कि तय हुआ था बहस 5 बजे समाप्त हो जायेगी और जो सवाल अभी आपने उठाया है, मैंने सुना है। आप यहां कम से कम सवाल उठायें तो उसका पूरा बैक ग्राउण्ड तो समझें। आज जो कुछ भी म्युनिसिपैलिटीज कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन में कर रही हैं। मेरे खिलाफ हुआ है, 900 रुपये की रिकवरी मेरे पास आयी है। म्यूनिसिपैलिटी ने भेजी है कि हमने आपके सब विज्ञापन साफ किये हैं इसलिए 900 रुपये जमा कराओ। अब यह सब इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन से हो रहा है, उसमें कहीं सरकार पिक्चर में नहीं है और जो बात आप बोलना चाहते हैं तो Mr. Ram Narayan I warn you कि इस तरह के प्रश्न आप न उठाया करो बिना सोचे-समझे। इसमें गवर्नमेंट कहीं पिक्चर में नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन कलक्टर्स को रिटर्निंग आफिसर के नाते लिख रहा है और कलक्टर्स एनफोर्स कर रहे हैं on the instructions of the Election Commission. और उसमें सारे मन्त्री भी हैं, मुख्य मन्त्री भी है, सबके नाम नोटिस जारी हुए हैं, सबको नोटिस मिले हैं और जहां-जहां नगरपालिकाएं चालान पेश कर रही हैं अपने हिसाब से कर रही हैं। अब आप उस प्रश्न को भी जो इलेक्शन कमीशन से सम्बन्धित है, यहां सरकार पर आरोपित करके कुछ कहें तो क्या औचित्य है? यानि कोई प्रश्न भी है... (व्यवधान) नहीं मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा इस पर। मेरी बात पर कोई जवाब नहीं चाहिए। जो समझदार आदमी हैं वे जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। इसमें कोई गवर्नमेंट इन्वाल्व नहीं है। इसलिए इस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है और न बहस मैं कराऊंगा। आप सब जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिये और बहस चलने दीजिये। इसलिए इसका कोई....

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, ...

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो गये, अभी मैं तो बैठा ही नहीं। आप सामान्य जो प्रक्रिया के नियम हैं वे भी नहीं समझते तो I am very sorry for this. मुझे बार-बार खेद करना पड़ता है। मैं फिर खेदप्रकट करूंगा, यह रवैया अच्छा नहीं है। आपका समय कम है, शिक्षा का महत्व है, शिक्षा की बहस होनी जरूरी है। उसको आप सैकण्डरी इम्पार्टेंस दे रहे हैं और एक ऐसे प्रश्न को खड़ा कर रहे हैं जिसका न तो सरकार से सम्बन्ध है और न हाउस से सम्बन्ध है और उस पर हंगामा करते हैं। ...(व्यवधान)....किसी को मालूम नहीं है। अखबार क्या होता है ? यह तो सब जानते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन रिमाइण्डर पर रिमाइण्डर दे रहा है। (व्यवधान).... आप मुझे मत समझाइये। Pleaase, don't nod your head like this.

यह इलेक्शन कमीशन का मामला है, इस सम्बन्ध में एक शब्द नहीं बोलेंगे।

आप बोलिये, समर्थलालजी। आप बैठिये। आप बैठिये प्लीज।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय ..

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरे स्वयं के खिलाफ मेरा चालान हुआ है। वहां कोर्ट में मेरा स्वयं का चालान हुआ है। क्या इस बात की सरकार को जानकारी है ?

श्री रामनारायण मीणा : मैं यह निवेदन करूंगा कि हमने आसन का प्रोटेक्शन चाहा है। मैं आसन का प्रोटेक्शन मांगकर....

श्री अध्यक्ष : आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। यह क्या तरीका है आपका ?

श्री रामनारायण मीणा : मुझे प्रोटेक्शन दीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन।

श्री रामनारायण मीणा : मुझे प्रोटेक्शन चाहिए।

श्री अध्यक्ष : देखिये, अभी मैं आपके सचेतकजी को कहूंगा कि इनको समझाओ और आप उनकी बात मानेंगे नहीं।

श्री रामनारायण मीणा : मुझे प्रोटेक्शन चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। प्लीज सिट डाउन। I say sit down. बोलिये आप। (व्यवधान)... प्लीज सिट डाउन। I say, please, sit down. (interruption) Mr. Ram Narayan Meena, I name you. Do you understand the meaning of this ? (Interruption)... Please, sit down. I name you. बोलिये। प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : Mr. Rajendra Pareek, go out of the House. जाइये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : क्यों जाऊं ?

श्री अध्यक्ष : Either you sit down or go out of the House

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : Eiter you sit down or go out of the House.

श्री राजेन्द्र पारीक : कितना+++ है। निकाला जाना चाहिए। यह कोई बात हुई।

श्री अध्यक्ष : सार्जेन्ट; बुलाइये आदमियों को।

श्री राजेन्द्र पारीक : आ जायेंगे, क्या कर लेंगे आदमी ? क्या कर लेंगे आदमी आकर ? यह आपकी कोई व्यवस्था है ? वहां तो आप चालान कर दो और यहां आप आदमी बुलाकर बाहर निकलायेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप बोलिये। Mr. Sergeant, bring the force. Bring the force.

श्री राजेन्द्र पारीक : यह किस बात का ? यह कर दो, वो कर दो।

श्री अध्यक्ष : Please, sit down. I again say, please, sit down. प्लीज बैठ जाइये। प्लीज बैठ जाइये। बोलिये आप। आप शुरू करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : बाहर निकल जाइये। बाहर निकलवा दूंगा। यह कोई व्यवस्था हुई आपकी ?

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। शुरू करिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। No point-of-order. पहले इनको बोलने दीजिये, then you can raise a point-of-order.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : There is no point-of-order. There is no point-of-order. प्लीज बैठ जाइये।

श्री नरेन्द्रसिंहभाटी : नहीं नहीं, पाइन्ट आफ अर्डर।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। आप आप बोलिए। आप बोलते जाइये। कोई नोट नहीं करेगा किसी का भी। आप उनका करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : There is no point of order.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री रामनारायण : ×××

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री समर्थलाल मीणा (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए जो कटौती प्रस्ताव सदन के सामने माननीय सदस्यों ने रखे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बोलते जाइये, बोलते जाइये । समर्थलालजी का नोट करिये, और किसी का नोट मत करिये।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री समर्थलाल मीणा : उन कटौती प्रस्तावों को पढ़ने से मालूम होता है कि हमारे राजस्थान के अन्दर शिक्षा के अन्दर जो आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है उस आमूलचूल परिवर्तन को करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। उन कटौती प्रस्तावों के अन्तर्गत शिक्षा में हम आगे उन्नति करना चाहते हैं।

श्री भगराज चौधरी : ×××

श्री रामनारायण डूडी : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री रामनारायण चौधरी : ×××

श्री समर्थलाल मीणा : गांवों में जो छोटे स्कूल हैं उनको हम बड़ा बनाना चाहते हैं और.... इस प्रकार से कहीं अगर मिडल स्कूल है उसको हाई स्कूल बनाने की मांग कर रहे हैं....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री भगराज चौधरी : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री समर्थलाल मीणा : कहीं हायर सैकण्डरी स्कूल है उसको सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बनाने की मांग कर रहे हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें जो यह आंकड़े मिले हैं, सन् 1951 के अन्दर राजस्थान की जनसंख्या....

श्री भगराज चौधरी ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री रामनारायण : ×××

श्री समर्थलाल मीणा : 9 प्रतिशत हम साक्षर थे और सन् 1991 में 38.55 प्रतिशत हम साक्षर हो पाये है। यानि 43 वर्षों के अन्तर्गत....

श्री भगराज चौधरी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए, बोलिए।

श्री रामनारायण डूडी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, एक मिनट बैठिये। चौधरीजी, बोलिये।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा के प्रतीक हैं और हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ मैम्बर और इस सदन के सदस्य माननीय भाटी साहब पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं। कृपा करके उनको सुनने की मेहरबानी करिये।

श्री अध्यक्ष : सुनाइये पाइंट आफ आर्डर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपको मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय राजेन्द्रजी ने कोई पाइंट उठाया, वह माननीय सदस्य जब बोल रहे थे, बहुत ही अनफाचूनेट है कि चेयर से आक्षेप उनके नाम में यहां अंकित हो गया। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि भले ही आवेश में आकर यह चेयर ने कर दिया हो, हम सदस्य तो कुछ भी कह सकते हैं, आप हमें लताड़ लगा सकते हैं लेकिन अगर चेयर से वो का वो आक्षेप आपकी मिनटस में आ जाए तो मैं आपको सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं कि उसको अंकित नहीं करवायें। नहीं तो वह एक रूलिंग, व्यवस्था चेयर की हो जाएगी और उचित नहीं रहेगी। यह मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : I will look into it. चलिये, समर्थलालजी, बोलिये।.... (व्यवधान) मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा, आप भी अभी नेता हैं उनको चुप कराइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अध्यक्ष : आप, चौधरी साहब, मेहरबानी करके बैठायें। हां, बोलिये। आप बोलिये।

श्री समर्थलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सन् 1951 से 1991 तक इन 43 वर्षों के अन्दर राजस्थान में हमने तीस प्रतिशत शिक्षा के अन्दर, पढ़ाई-लिखाई में और साक्षर होने में प्रगति की है और हमारी यह कल्पना है कि हम अब सन 1994 के बाद सन 2000 तक राजस्थान में शत प्रतिशत शिक्षा की उन्नति करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 43 वर्षों में हम तीस प्रतिशत बढ़े और आने वाले आठ वर्षों के अन्दर या छह वर्षों के अन्दर हम 61 या 62 प्रतिशत राजस्थान की निरक्षर जनता को साक्षर कर पायेंगे, यह कुछ मेरे समझ में बात आती नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, साक्षरता के अन्दर अजमेर, डूंगरपुर, सीकर, भरतपुर, पाली, अलवर, उदयपुर और राजसमन्द, राजस्थान के इन जिलों के अन्दर हमने काम लिया है और हम साक्षर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद अब तक हमारे राजस्थान के अन्दर 38.55 प्रतिशत शिक्षा का प्रसार हुआ है और मैं ऐसा मानता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितने भी प्रांत हैं उन प्रांतों के अन्दर हम करीब-करीब सबसे पीछे हैं। सबसे पीछे होने के बाद राजस्थान की सरकार ने जो अभी स्कूल और शिक्षा को आगे बढ़ाने का जो बजट

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री समर्थलाल मीणा)

हमारे सामने पेश किया है यह पिछले वर्षों की अपेक्षाकृत काफी अच्छा बजट है। हम शिक्षा के अन्दर काफी तरक्की करना चाहते हैं लेकिन मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने प्राथमिक स्कूल 2313, उच्च प्राथमिक विद्यालय एक हजार, माध्यमिक विद्यालय 90 और उच्च माध्यमिक विद्यालय 138 खोलने का प्रावधान किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि माध्यमिक विद्यालय 90 से काम नहीं चलेगा, कम से कम आप 200 करिये। उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 138 हैं यह भी मैं कम मानता हूं, इनको भी कम से कम आपको 200 करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर 63 महा विद्यालय हैं जिनमें स्नातकोत्तर के 30 और स्नातक स्तर के 33 हैं। आपका शिक्षा का बजट हमने देखा है उसके अन्दर एक भी महाविद्यालय बनाने के लिए कोई पैसे का प्रावधान नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र राजगढ़ के अन्दर सन 1967 में कालेज बना था आज करीब 28 वर्ष हो गये, इन 28 वर्षों के अन्दर एक कक्षा वहां आगे नहीं हुई। यानि वहां पी.जी. होनी चाहिए वह ट्राइबल एरिया है और उस ट्राइबल एरिया के अन्दर पी.जी. का होना बहुत आवश्यक है। उस कालेज में करीब 2200 छात्र-छात्राएं पढ़ती हैं और करीब 70प्रतिशत छात्र और छात्राएं अनुसूचित जाति, जनजातियों की हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर आपका ध्यान नजर आता है लेकिन जब तक राजगढ़ के अन्दर पी.जी. कालेज नहीं होगा तब तक मैं उस ध्यान को ठीक प्रकार से नहीं मानता। इसी प्रकार राजगढ़ के अन्दर एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है छात्राओं का जिसमें करीब 1600 लड़कियां हैं। उस सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल को कालेज बनाया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी मांग है मेरी, वह केवल अलवर जिले से सम्बन्धित नहीं, पूरे राजस्थान से सम्बन्धित है। भारत सरकार निकट भविष्य के अन्दर एक विधि विश्वविश्वविद्यालय उत्तरी भारत के अन्दर खोलने जा रही हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी उत्तरी भारत में अलवर आता है। उससे राजस्थान की पूरी जनता को फायदा होगा और राजस्थान के आस-पास के जितने प्रांत हैं उनको भी फायदा होगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। कि विधि विश्वविद्यालय भारत सरकार जब खोलने जा रही है तो राजस्थान की सरकार को चाहिए कि वह विधि विश्वविद्यालय राजस्थान के अन्दर आये और राजस्थान के अन्दर अलवर के अन्दर उसको खोला जाए इस प्रकार के राजस्थान की सरकार को, अध्यक्ष महोदय, प्रयास करने चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यहां जितने भी कटौती प्रस्ताव आये हैं हम लोगों के इसके अन्दर उनके आधार पर शिक्षा के अन्दर गुणात्मक तरक्की होनी चाहिए। उस गुणात्मक तरक्की के लिए राजस्थान के अन्दर राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल आपने स्थापित कर रखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो एक्जामिनेशन का काम देखता है, स्थापित कर रखा है। राजस्थान के अन्दर राज्य

(श्री समर्थलाल मीणा)

शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आपने सन 1978 से स्थापित कर रखा है। यह शैक्षिक एवं अनुसंधान केन्द्र उदयपुर के अन्दर सन 1978 से चल रहा है। एक परामर्शदात्री समिति है उसका हमारे शिक्षा सचिवजी उसके अध्यक्ष हैं और समिति के अन्दर कुछ सदस्य और होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन 1978 से अब तक हमारी परामर्शदात्री समिति ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए क्या-क्या काम किये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके काम का लेखा-जोखा सदन को मिलना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के अन्दर संख्या में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, स्कूल खूब खोल रहे हैं, महाविद्यालय भी धीमी गति से खोलने जा रहे हैं लेकिन हमारे राज्य के अन्दर और देश के अन्दर शिक्षा का जो स्तर है यह जिस गिरावट तक पहुंच चुका है उससे समाज भी चिन्तित है और हम सब चिन्तित है। इसके अन्दर कोई गुणात्मक परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों की एक समिति बनायी जाए और उनके अलावा राजस्थान के अन्दर जितने भी सेवानिवृत्त विद्वान लोग रहते हैं उन लोगों की भी एक समिति बनायी जाए। एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जो शिक्षा के गिरते हुए स्तर को ठीक कर सके और शिक्षा के अन्दर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गुणात्मक परिवर्तन ला सके। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं.

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम। आप बोल चुके क्या ? बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग सं. 24....

श्री अमराराम (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : आप नहीं, श्री अमराराम सी.पी.एम.।

श्री परसादीलाल मीणा : कल इनकी जगह पर यह बोल गये।

श्री अध्यक्ष : रोज-रोज थोड़े ही होती हैं गलतियां।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग संख्या 24....

श्री अध्यक्ष : अब देखिए आपके पास सवा घंटे का टाइम है और अभी बोलने वालों की संख्या जो है, 15 लोग बोले हैं और अभी 25 लोग बाकी हैं। अब पांच बजे तक जितने बोल लेंगे, बोल लेंगे बाकी रह जायेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा भीम) : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पीछे हम हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके पीछे भगराज चौधरी हैं, जो बाद में आये हैं। वे इसमें सबसे लास्ट में हैं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : हम निर्दलीय हैं, कोई एतराज नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का स्तर आज गिरता जा रहा है। चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय को हो, मैं समझता हूं कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय का अगर रिकार्ड उठा कर हमारे उच्च शिक्षा मंत्री देखेंगे तो ऐसे कई व्याख्याता मिल जाएंगे, जिन्होंने पूरे इस वर्ष में 10 क्लास भी नहीं ली हैं, जो कम से कम एक-एक लाख रुपया उठाते हैं। शिक्षा का स्तर ऐसा है, पढ़ने वाले विद्यार्थी साल भर मेहनत करने वाले वह प्रतिशत प्राप्त नहीं कर पाते लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में किसी भी तिकड़म से परीक्षाओं में से दो रोज पहले प्रश्न पत्र जिनके पास पहुंच जाता है वह वरीयता सूची में एक नम्बर पर आ जाते हैं। आज यह हालत है हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय की। पूरे देश में राजस्थान विश्वविद्यालय की मान मर्यादा थी, आज मिट्टी में मिलती जा रही है। शिक्षा को समर्पित बजट की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में परीक्षा के लिए जिस फार्म की फीस एक रुपया थी, आज हम बढ़ाकर 25 रुपये कर रहे हैं।

जहां तक महाविद्यालयों का सवाल है, महाविद्यालयों में एक तरफ वह विषय हैं जहां विद्यार्थी नहीं आते हैं और लैक्चरर्स एक्सेस बैठे हुए हैं और एक तरफ जहां लैक्चरर्स जाने चाहिए वहां जाते नहीं हैं। सीकर कालेज में फिजिक्स की तीन पोस्ट हैं और चार लैक्चरर हैं जो आज भी बैठे हुए हैं। किस हैड से वह पैसा उठाते हैं? आज जिन्होंने 19-19 साल महाविद्यालय में रेगूलर पढ़ा दिया, उनसे पढ़े हुए विद्यार्थी दूसरी सर्विस में चले गये। लेकिन गलती सरकार की रहे, चाहे कांग्रेस (इ) की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की या किसी संयुक्त दल की सरकार रही हो, गलती सरकार की रहे और वह पढ़ाने वाला लैक्चरर इस बात के लिए भुगते, मैं मैं समझता हूं कि बिलकुल गलत बात है। जिन्होंने 9-19 वर्ष महाविद्यालयों में शिक्षण का कार्य कर लिया, विद्यार्थियों को पढ़ा दिया, क्या वह असक्षम हैं? उनके द्वारा पढ़ाये हुए विद्यार्थी, जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां ली है वह भी क्या गलत हो सकती हैं? तो क्यों नहीं आर्डिनेंस जारी करके उनकी सेवाओं को रेगूलर किया जाए। यहां दूसरा बिन्दु ..

(15.45)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन।)

श्री सभापति : इस समय विधान सभा चल रही है, विधान सभा के चलते नहीं किया जा सकता।

श्री अमराराम : तो नियमों में चेंज करके उनको रेगूलर करें, मंत्रीजी बिल लाकर के चेंज करें लेकिन जिसने 19 वर्षों तक पढ़ा दिया हैं और जिससे पढ़े हुए लोगों ने डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं उनको बाहर करना, मैं समझता हूं, न्यायोचित नहीं है उनके साथ अन्याय है। गलती सरकार ने की है और भुगतना इन लैक्चरर्स को पड़े, जिन्होंने 19 और 15-15 साल सर्विस आपके यहां कर ली है?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आप क्या चाहते हो?

श्री ग्रमराराम : हम यह चाहते हैं कि उनको रेगूलर करें। और हम क्या चाहते हैं ? जिसे आप सब चाहते हैं और राजस्थान के हजारों लैक्चरर्स चाहते हैं कि उनको नियुक्ति दी जाए।

यहां अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे विद्यालय हो, 70 प्रतिशत 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उन विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क देखा जाए और उनकी ट्यूशन फीस देखी जाए तो, माननीय सभापति महोदय, किसी भी विद्यालय और महाविद्यालय का शिक्षण शुल्क सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय से दुगना, तीन गुना मिलेगा। जबकि 70 से 90 प्रतिशत अनुदान हम देते हैं। उन महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले लैक्चरर्स और अध्यापकों को जो सुविधाएं और तनख्वाहें दी जाती हैं वह उनके बराबर नहीं दी जातीं। तो फिर हमें सख्ती से इस बात को लागू करना चाहिए कि जहां हम 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत सहयोग देते हैं, अनुदान देते हैं उनमें शिक्षण शुल्क और ट्यूशन फीस भी वही होनी चाहिए जो राजस्थान के विद्यालयों और महाविद्यालयों के अन्दर है।

जहां तक इन विद्यालयों का सवाल है, कैसी अन्धेरगर्दी हमारे शिक्षा विभाग में है, मैं धोद विधानसभा क्षेत्र का पूरादंटड़ी के उच्च प्राथमिक विद्यालय का आपके सामने उदाहरण रखना चाहूंगा। उस गांव के अन्दर दो विद्यालय खोल दिये गये हैं, सन 1984 में। जो पत्र भेजा है अपने शिक्षा विभाग ने एफ. 13/7/शिक्षा-1/84, आपने कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय खोल दिया। सन 1989 में उसी गांव में पत्र संख्या एफ/5/89-90/1817, दिनांक 21-10-1989 के द्वारा बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोल दिया। लेकिन आज भी सन 1994 के अन्दर उस गांव के अन्दर एक भी अध्यापक का बजट शिक्षा विभाग से नहीं है। न गर्ल्स में है और न बालकों के में है। बार-बार मैंने और गांव वालों ने शिक्षा मंत्रीजी को यह पत्र लिख कर दिया। आज शिक्षा मंत्रीजी ने डेपुटेशन पर लगे हुए तमाम अध्यापकों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं और उस स्कूल में चलने वाले तमाम अध्यापक डेपुटेशन पर थे। उनका डेपुटेशन खतम हो गया और उस स्कूल के अन्दर एक भी अध्यापक नहीं है। किसी तरह से दस साल के बाद स्कूल खोला गया और उसमें बजट के नाम से कोई स्वीकृति नहीं हो, इससे बड़ी अन्धेरगर्दी हो नहीं सकती।

हमारी उच्च शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक एक गलत प्रवृत्ति अध्यापकों में और लेक्चरर्स में पनपी है ट्यूशन की। अगर कहीं पर भी ट्यूशन करने वाले अध्यापक और लेक्चरर्स के पास आपका घर हो तो ट्यूशन के बाद इस तरह से लड़के निकलते हैं जैसे कोई स्कूल की क्लास छूटी हो या कोई पिक्चर हाल का शो छूटा हो। जो लैक्चरर्स और अध्यापक क्लास में नहीं पढ़ाते वह यह चाहते हैं कि विद्यार्थी उनके पास टयूशन के लिए आयें। निश्चित रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक ट्यूशन की बीमारी है। हमारे राजस्थान में शैक्षणिक स्तर को गिराने में सबसे बड़ा घुन है जो मैं समझता हूं यह टयूशनखोरी

(श्री अमराराम)

है। जो भी लेक्चरर और अध्यापक ट्यूशन करता हुआ पकड़ा जाए, एक अफेक्टिव प्रणाली हमें अपनानी चाहिए, उसको दण्डित करना चाहिए और उसको सेवा से मुक्त करने तक का हमें प्रोविजन करना चाहिए। ताकि ऐसी प्रवृत्ति नहीं पनपे। विद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ाने के लिए वह मजबूर हो जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य। बस आप समाप्त करें। आज पांच बजे समाप्त हो जायेगा बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले बाकी हैं।

श्री अमराराम : खेल के बारे में जहां हम कहते हैं कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे, एक लाख रुपये केवल बढ़ाये हैं आपने। महंगाई को देखते हुए मैं कहता हूं कि खेल पर आपने कम प्रावधान किया है। महंगाई के हिसाब से आप देखें तो एक लाख रुपया कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि वह खिलाड़ी जो राजस्थान का नाम करते हैं, बास्केटबाल की कोई भी टीम चाहे राजस्थान की ओपन की जाए, चाहे स्कूल्स की जाए, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गुजांद ग्राम का प्रतिनिधि है, यहां तक कि राष्ट्रीय अवार्ड मिला है और अभी जो स्कूल्स में गया है सबसे बेस्ट बास्केटर रहा है लेकिन उसके गांव में आज तक कोई ग्राउण्ड बास्केटबाल का नहीं बना है, तो मैं समझता हूं कि खेल के प्रति जो रुख सरकार का हमारे सामने आया है, एक लाख रुपया साल का आपने पिछले साल से बढ़ाया है। तो इसको आप और बढ़ायें।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : सभापति महोदय, स्वतन्त्रता के बाद हमारा जो संविधान भारत वर्ष में लागू हुआ....

श्री सभापति : यद्यपि आप शिक्षा शास्त्री हैं लेकिन आपकी भी समय की सीमा है।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : उसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया। देश की जो शिक्षा की योजना बननी चाहिए थी, प्लान बनना चाहिए था वह उसके अनुरूप नहीं बन सका। केन्द्र की सरकार की भूल के कारण से यह प्लानिंग डिफेक्टिव रहा। आज प्रतिपक्ष के माननीय नेता बोल रहे थे और पूछ रहे थे एक माननीय सदस्य को कि हम 51 में 9 प्रतिशत थे अब 38 प्रतिशत हैं और आने वाले समय में हम कहां पहुंचेंगे? यदि यही गति रही तो हम कहां पहुंचेंगे? यह तो 40 साल में दिखाई पड़ रहा है। मण्डावा से आने वाले और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरीके से हमारे उच्च शिक्षा मन्त्री और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं तो यह मानकर चलता हूं कि आज पंचायत राज के जो मन्त्री हैं वह भी यहां विराजते, यह

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

टुकड़ों में जो रखा गया है शिक्षा को, इसका जो प्लानिंग किया गया है, उच्च शिक्षा अलहदा, माध्यमिक शिक्षा अलहदा, प्राथमिक शिक्षा अलहदा और उसके बाद पंचायत समिति की शिक्षा अलहदा, यह टुकड़ों में अगर नहीं देकर के समग्रता के अन्दर शिक्षा के ऊपर विचार किया गया होता तो निश्चित रुप से जो स्वप्न आजादी के पहले उन स्वतन्त्रता सेनानियों ने देखा था, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। हम उस लक्ष्य को प्राप्त इसलिए नहीं कर सके कि हमारी आदत बन गयी है इस बात को टुकड़ों में देखने की आवश्यकता है सम्पूर्ण शिक्षा को समग्रता में देखा जाए। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि यह जो बजट हमारे सामने आज शिक्षा के सन्दर्भ में आया है, पहले तो इस बजट में सबसे पहले शिक्षा से लिया गया है, शिक्षा को महत्व दिया गया है। जब प्लानिंग कमीशन में वी.के.आर.बी. राव जब चेयरमैन थे, हम संगठनों की ओर से गये उनके पास तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन ने कहा, मेरे पास पानी के लिए लोग आते हैं मेरे पास कृषि के लिए लोग आते है लेकिन शिक्षा के लिए पहली बार आप लोग आये हैं। उसके बाद वी.के.आर.वी. राव ने शिक्षा में प्लानिंग जब दिया तो अधिक रुपया दिया। केन्द्र सरकार को दस प्रतिशत बजट का खर्च करना चाहिए लेकिन वह आज तक 3.5 प्रतिशत ही खर्च कर सकी है। राजस्थान सरकार ने अपना 25 प्रतिशत राजस्व आय का खर्च किया है। यदि हम केरल से तुलना करेंगे या अन्य राज्यों से तुलना करेंगे, हम गुजरात से या पंजाब से तुलना करेंगे और कर्नाटक से तुलना करेंगे तो आज हम उस दृष्टि से बहुत पीछे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमन्त्री जी को, एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उन्होंने जिस तरीके से बजट को 119 प्रतिशत इन्क्रीज किया है। प्राथमिक शिक्षा पर 60 प्रतिशत खर्च करने का मेरा अनुरोध है, इन दोनों पर। क्योंकि एक और एक दो तो होते ही हैं लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह दोनों शिक्षा मन्त्री एक और एक मिलकर ग्यारह होंगे और उस ग्यारह के अनुसार इन्होंने प्लानिंग किया तो निश्चित रूप से हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे।

श्री सभापति : नाथूसिंहजी को जोड़ देंगे तो एक सौ ग्यारह हो जायेंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : एक सौ ग्यारह बन जाते है और इन्हें बनना चाहिए। सभापति महोदय, मैं यह अनुरोध करूंगा कि हमारी जो पंचायत राज में शिक्षा है इस शिक्षा का किसी भी एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन कराया जाए कि हम सचमुच में पंचायत राज के माध्यम से किस स्थिति में पहुंच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा, यह जो इन्होंने प्रगति विवरण दिया है यह पहले भेज दिया होता तो अनेक तरह की शंकाएं जो आज उठ रही हैं, समाप्त हो जाती। क्योंकि मैं समय से बंधा हुआ हूं इसलिए डिटेल में नहीं जाता हुआ यह निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान में शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वह उन्होंने राज्यों को दे दी। उसके बाद जब संगठनों ने आन्दोलन किये तो शिक्षा

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

को समवर्ती सूची में ले लिया लेकिन कोई क्रान्तिकारी कदम केन्द्र ने शिक्षा के सम्बन्ध में नहीं उठाया है। जब स्वर्गीय श्रीमती गांधी दुबारा सत्ता में आयीं तो टीचर्स को दिया हुआ, उनका एक प्रामिस था कि टीचर्स के लिए एक आयोग का गठन करूंगी और चट्टोपाध्याय कमीशन का गठन किया गया। यह हमसे सम्बन्धित नहीं है लेकिन निश्चित रूप से वह जो आयोग का गठन किया उसकी रिपोर्ट केन्द्र में आज पड़ी हुई है और वह रिपोर्ट आज धूल खा रही है। उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की। स्वर्गीय राजीव गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन् 1986 में तैयार करायी। सन् 1986 की नीति के अन्तर्गत हमारे यहां राजस्थान में जो काम हुए हैं, राजस्थान के अन्दर जो भवन चलते थे, प्राइमरी स्कूल्स ढाणियों के अन्दर लोगों के मकानों के अन्दर चलती थीं जहां, जानवर और बच्चे एक साथ होते थे, इधर वह पढ़ते थे और इधर जानवर पलते थे...

(16.00)

राजस्थान सरकार ने केन्द्र की सहायता से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यह किया है कि आज प्राथमिक स्कूल का भवन प्रत्येक गांव के अन्दर बनकर खड़ा हो गया है। मेरा सुझाव है कि यू. आई. टी. जो नगरों में बनी हुई हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, नगर परिषद हैं उनके माध्यम से कम से कम, शहरों के भवन बनाये जाएं। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आज जो मकान खाली कराने की बात कही थी, सचमुच उनकी वजह से बहुत दिक्कतें हैं। मैं सुझाव दूंगा, यू. आई. टी. और नगर परिषदों के माध्यम से यह योजना पूरी की जाए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षकों के कल्याण की दृष्टि से, उनकी मांगों की दृष्टि से निश्चित रूप से आप लोगों को विचार करना चाहिए। मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हुआ केवल संकेत के रूप में कहना चाहता हूं। क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने उस बात को उठाया है यह जो कालेज और विश्वविद्यालय के अस्थायी शिक्षकों का मसला है उसका हल करना चाहिए। आपने प्रत्येक बोर्ड में चाहे वह पथ परिवहन निगम हो, चाहे बिजली बोर्ड हो, सब लोगों के लिये पेंशन योजनाएं लागू कर दी हैं लेकिन आज जो अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं उनके लिए पेंशन योजना, ग्रेचुएटी की योजना आप लागू नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो सेन्ट्रल प्रोविडेंट फण्ड का पैसा है, केन्द्र सरकार जिस तरीके से योजना बना रही है यह सारा पैसा केन्द्र में चला जायेगा। करोड़ों रुपया है जो आज हम डवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं। यदि उस पैसे को हम ले लें तो उनके लिए पेंशन और ग्रेचुएटी की योजना हम लागू कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

एक बात और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। श्रीमाधोपुर से आने

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

वाले माननीय विधायक ने एक चर्चा उठायी थी भारतीय शिक्षा समिति के स्कूल के सन्दर्भ में । उसका जवाब तो दिया मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस समय बरकतुल्लाजी शिक्षा मन्त्री थे उस समय अनुदान बन्द कर दिया गया आदर्श विद्या मन्दिर का । उस विद्यालय को देखने के बाद उन्होंने उसका अनुदान प्रारम्भ किया । निरंजननाथ जी आचार्य स्वयं वहां जाते रहे और देखते रहे। जो शिक्षण संस्थाएं अच्छी हैं, यह उसी पैटर्न पर है । आजादी के पहले भी कालेज था जो मालवीय जी ने वहां पर काशी विद्यापीठ शुरू किया, यह सारे जो शोग हैं, सारे के सारे उसी पैटर्न पर हैं । राजस्थान सरकार के भरोसे चलते रहे तो 2 हजार तक हम सबको साक्षर कर देंगे, हम प्रत्येक शख्स को साक्षर कर देंगे यह सम्भावना पूरी नहीं होगी । इसलिये इस बात को....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय 2–4 मिनट तो दो ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पांच बजे चर्चा समाप्त हो जाएगी ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, कुछ तो दया करें आप। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपसे छोटा भी हूं, यही दया करो आप ।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री रतनलाल ताम्बी : हम तो आपसे कुछ उम्मीद रखें ही नहीं ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह निवेदन कर रहा हू कि संस्कृत शिक्षा के लिये एक करोड रुपये का प्रावधान इस बजट के अन्दर किया गया है और उसमें जो अपेक्षाएं की गयी हैं, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा का विकास एवं शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के लिये....

श्री सभापति : संस्कृत शिक्षा के लिए नहीं है यह प्रावधान । संस्कृत संस्थान के लिए एक करोड़ का किया गया है ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : संस्थान के लिए किया गया है लेकिन उसमें जो काम दिये गये हैं उसमें रिसर्च का काम है, संस्कृति उत्थान का काम है यह सारा दिया हुआ है और यह विश्वविद्यालय के माध्यम से भी हो सकता है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान सरकार संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करे । अगर संस्कृत विश्वविद्यालय राजस्थान में खुलता है तो उत्तर भारत को .. (व्यवधान) यूनिवर्सिटी के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में खुलना चाहिए, मेरा आपसे यह आग्रह है ।

वह जयपुर में खुले, कहीं भी खुले उससे मतलब नहीं । राजस्थान में ही तो खुलेगा विश्वविद्यालय । संस्कृत का विश्व-विद्यालय राजस्थान में होना चाहिए ।

साहित्य अकादमी के सन्दर्भ में कुछ चर्चा की गयी वहां और के अध्यक्ष के बारे में चर्चा की गयी । मैं उन सदस्यों, जिन्होंने यह चिन्ता व्यक्त की है, चिन्ता के सन्दर्भ में यह बताना चाहता हूं कि राज-स्थान में बी. जे. पी. की सरकार आने के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

बाद में, कटारियाजी के एजूकेशन मिनिस्टर बनने के बाद में यह शुरू नहीं हुआ। शुरू तो वहां से हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी। दयाकृष्ण विजय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। हनुमान प्रभाकरजी एजूकेशन मिनिस्टर बने, उन्होंने तीसरे दिन ही उनको हटा दिया। भाटवड़ेकरजी बोर्ड के चेयरमैन थे उनको तीसरे दिन हटा दिया। तो वेदव्यास जो थे उनको चिन्ता लगी। भेड़िया आया, भेड़िया आया की कहानी नहीं कहना चाहता। उनको चिन्ता लग गयी और उन्होंने प्रचार-प्रसार पहले से ही प्रारम्भ कर दिया। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, दिसम्बर में बी. जे पी. की सरकार बनी। लेकिन अक्टूबर-नवम्बर के अन्दर वह सारे के सारे जो काम तय किये थे पहले वाली संचालिका ने, सरस्वती सभा में उन सबको अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने बन्द कर दिया। बन्द करने के बाद वह जोधपुर पधारे, जोधपुर में जाकर उन्होंने लोगों के साथ बयानबाजी की, उनकी आलोचना की जो सरस्वती सभा में मेम्बर थे। उसके बाद में कोटा गये, कोटा में जाकर उन्होंने फिर आलोचना की। प्रगतिशील साहित्यकार हो सकते हैं लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आलोचना की है, वह एक सरकारी नौकर भी हैं और केन्द्र सरकार के नौकर हैं, एक साहित्यकार होने के नाते उन्होंने जिस स्तर की आलोचना की...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं जो हमारे कालेज के साथी हैं उनके बारे में एक निवेदन और करना चाहता हूं। एक निवेदन जो कोई नहीं कहेगा वो मैं ही कह रहा हूं। एक प्रश्न खड़ा किया था अभी श्रीमाधोपुर से आने वाले सदस्य ने कि भरतपुर के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय कालेज टीचर्स एसोसियेशन का अधिवेशन था उसमें कुछ ऐसे प्रगतिशील लोग थे जिनका इस धरती से लगाव नहीं है, विदेशों की धरती से लगाव है, वहां जब चुनाव होने लगे और उन लोगों को लगा कि हम हार जाएंगे तो उन्होंने हार के डर की वजह से उसका बहिष्कार किया। वहां पर झगड़े-टंटे खड़े हुए। उसके बाद में दो संगठन खड़े हो गये। मैं राजस्थान सरकार से यह निवेदन करूंगा कि शिक्षकों के जो अनेक संगठन बन गये हैं उसकी वजह से शिक्षा विभाग के लोग पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी को कि एक 11 सूत्री कार्यक्रम लेकर इन्होंने शिक्षकों की अनेक कठिनाईयों का हल किया है। वह अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं जिनके नेतृत्व में यह काम हुआ। लेकिन संगठनों के विवाद हैं, इन संगठनों के विवाद को हल करने के लिए, जो एक हमारे यहां गिरदावरी हुई थी, जिन लोगों को

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

गिरदावरी में अधिक वोट प्राप्त हुआ है उन लोगों को मान्यता दे दें। पहले एक शिक्षा मन्त्रीजी हुआ करते थे उन्होंने एक

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

व्याख्याता संघ की ग्रेड बढ़ा दी। आज उन लोगों में फ्रस्ट्रेशन है जो व्याख्याता भी बने हुए हैं, जो आज दो हजार से पैंतीस सौ रुपये तनख्वाह पा रहे हैं क्योंकि वह 9–18-27 के लाभ से वंचित हैं। आप बैठ कर कोई न कोई निर्णय तो कीजियेगा ताकि इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन दूर हो सके। शिक्षक यदि फ्रस्ट्रेट रहा तो शिक्षा ठीक तरह से नहीं हो सकेगी। शिक्षा का संगठन ठीक होना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

माफ कीजियेगा, आपने जो समय दिया कंजूसी के साथ उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, मैं अपने आपको कटौती प्रस्ताव तक सीमित रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में बहुत बड़ा भू-भाग है, वहां पर बड़ी-बड़ी आबादियां हैं और उन आबादियों में कहीं भी प्राथमिक शालाएं तक सरकार ने नहीं खोली हैं। मैंने एक प्रश्न के माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से यह जानना चाहा था, उन्होंने मुझे सूचना दी है कि बड़ी-बड़ी वहां आबादियां हैं जहां कोई पांच सौ की जनसख्या का है, कोई सात सौ की जनसंख्या का हैं, कोई बारह सौ की जनसंख्या का हैं, वहां प्राथमिक शालाएं अभी नहीं है। माध्यमिक शिक्षा की क्या बात करें। वहां एक सैकण्डरी स्कूल है। बीकानेर से लेकर 115 कि. मी. तक कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं है। डेढ़ लाख की जनसंख्या का इलाका है, सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें 10+2 के सैकण्डरी स्कूल की अति आवश्यक मांग है उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू।

इसके अलावा लूणकरणसर में जो पंचायत समिति मुख्यालय है वहां पर कन्या सैकण्डरी स्कूल है। उसको अपग्रेड करके सरकार की नीति के अनुसार कन्या शिक्षा को प्रसार देने के लिए 10+2 के स्कूल बनाने की वहां की जनता की मांग है, इसके लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अलावा उदासर और नापासर के जो कन्या विद्यालय हैं उनको 10+2 में क्रमोन्नत करने की डिमाण्ड वहां पर की जा रही है इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी सरकार ने चार हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का निर्णय किया है। हमारे राजस्थान में अभी तक कुल 33 हजार 87 प्राथमिक शालाएं हैं और 37 हजार 889 गांव हैं। प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्राथमिक स्कूल तो खोलने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा सुझाव था कि प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने जा रहे हैं चार हजार, आप कम से कम एक गांव में एक प्राथमिक शाला खोल सकें तो, मैं समझता हूं, शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से उचित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव रखता हू।

श्री सभापति : डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे पुकारा। सभापति महोदय, मैं तो डर रही थी कि कहीं आज भी मेरी छुट्टी नहीं हो जाए।

श्री सभापति : समय सीमा है, बोलिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं शिक्षा के लिए प्रारंभ से ही मेरे सुझाव देने शुरू करती हूं। शिक्षा मंत्री जी आप एक ऐसी शिक्षा नीति बनायें जिससे हमारी शिक्षा के स्तर को जो गिरती हुई स्थिति है वह संभल जाए। अध्यापक गांव में नहीं जाते इसलिए आप ऐसे नियम बनायें कि अपने पूरे सेवा काल में अध्यापक 9 साल गांवों में रहे। तीन साल के प्रारम्भिक साल वह गांव में सर्विस करे और बाद में बीच-बीच के टाइम में जब भी स्वैच्छिक रूप से चाहे गांव में अपनी सेवा दे। तो इस प्रकार से गांवों में शिक्षकों की कमी से जो स्थिति दयनीय है वह नहीं रहेगी और शहरों पर भी ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप एक नीति और बनायें कि प्राइमरी शिक्षा में केवल महिलाओं को ही शिक्षा देने के लिए नियोजित करें। क्योंकि वह केवल शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी दे पायेंगी। इस उम्र में जो अवस्था रहती है, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी, यह मेरा आपसे निवेदन है। महिला शिक्षा के लिए आपने यहां पर अधिक से अधिक प्रयास किया है और दिया है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूं और इसी सन्दर्भ में कहना चाहूंगी कि आप महिला पोलीटेक्निक खोलने की व्यवस्था सभी जिलों में करें जिससे कि स्नातकोत्तर शिक्षा के अतिरिक्त भी वह शिक्षा प्राप्त करें और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि एक नीति ऐसी भी बनायें कि कौनसा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हो वह उसी नीति के तहत क्रमोन्नत हो। मेरे यहां भी ऐसे-ऐसे विद्यालय हैं जो सन् 1947 से आज तक क्रमोन्नत नहीं हुए। धाउपुरा का स्कूल बड़ी अजीब बात है कि सन् 1947 से प्राइमरी स्कूल चल रहा है और जो गंगापोल का गर्ल्स स्कूल है वह सदैव दसवीं तक ही चलेगा और चाहे कितने भी स्कूल बढ़ जाएंगे ? मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार की नीति बनायें जिससे कि यह भेदभाव न किया जाए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जहां आप शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, आस-पास हमारे जयपुर जिले में ही आप देखिये कुछ ही कालेज हैं, अगर जमवारामगढ़ में एक कालेज खोल दिया जाए तो शहर पर दबाव कम रहेगा। इस पर निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता है, जिससे कि उन लोगों को भी पदोन्नति के अवसर मिलें और वह नियम बन जाने से सुचारु रूप से पुस्तकालय चल सकें। आपका वायदा था लेकिन इस बार भी आप उसको नहीं लाये। आप जल्दी से जल्दी इस कार्य को करेंगे। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो हमारा पाठ्य

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पुस्तक मण्डल है उसमें जो पुस्तकों की खरीद होती है वह देखभाल कर खरीदें। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है, उसमें बड़ा घोटाला है। मैं आपको आगाह कर देना चाहती हूं। आने वाले समय में आप चाहेंगे तो मैं विस्तार से उन बातों को बता सकूंगी जो मुझे ज्ञात हैं।

मान्यवर यह अपनी एकेडेमीज हैं जिनके बारे में सामान्य-सी चर्चा यहां हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि सरस्वती सभा ने साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यक्रम तय किया। यहां मैं एक का उल्लेख करूंगी कि हिण्डौन में संयोजक को चिट्ठी भेजने के बाद अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि केन्सिल किया जाए। इस प्रकार की अनियमितता जो व्यक्ति करता है उसको आपको देखना होगा, समझना होगा। वह किसी भी वर्ग से आते हों, किसी भी पार्टी से आते हों इससे मेरा कोई अर्थ नहीं है लेकिन जो इस तरह के प्रचार-प्रसार को रोकते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगी। उर्दू एकेडेमी ऐसा लगता है कि केवल एक वर्ग की एकेडेमी है। उसमें जो उर्दू के पढ़े-लिखे लोग हैं उनका समायोजन आप करते नहीं। उर्दू पर आप खास तौर से ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

'सबा' साहब हमारे यहां तूती-ए-राजस्थान हुए। मान्यवर, मुख्य मन्त्रीजी ने उनके स्मारक बनाने की बात कही। स्मारक तो दूर उनकी जयन्ती भी यह लोग नहीं मनाते और उनके विषय में चर्चा करना भी उचित नहीं समझते। चांद बिहारीलालजी 'सबा' राजस्थान के गौरव थे और गौरव रहेंगे। एकेडेमी उनकी चर्चा करे या नहीं करे लेकिन इन चीजों को आप देखेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहती हूं। मैं आप सबकी बड़ाई करती हूं और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि एक घण्टी और बजी तो मेरा माथा खराब हो जाएगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात तकनीकी शिक्षा, जिसके मंत्री महोदय मेरे सामने बिराजे हुए हैं, पर अपने विचार रखते हुए आरम्भ करना चाहता हूं। तकनीकी शिक्षा वह शिक्षा है, यदि हम राजस्थान को....

श्री सभापति : आप तो हमेशा टेलीग्राफिक लैंग्वेज में ही बोलते हैं। मुझे स्मरण है कि आप हमेशा टेलीग्राफिक लैंग्वेज में ही बात करते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं समय का पूरा ध्यान रखूंगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि तकनीकी शिक्षा पर हमें जाना चाहिए, जाना आवश्यक है यदि हम राजस्थान को भारतवर्ष के औद्योगिक नक्शे पर लाना चाहते हैं और यदि हम चाहते

(श्री हरिसिंह)

हैं कि राजस्थान की भुखमरी मिटे, हमारे नौजवानों की बेरोजगारी मिटा कर के हम उनके जीवन में एक आशा की किरण जगाएं तो हमें तकनीकी शिक्षा राजस्थान में श्रीमन्, बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए तो मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे मन्त्री महोदय को कि उन्होंने राजस्थान में शिक्षा के बजट को इस वर्ष करीब-करीब दुगुना किया है। गत वर्ष में 11 करोड़ 65 लाख रुपया व्यय हुआ था इस वर्ष उन्होंने इसको बढ़ाकर के 22 करोड़ 70 लाख रुपये किया है। बढ़ोतरी इसमें हुई है लेकिन यदि आप तकनीकी शिक्षा का इन्फ्रास्ट्रक्चर देखें तो वह इतना कम है, श्रीमन्, पांच इन्जीनियरिंग कॉलेज हैं जिनमें इनटेक है 1140 स्टूडेण्ट्स की, 13 पोलीटेक्निक्क हैं सरकारी, दो हैं ऑटोनामस और एक है प्राइवेट इन 16 की कुल इनटेक है, श्रीमन् 1370 बच्चों की। 6 महिला पोलीटेक्निक हैं जिनकी इनटेक है 400 की, आई. टी. आई. 50 हैं जिनकी इनटेक है 7048 की और वूमन आई. टी. आई आठ हैं जिनकी इनटेक है 480 की इस तरह से कुल इनटेक अगर हम राजस्थान के अन्दर देखें तो तकनीकी शिक्षा में 10 हजार 438 की इनटेक है और राजस्थान की आबादी है चार करोड़ चालीस लाख। चार करोड़ चालीस लाख की आबादी में श्रीमन् 10 हजार 438 व्यक्तियों की इनटेक पोलीटेक्निक और इन्जीनियरिंग कॉलेज के अन्दर मिला करके बहुत कम है। कितने व्यक्तियों के लिए तनकीकी शिक्षा आज का यह इन्फ्रास्ट्रक्चर जो राजस्थान के अन्दर वह दे पायेगा। पर्सेण्टेज अगर निकालते हैं तो, मन्त्री महोदय, निकाल लें इसका लेकिन मेरे हिसाब से तो इसकी पर्सेण्टेज निकलती है .00025 पर्सेण्ट। इस इनटेक को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरत है राजस्थान के अन्दर और आपको अगले आने वाले सालों के अन्दर अर्थमेटिक प्रपोर्शन में इसका बजट बढ़ाना नहीं पड़ेगा बल्कि ज्योमेट्रिक प्रपोर्शन में जब इसका आप बजट बढ़ायेंगे और इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ायेंगे तब जाकर राजस्थान के अन्दर वांछित तकनीकी शिक्षा दे पायेंगे क्वान्टिटी के हिसाब से। अगर इसको क्वालिटी के हिसाब से हम देखना चाहेंगे, श्रीमन्, तो मुझे यह कहने में बहुत ही संकोच होता है कि हमारे राजस्थान के पोलीटेक्निक कॉलेज को अभी तक ए. आई. सी. टी. आई., अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति से डिप्लोमाज के लिए परमानेण्ट रजिस्ट्रेशन तक नहीं मिला है। और वह क्यों नहीं मिला है ? वह इसलिए नहीं मिला है कि हमारे यहां के जो प्राध्यापक हैं, लैक्चरर्स हैं उनके लिए आप वह वेतनमान नहीं दे पा रहे हैं, श्रीमन्, जो वेतनमान समिति से स्वीकृत हैं। जब तक आप स्वीकृत वेतनमान उनको नहीं देंगे तब तक परमानेण्ट डिप्लोमा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा और फिर हमारे जो विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं उनके दिमाग पर क्या असर होगा ? जिसका डिप्लोमा का परमानेण्ट रजिस्ट्रेशन नहीं है, श्रीमन्, किसी भी समय या तो समाप्त हो जाएगा किसी भी कारण से, भगवान करे होगा नहीं, मैं विश्वास करता हूं लेकिन यह करना चाहिए आपके लिए। दूसरी बात यह है कि जब तक आप उनको वेतनमान नहीं देंगे तब तक हमारे यहां पर जो लैक्चरर्स

(श्री हरिसिंह)

आते हैं बाहर मे, क्योंकि वह तो क्वालिफाइड लैक्चरर्स हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड लैक्चरर्स होने चाहिए, उनके केरियर के एडवान्समेण्ट के लिए सुविधा नहीं है और केरियर के एडवान्समेण्ट के लिए यदि सुविधा नहीं है तो वह यहां से राजस्थान के नौकर हो कर के छोड़ जाते हैं। यह आंकड़े अगर मैं सही दे रहा हूं आपको, मन्त्री महोदय, तो सन् 1989-90 के अन्दर 66 व्यक्ति आपने चयनित किये थे उसमें से 28 छोड़कर चले गये। 1990-91 में 33 चयनित किये थे उनमें से 14 छोड़कर चले गये, 1991–92 में 37 चयनित किये थे उनमें से 18 छोड़कर चले गये, 1992–93 में 2 चयनित किये थे उसमें एक छोड़कर चला गया। तो बाहर से जो पढ़े लिखे लोग आते हैं, टेक्निकली जो क्वालीफाइड लोग हैं उनको राजस्थान के अन्दर केरियर एडवांसमेंट की सुविधा नहीं है। जो ग्रेडस उनको हिमाचल में मिलती हैं, मैं आपको निवेदन करूं, जो हमारे पड़ौस के स्टेट्स हैं उनमें जो ग्रेडस मिलती हैं, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्यप्रदेश है, तमिलनाडू हैं इन स्टेट्स में जो ग्रेडस मिलती हैं वे ग्रेडस आप उनको यहां पर दे ही नहीं रहे हैं तो यहां से छोड़कर चले जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं तो फिर आप जानते हैं कोई प्राध्यापक कितनी टेक्निकल एजूकेशन दे सकेगा उस सूरत में जब आप एक बच्चे के ऊपर 25,500 रुपये प्रति वर्ष खर्च करते हैं। यह जो आपने किताब दी है इसमें मैंने देखा है 25,500 रुपये एक लड़के पर खर्च करते हैं। आपका 6:1 का प्रपोर्शन है, 6 विद्यार्थियों पर एक लैक्चरर रखते हैं और वह लैक्चरर बीच में छोड़कर चला जाता है फिर दुबारा चयनित होकर कोई आता है तो आपके कोर्सेज में निश्चित रूप से खराबी आएगी और आप स्तर मेंटेन नहीं कर पायेंगे इसलिए जरूरी है कि आप उनकी सुख-सुविधा के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए वेतनमान दें। वेतनमान देने में आपको कुछ ज्यादा जोर तो आएगा नहीं। आज भगवती की कृपा से राजस्थान को विश्व बैंक तक से ऐड मिल रही है। लोन नहीं, ऐड मिल रही है। इस वर्ष में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : 5 बजे आज व्यवस्था है।

श्री हरिसिंह : मैं आपके दो मिनट और लूंगा। 44.64 करोड़ की आपको ऐड मिली उसमें से 9.70 करोड़ रुपया इस बार यूटिलाइज किया। तो मेरा आपसे केवल निवेदन यह है कि आपका 5–6 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं पड़ेगा इन वेतनमानों को देने में और वेतनमान दे देंगे तो आपका स्तर अच्छा हो जाएगा। यह राजस्थान के भविष्य के लिए बहुत ही नितान्त आवश्यक बात है।

दूसरा, जो हमारी दूसरी शिक्षा है उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि हमने इस साल तो बहुत ही ज्यादा जैसे कोई रिकार्ड तोड़ दिया हो। यदि आप पुराने साल के बजट पर मुलाहिजा फरमायें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपकी जो बढ़ोतरी हैं, शिक्षा मन्त्री महो-

(श्री हरिसिंह)

दय, मैं यह मानता हूं कि आप बहुत ही कॉम्पीटेंट मिनिस्टर हैं लेकिन आपने बजट में इस साल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के आंकड़े दिये हैं वह हमारे 1985-86 के बजट के मुकाबले में भी बहुत कम हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं 1985-86 में 300 प्राथमिक विद्यालय कांग्रेस सरकार ने खोले थे जबकि इस साल आप 1990 का प्रोविजन कर रहे हैं, 1985-86 में 100 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये थे, जबकि आप एक हजार का प्रावधान कर रहे हैं। और जिसका बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि 2363 प्राथमिक विद्यालय खोल रहे हैं इस साल में; 1985-86 में पांच हजार प्राथमिक विद्यालय खोले गये थे और आपकी संख्या से करीब-करीब दुगुनी संख्या में खोले गये थे। तो यह नहीं है। फिर भी आप इतने विद्यालय खोलने के बाद में उनका स्तर मेंटेन करेंगे तो राजस्थान के लिए यह बहुत ही कल्याणकारी बात होगी। उसमें भी मैं आपसे निवेदन यह करना चाह रहा था कि आप स्त्री शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दें। यहां पर जब लड़कियों और लड़कों के लिए हायर सैकण्डरी स्कूल में पढ़ाने की बात आती है तो वहां बच्चे पढ़ नहीं सकते ढंग से। मेरा आपसे केवल शिक्षा के सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि जहां पर लड़कियों के लिए हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं यदि आप वहां पर लड़कियों के लिए हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का प्रावधान करेंगे तो एक कल्याणकारी काम होगा।

श्रीमन्, एक मिनट और निवेदन करना चाहता हूं। ब्रज भाषा अकादमी का जो हैड आफिस जयपुर में कर रखा है, मैं यह चाहता हूं कि इसका हैड आफिस भरतपुर में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वह इसका क्षेत्र है। ब्रज भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए उसका वहां होना नितान्त आवश्यक बात है। इसके अध्यक्ष भी वहां के हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रज भाषा अकादमी का हैड आफिस, प्रधान कार्यालय जयपुर से ले जाकर आप भरतपुर में करेंगे तो मैं इसका व्यक्तिगत रूप से भी आभार मानूंगा। श्री चतुर्वेदीजी दर्शन करने जाते हैं गिरिराज जी के वहां पर परिक्रमा करते हैं। तो यह हम आभार मानेंगे भाषा के प्रोत्साहन के लिए राजस्थान सरकार ने एक काम किया।

एक बात मैं अपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन के रूप और कहना चाहता हूं। इरिगेशन के बजट के समय दशमलव की संख्या के ऊपर कुछ त्रुटियां हो गयी थीं आंकड़े देने में; मैं उनको सुधार करते हुए कहना चाहता हूं कि 1991-92 में इरिगेशन पर खर्च हुआ 147382.72 रुपया और 1992-93 में खर्च हुआ 1,24,490.68 रुपया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बार लिखकर मुझे दे दें वरना गलत हो जाएंगे।

श्री हरिसिंह : ये आंकड़े जो दिये थे वे पेज 42 पर हैं उसके हिसाब से ही वे माने जाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, माननीय मन्त्री महोदय, आपसे निवे-

(श्री हरिसिंह)

दन करना चाहता हूं कि आपको शिक्षा के बजट में....(व्यवधान)

श्री सभापति : चतुर्वेदी जी का ब्रज भाषा से काफी लगाव है।

श्री हरिसिंह : तभी तो आज मैंने उनको सम्बोधित करते हुए कहा है कि ब्रज भाषा का प्रधान कार्यालय आप ले जाएं। यहां पर काफी चर्चा हो रही थी हिन्दी साहित्य अकादमी की कि हिन्दी साहित्य अकादमी के सम्बन्ध में वेदव्यास जी को हटाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि यह सरकार साहित्य के पचड़े के बीच में नहीं पड़े।

श्री सभापति : किसी भी सरकार को नहीं पड़ना चाहिए।

श्री हरिसिंह : किसी भी सरकार को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए जैसा काम है, जैसे विद्वान चाहते हैं या साहित्यकार चाहते हैं उस हिसाब से काम चलना चाहिए। वैसा ही आप चलायें। हमारी ब्रज भाषा के बीच में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को आप मिटायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं।

धन्यवाद (व्यवधान)

श्री सभापति : आप चाहें जो बोलें, आसन के कोई भेद नहीं होता है।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारी शिक्षा की जो नीति है उसमें हमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। वैसे यह मैकाले की शिक्षा पद्धति है जो क्लर्क्स का निर्माण करती है कि क्लर्क बनकर सुन सकें दो अफसरों की गालियां तो घर वाली देगी दो खाने के लिए रोटियां। यानि आज की जो हमारी शिक्षा है, चाहे हम एम. ए. कर लें, क्लर्क ही बन सकते हैं। बहुत से हमारे गांवों से, मुझे इस बात की खुशी है कि आई. ए एस. अफसर भी बने लेकिन अब दिनोंदिन जब नौकरियां नहीं मिलती हैं तो जो एम. ए. फर्स्ट क्लास है वह भी सोचता है कि क्लर्क बन जाऊं ताकि कम से कम अपना गुजारा तो आराम से चलेगा। हमारा जो बाड़मेर जिला है उसमें गांवों में जहां दूर-दूर तक स्कूल नहीं हैं वहां से बड़ी मुश्किल से अपना बोरी-बिस्तर लेकर शहरों में आते हैं, खाना बच्चे खुद बनाते हैं और उनके पास पहनने के कपड़े नहीं होते हैं, एक टाइम भोजन खाते हैं, ऐसे विद्यार्थी आज एम. ए. करते हैं अपने मां-बाप का जेवर बेचकर वे लड़के आज बी. एड. किये हुए कम से कम सौ दो सौ हैं जो बेकार बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिला जिसको आप शिक्षा में सबसे पीछे मानते हैं और जहां स्त्री शिक्षा बिलकुल नहीं के बराबर है, वहां पर छात्रों को बोनस अंक दिये जाएं। आज शहर में पढ़ने वाले और दूसरे जो हमारे बहुत ही शिक्षा में आगे बढ़े हुए जिले हैं वहां के लोग जब बाड़मेर नौकरी के लिए आते हैं तो उनमें काम्पीटिशन होता है

(श्री अमरा राम चौधरी)

और हमेशा बाड़मेर वाले पीछे रह जाते हैं, बाड़मेर वालों को नौकरी नहीं मिलती है और दूसरे जिले वालों को मिल जाती है। फिर दूसरे जिले वाले मन्त्री जी के पास आते हैं कि हमें हमारे गृह जिले में वापस भेज दो। हमारे स्कूल खाली के खाली ही रहते हैं। ऐसा बाड़मेर में कई बार हुआ है अभी दो तीन सालों में। स्कूलों में कोई अध्यापक ही नहीं हैं। आखिर आप तो सस्कृत शिक्षा की बात कर रहे थे, मेरे क्षेत्र में बारसी बाबल की ढाणी में संस्कृत प्राथमिक विद्यालय है और मैंने 4–5 स्कूल अपने क्षेत्र में खुलवाये थे, दो मिडल स्कल भी हैं, आज बारसी बाबल की ढाणी में साल भर से कोई अध्यापक नहीं है। मेरा पिछली बार भी सदन में तारांकित प्रश्न था तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज वहां पर स्कूल भी बन रही है, बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक के नाम की वहां से डाक जाती है और वहां के ढाणी वाले वह डाक मेरे पास लेकर आते हैं कि यह अध्यापक जी की चिट्ठी आयी है। मैंने कहा, अध्यापक जी हैं कि नहीं ? कि नहीं हैं। यह हालत है।

मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मंत्रीजी बहुत ही साहित्य प्रेमी हैं, हमारे पश्चिमी राजस्थान में एक-दो साहित्यकार बहुत अच्छे हुए हैं। आज जो राजस्थान साहित्य एकेडेमी है उसके लिए क्या हो रहा है ? बड़ी चिन्ता का विषय है। कभी दरवाजे बन्द होते हैं, कभी ताले लगाते हैं, यह क्यों हो रहा है ? आप साहित्यकार को आगे बढ़ायें ऐसा जो व्यक्ति है पश्चिमी राजस्थान के अन्दर, साहित्यकार हुआ है, यह आपको खुशी होनी चाहिए, आप साहित्य प्रेमी हैं।

जहां तक मेरे क्षेत्र में स्कूलों का सवाल है, हीरा की ढाणी से पाटोदी एक सैकण्डरी स्कूल हीरा की ढाणी और फिर पाटोदी, जिसमें 50 किलोमीटर की दूरी है। आप कह रहे हैं हम शिक्षा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पंचायत मुख्यालय दस ऐसे हैं जहां पर मिडल स्कूल नहीं हैं। जब मैंने प्रश्न पूछा था कि कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय हैं जहां मिडल स्कूल है तो वहां जो सैकण्डरी स्कूल हैं उनका नाम दे दिया सबका सिर्फ एक साहजारी ग्राम पंचायत को छोड़कर उन्होंने कोई मेहनत नहीं की

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और असत्य जवाब सदन में दिया गया है। मुझे जो उत्तर मिला है उसमें कीरनोद को उन्होंने बताया है। यहां मिडल स्कूल नहीं है, कीरनोद में सैकण्डरी स्कूल है। मंडली को बताया गया है जबकि मंडली में सैकण्डरी स्कूल है। कल्याणपुर को बताया गया है कि कल्याणपुर में मिडल स्कूल है। असाड़ा को बताया गया कि असाड़ा में मिडल स्कूल है। तो ऐसे बहुत से स्थान बताये गये हैं। हीरा की ढाणी को बता दिया। वहां भी सैकण्डरी स्कूल है। तो जहां यह सवाल पूछा कि कौनसे पंचायत मुख्यालय पर मिडल स्कूल नहीं हैं, उन्होंने सब सैकण्डरी स्कूल की लिस्ट दे दी। ऊपर भी यही लिखते हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय इन मुख्यालयों पर नहीं है। ऐसा गलत उत्तर दिया है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री अमरा राम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे जूनियर इंजीनियर्स हैं जिन्होंने 1982 के अन्दर डिप्लोमा किया, सिविल इंजीनियर हैं, आज बेकार बैठे हैं। वह ओवर-एज हो रहे हैं। कई बार इंटरव्यू हुए। हाई कोर्ट में स्टे हो गया। कोई वेकेंट पोस्ट में लगा, फिर उनको निकाल दिया। वह दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं जिनके 75 प्रतिशत नम्बर हैं। माननीय मन्त्रीजी आप बिराजमान है, आज वह लैब असिस्टेण्ट बने हैं, लैब असिस्टेण्ट। आज जब हमारे इंजीनियर्स लैब असिस्टेण्ट बनते हैं तो कितने दुःख की बात है। किस प्रकार हम शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए शिक्षा नीति में आप परिवर्तन करें और बाड़मेर जैसे

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बहुत ही पिछड़े हुए....

श्री सभापति : समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी : क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा दूरी के आधार पर आप स्कूल खोलने की कृपा करें।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री विजयेन्द्रपाल सिंह

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : सभापति महोदय, (व्यवधान) आप सुनेंगे क्या ?

सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से दोनों एजूकेशन मिनिस्टर्स को निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि इस बार जो बजट हमारे मुख्य मन्त्री जी ने पेश किया, दोनों का उसमें योगदान होगा। पूरा बजट अगर हम देखें तो वह एजूकेशन पर ही डेडीकेट किया गया है। मैं एक बात आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं इस पर कि जो मेरे कट मोशन्स हैं उस पर मैं कुछ चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उसके जवाब तो आ ही जाएंगे, मैं कुछ एजूकेशन पॉलिसी मेटर्स पर बात करना चाहता हूं और कुछ जो सेण्टर की पालिसीज हैं उस पर, दोनों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। यह इसलिए, मैं समझता हूं क्योंकि आप जानते हैं, हाउस भी जानता है कि एजूकेशन कानकुरेंट लिस्ट में आती है। दोनों इस सम्बन्ध में अपने-अपने विचार रख सकते हैं, अपने-अपने बजट में कुछ पैसा डाल सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। मैं पिछली बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्ट्रेस अबकी बार दिया है ई. एफ. ए., "एज्यूकेशन फार ऑल" पर, अभी तक तो यह खाली लक्ष्य है और चाहते हैं कि दो हजार तक यह "एजूकेशन फार ऑल" हो जाए। लिटरेसी प्रोग्राम की बात तो अलग है। आप जानते हैं कि जी--15 सम्मिट जो होने वाला था दिसम्बर के अन्दर और वह नाइन नेशन्स का सम्मिट था, सबसे पापुलस जो नेशन है, जहां पर सबसे कम एजूकेशन और इललिटरेसी है उनके लिए वह होने वाला था लेकिन उस एजूकेशन सम्मिट के लिए लिखा है, Education summit flops before the starting, why ? वह होने वाला था नयी दिल्ली के अन्दर। खाली एक ही हैड आफ दी नेशन उसके अन्दर आये,

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

और कोई आये नहीं । सुहार्तो, जो इण्डोनेशिया के हैं, ही आये, और कोई नहीं आये । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एजूकेशन फार आल, जब तक यह पालिसी अपन नहीं बनायेंगे, तब तक इरेडिकेशन आफ इललिटरेसी नहीं हो सकती। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज चीन के अन्दर, आपको सिर्फ स्टेटिस्टिक्स खाली यही दे रहा हूं. net enrolment ratio percentage- China 100% सब जनों को कम्पलसरी है । अन्य जो प्रतिशत है वह 66.3% है और पाकिस्तान का है 29% और बंगलादेश का 62.9% । तो आप जो चाहते हो, आज जो लक्ष्य है कि बाई दी टर्न आफ सैंचुरी सब एजूकेटड हो जाएं या लिटरेट हो जाए वह कभी नहीं हो सकता है जब तक कि ई.एफ. ए पर आप जोर नहीं देंगे। इस पर आप जानते हैं यूनेस्को, यूनिसेफ एण्ड यू.एन.एफ. पी.ए, जो पापूलेशन फण्ड नेशन्स का है, इन तीनों ने जोर दिया है, पैसा दे रहे हैं। पहले भी जब चीन के अन्दर उनकी हम से भी खराब स्थिति थी, उन्होंने यह ई.एफ ए. शुरू किया था । एक तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं ।

मैं यह भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1961 से 1981 तक The total number of adult illiterates in India increased by five million per year from 333 million to 457 million हमारे लिए शर्म की बात है, एक वर्ल्ड रिकार्ड तो हमने कायम किया है पर +++ की बात है कि हिन्दुस्तान के अन्दर We are creating maximum illiterates every year.

मैं एक चीज यह भी कहना चाहता हूं, अब जो कानकुरेंट वाली बात आयी, एक बार मैंने एक मसला यहां पर उठाया था....

श्री सभापति : अन्य देशों में पढ़े लिखे ही पैदा होते हैं क्या ?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : देन मैक्सिमम पापूलेशन ज्यादा है ना इसलिए....

श्री अमराराम : चीन में ज्यादा है क्या ?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : चीन में ज्यादा है । हां, बताता हूं आपको । चीन के अन्दर आज टोटल लिटरेसी पर्सेन्टेज है 73.3 । अपनी है 48.2% । क्या बात कहते हो । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो डाकूमेंट है ।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दीजिए, माननीय सदस्य, समय सीमा है । बोलने दीजिये ।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को एक बात के लिए और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर दो-दो एजूकेशन मिनिस्टर हैं। पर आयरनिकल बात यह है कि सेन्टर की तो उस दिन मैं बात कर रहा था, इस बारे में माननीय विष्णु मोदी जी ने एक बात कही, मैंने कहा सेन्टर में कोई एजूकेशन मिनिस्टर नहीं है, एच. आर. डी. के अन्दर एक एजूकेशन डिपार्टमेण्ट है But there is no Education Minister कोई भी कन्ट्री के अन्दर आप देखें, कहीं पर ऐसा नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर ही नहीं है, एच आर.डी. मिनिस्टर है। एच.आर.डी. के अन्दर एजूकेशन 60 पर्सेण्ट हो सकता है। हम भी एच आर.डी. रख कर एजूकेशन रख सकते हैं पर हमने विचार किया, एजूकेशन पर इम्पार्टेंस देकर दो-दो एजूकेशन मिनिस्टर्स रख रखे हैं।....

श्री सभापति । तीन हैं माननीय सदस्य।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : तीसरा कौनसा है ? मुझे पता नहीं था, मेरी भूल हो गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब एक एजुकेशन मिनिस्टर तो सेण्टर में दे दो हमारे एजूकेशन मिनिस्टर्स पर मैं कोई एस्पर्शन कास्ट नहीं करना चाहता पर वह शायद ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए एजूकेशन उनके लिए बहुत ही लो प्रायोरिटी आइटम है और उनके पास टाइम भी नहीं है एजूकेशन के बारे में सोचने के लिए। यह बात तो...

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय सदस्य, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं एक कालेज एजूकेशन की बात और रखना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कालेज एजूकेशन के बारे में, आज जो डिटेरियोरेशन हुआ है डिसिप्लीन इन केम्पस का, उसका एक ही रास्ता है कि हिन्दुस्तान के अन्दर फर्स्ट टाइम जो इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी शुरु हुई और it is the biggest in the Asia आज उसका एनरोलमेट है 80,000 मतलब 80,000 तो ओपन यूनिवर्सिटी में है, अगर हम जयपुर में भी करें क्योंकि....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आज जो आई. जी. एन. ओ. यू. की बात कही है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : सुनना चाहते हो तो सुनें। आप बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : क्योंकि जो deterioration of discipline in campus हुआ है, जो कन्सेप्ट नया आया है वह डिस्टेंस एजुकेशन का है और now distence education is the most famous in the Asia. उसके माध्यम से उनका प्रोग्राम है, सब बाहर गये हैं। वह कह रहे हैं कि हमारा बाहर का प्रोग्राम रखो और दूसरी कन्ट्री के अन्दर जो लोग....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपने

(श्री सभापति)

सुझाव लिखित में एजूकेशन पालिसी पर माननीय मन्त्रीजी को....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। सर, आप सुन लें तो बहुत है। मैं तो परेशान हो गया हूं, कोई सुनता ही नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक छोटा सा सुझाव और है।

श्री सभापति : एक सुझाव सुन लीजिये फिर समाप्त करेंगे। कृपया सुन लें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसी इगनाउ (Ignou) के साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है फोर प्रिजनर्स। उन्होंने बैंगलोर के अन्दर इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम रखा है जेल्स के अन्दर जाकर ताकि वह स्टूडेण्ट बने जेलर, प्रिजनर्स इगनाउ के। तो ऐसा ही प्रोग्राम एजूकेशन मिनिस्टर जो कालेज को सम्भाल रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे यहां भी हो सकता है। जयपुर में भी ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं डिस्टेंस एजूकेशन के माध्यम से तो ऐसी कोई बात अपन सामने रखें। इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : श्री दयाराम परमार।

श्री दयाराम परमार(खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की मांग संख्या-24 पर बहस में भाग लेता हुआ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश शिक्षा की दृष्टि से देश में सबसे पीछे है और राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से ट्राइबल एरिया सबसे पीछे है। माननीय सभापति महोदय, हमने यह संकल्प लिया है कि सन् 2000 तक सबको साक्षर कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, ट्राइबल एरिया में लड़कियों की शिक्षा का प्रतिशत एक और पुरुषों का प्रतिशत दस बारह के आस-पास है। आप कल्पना कीजिये, आजादी के बाद में इतने साल गुजर जाने के बाद हम एक पर्सेण्ट लड़कियों को शिक्षा दे पाये हैं और 5-6 साल में हम यह कल्पना कर रहे हैं कि सब को साक्षर कर देंगे। तो बता दीजिये हमारा स्वप्न पूरा हो जाएगा? माननीय सभापति महोदय, इस साल के बजट में सरकार ने बहुत बड़े धन की व्यवस्था की है और यह भी कहा जाता है कि इस साल का बजट शिक्षा को समर्पित है। यह शिक्षा को समर्पित है या नहीं है लेकिन एक बात निश्चित है कि दोनों शिक्षा मन्त्री महोदय ने अपनी पार्टी में और सरकार में जो दबदबा है जो रुतबा है उसको दिखाने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया है और निश्चित रूप से इस दबदबे का फायदा राजस्थान की जनता को, सब को मिलेगा ऐसा मैं मान कर चलता हूं।

माननीय सभापति महोदय, ट्राइबल एरिया में शिक्षा की कमी थी, और तरह का जो विकास नहीं हुआ था उसको ध्यान में रखकर सरकार ने और भारत सरकार ने ट्राइबल सब-प्लानसन् 1975 में लागू किया। जो भी पिछड़े एरिया रह गये हैं, शिक्षा लोगों में नहीं है, आर्थिक विकास नहीं हुआ

Page No. 186

(194)

(श्री दयाराम परमार)

है शैक्षणिक विकास नहीं हुआ उनके लिए ट्राइबल सब प्लान लागू किया और उसके अन्दर 12.44 प्रतिशत पैसा प्रत्येक विभाग को विकास के लिए देना था लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है और इस बात को कहते हुए अफसोस भी है कि आज तक इस तरह का पैसा ट्राइबल सब प्लान के अन्दर आवंटित नहीं किया गया इसलिए वांछित विकास ट्राइबल एरिया में होना चाहिए था वह नहीं हुआ। मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से यह दरखास्त करूंगा कि आप अबकी बार हमारे भी ट्राइबल मिनिस्टर हैं, इस विभाग की बहुत जानकारी रखते हैं और ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए कर गुजरने की तमन्ना भी है, तो शिक्षा का जो पैसा आज हमारा बनता है हक के अनुसार उस पैसे को आबंटित करें ताकि ट्राइबल एरिया में विकास हो सके।

माननीय सभापति महोदय, प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए सरकार ने क्राइटेरिया बनाया है कि 250 की संख्या पर सामान्य एरिया में और ट्राइबल एरिया में 150 की संख्या पर स्कूल खोलेंगे। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं कि जनसंख्या के आधार पर स्कूल खोलने के लिए जो मापदण्ड बनाया है उससे हम लोगों को फायदा नहीं होगा और वह फायदा इसलिए नहीं होगा कि ट्राइबल एरिया में जो बस्तियां हैं, खेतों पर लोग बसे हुए हैं तो एक गांव की जनसंख्या कहीं तीन हजार कहीं चार हजार है और वहां पर हमने स्कूल गांव में खोल रखा है और केवल एक स्कूल है तो उस गांव में रहने वाला छात्र तीन साल का, चार साल का पांच साल का हो उस बच्चे को 6-7

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

किलोमीटर चल कर स्कूल में आना पड़ता है। इसलिए वहां के बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। कहीं-कहीं ऐसी जगह भी है विशेष कर, मेरा गांव गुजरात से सीमा से लगता हुआ है उसकी जनसंख्या 100 के आसपास है और हमारे नार्म्स के अनुसार 150 पर एक स्कूल खोलना है तो वहां पर स्कूल भी इसलिए नहीं खुल पाता कि उसकी जनसंख्या पूरी नहीं होती है। तो मैं यह चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, कि आपको ट्राइबल एरिया के अन्दर दूरी से मापदण्ड बनाना पड़ेगा और अगर आपने दूरी से मापदण्ड बनाया तो निश्चित रूप से जो हमारा मानस है, हम लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं वह हम दे पायेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने घण्टी बजा दी लेकिन एक दो बात मेरे को निवेदन करनी है।

श्री सभापति : पांच बजे तक खतम करना है। और भी माननीय सदस्य हैं।

श्री दयाराम परमार : मेरे को कोई बोलने भी नहीं देता। आप मेरे पर कृपा रखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री दयाराम परमार : माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं,....

श्री सभापति : जनता दल के माननीय सदस्य बोलेंगे, उनको भी बुलाना चाहता हूं।

श्री दयाराम परमार : माननीय सभापति महोदय, एक दो बात और माननीय मन्त्रीजी को निवेदन करूंगा। आप खेलों की प्रतियोगिताएं करवाते हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल की हो, चाहे मिडल स्कूल की हो और चाहे सैकण्डरी स्कूल की हो, हमारे ट्राइवल एरिया में रहने वाले लड़के तीरन्दाजी में बहुत माहिर हैं लेकिन आप स्कूल स्तर पर उनकी प्रतियोगिता नहीं करवाते हैं। अच्छे प्रतिभाशाली लड़के हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अवसर नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तीरन्दाजी प्रतियोगिता को शिक्षा के क्षेत्र में जहां प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल या सैकण्डरी स्कूल हो वहां लागू करें ताकि वहां पर अच्छे प्रतिभाशाली तीरन्दाज बन सकें, देश के लिए नाम कमा सकें।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दयाराम परमार : माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं....

श्री सभापति : अब आप विराजें।

श्री दयाराम परमार : शिक्षा मन्त्रीजी, खैरवाड़ा में एक कालेज खोलने की बहुत जरूरत है और वहां की जनता महसूस करती है। इसलिए अगर आप कालेज खोलते हैं तो खैरवाड़ा को प्राथमिकता दीजिये। कालेज खुलने के बाद में मेरे को राजनैतिक दृष्टि से नुकसान होगा पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जहां जिस गांव का काम कर दिया वहां उन्होंने मुझे दूसरी बार वोट नहीं दिया है इसलिए उसका फायदा आपका होगा। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर आप खैरवाड़ा में कालेज खोलेंगे तो आपका निश्चित रूप से राजनीति में फायदा होगा।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री दयाराम परमार : सभापति महोदय, सिर्फ एक मिनट।

श्री सभापति : विराजिये, माननीय सदस्य। श्री फतेहसिंहजी, जनता दल।

श्री दयाराम परमार : एक शब्द, एक मिनट। शिक्षा मन्त्रीजी से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मेरे तहसील का एक सागवाड़ा गांव है जो तहसील मुख्यालय से तीस किलोमीटर की दूरी पर है, सैकण्डरी स्कूल उनके यहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, आसपास में कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं है, वहां के लोग शत प्रतिशत ट्राइबल हैं, केवल एक बनिया है जो दुकान- है बाकी सब आदिवासी हैं, तो मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह स्कूल नार्म्स में आता है या नहीं लेकिन वहां के लोगों को फायदा मिले, इस मंशा से खैरवाड़ा में एक सैकण्डरी स्कूल खोलने की आप कृपा करेंगे।

श्री सभापति : फिर वहां वोट नहीं मिलेंगे।

श्री दयाराम परमार : तो फिर पूरा सागवाड़ा भी मुझे वोट नहीं देगा लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमद होगा। वहां के लोग आजीवन आपके अहसानमंद रहेंगे। इसलिए आप मेरी इस प्रार्थना को भी ध्यान रखेंगे।

इसी के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री फतेहसिंह, जनता दल। (अनुपस्थित)

श्री दलीचन्द, जनता दल।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 24....

श्री सभापति : दलीचन्दजी, रुकिए एक मिनट।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर वाद विवाद पूरा होने और मांग के पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की राय से मांग पारित होने तक समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री दलीचन्द (दानपुर) : सभापति महोदय, मांग संख्या 24 के तहत मेरे बांसवाड़ा जिले की शिक्षा के ऊपर मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां 85 या 90 प्रतिशत आदिवासी एरिया है। इसको देखते हुए राजस्थान में शिक्षा का जो विस्तार हुआ है, मैं जहां तक मानता हूं मेरा क्षेत्र दानपुर जो दूर दराज का इलाका है उसमें अभी तक पंचायत लेवल पर, पंचायत हैड-क्वार्टर तक उच्च प्राथमिक विद्यालय भी अधिकांश पंचायतों में उपलब्ध नहीं है। पंचायत समिति पीपलखूंट में पुरानी 20 पंचायतें थीं और अब नवगठित 36 पंचायतें हुई हैं जिसमें दो क्षेत्र ऐसे सेण्टर में आते हैं, पहला सेण्टर दानपुर आता है जो बांसवाड़ा हैडक्वार्टर से करीब 45 किलोमीटर दूर है, इसमें 18 पंचायतें आती हैं वहां पर आज तक एक भी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। दूसरा पीपलखूंट सेण्टर में आता है जहां करीब 20-25. किलोमीटर के एरिया में कोई हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है और पीपलखूंट क्षेत्र में भी करीब 18 पंचायतें आती हैं। शिक्षा मंत्री, हमारे क्षेत्र से भली भांति वाकिफ हैं कि उस एरिया के लोग शिक्षा के महत्व से कितने पिछड़े हुए हैं और उनका काफी दोहराव भी हुआ है वहां पर। तो मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो ऐसे इलाके हैं, जहां आज 40–40, 50–50 किलोमीटर के एरिया में कोई हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है वहां पहले प्राथमिकता दी जाए।

(श्री दलीचन्द)

इसके साथ ही मैं माध्यमिक विद्यालय के विषय में कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आवागमन का रास्ता नहीं है, लोगों को पढ़ने के लिए 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। वहां सड़कें उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसी जगह माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं जिससे वहां के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है।

श्री सभापति : विराजिये, माननीय सदस्य।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री दलीचन्द : मैं मन्त्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहता हूं। मेरा विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा जिले में सबसे लम्बा चौड़ा क्षेत्र है लेकिन मात्र उसमें तीन सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलें हैं, एक तो खांदू कालोनी, एक तलवाड़ा, एक चड़ोदिया। वह तीनों पास में आ गये और सारा एरिया गुजरात से सटा हुआ है। दूर दराज के इलाके में बसा हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वहां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने का काम करें क्योंकि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए वहां दूरी के हिसाब से देखते हुए स्कूलों को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री अमरचन्द मिढ्ढा। मात्र अन्तिम वक्ता होंगे। पहली बार बोल रहे हैं, आप सुनें।

श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र हमारा पाकिस्तान से लगता हुआ है और हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है। आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद मेरा क्षेत्र गैर आबाद हो गया था। मुसलमान लोग पाकिस्तान चले गये और हिन्दू कुछ बचे थे वह क्षेत्र छोड़कर अंदरूनी सीमा में आ गये क्योंकि पाकिस्तानी डकैतियां किया करते थे, लोगों को मारा करते थे। इन्दिरा गांधी नहर आने के बाद लोग आबाद हुए व राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर व अन्य भी कई जिलों से जागीरदारों व भूमिहीनों को जमीन आवंटित की गयी। भारतवर्ष में सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें तीन लाख छब्बीस हजार मतदाता हैं। परन्तु आबादी को देखते हुए शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए शिक्षा का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक स्कूल खोले जावें व जहां मन्त्रीजी उचित समझें, एक कालेज की व्यवस्था कराने की कृपा करें। सरकार के नियमों के अनुसार भवन बनवा दिये जाएंगे। चाहे लड़कियों का ही कालेज हो, मन्जूर कर दिया जावे। मेरे क्षेत्र में चार तहसीलें, दो सब डिवीजन हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र के साथ हर प्रकार से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लड़कियों का एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं है। कृपया हर तहसील हैडक्वार्टर पर कन्याओं के लिए उच्च माध्यमिक स्कूल खोले जाएं। मंत्रीजी इसी सदन में घोषणा करें।

मैं आपसे कुछ उर्दू का फिकरा कहना चाहता हूं क्योंकि मैं तो बिलकुल अनजान

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

आदमी हूं और नया आदमी हूं। "ना कुछ जानता हूं ना कुछ सीखा हूं, जो कुछ भी सीखा हूं तुम्हारा होकर सीखा हूं।"

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री अमरचन्द मिड्ढा : बाकी सवाल यह है, मैंने यह देखा है, मैं यह समझता था कि हमारे गंगानगर में ही असत्य चलता है परन्तु यहां जितना लोग कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र है, और हम वहां कहते हैं कि हरिजन क्षेत्र है। बिजली हरिजन को दो, लगवा सवर्ण लेते हैं। कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में खोलो। कहां खोलो ? उदयपुर में खोल दो, कोटा में खोल दो, जयपुर में खोल दो, अजमेर में खोल दो। लेकिन बांसवाड़ा के किसी गांव का नाम किसी ने नहीं लिया।

(17.00)

मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी भी गांव में होनी चाहिए। शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध वातावरण बनेगा। पहले अपने भारतवर्ष का यह सिस्टम रहा है कि गुरुकुल, कांगड़ियों के विद्यालय गांव में होते थे। जयपुर में खोल दो, कहां खेलने का ग्राउण्ड बनाओगे यहां ?

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री अमरचन्द मिड्ढा : यहां तो एक लाख रुपये में एक वर्ग गज जमीन नहीं मिलती। मैं यह नहीं कहता कि आप कौनसे जिले में खोलें। आप जहां भी खोलें, जिले में खोलें, गांव में खोलें। क्यों जाते हो आप एल. एम. बी. में ? झोटवाड़ा का आदमी एल. एम. बी. चलकर जाता है। जहां दुकान होगी वहां ग्राहक चला जाएगा। जब अमरावती में पढ़ने के लिए राजस्थान से जा सकते हैं क्या गंगानगर जिले के पास गांव में नहीं जा सकते। यहां किसी ने भी गांव का नाम नहीं लिया शहर के सिवाय। सब शहर की बात करते हैं। यहां खोल दें जी, यहां खोल दें जी। क्यों खोल दें यहां। इस वास्ते जो आपने समय दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आगे मौका देंगे तो आपको और बात सुनायेंगे।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। माननीय मन्त्री महोदय जवाब देंगे। गुलाब चन्द जी कटारिया। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था मैं नहीं बदल सकता हूं। आप सब जानते हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : समय बढ़ा दीजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : एक घण्टे के लिए समय बढ़ा दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) बिराजें। बिराजें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : खाली एक मिनट, सभापति महोदय।

एक माननीय सदस्य : हमारी स्कूलें खाली पड़ी हैं, सभापति जी।

श्री सभापति : पहले मेरी बात सुनिये, माननीय सदस्य, कृपया विराजें। कृपया विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आसन ने लगातार तीन दिन 75-75 माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है और आसन को बोलने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज सुबह जिस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था की और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी उस व्यवस्था का समर्थन किया, आसन की व्यवस्था को बदलना या अलाउ करना सभापति के वस की बात नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसको मैं बदल तो सकता नहीं इसलिए कृपया शांत रहें। अन्य अवसर जब आएंगे इस शिक्षा के बारे में जिनकी बात रह गयी है उन माननीय सदस्यों को शून्यकाल में या किसी भी काल में अलाउ करेंगे। माननीय मन्त्री महोदय, आप बोलें। आप सुनें (व्यवधान) मैं प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा, आप विराजें।

श्री मोहनलाल बारुपाल : नहीं, प्रश्न नहीं पूछना है। एक मिनट आप मेरी बात तो सुनें (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, बहुत बुजुर्ग सदस्य हैं....(व्यवधान) आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बिराजिये आप। आप व्यवस्था को समझिये। बिराजिये आप। (व्यवधान) बिराजिये, माननीय सदस्य, बाद में प्रश्न पूछ लेना आप। मैं आपको प्रश्न पूछने दूंगा।

श्री मोहनलाल बारुपाल : साहब, हमारी दूसरी बात है, हम निवेदन कर रहे हैं...।

श्री सभापति : एक मिनट। श्री मोहनलालजी को मैं दो मिनट बोलने के लिए मौका दूंगा। बिराजिये। आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं, मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम कोई व्यवस्था बदलने की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : मोहनलाल जी, आप बोल लीजिए।

श्री मोहनलाल बारुपाल (जायल) : दो लाइन की कविता है। शिक्षा मन्त्रीजी से मेरा निवेदन है कि मेरे नागौर जिले में रेगिस्तान का गांव चऊ और जोलड़ा चीखों की ढाणी और सुराणाओं की ढाणी में स्कूल खोले हुए तीन-चार साल हो गये और मास्टर अभी एक भी नहीं भेजा है इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पल में यह जमाना निकल जाएगा। मैं छोटी सी कविता सुना देता हूं आपको, महात्माजी क्या कहते हैं—

कि गोकुल गाड़ी चल रही
 और सिटी दे रही ट्रेन
और टिकट बाबू खटखट करे
 तो तू क्या समझे एम।
अरे गाड़ी ने सिगनल लगे
 बैठे दो जरमैंठ
और अध्यक्ष महोदय आ चूक्या
 पाछे कैसे पहुंचे ठेठ
ऐ टेम चूक्या टिकट न मिले
 और चाहे बाबू रखो प्रेम
गोकुल गाड़ी चल रही
 और सिटी दे रही ट्रेन।

श्री सभापति : धन्यवाद । श्री गुलाबचन्द जी कटारिया ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (शिक्षा मन्त्री) : आदरणीय सभापतिजी, सभी माननीय सदस्यों के लगभग 174 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए । इक्कीस माननीय सदस्यों ने अपने विचार भी सदन में प्रकट किये । समयाभाव के कारण से कुछ लोग अपने विचार प्रकट नहीं कर पाये पर आपके कटौती प्रस्ताव को मैंने देखा है, मैं उनके लिखे हुए उत्तर आपके पास भेज रहा हूं । सभी जो समस्याएं हैं वह कटौती प्रस्तावों में कहीं न कहीं एक दूसरे के बीच में जुड़ती हैं, आती हैं । समस्याएं आप और हम सब मिलकर अनुभव कर रहे हैं जो राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र की हैं । मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनैतिक मानसिकता को छोड़कर हम सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें कि राजस्थान में शिक्षा को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं । निश्चित रूप से राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से हिन्दुस्तान में बहुत नीचे स्तर पर है और उसके कारण से जब हम कहीं पर जाते हैं तो हमको सुनकर मन में बहुत दुःख और पीड़ा होती है कि इतना सब प्रयास करने के बाद भी राजस्थान अभी शिक्षा की दृष्टि से सबसे नीचे अपना स्थान लिए हुए है । हम जितना जल्दी से जल्दी अपने स्थान को कुछ आगे बढ़ाकर बाकी राज्यों की तुलना में आ सकें इसी बात को ध्यान में रखकर सबको शिक्षा दो हजार तक हो जाए, यद्यपि यह बात जो माननीय सदस्यों ने कही, यह इतना आसान काम नहीं है कि 38 प्रतिशत की साक्षरता को बढ़ाकर के हम केवल छह साल के अन्दर उस सीमा को पार कर जाएंगे । पर यह राष्ट्रीय नीति है और सम्पूर्ण देश की इसके ऊपर सोच है कि हम दो हजार तक सम्पूर्ण भारतवर्ष को शिक्षा से जोड़ दें । उसी के तहत राजस्थान भी अपने कदम को तेजी से बढ़ाये ताकि देश के उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें, उसमें किसी दृष्टि से नहीं पिछड़ें । इसी को ध्यान में रखकर हमने शिक्षा के बजट में इस बार बढ़ोतरी की है और उसी के आधार पर मैं ऐसा मानता हू, महोदय, आंकड़े देने में तो बहुत अधिक विलम्ब होगा लेकिन राजस्थान का यह सौभाग्य है कि आज सम्पूर्ण देश में जो शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय है, उसकी तुलना में हमारा व्यय बढ़ा है । सम्पूर्ण भारत का 207 रुपये है उसकी तुलना में हमारा 213 है । यह आंकड़ा सम्पूर्ण हिन्दुस्तान का तो 91-92 तक का ही हमारे पास उपलब्ध हो पाया और इस समय हम 264 रुपया प्रति बालक राजस्थान में शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं और इस वर्ष का जब आंकड़ा निकालेंगे तो यह व्यय और भी इससे आगे बढ़ेगा । इसका अर्थ स्वाभाविक है कि हम शिक्षा की दृष्टि से कुछ करने की इच्छा रख रहे हैं । विद्यालयों की जितनी संख्या है, जितनी निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें जिस प्रकार की शिक्षा हो रही है लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आप और हम सबको रोज दिखाई देती है क्षेत्र में, वह है रिक्त स्थान । वास्तव में शिक्षा उस विद्यालय में किसी तरह हो ही नहीं सकती यदि उस विद्यालय में एक भी अध्यापक कम होता है तो । उसकी कमी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

के कारण विद्यालय, पढ़ाई के वातावरण को नहीं बना सकता। चूंकि हमने पदों की स्थापना की, मुझे इस विभाग को देख कर के और कुछ विद्यालय देख कर के बहुत ही दुःख हुआ कि शहर में ऐसे विद्यालय मैंने देखे हैं जहां 17 लड़के हैं और 18 अध्यापक। मैंने ऐसे विद्यालय स्वयं अपनी आंख से देखे हैं जिसमें 111 बच्चे कुल हैं और 28 का स्टाफ। तो वास्तव में यह स्टाफ की संख्या है सृजन है इसमें काफी असमानता है और इस असमानता को दूर करने के लिए ही मंगल बिहारी जी की कमेटी बिठायी हुई है जो अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दे। मैं तो बराबर कोशिश कर रहा हूं कि वह जल्दी रिपोर्ट दे ताकि उसके आधार पर हम एक बार फिर से सारे राजस्थान में बच्चों की संख्या और अध्यापकों के पदों का ठीक प्रकार से अनुपात तय कर पायें ताकि शिक्षा को हम ठीक प्रकार से बना सकें। वैसे जो रिक्त पद हैं उसके बारे में मोटी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं क्योंकि जितना हम मान रहे हैं केवल दो ही ऐसे ग्रेड हैं जिनमें रिक्त पद बहुत अधिक हैं और जिनके कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में ऐसा लगता है कि पद बहुत खाली हैं। वास्तव में जो सृजित पद हैं उसके हिसाब से जो रिक्त पद हैं वह मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। प्रधानाचार्य के 840 कुल पद हैं उसमें से 45 रिक्त हैं। उप प्रधानाचार्य 864 में से 443 रिक्त हैं। प्रधानाध्यापक के 3101 कुल पद हैं, 663 पद रिक्त हैं। व्याख्याता 12597 हैं उसके अगेंस्ट में आज की तारीख तक, पहली तारीख मार्च तक 2088 रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापक 35292 हैं, 613 पद रिक्त हैं। अध्यापक थर्ड ग्रेड के 84691 पद हैं उसमें से 1050 पद रिक्त हैं। शारीरिक शिक्षक के 2825 कुल पद हैं, 195 रिक्त हैं। वरिष्ठ लिपिक के 4490 कुल पद हैं, 462 रिक्त पद हैं। प्रयोगशाला सहायक 5158 के अगेंस्ट में 263 रिक्त हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 8324 के अगेंस्ट में 509 रिक्त हैं। जो मेरे पास विभाग है उसमें कुल 1,68,177 पद हैं उसके अगेंस्ट में 6331 पद रिक्त हैं। इन सब में द्वितीय और थर्ड ग्रेड के अध्यापक के जो रिक्त पद हैं उसके लिए तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 31 तारीख की जो मेरिट हमारे पास उपलब्ध है और उसके बाद बच्चों की मेरिट अगले साल वापस नयी बनेगी तो तृतीय श्रेणी के जो उपलब्ध हमारे पास बचे हैं उनसे 31 मार्च के दिन ही यह सारे रिक्त पद निश्चित रूप से भर दिये जाएंगे। एक भी पद खाली नहीं रहेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : बीच में नहीं, माननीय सदस्य। बीच में अलाऊ नहीं करूंगा। बाद में अलाऊ करूंगा, बीच में नहीं। माननीय मन्त्री महोदय शिक्षा के सुधार के लिए भाषण दे रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यापकों के साथ में थर्ड ग्रेड शब्द लगाया गया है उसको कुछ परिष्कृत रूप दिया जाना चाहिए। जैसे रेलवे के आरक्षण में थर्ड क्लास थी उसको सेकण्ड क्लास कर दिया।

श्री सभापति : बीच में अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : थर्ड ग्रेड अध्यापक का परिष्कृत रूप होना चाहिए।

श्री सभापति : इसमें कटमोशन देना चाहिए था आपको।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ऐसा है यह तृतीय श्रेणी जो है, तृतीय वेतन शृंखला है।

श्री सभापति : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पदों का प्रमोशन का जो काम है 31 मार्च तक डी. पी. सी. में थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि इस 15 मई के पहले पहले जो द्वितीय श्रेणी के पद हैं उनकी भी पूर्ति निश्चित रूप से हो जाएगी।

व्याख्याताओं के पदों का सवाल है तो 50 पर्सेन्ट हमारे पास हैं और 50 पर्सेन्ट आर. पी. एस. सी. से आते हैं। जो एक हजार पद हमें भरने हैं, 2088 में से 1000 पद इस सत्र की समाप्ति के पहले पहले हम अपनी डी. पी. सी. कम्प्लीट करके निश्चित रूप से भर देंगे। प्रधानाध्यापक के पद के लिए हमने प्रयास तो किया है आर. पी. एस. सी. से बात करके और मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी बात की है, पत्र भी लिखा है, हमारे डायरेक्टर साहब स्वयं जाकर अजमेर में आर. पी. एस. सी. के अध्यक्ष महोदय से मिलकर आये हैं, हमारी यह कोशिश है कि यह जो हमारा पुराना बैकलाग है, अगले सत्र को जब हम प्रारम्भ करेंगे तो इसको सेंट पर्सेन्ट भर लेंगे। लेकिन जो पद नये सृजित होंगे विद्यालय खुलने के कारण से, उसमें थोड़ा बहुत विलम्ब हो सकता है। इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता होना स्वाभाविक है और इसी सदन में प्रश्नों के माध्यम से समय समय पर जो कुछ भी हमारे सामने आंकड़े आये हैं वे इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हमारी गुणवत्ता और परीक्षा परिणाम जितना प्रतिशत होना चाहिए उतना प्रतिशत नहीं है और उसमें भी एक और अजीब बात है कि सरकारी विद्यालयों का जो रिजल्ट का पर्सेन्टेज है वह प्राइवेट विद्यालयों की तुलना में काफी कम है। इस सब बात में मैं मानता हूं कि कुछ कमी हमारी भी है जिसमें सबसे बड़ी कमी तो अध्यापकों के पदों का रिक्त हो जाना है। यह भी उसमें एक बड़ी बाधा है। दूसरे, अध्यापक समय पर विद्यालय नहीं जाते हैं, यह भी सामान्यत: हम सब लोगों के ध्यान में आता है। यह भी एक कमी का कारण रहा है। विद्यालयों में और भी वातावरण की दृष्टि से जो आवश्यक चीजें होती हैं उनका भी अभाव रहने के कारण से इसमें कमी रहती है। मैं सोचता हूं कि अगर हम इसको सुधारना चाहें तो उन अध्यापकों, जिनके परीक्षा परिणाम अच्छे रहते हैं, हम किसी तरह से सम्मानित करें, उन्हें हम कोई विशेष सुविधाएं दें या उनकी बात को हम ज्यादा रखें। तो मैंने अबकी बार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यह सोचा है कि जिन अध्यापकों का परीक्षा परिणाम सबसे अच्छा रहेगा उनको उनके इच्छित स्थान पर जाने के लिए हम निश्चित रूप से मदद करेंगे ताकि अच्छे अध्यापकों को प्रोत्साहन मिले। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जिनके परीक्षा परिणाम बोर्ड के परीक्षा परिणाम से तीन साल का एवरेज जोड़ने के बाद भी नीचे रहता है तो ऐसे अध्यापकों को भी हम आइडेन्टीफाई करें और उनके साथ निश्चित रूप से हम सख्ती करेंगे ताकि आगे से कोई भी परीक्षा परिणाम को न बिगाड़ सकें।

हम यह कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के हैड-क्वार्टर पर एक नियन्त्रण कक्ष बनायें जो कि चौबीसों घण्टे चले और गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिकायत लेकर उस कन्ट्रोल रूम पर दे तो वह कन्ट्रोल रूम निश्चित रूप से उस स्थान पर जाकर जो भी सम्बन्धित अधिकारी है उसकी चैकिंग कर सके और वापस रिपोर्ट लेकर उस व्यक्ति को भेजे ताकि विद्यालय में ठीक प्रकार से व्यवस्था हो सके। मेरा भी आप सबसे यह विनम्र निवेदन है कि जिन गांवों में हम हों वहां शिक्षा के स्तर को सुधारने की दृष्टि से कोई छोटी-मोटी समिति बना सकें, वह समिति सुझाव भी दे और यह थोड़ी बहुत जो कमियां रहती हैं इनको ठीक करने का प्रयास करें। तो हम इस प्रकार की समिति बनाने पर भी सोच रहे हैं। हमारे मन में यह भी है कि सम्पूर्ण राजस्थान की शिक्षा किस ओर चले इस दृष्टि से राजस्थान के अच्छे शिक्षाविदों की 15 लोगों की एक कमेटी बनाकर वर्ष में तीन-चार बार उनके साथ बैठकर शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या नया परिवर्तन कर सकते हैं, क्या हमें सुधार करना चाहिए इसके लिए उनकी राय लें ताकि उनकी राय के आधार पर शिक्षा को उस दृष्टि से हम आगे बढ़ा सकें। यह भी हमने दिमाग में सोचा है और मैं सोचता हूं कि इस महीने भर में ही राजस्थान स्तर की जो कमेटी है और जो जिला स्तर की 11 लोगों की कमेटी बनाने का मानस है, इन दोनों कमेटीज को बनाकर साल भर इनको देखते हैं कि इससे कोई लाभ हो सकता है तो निश्चित रूप से उस ओर प्रयास करेंगे।

वास्तव में इस क्षेत्र को हमें आगे बढ़ाना है तो शिक्षकों के सहयोग के बिना सम्भव नहीं होगा। केवल हम उनके दोषों को ही निकाल करके बार-बार प्रयास करेंगे तो उसमें से कोई अच्छी स्थिति निकलने वाली नहीं है। जो भी हमारे पास उपलब्ध अध्यापक हैं उनको धीरे-धीरे मोटीवेट करना पड़ेगा उसके काम की ओर, और मैं सोचता हूं कि यदि हम प्रयास करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उनके मन में कुछ कुंठाएं रहती हैं, उसको कुछ काम रहते हैं जिन कामों का समय पर निपटारा नहीं होने की वजह से भी वह मानसिक दृष्टि से कुण्ठित महसूस करता है। तो विभाग ने यह कोशिश की है 11 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से कि शिक्षकों की जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का भी समय पर निपटारा हो जाए ताकि उसे लगे कि केवल मेरे कामों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

के दोषों को नहीं निकाला जाता है, मुझे भी किसी चीज की जरूरत है उसके बारे में ऊपर के लोग भी चिन्ता करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। उस दृष्टिसे रिक्त पदों की दृष्टि से मैंने बताया कि हमने पिछले साल में ही 10164 लोगों को, जो नये बी एड. या ट्रेनिंग करके आये उनको लगा करके इन पदों की पूर्ति की है। वरिष्ठता सूची और डी. पी. सी. की दृष्टि से भी हमने बहुत कुछ 1993-94 कम्प्लीट करली और जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि अप्रेल की 30 तारीख तक जो सारी डी. पी. सी. है सब ग्रेड की वह अप-टू-डेट कर दें ताकि डी. पी. सी. के कारण से किसी का कोई हक नहीं रुके। उस दृष्टि से भी हमने किया है।

पेन्शन प्रकरण की दृष्टि से भी 3511 प्रकरण जो अब तक विचाराधीन थे उन सबका निपटारा किया और उसमें से कोई 1070-80 के बीच के भी 161 प्रकरण थे, जिनको विभाग ने पूरा किया है और यह 11 सूत्री विभाग की जो जांच रिपोर्ट है और बड़े लम्बे समय तक लम्बित रहती है उनमें से भी हमने 3215 जांच रिपोर्ट का निस्तारण किया और उसमें निलम्बित वाले भी केस हैं। इसके अलावा जो डुप्लीकेट सर्विस बुक हैं, कई बार सर्विस बुकें गुम हो जाती हैं और उसके कारण से उनके पेन्शन केस नहीं बनते हैं, तो हमने उनकी डुप्लीकेट सर्विस बुकें बनायी हैं और 1 लाख 70 हजार सर्विस बुकें कम्प्लीट कर दी हैं।

मैं सोचता हूं कि जो पाठ्य पुस्तकों के वितरण का मसला है वह समय पर हो जाए। पिछले साल भी हमने स्कूल खुलने के पहले ही पाठ्य पुस्तकें पहुंचा दीं और उसका वितरण जुलाई की 15 तारीख तक निश्चित रूप से सारे राजस्थान में हो गया। पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए हमने एक व्यवस्था यह की कि विद्यालय अगर स्वयं ही अपनी पाठ्य पुस्तकें ले जाएं तो उनको भी 15 प्रतिशत कमिशन देंगे ताकि विद्यालयों में ही पुस्तकें आसानी से बट जाएं। लेकिन अब तो चूंकि पाठ्य पुस्तकों का बहुत कुछ काम जो है, क्योंकि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देनी हैं प्राइमरी में और लड़कियों के 8वीं तक के लिए तो उस व्यक्ति को भी हम निश्चित रूप से पुस्तकें पहुंचा देंगे। बोर्ड की पुस्तकें भी हमने समय पर पहुंचाई हैं।

छात्रवृत्ति की दृष्टि से हमने एक निश्चित तारीख तय की है कि जितनी भी छात्रवृत्ति विद्यालयों में बटनी है वह 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन सार्वजनिक कार्यक्रम में निश्चित रूप से बालकों को मिल जाए ताकि किसी प्रकार की कोई अनियमितता या कोई और बात नहीं हो। मैं सोचता हूं कि जो वित्तीय प्रावधान हमने बजट में किये हैं, वैसे विभिन्न माननीय सदस्यों के भाषणों में वह बात आ गयी है कि राजस्थान इस बार का जो शिक्षा के बजट का जो प्लान का पैसा है, 80 प्रतिशत उसमें बढ़ोतरी हुई है। 122 करोड़ रुपया जो पिछली बार प्लान में था वह इस बार 223 करोड़ है और प्राथमिक शिक्षा में तो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जो 61 करोड़ था वह 134 करोड़ है। लगभग 119 प्रतिशत इसमें बढ़ोतरी हुई है। माध्यमिक दृष्टि से जो 60 करोड़ था वह इस बार इससे भी 22 करोड़ बढ़कर 82 करोड़ कुल व्यय हुआ है। मैं सोचता हूं कि विद्यालय जो हमने खोले हैं, अपने बजट भाषण में उनके बारे में आपने स्वयं ने देखा है....

अनेक माननीय सदस्य : कम है। बढ़ाने चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपकी बात को मुख्य मन्त्री तक पहुंचाऊंगा और आप स्वयं भी पहुंचाएं और अगर कहीं कुछ एडजस्ट हो सके तो हो जाए। सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी 10 प्लस 2 में जरूर थोड़ा बजट बढ़े। ताकि जो कमी है हम उसकी पूर्ति कर सकें।

श्रीमती कमला : महिलाओं का प्रतिशत भी जरूर कायम करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जितने भी 10 प्लस 2 हैं, राजस्थान में 237 पंचायत समितियों में से हमने आइडेन्टीफाई की हैं, 105 पंचायत समितियों में लड़कियों का एक भी 10 प्लस 2 स्कूल नहीं है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्र में बच जाएंगी तो अगले सत्र में सेंट पर्सेण्ट, कोई पंचायत समिति ऐसी नहीं रहेंगी जिसमें 10 प्लस 2 का एक स्कूल लड़कियों का नहीं हो जाए।

श्रीमती कमला : उसमें तो आप करें लेकिन जो जनरल आपने प्रोविजन किया है स्कूलों का उसमें कुल में 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत या 5 प्रतिशत महिला शिक्षा के लिए रखेंगे, यह निवेदन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप तो 15 कह रहे हैं हम तो सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी में इसमें से लगभग 50 प्रतिशत महिला शिक्षा को ही एडजस्ट करेंगे।

प्राइमरी में जो एक प्राब्लम आती है बच्चों के स्कूल के लिए कि हम बालिका विद्यालय खोल तो देते हैं पर वे इतने दूर स्थान पर होते हैं कि महिला शिक्षिका वहां जाना नहीं चाहती या जाती नहीं। गांव के लोगों की यह मांग आती है कि अगर आप बच्चों का मिडल स्कूल बनाएं तब तो हमारे बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ सकेंगे। लेकिन जैसे ही बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाते हैं वैसे ही बच्चों को उसमें से निकाल दिया जाता है और गांवों में एक नयी समस्या खड़ी हो जाती है। छोटे गांव में दो विद्यालय बनाना–बच्चों का मिडल स्कूल अलग और बच्चियों का अलग यह संख्या की दृष्टि से भी कई बार उचित नहीं होता है। पर यह जरूर है कि बच्चियों का सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी अलग से हो। उसके लिए जो प्रावधान हमारे पास है उसमें से मैक्सिमम बच्चियों की शिक्षा की दृष्टि से देने का हमारा निश्चय है।

हमारे यहां 3646 विद्यालय सिंगल टीचर्स स्कूल थे। इस बार निर्णय किया है कि राजस्थान में अब कोई भी सिंगल टीचर स्कूल नहीं होगा, कम से कम दो अध्यापक जरूर होंगे। कोशिश यह करेंगे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कि अगर दो में से एक महिला अध्यापक मिल सके तो हम उसकी पूर्ति करें। लेकिन वे वहां तक जा सकें, इस बात को देखना बहुत आवश्यक होगा।

शिक्षा की दृष्टि से, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा की दृष्टि से इस बार सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान है। आपने स्वयं बजट भाषण में भी देखा होगा, जितने भी गैर सरकारी स्कूल हैं उन सभी बालिका विद्यालयों को 90 प्रतिशत अनुदान देंगे। जो नये बालिका विद्यालय खुलेंगे उनको खुलने के एक साल बाद, इंस्पेक्शन कराने के बाद, अगर रिपोर्ट आयी तो निश्चित रूप से ऐड लिस्ट पर लेंगे। ऐड कितनी देंगे, यह उस विद्यालय की स्थिति पर निर्भर करेगा। सीधे ही 90 प्रतिशत देने वाली बात तो नहीं बैठ पायेगी, लेकिन हम उसको निश्चित रूप से ऐड लिस्ट पर लेंगे।

तीन माह में, सरकार आने के बाद जो काम किये हैं उसको मैं थोड़ा-सा आपके सामने बता दूं। आपके सामने कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह बजट तो दिया है, इसका हम उपयोग कर पायेंगे कि नहीं कर पायेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आप सबका सहयोग रहेगा और निश्चित रूप से इस बजट को समय पर एलोकेट कर इसको पूरा करेंगे।

सात जिलों में साक्षरता अभियान पहले से चल रहा था, अभी तीन जिलों में और स्वीकृति मिली है अलवर, उदयपुर और राजसमन्द और इसके तहत हमको तीन करोड़ रुपये और मिले हैं। और पांच अगली मीटिंग में और। हम सोचते हैं कि तीन और पांच, आठ होकर कुल 15 जिले साक्षरता की दृष्टि से केन्द्र सरकार की सहायता से चयनित कर हम इसमें काम चालू कर देंगे।

श्री किशन मोटवानी : भारत सरकार दे रही है और तालियां नहीं बजीं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : भारत सरकार दे रही है और 50 प्रतिशत हमारा भी पैसा है, अकेले उनका नहीं है लेकिन उनका भी सहयोग मिल रहा है।

सीडा के तहत स्वीडन के सहयोग से हमारे यहां दो योजनाएं चल रही हैं– लोक जुम्बिश और शिक्षा कर्मी योजना। वैसे तो इनका कार्यकाल 30 जून तक ही था, लेकिन अभी आठवीं पंचवर्षीय योजना के तीन साल और बचे हैं, स्वीडन के साथ बातचीत होकर हमारा नेगोसिएशन हो गया है और उन्होंने इस योजना को तीन साल और चलाने की हमें स्वीकृति दे दी है। उसके तहत हम लोक जुम्बिश के माध्यम से भी और शिक्षा कर्मी योजना के माध्यम से भी इस क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं।

गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों का जो शिक्षा विधेयक हम लाये थे उस शिक्षा विधेयक के पीछे मंशा एक ही थी कि उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी सर्विस का पूरा प्रोटेक्शन हो, उनका पूरा पेमेण्ट हो। इस बात को सरकार आज भी उसी रूप में मानती है और इस पर बिलकुल एक तरह से वचनबद्ध है कि इस विधेयक में कोई ऐसा लेकूना नहीं छूट

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जाए जिसके कारण से उसमें कार्यरत कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय हो जाए। लेकिन निजी शिक्षण संस्थाओं को जिस प्रकार नियम बनाकर हमने बांधना चाहा उसके कारण इस वर्ष में नयी निजी शिक्षण संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं के बराबर हुआ है। कारण यह है कि इस नियम के आने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने इस क्षेत्र में आने के लिए अपना मानस ही बदल दिया है और कई लोगों के तो नोटिस आ गये कि अगली जुलाई के बाद आप ही हमारे स्कूल सम्भाल लें और टेकओवर के, लगभग 21 तो मैंने विधान सभा में कहा था लेकिन अब 40 प्रकरण हमारे पास आ गये कि ये विद्यालय आप स्वयं ले लें। इसका मतलब यह है कि इन नियमों के तहत कोई न कोई ऐसी परेशानी है। इनमें ऐसी संस्थाएं भी हैं जो आजादी से भी पहले प्रारम्भ हुई। हमको दो संस्थाओं में अन्तर करना पड़ेगा। जो संस्थाएं केवल दुकानदारी चलाने की दृष्टि से चलती हैं उनको तो विभाग को निश्चित रूप से सख्ती से निपटना चाहिए, उनके साथ सख्ती का बर्ताव करना चाहिए लेकिन जो समाज का सहयोग लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 50-50 वर्ष से काम कर रही हैं उनको उसी तरह से समझकर....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नयी शिक्षण संस्थाओं में जिनके छात्रों में हमेशा मेरिट प्राप्त की है, आप स्वतन्त्रता के बाद की ही छांटेगे या ऐसी भी छांटेगे? (व्यवधान) शिक्षा की बाबत, कोई आरोप की बात नहीं है, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितनी शिक्षण संस्थाओं ने उन शर्तों को माना है? मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी शिक्षण संस्था आपके नियमों और आपकी शर्तों को आज तक नहीं मान पायी है। क्या उन छात्रों को सरकारी स्कूलों में समायोजित करने में आप सक्षम हैं? एक अकेले कोटा जिले में 85 हजार स्टूडेण्ट पढ़ते हैं और बूंदी जिले में 37 हजार स्टूडेण्ट पढ़ते हैं। उन शिक्षण संस्थाओं को अगर आप इन नियमों की गैर पालना के तहत बन्द कर देते हैं तो क्या आप समायोजित कर पायेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपकी भावना को ही प्रकट कर रहा हूं। ऐसी स्कूलें वास्तव में शिक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा सहयोग हमारा कर रही हैं, आज राजस्थान का एक तिहाई शिक्षा का काम निजी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। उन निजी शिक्षण संस्थाओं को बन्द करके राज्य सरकार की यह क्षमता नहीं है कि उतना पैसा लगाकर उन सब बच्चों की व्यवस्था कर लें। लेकिन फिर भी जो शिक्षण संस्थाएं वास्तव में शिक्षा को अपना व्यवसाय बनाकर काम कर रही हैं उनके ऊपर जरूर अंकुश लगायेंगे, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। इसके लिए जो कमेटी उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में बनायी गयी है उसमें हमने तीन निर्णय लिए हैं–गैर सरकारी संस्थाओं के हित में ऐसे भौतिक मापदण्ड जिनको फिलहाल लागू करना अव्यावहारिक हो, को फिलहाल लागू न करने का निर्णय, पी. डी. खाता खोलने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया और अनुदान गणना हेतु पूर्व नियमों के अनुसार सरल

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रक्रिया लागू। पुरानी जो प्रक्रिया थी उसी को लागू किया। जैसे ही ये नियम बन जायेंगे इस कमेटी के द्वारा, उनको हम लागू कर देंगे। इसी तरह से शिक्षकों के....

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : 50 हजार और एक लाख की जो फिक्स्ड डिपाजिट है....

श्री सभापति : मन्त्री महोदय के भाषण के पश्चात कुछ पूछ पायेंगे, माननीय सदस्य। मन्त्री महोदय के भाषण के बाद अलाऊ करूंगा। बिराजें, महेन्द्र कुमार जी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने कहा कि उन सारे मापदण्डों को—जितने पैसे उनको जमा कराने थे, जमीन का, कमरे की साइज का, एक ही लाइन में फिलहाल हमने स्थगित कर दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार हो सके और बालक दिन भर काम करने के बाद भी सवेरे-शाम पढ़ सकें, इसके तहत लगभग चार हजार स्कूल इस प्रकार से लगा रहे हैं कि प्रारम्भ करें ताकि उनकी शिक्षा ठीक प्रकार से हो सके।

अध्यापकों के बहुत लम्बे समय से लम्बित एक मामले में वैसे मुख्य मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण के जवाब में यह कह दिया था कि शिक्षकों को भी 15 दिन का उपार्जित अवकाश, बाकी राज्य कर्मचारियों को मिलता है उसी तरह से उनको भी, निश्चित रूप से मिले। सात दिन कैश में और आठ दिन वह ले सकता है, आगे ले जा सकता है।

स्थानान्तरण की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा विभाग में। कल मण्डावर से आये माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि आपने ट्रांसफर पालिसी बनाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया। वैसे बड़े लम्बे समय तक शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो स्थानान्तरण है। अधिकांश सब लोगों का आपका, हमारा, जो शिक्षा के अधिकारी हैं उनका 80-90 प्रतिशत समय केवल शिक्षकों के ट्रांसफर में ही समाप्त हो जाता है। और इस लिए उनके गुणात्मक सुधार के लिए समय नहीं बचता। तो हमने कोशिश की है और हम चाहते हैं कि कम से कम अगले सत्र तक, 3-4 महीने में इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाए और वह आप सबके सामने रखकर के कोई ऐसी नीति बने जो हमेशा-हमेशा चलती रहे और शिक्षा के क्षेत्र में यह जो ट्रांसफर के कारण से जिस प्रकार के हालात हैं इनको सुधारा जा सके। इसीलिए अनिल बोर्डिया को इसका अध्यक्ष बनाकर के एक कमेटी बनायी है जो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट पर आप और हम सब बैठ करके सोचेंगे। अगर ठीक लगेगा तो उसको हम आगे बढ़ायेंगे और उसमें और कोई सुधार की जरूरत पड़ी तो हम उसमें निश्चित रूप से सुधार करेंगे।

वैसे शिक्षा कर्मचारियों के पिछले कई साल से मेडिकल और बाकी तरह के काफी पैसे चढ़े हुए हैं जिनका भुगतान नहीं हो सका। हमने इस समय 10 करोड़ रुपये इसी के लिए रखे हैं ताकि जो पुराना

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चुकारा करना है उनका मेडिकल और बाकी भत्तों का, वह चुकारा निश्चित रूप से हो जाए।

वैसे पाठ्य पुस्तक मण्डल की अभी राष्ट्रीय सेमीनार यहां हुई है जिसमें 15 राज्यों से लोग आये हैं और उस दृष्टि से भी पाठ्य पुस्तक मण्डल में किस प्रकार से हम और कुछ कर सकते हैं वह करेंगे।

शिक्षा का ठीक प्रकार से निरीक्षण हो सके इसके लिए हमने 20 उप जिला शिक्षा अधिकारी के नये स्थान निश्चित करके नये पद सृजित किये हैं ताकि वे भी इस शिक्षा की दृष्टि से कुछ काम कर सकें।

वैसे कार्यक्रम सम्बन्धी जो आपने शंका प्रकट की कि ये समय पर आपकी पोस्टें निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, स्वीकृतियां निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, अध्यापक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, मैं आपके सामने समयवद्ध कार्यक्रम पढ़ रहा हूं और आप सब लोग इसमें सहयोग करें। हम बिलकुल हण्ड्रेड पर्सेन्ट जब अगला सत्र जुलाई में शुरू होगा तो सकी पूर्ति करके, नये विद्यालयों को खोलकर उनमें अध्यापक लगाकर के उस काम को पूरा करेंगे। मैं पढ़ देता हूं उसके बाद में कोई रह जाए तो बता दें।

पंचायती राज और ग्रामीण विकास के परामर्श से 2313 नये प्राथमिक स्कूल खोलने की स्वीकृति जारी कर पदों का सृजन अप्रेल-मई, 1994 में करने का प्रयास करेंगे। करेंगे शब्द मैंने इसलिए लिखा कि ग्रामीण विभाग से भी इसमें हमको सम्बन्ध करना है और उनके साथ बैठकर इसको हम अप्रेल-मई 1994 में पूरा कर लेंगे।

1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 90 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 138 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी कर शिक्षकों के पदों का सृजन अप्रेल-मई में कर दिया जाएगा।

ग्रीष्मावकाश में द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के मार्च, 1995 तक रिक्त होने वाले पदों हेतु नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर सत्र के प्रारम्भ में अध्यापकों को रिक्त पदों पर पदस्थापित कर दिया जाएगा।

आगामी सत्र प्रारम्भ होने से पहले छात्र-छात्राओं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी। जुलाई 1994 में चार नये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोल दिये जायेंगे।

बालिका शिक्षा और विकलांग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन वर्गों को शिक्षा प्रदान कर रही गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की अनुदानित राशि में वृद्धि सम्बन्धी आदेश अप्रेल-मई, 1994 में जारी कर दिये जाएंगे।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से अगले शैक्षणिक सत्र में कार्य दिवसों में वृद्धि एवं स्कूलों के अध्यापन समय बढ़ाने को कहा है। इस दृष्टि से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यह भी कलैण्डर हमारा घटते-घटते अब 125 और 130 दिन पर आ गया। 365 दिन में से केवल शिक्षण जो होता है वह मुश्किल से 130-135 दिन होता है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि यह कम से कम 30 दिन और बढ़ कर के 160-165 दिन हम निश्चित रूप से अगले साल का जो कलैण्डर बनायें उसमें जा सके। इसके साथ ही विद्यालय के आवर्स भी घटते चले गये। पहले 6 घण्टे का विद्यालय होता था अब डबल शिफ्ट का जब विद्यालय हो गया तो 5 घण्टे का, साढ़े चार घण्टे का होता है। हम इस बारे में भी कोशिश करेंगे कि यदि मजबूरी में डबल शिफ्ट करनी पड़े तो करें बाकी सिंगल शिफ्ट में ही स्कूल चले और बराबर पूरे 7 घण्टे तक चले, 10 बजे से लेकर पांच बजे तक, ताकि विद्यालय ठीक प्रकार से चले।

शिक्षक संघों की मान्यता की भी बहुत बड़ी समस्या है और आये दिन कोई भी शिक्षक संघ बना लेता है। इसलिए बनाता है कि उसको ट्रांसफर पॉलिसी में छूट है कि जो संघ का पदाधिकारी होता है उसका स्थानान्तरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए राजस्थान में लगभग 40 शिक्षक संघ बन गये और जिस किसी को भी ट्रांसफर का भय लगता है वह नया संघ बना देता है और उसका अध्यक्ष बन जाता है और लैटर पेड बना लेता है। इस समस्या के निपटारे के लिए मान्यता का प्रकरण भी निश्चित रूप से तय हो जाना चाहिए। तो इसी वर्ष गर्मियों की छुट्टियों तक या जुलाई तक, क्योंकि छुट्टियों में अध्यापक मिलेंगे नहीं, उनकी गिरदावरी कराकर जिसको 51 प्रतिशत मत मिलेंगे उसको हम मान्यता दे देंगे और 30 प्रतिशत से जिसको कम कम मत मिलेंगे उसको भी हम वार्ता के लिए बराबर बुलायेंगे। पर 30 प्रतिशत से कम जिनकी सदस्यता है, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए तो कोई भी/व्यक्ति आकर मिल सकता है परन्तु संघ के नाते रोज आकर मिले यह कम से कम किसी प्रकार से हम रोक सकें।

यह आप सब लोगों से विनम्र मेरी प्रार्थना है क्योंकि आज शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हम देख रहे हैं वह देखने के बाद मन को बहुत पीड़ा और दर्द होता है। मेरी भी कल्पना नहीं थी, वास्तव में शिक्षा की आज की तारीख में यह स्थिति है इसकी। स्वयं ने भी कुछ विद्यालय जाकर के देखें हैं और देखने के बाद लगा उस दृष्टि से मेरा यह प्रयास रहेगा कि जिला शिक्षा अधिकारी और उस जिले के सारे एम. एल. ए. कम से कम दो महीने में एक बार आपस में बैठ कर के उस जिले की जो शिक्षा की दृष्टि से समस्याएं आती हैं उनको हल करें। हम शिक्षा को राजनीतिक दीवारों में नयी बांधें और बिलकुल खुले दिमाग से शिक्षा के स्तर को कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने विद्यालयों को कैसे ठीक कर सकते हैं इसके लिए हम निरन्तर प्रयत्न-शील रहें और सुझाव देते रहे। मेरा विश्वास है कि अगर आप सब लोगों का सहयोग बराबर मिलता रहा और राजस्थान में क्योंकि इतना बजट हमको मिला, आज शिक्षा के नाम पर हमारा बजट समर्पित बजट माना जा रहा है और उसके बाद भी अगर हम इसकी उपलब्धि नहीं ला सकते हैं तो यह वास्तव में हम

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सबके लिए बहुत ही चिन्ता का विषय होगा। मेरी ऐसी धारणा है कि जब इस साल हमको इतना मिला तो दो बजट हमें और इस पंचवर्षीय योजना में मिलने वाले हैं, मैं सोचता हूं उसमें भी शिक्षा की दृष्टि से इतना ही महत्व मिलेगा। लेकिन हम सब मिल करके इसको ठीक कर सकें, यही निवेदन करके इसको पास करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह जी।...(व्यवधान) मैं बुला रहा हूं सबको। आप सवाल पूछने दें। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति जी, माननीय मन्त्री जी ने अभी जो विचार व्यक्त किये उसमें थोड़ी दुविधा उत्पन्न हो गयी लड़कियों के स्कूलों के मामले में। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है। सीकर, झुन्झुनू जिले ऐसे हैं जहां कि लड़कियों की संख्या बहुत बढ़ी है और यहां की लड़कियां बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा तक पढ़ाने के लिए जाती हैं। ऐसा कोई जिला बाकी नहीं है जहां झुन्झुनू और सीकर की लड़कियां नहीं जाती हों। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मिडल स्कूल खोलते वक्त आपने दुविधा की कि लड़कों और लड़कियों का मिडल स्कूल दो कैसे खुलेंगे। आप संख्या तय कर सकते हैं कि जिस गांव में लड़कियों की अमुक संख्या है, चाहे 100 कर दो, 125 कर दो, वहां आप मिडल स्कूल लड़कियों का अलग से खोल देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं।

श्री सभापति : श्रीमती कमला जी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : मन्त्री महोदय, जनरल एजुकेशन के बारे में तो आपने बहुत अच्छे निर्णय और कुछ मानीटरिंग की भी सख्त व्यवस्था की है, मेरा आपसे निवेदन है कि अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम चल रहा है वह शोचनीय स्थिति में है और बहुत सी जगह तो व्यवस्थाएं कायम भी नहीं हैं। सिर्फ कागजों के ऊपर ही कायम चल रही हैं। इसलिए इन दोनों पद्धतियों के मानीटरिंग की और रेगूलर इनके इंस्पेक्शन की और इनकी रिपोर्ट्स लेने की भी आप व्यवस्था कायम करें। चार हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलकर हम प्रसन्न हो रहे हैं लेकिन पहले जो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खुले हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में भी आप जरूरी तौर पर ध्यान दें। और ज्यादा से ज्यादा खोलें उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहती हूं कि मिडल स्कूल अचानक से बिना प्राइमरी गर्ल्स की हुए मैंने खोले थे और वे स्कूल खूब अच्छी चले। मुझे कई जगह कोई मिल जाता है कि उस वक्त हमने आपसे कहा था कि इसको बालिका की बजाय बालक कर दो। आज वह खूब अच्छी चल रहे हैं इसलिए उसमें आप बिलकुल मत हिचकें, कुछ पर्सेण्टेज में मिडल स्कूल बच्चियों के जरूर कायम करें।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल मीणा।

श्रीमती कमला : एक निवेदन यह है कि संस्कृत शिक्षा के लिए अलग से प्लान

(श्रीमती कमला)

हैड नहीं है इसलिए पांच पर्सेण्ट जनरल एजूकेशन से हम हमेशा देते चले आये हैं। वह पिछली बार आपने छोड़ दिया था, गवर्नर रूल में भी और उससे पहले भी, उसको आप वापस कायम करें और इसका अलग प्लान हैड बनाने की भी व्यवस्था करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, जैसा कि बजट भाषण में भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल खोलने का तो मापदण्ड आ गया पर सैकण्डरी और सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों को खोलने का क्या आपका मापदण्ड है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि संस्कृत एजूकेशन के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा है। संस्कृत एजूकेशन के बारे में कितने प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी में करेंगे और कितने प्राइमरी स्कूल खोलेंगे इसका आपने अलग से कोई प्रावधान नहीं किया है।

श्री सभापति : श्री बैरवाजी। मैं आपको बुला रहा हूं।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : सभापति महोदय, प्राइमरी और मिडल स्कूल जो आज कार्यरत हैं, चल रहे हैं लेकिन वहां पर फोर्थ क्लास कर्मचारी की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण से विद्यालय में सफाई की व्यवस्था में और छात्रों को पानी पिलाने आदि की व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और इसका परिणाम यह होता है कि विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा उन छात्र-छात्राओं से विद्यालय की सफाई करवाई जाती है, उनसे पानी भरवाया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जो भी प्राथमिक और मिडल स्कूल हैं उनमें फोर्थ क्लास कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, मैंने आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पहले भी अनुरोध किया था पर शायद उनके ध्यान से उतर गया। मन्त्री महोदय, जो पद रिक्त हैं, आपने सारी घोषणाएं की हैं कि जहां-जहां ये पद रिक्त हैं वह पद भर दिये जाएंगे जो हमारे हिस्से में हैं। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि शिक्षकों के जो पद रिक्त हैं वहां पर रिटायर्ड टीचर्स हैं उनको 100 रुपये में लगाने की भी विभाग की वर्तमान में व्यवस्था है। मैंने यह सुझाव दिया था कि जहां यह व्यवस्था नहीं है, रिटायर्ड टीचर्स नहीं मिल रहे हैं वहां हमारे जो बेरोजगार टीचर्स हैं, जो ट्रेंड भी हैं, और अनट्रेंड हैं, एम. एससी. किये हुए हैं, एम.ए. किये हुए हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि उनको भी अस्थायी रूप से लगाने की बात करें।

श्री सभापति : श्री भगराज चौधरी। आपको भी बुलाऊंगा, माननीय सदस्य ध्यान है, नाम पुकारूंगा।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि

(213)

(श्री भगराज चौधरी)

राजस्थान में शिक्षा का औसत हिन्दुस्तान के मुकाबले 38 प्रतिशत है जबकि हिन्दुस्तान का 52, प्रतिशत है। राजस्थान के अन्दर जालौर और बाड़मेर जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता का औसत केवल 18-19 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण यह है कि....

श्री सभापति : भाषण नहीं, केवल प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी : इसका कारण यह है केवल मात्र कि आबादी के आधार पर स्कूल आवंटित किये जाते हैं और दूरी को ध्यान नहीं रखा जाता है। उसके कारण से एक स्कूल से दूसरे स्कूल की दूरी 15–15 किलोमीटर....

श्री सभापति : श्री शान्तिकुमार धारीवाल। (अनुपस्थित)।

श्री भगराज चौधरी : 10-10 किलोमीटर है। तो क्या, मंत्री महोदय, यह जो नये स्कूल खोलने जा रहे हैं इनमें जो आज शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े जिले हैं इनमें विशेष रियायत देकर आबादी के साथ साथ....

श्री सभापति : आप विराजिये। भाषण नहीं, प्रश्न पूछिये।

श्री भगराज चौधरी : मैं यही तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि क्या यह नये स्कूल खोले जाने वाले हैं उनमें आबादी के साथ-साथ में स्कूल से स्कूल की जो दूरी है उसको दृष्टिगत रखते हुए आप विशेष तौर से ज्यादा स्कूल खोलने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं ?

श्री सभापति : श्री बनवारीलाल शर्मा बुलवाऊंगा, एक बार उधर के पूछ लें फिर आपकी तरफ देखूंगा।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं, माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने बी.एड, एस.टी.सी. पास की है 20-20 25-25 हजार रुपये लगाकर और क्योंकि आपकी भर्ती नहीं हो रही थी और वह ओवर ऐज हो गए, उनके भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं ?

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री बनवारीलाल शर्मा : सभापति महोदय, एक सैकण्ड। दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि आपने सब चीजों पर तो प्रकाश डाल दिया लेकिन जो मास्टर्स की प्रवृत्ति आज ट्यूशन करने की है उसको चैक करने के लिए आपने क्या सोचा है ? या फ्लाइंग स्क्वायड टाइप बनाकर उन पर नियंत्रण करने का कोई इरादा रखते हैं ?

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों में एस. टी. सी. पास, एस.टी.सी. ट्रेंड अध्यापक को ही प्राथमिकता दी जाएगी बमुकाबले बी.एड. ट्रेनिंग किये हुए अध्यापकों के जिनको कि मात्र सिलेबस 9-10-11 का ही प्रशिक्षण दिया जाता है ? प्राइमरी स्कूल का एस.टी.सी. को दिया जाता है। प्राइमरी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक की कक्षाएं लगती

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हैं उनमें एस.टी.सी. की आज हजारों की संख्या में है, उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी पहले ?

श्री सभापति : श्री रामकिशन वर्मा।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मंडी) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी को यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों के अन्दर टोटल विद्यार्थियों की संख्या है उनमें भी 30पर्सेण्ट विद्यर्थी ही स्कूलों की कक्षाओं में बैठते हैं, क्या यह जिम्मेदारी वहां जो प्रधानाध्यापकजी हैं, बाकी अध्यापकों पर भी आप डालने की कोशिश करेंगे ? उनसे यह पूछने की व्यवस्था करेंगे कि आखिर विद्यार्थी क्यों नहीं आते हैं ? मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि जो वहां पर सरकारी स्कूलें हैं उनके प्रति लोगों का इण्टरेस्ट घटता जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों की ओर लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा है, यह दुखद स्थिति है। इसको सुधारने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला सवाई माधोपुर में शिक्षा विभाग में नियुक्ति, स्थानान्तरण आदि की गम्भीर अनियमितताओं के बारे में पूर्व में भी मैंने आपसे निवेदन किया था और उसके बारे में आप चाहें तो पूरा रिकार्ड मेरे पास मौजूद है, जो भी अनियमितताएं वहां पर हुई हैं। माननीय शिक्षा मन्त्रीजी अवश्य इसके बारे में कुछ कहेंगे।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि स्कूलों के अन्दर सबसे बड़ी आज कोई प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तो वह है अनैतिकता। लड़कों में अनेक प्रकार की बुराइयां पैदा हो रही हैं और उसमें आप और हम सब का उत्तरदायित्व है। क्या आपने कोई ऐसी नीति तय की है जिससे कि नैतिक शिक्षा भी हमारे स्कूलों के अन्दर मिले ? तीसरा, मेरा निवेदन है ..

श्री सभापति : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री रामनारायण डूडी।

आपका हो गया, आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं जिन स्कूलों के अन्दर वेकेंट पोस्ट हैं वहां पर 100 रुपये में व्याख्याता लगाने का आदेश दिया है, ये गांवों के अन्दर तो मिलेंगे नहीं और शहरों के अन्दर सरप्लस एक-एक सब्जेक्ट के 4-4 मास्टर्स बैठे हैं, व्याख्याता बैठे हैं इसलिए आप राजकीय आदेश करें। क्योंकि शहरों के अन्दर तो वह आपको मिल जायेंगे, 100 रुपये में रिटायर्ड व्याख्याता भी मिल जायेंगे, एम.एस.सी., एम.ए. वगैरह जो भी हैं वह मिल जायेंगे। तो आप यह आदेश तो कर ही सकते हैं। हमारे स्कूल खाली पड़े हैं 3-3, 4-4 व्याख्याता नहीं हैं।

श्री सभापति : प्रश्न आ गया आपका।

श्री रामनारायण डूडी : दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जैसे ही प्राइमरी से मिडल स्कूल बनाते हैं, क्रमोन्नत होते हैं, दो साल तक पंचायत समिति का मास्टर रहता है, पंचायत समिति मास्टरों को विथड्रा कर लेती है और आप सामान्य रूप से चार टीचर्स देते हैं जबकि एक से लेकर आठवीं तक की कक्षाएं होती हैं तो कम से कम आठ टीचर्स एक हैडमास्टर, सैकिण्ड ग्रेड और एक पी.टी.आई. और कम से कम एक फोर्थ क्लास कर्मचारी की उन स्कूलों को चलाने के लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री श्रवण कुमार जी बिराजिये, कोई भाषण नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : सभापति महोदय, बाल मन्दिर (महिला) पूर्व प्राथमिक विद्यालय मोतीडूंगरी रोड, जयपुर में एस.टी.सी. की थी और एस.टी.सी. की हुई महिलाओं में से कुछ को तो ले लिया गया है और कुछ को अभी तक नहीं लिया गया है। जिस समय उसकी मान्यता थी उस समय उन्होंने एस.टी सी. की थी अब उसकी समाप्त हो गयी लेकिन अब भी कुछ लड़कियों को नहीं लगाया गया है।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ स्कूलों में एक ही सब्जेक्ट के दो अध्यापक बैठे हैं और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अध्यापक आते ही नहीं हैं तो क्या मंत्री जी इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि सेम सब्जेक्ट का अध्यापक उसी स्कूल में होना चाहिए जहां वह सब्जेक्ट चलता है।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षकों ने शिक्षा को व्यवसाय बना रखा है....(व्यवधान)....

श्री सभापति : मैं पुकार रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण और निमाज में आज भी शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों में टेरर पैदा करके ट्यूशन के लिए प्रेरित करते हैं। बिना ट्यूशन किये एक भी बच्चा नहीं है। बच्चों की मेरे पास कई शिकायतें आयी हैं। तो क्या इसकी जांच करेंगे ? पहला तो मेरा यह निवेदन है।

श्री सभापति : एक ही, निवेदन नहीं प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा को व्यवसाय बना रखा है। जो ट्यूशन पद्धति चालू हो रही है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसके ऊपर रोक लगायेंगे ?

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि गांवों के अन्दर प्राथमिक शालाओं, उच्च प्राथमिक

Page No. 208

(२१८)

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

शालाओं में जहां जिस गांव का अध्यापक रहने वाला हो उस गांव के अन्दर उसको नहीं लगाया जाए ? क्योंकि पंचायत क्षेत्र में राजनीति ऐसी ही होती है कि वह वहीं तो पालन करता रहता है, खेती पर चला जाता है और जब कभी भी बच्चों की चैंकिंग करने के लिए कोई आता है तो भाग कर स्कूल में आ जाता है। इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि अध्यापक वहाँ का नहीं होना चाहिए।

श्री सभापति : श्री प्रतापसिंह। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : महत्वपूर्ण प्रश्न है...

श्री सभापति : इस सदन में आने वाले सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी बात महत्वपूर्ण हैं। मैं भाषण नहीं अलाउ करूंगा।

श्री कन्हैयालाल मीणा : एस टी.सी., बी. एड कर रखी है और वह मेरिट के आधार पर लिए जाते हैं। इस कारण से गरीबों के बच्चे तो नम्बर अच्छे ला नहीं सकते और वे मेरिट में नहीं आ सकते इसलिए मेरिट का प्रावधान कर रखा है ? ओवरएज हो जाते हैं और वे लग नहीं सकते। इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन किया जाए।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। आ गया प्रश्न आपका, आ गया। श्री प्रतापसिंह जी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी ओवर-एज हो रहे हैं, क्या सरकार उनकी आयु सीमा बढ़ाकर 33 से 35 वर्ष करने का विचार रखती है ?

श्री सभापति : श्री फूलचन्द।

श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्र में 150 की जनसंख्या, राजस्व विलेज के नाम से रखा गया है, उसमें स्कूल खोले जाने चाहिए और जनजाति क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा का विचार रखती है क्या सरकार ?

श्री सभापति : श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स लगते हैं, वे अधिकांश ट्रेनिंग वाले नहीं होते हैं और इनके जरिये अनुदान भी उस स्कूल को दिया जा रहा है तो क्या ट्रेण्ड टीचर्स लगाये जाएंगे कि नहीं।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाबचन्द जी।

श्री अमर चन्द मिड्ढा : एक सैकण्ड। सब विधायकों को शपथ लेनी चाहिये कि हम किसी अध्यापक की सिफारिश नहीं करेंगे। ये कटारिया जी के ध्यान में लाने.... (व्यवधान)

श्री सभापति : नो क्वेश्चन। श्री गुलाबचन्दजी। बिराजिये। श्री अमरचन्द जी।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : सभापति महोदय, एक मिनट। मैं बिलकुल नयी बात पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : मिर्धा जी प्रश्न पूछिये।

श्री कालीचरण सराफ : जो एडेड स्कूल हैं (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपका प्रश्न आ जाएगा शायद।

श्री सभापति : हां, मिर्धाजी को अलाउ करूंगा। अपने आप अवसर नहीं लें, कालीचरणजी। महावीर जी, बिराजिये। (व्यवधान) अपने आप अवसर नहीं लें।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (नागौर) : माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, वे स्कूलें क्रमोन्नत करने की और सब बातें तो आ गयीं मैं तो मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में कई स्कूलों के भवन पुराने हैं, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, आज भी स्कूल गिर सकता है, उसमें बच्चों की जान को खतरा है, क्या सरकार इन जीर्ण-शीर्ण भवनों को ठीक कराने का इरादा रखती है?

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र पारीक। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, हम भी नहीं बोले।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, जैसे नैतिक शिक्षा है और शिक्षा है और इसी के साथ खेलकूद प्रतिभा खोज के लिए मन्त्री महोदय क्या करने जा रहे हैं? मैं इस विषय में जानकारी चाहूंगा कि स्कूलों में जो शारीरिक शिक्षक हैं और जो छात्रों की संख्या है, उसके किस अनुपात में शारीरिक शिक्षक लगाये जाएंगे और खेलकूद प्रतिभा की खोज के लिए मन्त्री महोदय क्या कोई विशेष अध्ययन करवायेंगे?

श्री सभापति : जुबेर खान जी आप बोल चुके हैं। ठीक है, बोलिये जुबेर खान जी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मैं नहीं बोला हूं। मेरा नम्बर नहीं आया है। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नम्बर एक, मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार की जो नीति बनाई हुई है तृतीय भाषा संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी वगैरह के लिए, जो राज्य सरकार के मापदण्ड बने हुए हैं, क्या राज्य सरकार उनको कड़ाई से लागू करने का विचार रखती है? दूसरा, स्कूलों में 600-700 बच्चे पढ़ते हैं और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है; उस सम्बन्ध में राज्य सरकार कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है? एक छोटा-सा निवेदन है कि मन्त्री महोदय ने जो बात इस सदन में कही है, हम यह आशा करते हैं कि इन बातों पर आप डटे रहेंगे अगले सत्र तक।

श्री सभापति : बोलिये बोलिये, आपको अलाऊ करूंगा। अब मैं अलाऊ नहीं करूंगा। (व्यवधान) श्री महावीर भगोरा

(श्री सभापति)

को अलाऊ करूंगा और आपको अलाऊ करूंगा।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो शिक्षा कर्मी स्कूल चल रहे हैं उसमें जो अध्यापक कार्यरत हैं, क्या इनका वेतन बढ़ाने का विचार रखती है सरकार ?

श्री सभापति : श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि तृतीय वेतन श्रृंखला के चयन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे ? साथ ही संविदा अध्यापक जो 5 से 7-7 साल तक काम कर चुके हैं उनको भी प्राथमिकता देंगे या नहीं ? दूसरी बात, शिक्षा में डुप्लीकेसी बहुत हो रही है. तो उनको एक छत के नीचे लाने का प्रयास करेंगे ?

श्री सभापति : श्री गुलाब चन्द जी, शिक्षा मन्त्री। अर्जुनदास जी, अब अलाऊ नहीं करूंगा। (व्यवधान) अब जवाब आने दीजिये। आप जवाब आने दीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराज जाइये। नो, नो। जवाब आएगा पहले, उसके बाद अगर कमी रही तो आपको मौका मिलेगा। नो, नो, बिराजें।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं ऐसा सुझाव दे रहा हूं जो किसी ने नहीं दिया।

श्री सभापति : कृपया बिराजें। नहीं, कोई सुझाव स्वीकार नहीं होगा। आप मन्त्री जी का जवाब आने दीजिये। मन्त्री महोदय ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, एक समस्या बार-बार सब जिलों से भी आ रही है, जो भी मिलते हैं, वे कहते हैं कि स्थानीय लोगों का चयन नहीं हो पाता है। बाहर के लोग अधिक पर्सेण्टेज वाले आते हैं और उसके कारण से उस जिले के स्थानीय लोगों का चयन रह जाता है। हम इस बार 5 अंक तो ग्रामीण क्षेत्र के और 5 अंक जिले के, ये 10 बोनस अंक देंगे ताकि वहां पर स्थानीय बालक उसमें आ सकें। (व्यवधान)

कन्या विद्यालय के लिए माननीय शिवनाथ सिंह जी ने बताया। वास्तव में कन्या विद्यालय जितनी संख्या उस गांव में बन रही है, उसको निश्चित रूप से प्राथमिकता देंगे। उसे नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षाकर्मी योजना, लोक-जुंबिश के लिए आपने कहा, इसके लिए भी बराबर कोशिश करेंगे कि इसकी मानीटरिंग बराबर हो। वास्तव में अब तक जितने होने चाहिए क्योंकि इस विभाग में इतना काम रहता है कि नहीं कर पाते हैं, उसको भी करेंगे। बाकी अगर अपने में कुछ लोगों को उनके साथ लगाकर भी अगर इसका और अधिक अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाता है तो उसकी व्यवस्था करेंगे।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

माननीय परसादी लाल जी ने संस्कृत शिक्षा के लिए कहा है। वैसे संस्कृत शिक्षा का जो प्रावधातान है पहले उसको हम निश्चित रूप से करेंगे और संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने की दृष्टि से इस बार, क्योंकि यह उच्च शिक्षा मन्त्री जी के क्षेत्र में आता है, हमने एक करोड़ रुपये रखे हैं। उसके लिए जिस प्रकार का फाउण्डेशन बनाने की कोशिश की है. वह समस्त राजस्थान में चलने वाली संस्कृत शिक्षा की देखभाल करे और उसको ठीक प्रकार से चला सके। मापदण्ड वैसे इस समय एकदम मेरे पास नहीं है कि हम किस मापदण्ड से करेंगे पर पर्सेण्टेज उनके तय हैं। पिछली बार हमने जो संस्कृत स्कूल प्राइमरी के नाम से खोले उनको देखने से लगा कि हमने दूर-दराज के गांवों में प्राइमरी स्कूल संस्कृत के नाम से खोल लिए, उसके बाद मिडल स्कूल उसको 20-20 किलोमीटर में नहीं मिलता है। तो जब तक मिडल नहीं बनेगा उस प्राइमरी संस्कृत शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। कम से कम ऐसी जगह प्राइमरी खोलें कि उसको आगे के मिडल और सैकण्डरी स्कूल मिल जाए ताकि उसकी संस्कृत की शिक्षा बराबर चलती रहे। इस बात को ध्यान में रखकर इन विद्यालयों को खोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये, विराजिये। आप मन्त्री महोदय संक्षिप्त करिये। यह प्रश्नकाल नहीं चलेगा।

श्रीमती कमला : मैं आपकी जानकारी के लिए कह रही हूं। 8-10 वर्ष पहले से राज्य सरकार की यह नीति तय की हुई है कि सामान्य शिक्षा में से 5 प्रतिशत संस्कृत के लिए प्रतिवर्ष दिये जाते रहेंगे। तो यही बता रही हूं।

श्री सभापति : जवाब नहीं आएगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने आपको वही कहा कि उसका हम पालन करेंगे। मैंने कहा ना, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक....(व्यवधान)

श्री सभापति : बीच में इस प्रकार के प्रश्नोत्तर होंगे तो जवाब नहीं आएगा।

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय सही और स्पष्ट जवाब दे रहे हैं उनको सुन तो लीजिये।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : मैं सिर्फ इतना सुझाव दे रहा हूं कि जिले में जितने एम्प्लायमेंट के लिए फरमाया, 5 प्रतिशत या 5 मार्क्स बोनस अंक के हिसाब से मिलेंगे, यह भी फरमाया, एक चीज यह देखने में आयी है कि बाड़मेर में जब प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का एम्प्लायमेंट हुआ था और जयपुर और अजमेर के लड़के अधिकांश थे और बाद में वे ट्रांसफर कराकर जयपुर आते हैं और वहां पर खाली पद रहते हैं तो इस पर प्रतिबन्ध लगे, 5 वर्ष तक वे वहीं पर रहें, इस तरह का कुछ प्रावधान होगा तो तब वहां का कल्याण होगा वरना एस. सी., एस. टी. के वहीं के छात्रों में से ही रह जाएंगे।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय। बीच में कोई प्रश्न नहीं होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के खोलने के लिए भी मापदण्ड और जनसंख्या तय है, फीडिंग स्कूल भी उनके तय हैं कि कितने होंगे, बच्चों की संख्या कितनी है, उन सबको देखने के बाद और आपकी मांग और क्षेत्र की जनता की मांग को रखते हुए विद्यालयों का निर्धारण करेंगे।

फोर्थ क्लास कर्मचारी के लिए बैरवा जी ने कहा, वास्तव में यह समस्या बहुत विकट है। मिडल स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इस बार जिन स्कूलों में बालकों की संख्या 500 से अधिक है, उन सबको कम से कम इस साल किसी प्रकार से उपलब्ध करा देंगे। नीतिगत इस बारे में अभी नहीं है कि शत-प्रतिशत जितने मिडल स्कूल हैं उसमें लगा देंगे क्योंकि यह मैं इस समय एकदम कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन अगर आप सभी की मंशा है, (व्यवधान) अगर आप माननीय सदस्यों की यह इच्छा है कि जितने भी सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी हैं उनमें अतिरिक्त फोर्थ क्लास लगा हुआ है, कहीं 4 है, कहीं 6 है, उनमें से कुछ पदों को हटाकर हम मिडल स्कूल में उन पदों को दें ताकि हमारी पूर्ति हो सके तो हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे।

(18.00)

श्री राजेन्द्रजी ने कहा कि जो नये बी. एड. किये हुए बच्चे हैं, जब आप रिटायर्ड को 100 में रखते हैं तो उनको क्यों नहीं रखते हैं ? बार-बार कई कोर्ट केसेज हुए। जैसे ही वह निश्चित समय तक रहता है और उसके बाद में हम मजबूरी में आ जाएं और उसकी जगह नहीं लगा सकें तो वह सीधा कोर्ट जाता है और कोर्ट जाकर आदेश प्राप्त करता है। इसके कारण से मजबूरी है। बाकी तो हमें भी मालूम है कि उनकी उपयोगिता हो सकती है। लेकिन मैं सोचता हूं कि शायद इस साल तो वह परेशानी नहीं आयेगी, जितने हमारे पास उपलब्ध हैं उतने पद भी हमारे पास उपलब्ध हो जाएगे, अधिकांश लोग उसमें निश्चित रूप से आ जायेंगे।

जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने विद्यालय खोलने के बारे में कहा। निश्चित रूप से हमारे ध्यान में है कि सम्पूर्ण जालौर जिला ही राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से सबसे पीछे है और स्त्री शिक्षा की दृष्टि से भी सबसे पीछे जालौर है। हम इस बात को बराबर ध्यान रख-कर और उसके आधार पर और मैंने आपको जैसा पहले ही निवेदन किया कि हमने इस बार विद्यालय खोलने के लिए कुछ आधार तय किये हैं, जितने भी पंचायत हैडक्वार्टर हैं अगर वहां एक भी उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो हम उसे 100 पर्सेण्ट प्राथमिकता देकर पंचायत हैडक्वार्टर पर निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इसी तरह से हमने जनसंख्या का भी आधार बनाया ताकि जनसंख्या के आधार पर भी ऐसे कोई गांव निकलेंगे जो निश्चित रूप से अपने आप ही उस सूची में आएंगे। जो 2313 स्कूल रखें हैं वे इसी हिसाब को सोचकर रखे हैं। मेरा सोचना शायद उसमें पूरा हो जाएगा।

अगले साल की चयन प्रक्रिया के बारे में आपने पूछा वह हमने बता दिया कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उस चयन प्रक्रिया को हम इस तरह से बदल रहे हैं।

ट्यूशन के बारे में सामान्यत: हम सब लोगों की जानकारी में रहता है और इस ट्यूशन की प्रवृत्ति को रोकने का जो सवाल है यह अधिकांश शहरों में है। अगर आप सबकी मानसिकता यह है तो इस प्रकार के लोग जो ट्यूशन की प्रवृत्ति में लिप्त हैं उनकी सामान्य जानकारी मिलने के बाद और सामान्य हल्की-फुल्की जानकारी में यह प्रमाणित हो जाता है तो उसको निश्चित रूप से दूरदराज में ट्रांसफर करेंगे ताकि उसकी ट्यूशन की प्रवृत्ति अपने आप ही ठीक हो जाए।

एस. टी. सी. और बी. एड. के बारे में आपने पूछा कि प्राथमिकता आप किसे देंगे। हमारे यहां तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं जो एस. टी. सी में जाते हैं उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है और इसके कारण से तृतीय वेतन श्रृंखला में उसकी प्राथमिकता रहती है क्योंकि बी.एड. हो जाने या न हो जाने से उसका उस पद पर चयन में कोई फर्क नहीं पड़ता और इस कारण से उसका चयन होता है।

उपस्थिति के बारे में हम इस बात की बराबर मानीटरिंग करेंगे कि विद्यालय में उपस्थिति कम कैसे है। अब यह जो निजी शिक्षण संस्थाओं का आकर्षण है यह आकर्षण हम निजी शिक्षण संस्थाओं को बंद करके नहीं दूर कर सकते। इसके लिए तो हमें अपनी उपलब्धि को बढ़ाना पड़ेगा तभी हम इस प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। और अगर हम अपनी उपलब्धि बढ़ायेंगे तो ऐसा कोई नहीं है जो निजी शिक्षण संस्थाओं में भेजेगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से हम 4–6 महीने में अपने शिक्षण के स्तर को बढ़ायेंगे ताकि निजी शिक्षण संस्थाओं में जाने की प्रवृत्ति को हम थोड़ा-बहुत रोक सकें।

सवाई माधोपुर में जो जिला शिक्षा अधिकारी के बारे में कहा है वह जांच हमने प्रारम्भ कर दी है और उस जांच के आने के बाद जो भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी वह निश्चित रूप से की जाएगी और उनको किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अनियमित तरीके से ट्रांसफर या प्रतिनियुक्तियां की हैं तो कार्यवाही की जाएगी।

नैतिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। मेरे भी विचार में था। वास्तव में आज शिक्षा का जो स्तर है और बालक का जो संस्कार बनना चाहिए वह हम बना नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इसकी। अभी इस सत्र में पूरी पूर्ति नहीं कर पायेंगे लेकिन अगले सत्र तक हम निश्चित रूप से विद्यालय में नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम डालेंगे और पाठ्यक्रम को परीक्षा के साथ जोड़ेंगे ताकि उसमें उसी प्रकार की बच्चे की रुचि बने।

श्री सभापति : समाप्त करें। विराजिये, मंत्री महोदय, पर्याप्त हो गया आपका जवाब। उच्च शिक्षा मंत्रीजी बोलेंगे। भीमराज जी, बाद में बुलाउं करूंगा।

श्री भीमराज भाटी : मैं तो बोला ही नहीं।

श्री सभापति : मैंने आपको अलाउ नहीं किया।

श्री भीमराज भाटी : अलाउ क्यों नहीं किया ? मैं कितनी देर से हाथ खड़ा कर रहा हूं। मेरे बाद में जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनको अलाउ कर दिया। मैं आपसे एक ही मिनट का समय चाहता हूं और मेरा बहुत महत्वपूर्ण निवेदन है महिला शिक्षा के बारे में।

श्री सभापति : आप माननीय ललित जी के बाद में पूछ लेना।

श्री भीमराज भाटी : महिला शिक्षा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण निवेदन है। उच्च शिक्षा का ही मामला है। मैं एक ही मिनट में कह दूंगा।

श्री सभापति : आप इनके भाषण के बाद पूछें। इनके भाषण के बाद अलाउ करूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री महोदय ने इस बार का जो बजट राजस्थान की विधान सभा में प्रस्तुत किया है वह निश्चित रूप से शिक्षा को समर्पित बजट है। एक बात का ध्यान इसमें विशेष रूप से रखा गया है कि अशिक्षा का काला अंधकार प्रदेश की भूमि से दूर होना चाहिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजूकेशन की ओर प्रदेश के कदम लगातार बढ़ने चाहिए और इसीलिए बजट में बढ़ोत्तरी करने के साथ-साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि सबसे अधिक व्यय प्राइमरी एजूकेशन पर और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक शिक्षा प्राप्त कर सके उस नाते से उसका हो और जिस प्रकार से ऊपर मिडल, सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी और हायर एजूकेशन में उस बजट का प्रमाण उसी अनुसार घटता चला गया....

श्री सभापति : उच्च शिक्षा में कितना हुआ ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उच्च शिक्षा की दृष्टि से मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में विषय का विचार करते समय, बजट का प्रावधान रखते समय इस बात की विशेष चिन्ता की गयी कि जहां सामान्य शिक्षा में शिक्षा के प्रसार का संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टियों से प्रयत्न किया जाए वहां उच्च शिक्षा में आज के परिवेश को देखते हुए और सामान्य रूप से सभी लोग उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित होकर प्राप्त करें। इसकी पूरी आवश्यकता प्रतीत होते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उसी प्रकार के डिसेंडिंग आर्डर मे प्राइमरी एजूकेशन से लेकर उच्च शिक्षा पर विचार किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे लोअर एजूकेशन में या सामान्य शिक्षा में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टियों से प्रयत्न किया गया है, उच्च शिक्षा की दृष्टि से हमारा सारा प्रयत्न अधिकतर गुणात्मक दृष्टि से है और संख्यात्मक दृष्टि से विचार नहीं करने के पीछे एक विशेष प्रयोजन किया गया है।

मैं एक विषय को आपके माध्यम से समस्त माननीय सदस्यों से निवेदन अवश्य

223

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

करना चाहूंगा। यद्यपि इतना बड़ा विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में बजट के माध्यम से किया गया है किन्तु राजस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए इतना होना भी विकास की दृष्टि से कम है। इस नाते मेरा कहना है कि विशेषकर दो सेवाओं के जो क्षेत्र हैं शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों क्षेत्रों में सरकार के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं को धनीमानी लोगों को, प्रवासी राजस्थानी भाइयों को हमको इन दो सेवा कार्यों की दृष्टि से निश्चित रूप से जोड़ना होगा। मैं यह बात इसलिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं क्योंकि ऐसे डिसेंडिंग आर्डर में इस प्रकार के बजट का प्रावधान किया गया है। इसलिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने के क्षेत्र में, सब्जेक्ट्स खोलने के क्षेत्र में, उनके भवन निर्माण के क्षेत्र में तीन वर्ष या एक वर्ष का व्यय देने की दृष्टि से हमको प्रवासी राजस्थानी भाइयों को, धनीमानी बंधुओं को, निश्चित रूप से प्रेरित करना होगा।

(18·10)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रहा हूं तो इस बात के आधार पर कह रहा-हूं कि आने वाले वर्षों में जैसे वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी की इच्छा है, हम सब लोगों को मिलकर राजस्थान के परिवेश में एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र के बंधु भी निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र के विस्तार के लिए इस सेवा योजना की दृष्टि से आगे आयें।

मैं एक बात का उल्लेख इस नाते से इस समय और करना आवश्यक समझूंगा, धीरे-धीरे क्या व्यवस्था बनी है। प्रवासी राजस्थानी भाइयों के बीच में घूमने का अवसर बहुत अधिक मिला है, उनके मन में यह बात निश्चित रूप से रहती है कि जहां मेरा गांव है उसमें विद्यालय खोल दूं, महाविद्यालय खोल दूं। उसकी यह बात उचित है, मैं मना नहीं करता हूं किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रवासी राजस्थानी भाइयों को इन दोनों सेवा कार्यों की दृष्टि से, शिक्षा और चिकित्सा की दृष्टि से सम्पर्क किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आज पहाड़ी क्षेत्र भी ऐसा है वनवासी क्षेत्र भी ऐसा है जहां के लोग राजस्थान के बाहर नहीं गये, राजस्थान एक यूनिट मानकर जहां आप एक भवन बनाने की कोशिश अपने गांव में करते हो तो एक भवन बनाने की कोशिश ऐसे क्षेत्रों में भी करो कि जिन क्षेत्रों में इस प्रकार के दीन-हीन गरीब लोगों को सहयोग सहायता मिल सकें। मेरा आज आपसे इसलिए निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं उनके पास जब इस प्रकार का निवेदन आता है प्रवासी राजस्थानी भाइयों के साथ, तो उनको इस बात के लिए भी प्रेरित करें कि शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में जिस सेवाभाव की दृष्टि से प्रवासी राजस्थानी भाई आ रहे हैं वह अपने-अपने क्षेत्र के साथ जो और ऐसे क्षेत्र हैं, पहाड़ी विशेषकर, वनवासी क्षेत्र, उन क्षेत्रों में भी इस सेवा योजना की दृष्टि से प्रयत्न करने की दृष्टि से आ सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पर आता हूं अब।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं आपको इसमें यह बता रहा हूं कि आप जो यह प्रपोजल दे रहे हैं सामान्यत: यह अप्राकृतिक है, मनुष्य की प्रकृति के खिलाफ है। आप उनसे सौदा करिये कि पहाड़ी क्षेत्र को सरकार सम्भालेगी और पश्चिमी राजस्थान को आप सम्भालिये। तो यह सम्भव है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप अध्यक्ष हैं, आपने सुझाव दिया है, आसन से सुझाव आया है किन्तु इसकी व्यावहारिकता के सब पहलुओं को देखना होगा। मैं तो कहना चाहता हूं, पिछले दो-ढाई वर्ष में चिकित्सा के क्षेत्र में जब प्रवासी राजस्थानी भाइयों से सम्पर्क किया तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 25 करोड़ रुपये का विनियोजन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवासी राजस्थानी भाईयों ने किया जिसमें से 9 करोड़ का क्षेत्र अपने गांव को छोड़ कर दूसरे स्थान पर था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं उनमें इंसटिंक्ट है, उनमें शक्ति है, राजस्थान की भूमि से वह उठे हैं, बाहर क्षेत्र में गये हैं, उनका अपने गांव से मोह है ही, किन्तु राजस्थान को एज एन यूनिट मानने की उनके मन में भावना जगाने की तो इस बात में सफलता मिल सकती है और इसीलिए पश्चिमी राजस्थान या वैसे क्षेत्र के लोग, बन्धु, माननीय सदस्य जो यहां पधारे हैं मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि इन सेवा के दो क्षेत्रों में इस शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उनका समायोजन हमारे राजस्थान में भी हो, इसका भी एकमात्र प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजूकेशन में एकमात्र हमारा प्रयत्न थोड़ा सा गुणात्मक दृष्टि से ही करने का इस बार है तो भी हमने एक बात की कोशिश की है, 1994-95 के बजट में उच्च शिक्षा में महिलाओं के उत्थान की दृष्टि से, उसके प्रसार की दृष्टि से, इस वर्ष को मनाने का निश्चय किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बजट रखा है, अभी बजट में प्रावधान नहीं है, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर गये मेरी घोषणा की, मैं दोहराना चाहता हूं उन घोषणाओं को शब्दश: और उनका निश्चित रूप से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने बजट में प्रावधान किया है। एक रह गयी थी केवल। नम्बर दो यह थी कि आज राजस्थान में जिन-जिन कालेजेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हैं उनमें एक विषय महिला क्षेत्र में हम निश्चित रूप से खोलेंगे। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा, पहले तो महिला ही उड़ा दिया उन्होंने। मेरा कार्यक्रम मीरा महाविद्यालय में था, महिला महाविद्यालय में उस कार्यक्रम की घोषणा मैंने की। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, सात गर्ल्स कालेजेज हैं, पांच इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हैं, दो डिग्री कालेज हैं। पांच पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में बीस सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। हमने एक विषय निश्चित रूप से पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज का खोलने का इनमें निश्चय किया है। मैं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो दो डिग्री कालेज हैं हमारे महिलाओं के, उन दोनों को हम इस

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बार पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में परिवर्तित कर देंगे।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, हमने उसमें यह भी निश्चय किया था, मैंने रिक्वेस्ट की थी मुख्य मंत्री महोदय को कि राजस्थान के परिवेश में हमने कोई नया महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं किया है बजट में, किन्तु आखिर हम महाविद्यालय खोलना चाहते हैं और रीति-नीति के रूप में मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हमारे मन की इच्छा है कि जैसे-जैसे बजट में प्रावधान उपलब्ध होते रहे, भवन की दृष्टि से प्रवासी राजस्थानी भाई हमारे पास आते रहे, एक वर्ष का खर्चा देते रहे, हम प्रत्येक जिले में महिला महाविद्यालय खोलना चाहते हैं। किन्तु शुरुआत कैसे हो ? इस बजट में तो कोई प्रावधान नहीं था। किन्तु मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, जिस पहले सूत्र की मैंने चर्चा की थी कि पांच सौ से अधिक जहां-जहां गर्ल्स सह-महाविद्यालयों में पढ़ती होंगी वहां हम निश्चित रूप से लड़कियों का महाविद्यालय खोलेंगे। हमने राजस्थान में जब असेसमेंट किया, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, उन्होंने कुछ आंकड़े दिये थे किन्तु थोड़ा-सा मैं करेक्शन करना चाहता हूं, 950 लड़कियां पढ़ती हैं, वहां दो हजार नहीं पढ़ती। किन्तु मैंने तय किया था कि पांच सौ से अधिक जहां कहीं लड़कियां होंगी वहां हम कॉलेज खोलेंगे। प्रारम्भ में बजट में तो प्रावधान नहीं था, किन्तु मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया है और उन्होंने मेरी बात से सहमति प्रकट की है कि वर्ष 1994-95 में बजट में प्रावधान नहीं होने के बाद भी अब बजट में प्रावधान करते हुए अजमेर में लड़कियों का महाविद्यालय खोल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां महाविद्यालय, कालेज का विस्तार हेतु बजट में प्रावधान नहीं कर सकते किंतु एक बात हमारे ध्यान में है, वह है असंतुलन की। राजस्थान में 30 जिले हैं, 27 पहले बने थे, तीन बाद में बने, एक हनुमानगढ़ और बन गया, 31 हो गये। इन 31 में से मैंने जब परिवेश में देखने की कोशिश की, 30 जिलों में तो जिला केन्द्र पर महाविद्यालय हैं एक स्थान बचा है राजसमंद लड़कियों का नहीं है। इन 31में से एक जिला केन्द्र ऐसा है कि जहां महाविद्यालय नहीं है। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की थी, मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन किया कि यह अच्छी स्थिति नहीं है, 31 में से 30 में तो हैं और एक इकलौता पुत्र ऐसा है कि जिसको नहीं। हमने इसलिए तय किया है कि राजसमंद में भी अगले वर्ष में हम बजट में प्रावधान करते हुए निश्चित रूप से महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चर्चा कर रहा था महिलाओं के महाविद्यालयों की। अनुदानित संस्थाएं जो हैं, निजी क्षेत्रों में काम करती है। हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं उनको। हम चाहते हैं वह अधिक से अधिक संख्या में आयें। इस प्रकार का जब विचार सामने आया तो यही बात हुई

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

और आपने देखा होगा कि बजट में प्रावधान कर दिया उन्होंने कि प्रत्येक महिला महाविद्यालय का अनुदान पचास प्रतिशत, साठ प्रतिशत और नब्बे प्रतिशत कर दिया जाएगा । और भी हैं राजस्थान में ऐसे महिला महाविद्यालय, कि जिनमें अनुदान की एक कौड़ी नहीं दी जाती है पांच-पांच, छह-छह, दस-दस साल हो गये । हमने निश्चित किया कि अगले वर्ष से महिला महाविद्यालयों को निश्चित रूप में अनुदान की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी जाए वहां की स्थिति को देखकर । अच्छे कालेज होंगे तो अच्छी बात है, दूसरे कालेज भी हुए तो कोई बात नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वविद्यालय की भी चर्चा आपके सामने करना चाह रहा हूं । राजस्थान में छह विश्वविद्यालय हैं, चल रहे हैं । आज भी एक समस्या है जो कुछ दिन पहले खड़ी हुई थी कि राज्य के जितने महाविद्यालय हैं उनकी सम्बद्धता का क्या हो । एक कमेटी बनी है, वह कमेटी निर्णय करने वाली है कि कौन-कौनसा महाविद्यालय किस-किस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो । मेरी तो राय यह है, मेरा सोच भी यही है कि राजस्थान के परिवेश में रीजनल विश्वविद्यालय होने चाहिए ताकि एक-एक क्षेत्र में प्रत्येक डिवीजन पर एक-एक विश्वविद्यालय हो । अब यह मन की अवस्था कब कार्यरूप में परिणत होगी, मन का विचार होने के बाद, रीति-नीति मन में तय होने के पश्चात उस बात को पूरा करने की दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे और इसी दृष्टि से हमने एक कमेटी का विचार किया है जो कमेटी इस सारी बात पर विचार करेगी कि क्षेत्रीय आधार पर कैसे विश्वविद्यालय बन सकते हैं, वर्तमान विद्यालयों को किस नाते से एडजस्ट किया जा सकता है, कौन-कौन से महाविद्यालय इन-इन विश्वविद्यालयों से अपनी सम्बद्धता रख सकते हैं । इसका विचार करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर हमारा ठीक प्रयोजन हो, इस नाते से एक कमेटी बनाने का हमने निश्चय किया है जो इस पेटे से हमको रिपोर्ट देगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात भी कहना चाहता हूं कि जो आज की शिक्षा है, जो केन्द्रीय नयी नीति बनी है, कान्करेंट सब्जेक्ट है, एक दिशा कुछ समय पहले दी गयी थी, उस दिशा के आधार पर कुछ एक्सपेरीमेंट्स राजस्थान की धरती पर भी शुरू हुए हैं । इनमें से शुरू हुए आटोनामस कालेजेज । राजस्थान की धरती पर छह आटोनामस कालेज हैं । कुछ-कुछ आटोनामी उनको दे दी गयी, पूरी आटोनामी नहीं दी है । दोनों प्रकार के विचार आ रहे हैं, क्या यह आटोनामस कालेज चलाना ठीक है, क्या इनको केवल मात्र पैसा देकर उस नाते से विचार करना ठीक है । क्या इनमें जिस नाते से एकेडेमिक उनको स्वतन्त्रता दी है, स्वायत्तता दी है, यह करना ठीक है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न दोनों पक्ष और विपक्ष को लेकर है । और इसी नाते से इस प्रकार के विषय को हमने निश्चय किया कि इस बात का भी अगले साल हम मूल्यांकन अवश्य करें कि जो आटोनामस कालेज हम चला रहे हैं---

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पूरा समय, मन्त्रियों को इतना ज्यादा समय दे दिया, क्या सुनाना चाहते हैं वो । हमने हमारा समय कर्टेल किया....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपके आदेश को मानते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हू ।

श्री जगदीप धनखड़ : आज इनको पूरा दिन मिल गया, फुल डे हो गया है.... (व्यवधान) बोल तो कुछ रहे ही नहीं । एक-एक शब्द तो एयर स्पीकिंग कर रहे हैं। जरा कुछ अंकुश लगायें । अध्यक्ष जी, कुछ तो अंकुश लगाइये ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं आपको । ऐसा लग रहा है ।

श्री जगदीप धनखड़ : जरूरत से ज्यादा दें तो हम आधी रात तक इन्तजार कर लेंगे । दे तो कुछ रहे नहीं हैं, अपने मन की भावना व्यक्त कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : हां, अब बोल रहे हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अच्छा सूत्र रूप में बोलता हूं, वहां से आने वाले माननीय सदस्य को शिकायत है इस कारण से केवल सूत्र रूप में अपनी बात को, सारी को रख देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सूत्र तो सुन लो आप ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता ठीक हो इसी दृष्टि से राज्य में उच्च शिक्षा परिषद् के गठन करने का हमने निश्चय कर लिया है । उसी प्रकार उच्च शिक्षा के लिए प्रोग्राम आफ एक्शन बनाने के लिए एक टास्क फोर्स का भी हमने गठन करने का निश्चय किया है । जिसके कारण माननीय सदस्यों की ओर से जो विचार आये कि आज शैक्षणिक स्तर गिरता चला जा रहा है, गुण निश्चित रूप से कम है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अमल में आये हुए विचारों को इन कमेटीज को देने की कोशिश करें ताकि उस नाते से विचार करके उसकी पूरी बात पर विचार कर सकें । माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कालेज खोलें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बजट नहीं है, कह दिया तो खोलेंगे ।

श्री जगदीप धनखड़ : भाषण ही भाषण, काम कुछ नहीं ।.... (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : इन आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, मन्त्री जी, आप तो पास करवा लीजिए । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अस्थायी व्याख्याताओं के लिए कोई बजट की आवश्यकता नहीं है । (व्यवधान)

मांग का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त

(श्री अध्यक्ष)

होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,08,19,77,000/– (तेरह अरब आठ करोड़ उन्नीस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही दिनांक 24-03-1994 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.23 बजे गुरुवार, 24 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 537 की सूची

तहसील पीपल्दा जिला कोटा के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3	1	2	3
1.	हीरापुरा	25–1–27	28.	हथोली	121
2.	ककरावदा	66	29.	सनमानपुरा	122
3.	पीनोता	67	30.	बोरड़ा	123
4.	डोपरी	69	31.	गणेश खेड़ा	124
5.	गोठरा कलां	75	32.	सब्जीपुरा	125
6.	बैजपुर	77	33.	देव नीमड़ी	128
7.	नीमोला	78	34.	खथोली	129
8.	मियाना	79	35.	तलाव	137
9.	उदयपुरा	80	36.	जोरावरपुरा	139
10.	गुवाडी	81	37.	भवानीपुरा	140
11.	घाटोड	82	38	केशोपुरा	141
12.	जटवाड़ा	101	39.	रामपुरा	142
13.	किशनपुरा	102	40.	फतेहपुरा	143
14.	लखनी	103	41.	ईटावा	144
15.	रामखेड़ा	104	42.	डडवाड़ा	145
16.	सुमेरपुरा	105	43.	नौनेरा	146
17.	बगरोद	107	44.	खेड़ली नोनेरा	149
18.	नीमसरा	111	45.	नारायणपुरा	150
19.	कीरपुरा	112	46.	किशनवास	151
20.	राजपुरा	113	47.	मुन्डली	153
21.	रघुनाथपुरा	114	48.	मुगेना	154
22.	हवाखेड़ी	115	49.	रनोदिया	155
23.	गेन्ता	116	50.	मानपुरा	156
24.	बम्बुलिया कलां	117	51.	गोन्दी	157
25.	बम्बुलिया खुर्द	118	52.	गणेशगंज	158
26.	उम्मेदपुरा	119	53.	ढोली	160
27.	श्योपुरा	120	54.	काडोल	161

(230)

1	2	3	1	2	3
55.	कोडावदा	162	78.	लुहावद	191
56.	किशनपुरा उर्फ अल्लापुरा	163	79.	गणेशपुरा	192
57.	खेडली बोरदा	164	80.	छत्रपुरा उर्फ मुम्हारिया	193
58.	खेरड़ा	165	81.	डोरली	194
59.	करवाड़	166	82.	बिनायका	195
60.	रजोपा	167	83.	नलावता	196
61.	शोभागपुरा	168	84.	कोलाना	198
62.	पाड़ली	169	85.	डीपरी	199
63.	देवपुरा	170	86.	दौलतपुरा	201
64.	खेडली बेरीसाल	171	87.	दूधली	202
65.	डूंगरली	174	88.	जलोदा खातियान	203
66.	फूसोद	175	89.	अयानी	204
67.	रोहली	176	90.	प्रेमपुरा	208
68.	बडोदिया	177	91.	अयाना	209
69.	रुयावदा	178	92.	विजयपुरा	219
70.	पीपल्दा खुर्द	179	93.	कवलदा	220
71.	पीपल्दा कलां	182	94.	बागली	83
72.	रोन	183	95.	रामपुरिया	96
73.	मरभाना	184	96.	जटवाड़ी	98
74.	व्यावदा	185	97.	इन्डोरा	217
75.	सहनावदा	186	98.	माटोली	218
76.	चक खेड़ली	188	99.	अरन्या	221
77.	गणेशखेड़ा	25/1/190			

(231)

तहसील पीपल्दा जिला कोटा के शेष अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	ककालता	25/1/63	34.	छत्रपुरा	132
2	रामगंज	64	35.	फगेरा	133
3.	पाडा	75	36.	बोरोदा	134
4.	भैरूपुरा	68	37.	कड़ीला	135
5.	खेडली पेमा	70	38.	भैरूपुरा	136
6.	डोडी	71	39.	भोपालगंज	138
7.	चक डोडी	72	40.	आमलदा	147
8.	चक खेडली पेमा	73	41.	खारवन	148
9.	बरना हाली उर्फ सुमेरपुरा	74	42.	बिजावसा	152
10.	शेरगढ़	76,	43.	चाणदा	159
11.	डीकरदा	84	44.	मोर खुदना	172
12.	गोठरा खुर्द	85	45.	गिरधरपुरा	173
13.	धनवा	86	46.	कंजलिया	180
14.	देलोद	87	47.	खेडली पीपल्दा	181
15.	शिवदानपुरा	88	48.	कंवरपुरा	187
16.	नयागांव	89	49.	खेलड़ी किशनपुरा	189
17.	केथोड़ा	90	50.	खेडली जागीरी	197
18.	गुडला	91	51.	बम्बुलिया खाटा	200
19.	बगावदा	92	52.	रघुनाथपुरा	205
20.	आसिदा	93	53.	काकरा	206
21.	छापगेलि	94	54.	श्रीपुरा	207
22.	बालुपा	95	55.	खेडली देव	210
23.	संग्रामपुरा	97	56.	गन्दावद	211
24.	गोपालपुरा	99	57.	बिसलाई	212
25.	चक गुवाड़ी	100	58.	मीठोद	213
26.	श्रीपुरा	106	59.	करजोदा	214
27.	शेरपुर	108	60.	दुर्जनपुरा	215
28.	शेरगंज	109	61.	बम्बुलिया खरेडा	216
29.	चक ककावता	110	62.	लक्ष्मीपुरा	222
30.	बंजारी	126	63.	बाडोली	223
31.	फतेहपुर	127	64.	हरिपुरा	224
32.	कीरपुरा	130	65.	नीमोदा	225
33.	गोरधनपुरा	131	66.	खेड़ा	226

३३२

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

थाना जोबनेर में दर्ज ट्रैक्टर चोरी प्रकरण

538. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना जोबनेर में ट्रैक्टर नं. एच. वाई. ओ. 453 मय ट्रोली चोरी जाने की रिपोर्ट मुकदमा नं. 55/93 के द्वारा दर्ज हुई थी ?

(2) यदि हां, तो उस मुकदमें की जांच के क्या नतीजे आये ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस मुकदमें की जांच हुई ही नहीं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 15.5.93 को थाना झोटवाड़ा, जयपुर शहर से बिना नम्बरी एफ. आई. आर. पर थाना जोबनेर पर मु. नं. 55/93 इस सम्बन्ध में दर्ज हुआ था।

(2) प्रकरण की तफ्तीश व तलाश माल मुल्जिमान कर अदम पतारसी रहने से नतीजा अंतिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुल्जिमान में दिनांक 15.12.93 को एफ. आर नं. 47 से दिया गया। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रकरण का अन्वेषण किया जा चुका है, फिर भी अन्य प्रकरणों के साथ प्रकरण के माल मुल्जिमान की पतारसी जारी है।

(रिपोर्ट की प्रति अस्पष्ट होने कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सीकर लुहारू सड़क निर्माण

539. **श्री शीशराम ओला** (झुन्झुनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर से लुहारू सड़क निर्माण हेतु विश्व बैंक से 18 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे ? यदि हां, तो ये कब मंजूर हुए और कितने समय की अवधि में उक्त सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करना था ?

(2) उक्त सड़क के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य अधूरा रहने से अनगिनत दुर्घटनाएं होने से कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई हैं ?

(श्री शीशराम ओला)

(4) क्या यह भी सही कि उक्त सड़क (सीकर से लुहारू तक) की जो साधारणतया मरम्मत की जाती है वह भी वर्ष 1989 से अब तक नहीं की गई जिसके कारण यह क्षतिग्रस्त होकर अब नष्ट होते की स्थिति में है ?

(5) क्या यह भी सही है कि क्षतिग्रस्त सड़क को ठेकेदार ने तोड़ दिया और पत्थरों को भी हटा दिया, जिससे सड़क यातायात योग्य नहीं रही है ?

(6) क्या यह भी सही है कि यह सड़क सीकर से झुन्झुनूं होती हुई दिल्ली को जोड़ती है ?

(7) क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर से लुहारू सड़क निर्माण हेतु विश्व बैंक से 11.31 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति मई, 89 में जारी की गई थी। विश्व बैंक के अनुसार यह कार्य जनवरी, 95 तक पूरा करना था।

(2) उक्त सड़क निर्माण में निम्नलिखित कार्य किये गये :—

	मुख्य सड़क कि.	बाई पास कि.
1. मिट्टी का कार्य	36.39 मी.	28.4 मी.
2. सब बेस	36.39 ,,	28.4 ,,
3. बेस	कि.	कि.
प्रथम लेयर	32.66 मी.	24.00 मी.
द्वितीय लेयर	28.30 ,,	22.78 ,,
तृतीय लेयर	22.93 ,,	7.04 ,,
सरफेस पेन्टीग	20.85 ,,	0.22 ,,
4. पुलिया	4 नम्बर	1 नम्बर

(3) सड़क के जिस भाग में कार्य चल रहा है उसमें दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु निर्माण कार्य के अधूरे रहने के कारण से ही नहीं हुई।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। किन्तु 30.15 किमी. लम्बाई में आधी चौड़ाई में स्ट्रेन्थनी हो जाने के कारण यातायात शेष आधी सड़क पर ही हो रहा है।

(6) जी हां।

(7) ये कार्य विश्व बैंक ऋण सहायता प्रोग्राम में से निकाल दिया गया है। इस कार्य को विभिन्न चरणों में सुरक्षित स्थिति में राज्य के वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत लाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

कोटड़ा तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक बस सेवा

540. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटड़ा, झाड़ोल एवं गोगुन्दा तहसील के कई ग्राम पंचायत मुख्यालय जिला उपखण्ड एवं तहसील

(234)

(श्री महावीर भगोरा)

मुख्यालय से सीधे परिवहन सेवाओं से जुड़े हुए नहीं हैं ? यदि हां, तो ऐसे कौनसे पंचायत मुख्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कोटड़ा तहसील मुख्यालय तक आने के लिए दिन में 2.00 बजे के बाद कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या सरकार कोटड़ा तहसील मुख्यालय से सांय पांच बजे बाद कोई बस चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार उक्त पंचायत तहसील एवं उपखण्ड मुख्यालयों से सीधे बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि कोटड़ा, झाडोल एवं गोगुन्दा तहसील के कुछ पंचायत मुख्यालय जिला उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय से परिवहन सेवाओं से जुड़े हुए नहीं है। इनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। जहां तक निगम का सम्बन्ध है, उपरोक्त तहसीलों के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उनके आस-पास स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय सम्बन्धित तहसील/उपखण्ड मुख्यालय से सीधे परिवहन निगम की बस सेवाओं से जुड़े हुए हैं।

(2) जी हां, कोटड़ा तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय के लिये अपरान्ह 2.15 बजे के बाद कोई बस सेवा संचालित नहीं है। पूर्व में कोटड़ा से उदयपुर के लिए सायंकाल 4 बजे एक बस सेवा संचालित की गई थी, लेकिन उसे पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध न होने के कारण बन्द कर दिया गया। वस्तुत: दोपहर के बाद कोटड़ा से उदयपुर के लिए पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध नहीं होता।

(3) जी नहीं। इस मार्ग पर अपरान्ह बाद कोटड़ा से तथा मध्य के स्थानों से उदयपुर के लिए पर्याप्त यात्रीभार उपलब्ध नहीं है।

(4) मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत परमिट स्वीकृति के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यदि वाहन स्वामी अराष्ट्रीयकृत मार्ग के लिये आवेदन करे तो प्राधिकार द्वारा मार्ग निर्धारित कर परमिट स्वीकृत किये जा सकते हैं।

कोटड़ा झाड़ोल एवं गोगुन्दा तहसील के निम्नलिखित पंचायत मुख्यालय जिला उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय से जुड़े हुए नहीं हैं :—

क्र सं.	पंचायत का नाम	जिला उपखण्ड से जुड़े हुए हैं/ नहीं हैं।	तहसील मुख्यालय से जुड़े हुए हैं/ या नहीं।	मार्ग का नाम जिससे जुड़े हुए हैं।
1	2	3	5	6
	(1) तहसील गोगुन्दा जिला उपखण्ड उदयपुर			
1.	करदा	नहीं	हां	गोगुन्दा से मावड़ा मार्ग
2.	ढूढी	नहीं	हां	गोगुन्दा से मावड़ा मार्ग
3.	पानेर	नहीं	हां	गोगुन्दा से मावड़ा मार्ग
4.	रावदा	नहीं	नहीं	—
5.	मोडी	नहीं	हां	गोगुन्दा से मावली मार्ग
6.	ओवराकला	नहीं	नहीं	—
7.	चाटिया खेड़ी	नहीं	हां	गोगुन्दा से ओगणा मार्ग
8.	मजावड़ी	नहीं	नहीं	—
9	काछवा	नहीं	नहीं	—
10.	गोरवाल	नहीं	नहीं	—
11.	छाली	नहीं	हां	गोगुन्दा से झाड़ोल मार्ग
12.	चोरखावड़ी	नहीं	नहीं	—
13.	बगरुन्दा	नहीं	हां	गोगुन्दा से झाड़ोल मार्ग
14.	मजावद	नहीं	हां	गोगुन्दा से झाड़ोल मार्ग।
	(2) तहसील कोटड़ा जिला उपखण्ड झाड़ोल			
1.	माण्डवा	नहीं	हां	कोटड़ा से स्वरूपगंज मार्ग।
2.	समीजर	हां	नहीं	गोगुन्दा से झाड़ोल मार्ग।
3.	पहाड़वली कला	हां	नहीं	गोगुन्दा से झाड़ोल मार्ग।
4.	मालवा का चौराह	नहीं	नहीं	उदयपुर से कोटड़ा (रा. रा. प. निगम)
5.	मेवाड़ो का म.	नहीं	नहीं	—
6.	मोमेर	नहीं	हां	देवला से मोरसूचा
7.	माहद	नहीं	हां	देवला से मोरसूचा
8.	नया वास	नहीं	नहीं	देवला से मोरसूचा

236

1	2	3	4	5
9.	जोगीवड़	नहीं	हां	जूड़ा से स्वरूपगंज मार्ग
10.	बेकरिया	नहीं	हां	कोटड़ा से सिरोही (रा. रा. प. प. निगम)
11.	क्यारी	नहीं	हां	कोटड़ा से सिरोही
12.	बिकरनी	नहीं	हां	उदयपुर-कोटड़ा वाया देवला (रा. रा. प. प. निगम)
13.	खजूरिया	नहीं	हां	उदयपुर-कोटड़ा वाया देवला (रा. रा. प. प. निगम)
14.	मैरपुर	नहीं	हां	उदयपुर से कोटड़ा वाया देवला (रा. रा. प. प. निगम)
15.	महाड़ी	नहीं	हां	देवला से मोरसूचा मार्ग
16.	घूरा	नहीं	नहीं	—
17.	वास	हां	नहीं	गोगुन्दा-झाड़ोल मार्ग
18.	बड़ली	नहीं	नहीं	—
19.	गोखरूद	नहीं	नहीं	—
20.	सामोली	नहीं	नहीं	—
21.	जेड़	नहीं	हां	जूड़ा से स्वरूपगंज मार्ग
22.	जूड़ा	नहीं	हां	जूड़ा से स्वरूपगंज मार्ग

(3) तहसील झाड़ोल जिला उपखण्ड झाड़ोल

1	2	3	4	5
1.	गेजवी	नहीं	नहीं	गोगुन्दा से मानपुर (पंचायत मुख्यालय से बस सेवा से जुड़ा हुआ है। किन्तु जिला उपखण्ड तहसील से जुड़ा हुआ नहीं है।
2.	बिरोठी	नहीं	नहीं	गोगुन्दा से मानपुर
3.	निचली सीकरी	नहीं	नहीं	मोटरेबिल नहीं है।
4.	वया	नहीं	नहीं	—
5.	आमीवाड़ा	नहीं	नहीं	—
6.	फेकड़ी	नहीं	नहीं	—

रसायनिक एवं विषैली गैस उपयोग करने वाले कारखानों को लाइसेन्स

541. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या श्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खतरनाक रसायनिक तथा विषैली गैस का उपयोग करने वाले कारखानों को लाइसेन्स देने की कोई शर्ते निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(2) क्या मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स द्वारा शर्तें पूरी करने वाले कारखानों को भी प्रोविजन लाइन्सेस दिये गये हैं ? यदि हां, तो पिछले 3 वर्ष में ऐसे कितने कारखानों को लाइसेन्स किन-किन शर्तों के साथ दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन कारखानों द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ण पालना कब-कब की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन कारखानों ने निर्धारित समय में शर्तें पूरी नहीं की, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान कारखाना नियम 1951 के इस विषयक प्रावधान परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां, सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) विवरण परिशिष्ट "ख" में दिया हुआ है।

(4) कोई नहीं।

238

RAJASTHAN FACTORIES RULES, 1951.

Rule 4 Notice of occupation of a factory and application for its registration and grant of licence.–(1) The Occupier (or Manager) of every factory coming within the scope of this Act, after its commencement shall submit to the chief Inspector an application in triplicate in Form No. 2 for the registration of the factory and grant of a licence therefor (for a period not exceeding three years or)

Provided that if the period for which the licence is applied for is one year or more but does not exceed three years, the fees payable therefor per year shall be at the rate specified in Schedule A & B as prescribed under rule 4.

Provided (further) that the Occupier or Manager of a place to which the provisions of the Act are made applicable by notification under section 85 of the Act shall submit an application within 30 days of the date of that notification.

Every such application shall be accompanied by a treasury receipt or a Bank Draft as the case may be for payment of the fee prescribed for the purposes.

Rule 5 Grant of licence.–(1) The Chief Inspector may, on application being made to him under sub–Rule (1) of rule 4 and on payment of the fees prescribed in sub–rule (2) of rule 4 and on being satisfied that there is no objection to the grant of licence applied for or register the factory and grant a licence (for a period not exceeding three years at a time) in Form No. 4 to the applicant to use the factory such premises as are specified in the application and subject to compliance with such conditions as are specified in the licence :

Provided that, subject to the provisions of sub–section (3) of section 6, the Chief Inspector may refuse to register the factory and grant of a licence if he is satisfied –

(1) that an application is not accompanied by plans :–

(a) of the site on which the factory is to be situated, and

(b) for the construction or extension of the factory.

(ii) that the plans so submitted have not been approved by the Chief Inspector.

(iii) that the factory has not been constructed in accordance with the plans approved by the Chief Inspector or in compliance with the conditions subject to which the plans are approved.

(iv) that material requirements of the relevant provisions specified in the Schedules to rule 100 in relation to the factory concerned have not been complied with, or

(v) that there is imminent danger to life in the factory due to explosive, or inflammable dust, gas or fumes, and effective measures, in his opinion have not been taken to remove the danger.

(2) Subject to the provisions hereinafter contained with respect to cancellation and unless earlier renewed under rule 7, every such licence shall remain in force until the 31st day of (March) next following and shall then expire.

खतरनाक रासायनिक तथा विषैली गैस का उपयोग करने वाले कारखानों को प्रोविजनल लाइसेंस का विवरण

रजिस्टर सं. व दि.	कारखाने का नाम एवं पता	कन्डीशन	पालना कब कब की गई
1. 20142 22.11.93	मैसर्स सैमकोर ग्लास लिमिटेड, ग्राम नया नोहरा, तहसील-लाडपुरा जिला-कोटा	Factory is registered provisionally and licence is granted provisionally subject to the condition that building plans to be approved by this office	पूर्ण पालना 11.3.94 तक कर दी गई है।
2. 20207 21.1.94	मैसर्स चम्बल फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, ग्राम-गड़ेपान, पो. सीमलिया जिला-कोटा	Factory is registered provisionally & licence is granted provisionally subject to the condition that building plans to be approved and occupier accepted by this office.	सिर्फ 7 नक्शे जांच में विचाराधीन है। प्रमाण पत्र के नवीनीकरण से पूर्व, पालना कराली जावेगी।
3. +7425 22-6-91	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड चन्देरिया सीसा जस्ता प्रदावक पो पुथोली, चन्देरिया, जिला-चित्तौड़गढ़	Factory is registered provisionally and licence is granted provisionally subject to the condition that building plans to be approved by this office.	विस्तृत नक्शे जांच में विचाराधीन है। प्रमाण पत्र के नवीनीकरण से पूर्व, पालना कराली जावेगी।

ग्राम लादूवास एवं गाजूणा (माण्डल) में वैद्यों के रिक्त पद

542. श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम थाणा व ग्राम लादूवास एवं ग्राम गाजूणा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में वैद्यों के पद कब से व किन कारणों से रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार इन पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद औषधालय थाणा में आयुर्वेद चिकित्सक पद पर श्री मुरलीमनोहर श्रोत्रिय का पदस्थापन दिनांक 29.7.93 से किया हुआ है।

आयुर्वेद औषधालय, लादूवास में आयुर्वेद चिकित्सक का पद पूर्व पदस्थापित चिकित्सक का स्थानान्तरण हो जाने से दिनांक 24.7.93 से रिक्त हैं।

आयुर्वेद औषधालय, गाजूणा में आयुर्वेद चिकित्सक पद पर श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा का पदस्थापन दिनांक 2.4.93 से किया हुआ है, किन्तु चिकित्सक न्यायालय स्टे से मांडल (भीलवाड़ा) में कार्यरत हैं।

(2) ग्राम लादूवास का रिक्त पद नवीन नियुक्ति के उपरान्त भरा जाना सम्भव होगा।

ग्राम गाजूणा में न्यायालय निर्णय के उपरान्त ही कोई कार्यवाही कर पाना सम्भव होगा।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमणों का नियमन

543. श्री फूल चन्द (सलूम्बर) : क्या वन मंत्री, यह बताने को कृपा करेंगे :–

(1) क्या जन जाति उप योजना क्षेत्र में वन भूमि के अतिक्रमण के मामलों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) इस उच्च स्तरीय समिति ने क्या रिपोर्ट दी ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार इस समिति के निर्णयों पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग की भूमि पर आदिवासी क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों द्वारा उत्पन्न समस्या का हल करने के लिए राज्य सरकार ने आज्ञा दिनांक 24.1.91 द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।

(2) प्रति सदन के पटल पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गयी है।

(3) निर्णयों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र प. 1 (18) वन। 90 दिनांक 27.04.91 एवं संख्या सम दिनांक 18.7.91 जारी किये हैं जिनकी अनुपालना में नियमन की कार्यवाही प्रगति पर हैं।

(रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम लकड़ेश्वर एवं महादेव मन्दिर (हिण्डोली) में डकैती प्रकरण

544. **श्री शान्ति कुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष हिण्डोली तहसील के ग्राम लकड़ेश्वर एवं महादेव मन्दिर में हुई डकैती के मुलजिमों को पकड़ने हेतु पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या सरकार द्वारा डकैती प्रग्रत क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस प्रकरण के सम्बन्ध में थाना हिण्डोली जिला बूंदी में मुकदमा नम्बर 10/94 धारा 395, 396, 397 दर्ज हुआ है। इस डकैती की घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

(2) जी नहीं। डकैती प्रग्रत क्षेत्रों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजे गये हैं।

सड़क निर्माण नीति

545. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सड़क निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि करवर से देई वाया जरखोदा, गुढादेव जी, दैलपुरा सड़क निर्माण पर अब तक विभिन्न योजनाओं के जरिये करीब 12 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उक्त सड़क को पूरा करने के लिए अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या उक्त सड़क निर्माण से ग्राम पंचायत मुख्यालय जरखोदा एवं गुढादेवजी भी सड़क से जुड़ सकेंगे ? यदि हां, तो क्या इस सड़क को प्राथमिकता से पूरा करवाया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, सड़क नीति के मुख्य दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं :—

1) वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 से अधिक जन संख्या वाले गांव को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत डामर की सड़कों से जोड़ना।

2) सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक की आबादी वाले गांवों को विश्व बैंक, कृषि उपज मंडी समिति एवं सा.नि.वि. को समन्वित योजना के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना में सड़कों से जोड़ना।

3) राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं राष्ट्रीय राज्य मार्गों के टूटे हुए भाग (मिसिंग लिंक्स)

243

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

को पूरा करना। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के ख्याति प्राप्त उपासना स्थलों को सड़क से जोड़ना।

4) महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय सड़कों के छूटे हुए भाग (मिसिंग लिंक्स) को पूरा करना।

(2) जी हाँ। उल्लेखित गाँव ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं। इनमें से जरखोदा (1289) को आठवीं पंचवर्षीय योजना में डामर की सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

(3) वर्तमान में ग्राम पंचायत मुख्यालय जरखोदा एवं गुढादेवजी ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं।

होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने हेतु मानदण्ड

546. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) होम्योपैथिक अस्पताल खोलने के क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या सरकार जनसहयोग द्वारा उपलब्ध भवन के आधार पर होम्योपैथिक अस्पताल खोलने को प्राथमिकता देती है ?

(3) यदि हां, तो क्या ग्राम खेड़ीहैवत विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर में जन, सहयोग के आधार पर उपलब्ध भवन होम्योपैथिक अस्पताल खोलने का विचार रखती है ?

(4) यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) होम्योपैथिक औषधालय खोलने के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल कोई नवीन औषधालय प्रदेश के सामान्य क्षेत्र में, खोलने का विचार नहीं है।

निजी संस्थान को चित्तौड़गढ़ में विद्युत उत्पादन लाइसेन्स

547. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या किसी निजी संस्थान को चित्तौड़गढ़ में कुछ वर्षों पूर्व थर्मल पावर उत्पादन के लिये लाइसेन्स दिया गया था ? यदि हां, तो पावर उत्पादन के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) सरकार भविष्य में इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, राज्य सरकार ने वर्ष 1988 में मै. सैन्चूरी टेक्सटाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज, बम्बई को निजी क्षेत्र में एक तापीय विद्युत गृह चित्तौडगढ़ में स्थापित करने हेतु लाइसेंस दिया था। इस परियोजना हेतु राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक

२५६

(ऊर्जा मन्त्री)

2.1.1991 द्वारा गोसुण्डा डेम से 1800 एम.सी एफ.टी. पानी की उपलब्धता का आश्वासन प्रदान कर दिया है। विद्युत मण्डल ने उक्त कम्पनी से समस्त विद्युत खरीदने हेतु अपने पत्र दिनांक 21.7.1990 द्वारा आश्वासन दिया। मै. सेन्चुरी टेक्सटाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज ने नवम्बर, 1991 में परियोजना प्रतिवेदन (× 500 मेगावाट) राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जो कि राज्य सरकार ने जांच कर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु 26.2.1992 को भिजवा दिया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उक्त परियोजना प्रतिवेदन पर कुछ टिप्पणी की है, जिसका प्रति उत्तर मै. सैन्चुरी टैक्सटाईल से मांगा गया है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने उक्त परियोजना के लिये ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया है।

(2) मैसर्स सैन्चुरी टैक्सटाइल से सूचना प्राप्त होने पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कार्यवाही सभव हो सकेगी।

राज्य में वेश्यावृत्ति की रोकथाम

548. **श्री आर.पी. शर्मा** (भरतपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वेश्यावृत्ति खुले रूप से हो रही है? यदि हां, तो इसको समाप्त करने की सरकार की क्या योजना है?

(2) क्या नेशनल पार्क भरतपुर (घना) बर्ड सैन्चुरी के नजदीक सेवर भरतपुर बाई पास सड़क जो कि भरतपुर शहर के पास है वहां वैश्यावृत्ति का धन्धा खुले रूप से चल रहा है?

(3) क्या सरकार इस अवैध धन्धे को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कैसे?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में जहां कहीं से भी वैश्यावृत्ति की सूचना प्राप्त होती है तुरन्त कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(2) जी नहीं। वास्तविकता यह है कि गत वर्षों से वहां बेड़िया जाति की कुछ महिलाओं द्वारा चोरी छिपे देह व्यापार किया जाना प्रकाश में आने पर पुलिस द्वारा दिनांक 16.3.93 को श्रीमती सुनीता व श्रीमती गुलकन्दी के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर चालान पेश अदालत में किये। दिनांक 22.8.93 को श्रीमती साधना के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर चालान पेश अदालत किया गया है।

(3) जी हां। राज्य सरकार इस प्रकार के समाज विरोधी व्यवसाय को वर्तमान कानून के प्रावधान का कठोरतापूर्वक क्रियान्वयन करवा कर समाप्त कराने के लिए कृत संकल्प है।

सेरवाला-सोलकिया (शेरगढ़) सड़क निर्माण

549. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री खेतसिंह राठौड़)

क्या सेरगढ़ क्षेत्र में सेरवाला से सोलकिया तला की पुरानी कच्ची सड़क को पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो पक्की सड़क कब तक बन जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। निर्धारित प्राथमिकताओं में न आने के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु जोधपुर-पोखरन सड़क से सेरवाता 3 कि.मी. लम्बी सम्पर्क सड़क कृषि उपज विपणन मण्डल द्वारा बनाई जा रही है जिसे वर्ष 94-95 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

जिला बीकानेर के सीमावर्ती ग्रामों का विद्युतीकरण

550. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र ग्राम खाजूवाला के अलावा कोई भी बस्ती का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार निम्न आबादियों यथा—

1. खाजूवाला–23 के.जे.डी.
2. 22 के.वाई.डी.–17 के. वाई. डी., 12, 13 के. वाई. डी., 3 पी. डब्लू. एम., 3 के.आई.डी.
3. रमजानवाला–के.एल.डी., 5 के. एल. डी., 8 के. एल. डी., 3 के. एल. डी.
4. 22 के. वाई. डी.–25 के. वाई. डी.
5. 14 बी डी. 20 बी. डी., 10 बी. डी. 6 बी. डी.
6. 8 के. वाई. डी.

का विद्युतिकरण (सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत) कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां, बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम खाजूवाला एवं रमजानवाला के अलावा प्रश्न में अंकित बस्तियों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया गया है।

वर्तमान में इन बस्तियों का विद्युतीकरण सीमावर्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत करने हेतु जिला कलक्टर, बीकानेर को लगभग 300 लाख रुपये के अनुमानित तकमीने बनवाकर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं, जिनकी स्वीकृति होने एवं धन राशि प्राप्त हो जाने पर, उपरोक्त बस्तियों का कार्यक्रम बनाकर, विद्युतीकरण किये जाने का प्रयास किया जावेगा।

जयपुर के पंजीकृत क्लब

551. श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय) एवं श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(२४८)

(श्री महेन्द्र मीणा)

(1) जयपुर में कितने क्लब पंजीकृत हैं ?

(2) क्या इन क्लबों में ताश का जुआ खेलने की अनुमति नियमों के तहत दी हुई है ?

(3) इन क्लबों का कब-कब आकस्मिक निरीक्षण सरकार द्वारा गत एक वर्ष में किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इन क्लबों में कोई अनैतिक कार्य न हो इसके लिए निगरानी की क्या व्यवस्था है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर में 45 क्लब पंजीकृत हैं।

(2) जी नहीं।

(3) सभी क्लबों का सम्बन्धित सर्किल आफिसर और प्रभारी थाना अधिकारियों द्वारा गश्त के दौरान आकस्मिक निरीक्षण समय-समय पर किया जाता है। ऐसी चैकिंग एवं निरीक्षण का कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है।

(4) सभी क्लबों को गश्त के दौरान चैकिंग किया जाता है एवं समय-समय पर अधिकारियों द्वारा भी आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।

खानपुर–धूलेट मार्ग

552. **श्री भरतसिंह** (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार खानपुर से धूलेट वाया दहीखेड़ा-पनवाड़ मार्ग को ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य प्रस्तावित है ?

(2) क्या सरकार द्वारा इस मार्ग पर आने वाले नालों पर नई पुलिया बनाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कहां कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खानपुर से धूलेट वाया दहीखेड़ा पनवाड़ मार्ग को ठीक करवाने हेतु वर्ष 94-95 में 5 कि.मी. का डामर से रिन्यूवल प्रस्तावित है।

(2) उक्त मार्ग पर आने वाले नालों पर नई पुलियाओं के निर्माण का कोई कार्य वर्तमान में निर्धारित प्राथमिकताओं में न आने के कारण प्रस्तावित नहीं है।

केन्द्रीय योजना राशि से मण्डल की बकाया की वसूली

553. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय पन बिजली निगम, राष्ट्रीय ताप निगम तथा अन्य केन्द्रीय उपक्रमों की राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में बकाया निकल रही राशि की वसूली केन्द्रीय योजना राशि में से की गई ? यदि हां, तो यह वसूली गत दो वर्षों में कब-कब, कितनी-कितनी राशि की, की गई है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई करार या शर्तें पूर्व निर्धारित की गई थी जिसके आधार पर बकाया राशि की सीधे

(श्री विष्णु मोदी)

तौर पर केन्द्रीय योजना राशि में से की जा सके ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार केन्द्रीय योजना राशि में से की जाने वाली बसूली का प्रभाव राज्य के विकास कार्यों पर पड़ रहा है ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार यह चाहती है कि भविष्य में इस प्रकार की सीधी वसूली केन्द्रीय योजना राशि से नहीं की जाये ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये है ?

(4) उपरोक्त बकाया निकल रही राशि का भुगतान विद्युत मण्डल कब तक और किस रूप में करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) जी हां । इस राशि की वसूली केन्द्रीय योजना राशि में से, गत दो वर्षों में निम्न प्रकार से की गई है :—

गत दो वर्षों में काटी गई राशि
(राशि करोड रु में)

क्र.सं. उपक्रम का नाम	1992-93	93-94	योग
1. एन टी पी सी	33.00	33.00	66.00
2. बी.एच.ई.एल.	4.00	4.00	8.00
3. सी.आई.एल.	2.67	2.68	5.35
4. एन.पी.सी.	41.97	41.97	83.94
6. रेलवे	0.66	0.66	1.32
6. आर.ई.सी.	0.18	0.18	0.36
कुल योग	82.48	82.49	164.97

इस सम्बन्ध में कोई शर्तें व करार नहीं था जिसके तहत यह कटौतियां की जा सकें।

(2) इतनी बड़ी राशि की केन्द्रीय सहायता से कटौती का मण्डल के संसाधनों पर विपरीत प्रभाव होना स्वाभाविक है।

(3) जी हां। मुख्यमन्त्री महोदय ने केन्द्रीय वित्त मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 16-12-92 को लिखा था। उसके बाद मुख्य सचिव राजस्थान सरकार ने वित्त सचिव, भारत सरकार को दिनांक 12-4-1993 को अर्द्ध शासकीय पत्र लिखा था।

(4) केन्द्रीय सरकार के वित्त मन्त्रालय ने उनके पत्र दिनांक 16-11-1992 द्वारा निम्न लिखित केन्द्रीय प्राधिकरणों के आगे अंकित बकाया राशि की राज्य सरकार को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता में से चार किश्तों में 1992-93 से 1995-96 तक वसूल करने के आदेश दिये थे।

रुपये करोडों में

I—न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन—	167.88
II—रेलवेज	2.64
III—आर.ई.सी.	0.74
योग—	171.26

(ऊर्जा मन्त्री)

उपरोक्त राशि में से 85.62 करोड़ रुपये की वसूली वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में कर ली गई है। न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन के बकाया 167.88 करोड़ की राशि में से 113.81 करोड़ की राशि विलम्ब भुगतान से सम्बन्धित है जो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा देय नहीं है।

थाना कोतवाली, जयपुर में दर्ज सीता देवी खटीक प्रकरण

554. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) श्रीमती गीता देवी खटीक हत्याकाण्ड, भीड़ियों का रास्ता, जयपुर म. नं. 406/93 धारा 302 कोतवाली, जयपुर के नामजद अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया ?

(2) इस हत्याकाण्ड की जांच अब तक किन-किन पुलिस अधिकारियों/सी. आई. डी. से करवाई है ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) सी. आई. डी. द्वारा जांच किस आदेश से की गई व किस आदेश से वापस फाइल पुलिस के पास आई ? क्या यह सब कुछ मामले को दबाने के लिए किया गया ?

(4) क्या सरकार इस हत्याकाण्ड की जांच सी. आई. डी./सी. बी. आई. दिल्ली से करायेगी ?

उत्तर

(1) श्रीमती गीता देवी हत्याकाण्ड के अभियोग संख्या 406/93 धारा 302 ता. हि. में नामजद अभियुक्त श्री प्रभुदयाल के विरुद्ध धारा 306, 498 ए ता. हि का जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर उसे दिनांक 4-8-93 को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध गिरफ्तारी योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है।

(2) इस प्रकरण का अन्वेषण सर्व प्रथम श्री जगन्नाथ वर्मा, उप निरीक्षक, तदोपरान्त श्री हरदयाल सिंह पुलिस निरीक्षक, थाना कोतवाली जयपुर ने किया। वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तर) जयपुर शहर द्वारा किया जा रहा है। सी. आई. डी. (सी. बी.), जयपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण का अन्वेषण नहीं किया गया है। चूंकि प्रकरण अभी अन्वेक्षणाधीन है। अतः किये गए अन्वेक्षण तथ्यात्मक प्रतिवेदन का विवरण प्रस्तुत किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

(3) उपाध्यक्ष, राजस्थान खटीकसभा, जयपुर द्वारा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के समक्ष दिनांक 16-8-93 को प्रस्तुत परिवाद पर प्रदत्त आदेश की पालना में अभियोग पत्रावली पुलिस सतर्कता (प्रकोष्ठ) में मंगवाई जाकर स्थानीय पुलिस द्वारा किये गए अन्वेषण का मूल्यांकन करने हेतु अवलोकन किया गया। महानिरीक्षक पुलिस, अपराध एवं सतर्कता के आदेशानुसार अवलोकन के उपरान्त

(गृह मन्त्री)

अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तर) जयपुर शहर को अग्रिम अन्वेषण हेतु निर्देशित किया गया। जिनके द्वारा वर्तमान में अन्वेषण किया जा रहा है।

(4) जी नहीं।

शाहपुरा-धोद-सीकर:सींगरावट सड़क निर्माण

555. **श्री अमरा राम** (धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम शाहपुरा धोद सीकर, सींगरावट सड़क का निर्माण कब से प्रारम्भ किया गया ?

(2) क्या इन सड़कों को इस वर्ष पूर्ण करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) (अ) ग्राम शाहपुरा धोद, सीकर सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 1992-93 में निर्बन्ध राशि योजना के तहत प्रारम्भ किया गया।

(ब) धोद से सींगरावट सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 1982-83 अकाल राहत कार्यों के तहत प्रारम्भ किया गया था।

(2) जी नहीं। उक्त सड़कों को पूर्ण निर्माण कराना योजनान्तर्गत प्राथमिकता में न आने के कारण एवं वित्तीय संसाधनों के अभाव में प्रस्तावित नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्र डग के ग्रामों में कृषि कनेक्शन

556. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डग विधान सभा की गंगधार एवं पचपहाड़ तहसील में विद्युतीकृत गांवों में कृषि विद्युत कनेक्शन किस वर्ष तक के प्रार्थना-पत्रों पर जारी किये जा चुके हैं एवं कितने प्रार्थना-पत्रों पर विद्युत कनेक्शन दिये जाने शेष हैं ? शेष रहे विद्युत कनेक्शन कब तक जारी कर दिये जावेंगे ?

(2) डग विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1993 के दौरान कृषि में उपलब्ध कनेक्शनों पर कितने मेघावाट बिजली खर्च हुई है एवं इन कनेक्शनों पर कुल कितनी बिजली खर्च होनी सम्भावित है ?

(3) डग विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1993 के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा कितने मेघावाट बिजली का भुगतान किया गया है ?

उत्तर

(1) डग विधान सभा की पंचायत समिति गंगधार एवं पचपहाड़ में क्रमशः मार्च, 1983 तक के व जुलाई, 1983 तक के प्रार्थना पत्रों को कृषि कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं। वर्तमान में पंचायत समिति गंगाधार व पचपहाड़ में क्रमशः 1279 व 933 प्रार्थना पत्र लम्बित हैं, जिन्हें वर्षवार आवंटित वित्त एवं लक्ष्यों के अनुसार कनेक्शन दिये जायेंगे।

242

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) विधान सभा क्षेत्रवार कृषि कनेक्शनों पर कितने मेगावाट बिजली खर्च की गई व कितनी खर्च होनी सम्भावित है, इसका संकलन नहीं किया जाता है।

(3) इस विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1993 के दौरान उपभोक्ताओं से उपभोग की गई विद्युत का लगभग 23,37,000 रुपये प्राप्त किये गये हैं।

राज्य में विधान परिषद का गठन

557. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं), एवं **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़): क्या संसदीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सरकार की जानकारी के अनुसार देश के किन-किन राज्यों में विधान परिषदें कार्यरत हैं ? क्या सरकार राज्य में विधान परिषद के गठन को उचित मानती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एव उत्तर प्रदेश राज्यों में विधान परिषदें कार्यरत हैं। राज्य में विधान परिषद के गठन करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

गंगापुर सिटी बाईपास सड़क निर्माण

558. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1988-89 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सिटी का बाईपास गंगापुर–जयपुर सड़क से गंगापुर–नादोती रोड से मिलाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया गया था ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्य किया ?

(2) क्या सरकार उक्त बाइपास जनहित में बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1987–88 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत गंगापुर सिटी का बाईपास गंगापुर नादोती रोड से मिलाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया गया था। अकाल राहत योजना में गंगापुर जयपुर रोड से मिट्टी का कार्य शुरू करवाया गया था लगभग 200 मीटर लम्बाई में मिट्टी का कार्य कराया जा सका था बाद में अकाल राहत कार्य बन्द करा दिये जाने के फलस्वरूप कार्य बन्द करा दिये जाने के फलस्वरूप कार्य बन्द हो गया।

(2) वर्तमान में बाईपास निर्माण राज्य सरकार का योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं में नहीं आने से विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 791 की सूची

राज्य के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पर्यावरण सम्बन्धी निम्न पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

(क) 1. राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा-फोरेस्टी

2. राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, करौली, अजमेर, कोटा, अलवर, बांसवाड़ा में एम. एस. सी.

वनस्पति शास्त्र में पर्यावरण से सम्बन्धित प्रश्न पत्र पढ़ाये जा रहे हैं।

(ख) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर – अलग से पर्यावरण सम्बन्धी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् के पास विचाराधीन है।

(ग) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर :– पर्यावरण शिक्षा पर पोस्ट पी. जी. डिप्लोमा एवं अनिवार्य विषय स्नातक स्तर पर आरम्भ करने की योजना है।

(घ) मो. ला. सु. विश्वविद्यालय उदयपुर :– स्नातक स्तर पर एन्वायरमेन्टल बायोलोजी तथा (स्नातकोत्तर स्तर पर एन्वायरमेन्टल जोग्राफी पाठ्यक्रम बढ़ाये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में पर्यावरण अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गयी है।

(च) कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा :– पर्यावरण शिक्षा पर एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स विश्वविद्यालय के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के विचाराधीन है।

(ड) ज. ना. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर :–

एम. ई. सिविल— एन्वायरमेन्टल इन्जीनियरिंग

एम. एस. सी. जूलोजी— एन्वायरमेन्टल बायोलोजी

एम. एस. सी. बॉटनी – एन्वायरमेन्टल इकोलोजी
एन्वायरमेन्टल प्लांट मैनेजमेंट
प्लांट रिसोर्स आफ राजस्थान एवं
एन्वायरमेन्टल पोल्यूशन

बी. ई. सिविल— (एन्वायरमेन्टल इन्जीनियरिंग)
(क) वाटर सप्लाई इन्जीनियरिंग

(252)

बी. एस. सी.—	(ख) वेस्ट वाटर इन्जीनियरिंग एन्वायरमेन्टल बायोलोजी
(प) राज. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर :–	पर्यावरण स्टेडीज लिम्नोलोजी एण्ड फिशरीज पाठ्यक्रम (बी. एस. सी ए. जी. आनर्स स्नातक स्तर पर भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 793 की सूची

क्र.स. पंचायत मुख्यालय का नाम	1971 की जनगणना के अनुसार आबादी	जिस प्रकार की सड़क से जुड़ा हुआ है
1. सेंगपला	2437	डामर
2. ललाई	1307	ग्रेवल
3. रामपालीया	449	डामर
4. सूंपा	912	डामर
5 अजगरा	833	डामर
6. भगवानपुरा	943	डामर
7. कनाईकलन	600	डामर
8. भूखिया	714	ग्रेवल
9. राममालिया	832	ग्रेवल
10. बड़गांव	1263	ग्रेवल
11 केरोट	1359	ग्रेवल
12. सराना	1949	डामर
13 नांगोला	1790	डामर
14. चपानन	2645	डामर
15. पारलिया	1703	ग्रेवल
16. मूलकिया	475	ग्रेवल
17. चितयावास	491	डामर
18. खेजिया	427	डामर
19. बरबेरी	950	डामर
20. खुसियाता	905	डामर
21. बहांरी	616	डामर
22. कलेरा	816	डामर

253

23. लसारिया	864	ग्रेवल
24. भीमरावास	982	ग्रेवल
25. टनकावास	541	ग्रेवल
26. गोरधा	769	डामर
27. गुलगांव	1178	डामर
28. सदरा	1484	डामर
29. केरोंज	1331	ग्रेवल
30. सलारी	1171	ग्रेवल
31. चोसला	1056	ग्रेवल
32. बजटा	1238	ग्रेवल
33. भगेरा	4406	डामर
34. जूनिया	3388	डामर
35. मेवड़ाकलां	1841	डामर
36. पारा	2295	डामर
37. घुंघरी	1942	डामर
38. प्रनहेड़ा	2604	डामर
39. कादेड़ा	3506	डामर
40. खवास	2348	डामर
41. मेहरूकलान	3248	डामर
42. सवार	5166	डामर
43. घाटियाली	2390	डामर
44. देवगांव	2745	ग्रेवल
45. प्रलोली	1566	ग्रेवल
46. पीपलाज	1883	ग्रेवल

Page No. 246

२५४

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 794 की सूची

सीकर जिले की सड़कों की सूची जिनके बीच में कृषि उपज मण्डी समिति की भी सड़कें पड़ती हैं :–

क्र.सं.	सड़क का नाम	कुल लम्बाई कि. मी.	मण्डी द्वारा निर्मित	सा. नि. वि. द्वारा निर्मित
1.	दादिया तारपुरा सड़क	4	3	1
2.	सीकर दासा की ढाणी सड़क	7	5	2
3.	सेवद बड़ी से मीरण सड़क	13	4	9
4.	जगमालपुरा से भीगर सड़क	8	4	4
5.	पाटन से मीना की नांगल सड़क	8	5	3
6.	करजी से मोठूका बनार वाया दलपतपुरा सड़क	9	5	4
7.	बनाथला खाचरियावास सड़क	11	3	8
8.	रानोली दांता सड़क	34	12	22
9.	पलसाना खाटू सड़क	17	8	9
	योग :—	111	49	26

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 797 का विवरण

क्र सं	नाम सड़क	लम्बाई कि. मी.	स्वीकृत राशि (लाखों में)	आवंटन राशि (लाखों में)	खर्च 2/94 तक (लाखों में)	कार्य की प्रगति (डामर कार्य) कि.मी.	शेष कार्य कि.मी. डामर	शेष बची राशि (लाखों में)
1	गोरख्या विताम्बा जोब नं. 19/4853/ए. आर./प्लान/91–92	11	38.84	33.80	41.95	8	3	—
2.	गोराना सड़क का बाड़िया जोब नं. 18/4853/ए.आर./प्लाट/91–92	14	65.00	36.16	33.27	4	10	2.89
3.	कटार शानगढ़ जोब नं. 17/4853/ए. आर. प्लाट/91–92	10.4	34.81	28.54	26.94	6	4.4	1.60
4.	कटारिया खेड़ा से राजगढ़	5.5	25.00	16.62	20.08	3	2.5	—

250

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 801 की सूची

गत पांच वर्षों में सड़कों से जोड़े गये पंचायत मुख्यालय ।

क्र.सं. जिले का नाम	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93
1. अजमेर	1	1	–	–	1
2. अलवर	3	9	–	1	8
3. बांसवाड़ा	4	–	10	3	4
4. बाड़मेर	2	–	1	–	2
5. भरतपुर		24	1	22	8
6. भीलवाड़ा	8	1	–	–	3
7. बीकानेर	3	2	–	–	2
8. बूंदी	2	–	9	5	3
9. चित्तौड़गढ़	2	7	5	–	3
10. चूरू	–	16	3	11	6
11. धौलपुर	4	–	31	9	2
12. डूंगरपुर	2	1	–	1	3
13. गंगानगर	5	13	3	29	8
14. जयपुर	8	5	20	–	5
15. जैसलमेर	2	–	–	–	–
16. जालौर	3	–	–	2	5
17. झालावाड़	2	12	3	2	2
18. झुंझुनूं	5	6	5	17	6
19. जोधपुर	1	–	–	1	–
20. कोटा	5	17	11	22	8
21. नागौर	10	1	–	–	4
22. पाली	4	–	–	–	4
23. सवाई माधोपुर	8	4	3	3	5

24. सीकर	2	–	5	30	5
25. सिरोही	2	–	–	–	2
26. टोंक	3	6	–	9	3
27. उदयपुर	6	–	20	11	6
28. बारां	–	–	–	–	4
29. दौसा	–	–	–	–	3
30. राजसमंद	–	–	–	–	3
योग :–	97	125	130	178	118

258

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 803 की सूची

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में पंचायत मुख्यालयों से नहीं जुड़े गांवों की सूची

क्रमांक	ग्रामों का नाम	जनसंख्या 1971
1.	रोहाई	56
2.	नगला राजा	426
3.	सरकना	575
4.	पैंकरी	356
5.	ठेकली	412
6.	तोरदानयाल	645
7.	नेकपुर	433
8.	मुस्तफाबाद	367
9.	सरकनखेड़ा	350
10.	सरकोली	141
11.	मिर्जापुर	235
12.	धीमरी	331
13	नगलाभगत	331
14.	शाहपुरा	137
15.	रजौरा	956
16.	गरवापुरा	229
17.	कूकपुर	157
18.	सांदरा	721
19.	निभी	572
20	हिन्नोदा	122
21.	गवों	337
22.	घुघरई	293
23.	सेंमरा	375
24.	गोगली	293
25.	डूगरवारा	152
26.	सिघरजोरा	90

1	2	3
27.	सहरोली	1184
28.	बसईगुरली	39
29	आरी	625
30.	हाजीपुरा	500
31.	बरा	792
32.	कनासिल	1316
33.	परऊआ	1072
34.	गढ़ी चटोला	848
35.	कुम्हेहरी	1002
36.	दुबेपुरा	400
37.	जगरियापुरा	294
38.	कोलुआ	1131
39.	रतनकापुरा	727
40.	नगलादानी	317
41	फूलपुरा	435
42.	बोराखेड़ा	606
43.	नौरंगबाद	666
44.	मानपुर	1132
45.	बहरावती	469
46.	जमालपुरा	286
47.	बरखेड़ा	675
48.	नगलाभदोरिया	736
49.	पथेना	524
50.	म्हेरी	72
51.	भागीरथपुरा	436
52.	भिलगांवा	493
53.	चांदपुर	365
54.	भोजपुर	456
55.	अल्हेपुर	380
56.	दरियापुर	341
57.	काजीपुरा	248
58.	धर्मपुरा	1147

(260)

1	3
59. मूंगरवाडा	373
60. सलेमपुर	131
61. खडकपुर	211
62. डागरपुर	293
63. वादखुर्द	353
64. नयागांव	427
65. सहानपुर	282
66. घेद	360
67. समोला	390
68. बहवलपुर	404
69. भगवतगढ़	243
70. सादिकपूर	848
71. डोंगपुर	586
72. मिर्जापूर	235
73. वरेहमोरी	255
74. पथरोलाखुर्द	242
75. सिंघावलीखुर्द	590
76. फरासपुर	425
77. मलिकपूर	23
78. पथरोलाकलां	200
79. चकसुल्तानपुरा	135
80. कुरेंदा	740

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 811 की जांच रिपोर्ट की प्रति

जांच रिपोर्ट तथ्य कार्यालय पुलिस अधीक्षक, उदयपुर

श्री ओंकारसिंह, नि. नगर वेदला, उदयपुर द्वारा अपने पिता केशुलाल के बाबत प्रेषित परिवाद की जांच पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा वृताधिकारी गिरवा उदयपुर से करवाई गई। जांच से यह पाया गया कि श्री केशुलाल आयुर्वेदिक रसायन शाला, उदयपुर में कार्यरत थे। उनका स्थानान्तरण राजकीय आदेश क्रमांक 560-69 दिनांक 11.2 69 से उदयपुर से जोधपुर डिपो में हुआ था। इस आदेश को श्री केशुलाल ने तुरन्त निरस्त करवाया था। इसके पश्चात उनका पुन: स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 1050–57 दिनांक 2.3.70 द्वारा जोधपुर डिपो के बजाय कोटा डिपो में हुआ था। सन् 1970 में श्री केशुलाल ने कोटा डिपो में ड्यूटी जोइन की। उसके पश्चात् दिनांक 18.4.70 को एक दिन आकस्मिक अवकाश लेकर गये थे। उसके बाद से आज दिन तक कोई पता नहीं है। कथन श्री ओंकार सिंह व श्री सोहनलाल के आधार पर घटना कोटा जिले में घटित होना पाया जाता है।

जांच रिपोर्ट तथ्य कार्यालय पुलिस अधीक्षक, कोटा नगर कोटा

श्री ओंकारसिंह, नि. नगर वेदला, उदयपुर के द्वारा अपने पिता केशुलाल के बाबत प्रेषित परिवाद की जांच पुलिस अधीक्षक, कोटा नगर द्वारा विशेष अनुसंधान दल, कोटा द्वारा कराई गई। दौराने जांच श्री ओंकार सिंह, जो कि श्री केशुलाल के लड़के हैं, ने बताया कि दि. 18.4.70 से केशुलाल कोटा डिपो से एक दिन की छुट्टी लेकर गये थे जो आज तक नहीं लोटे। ओंकारसिंह श्री लाभ शंकर जोशी, आफिसर इंचार्ज, आयुर्वेदिक रसायन शाला, उदयपुर पर शक करता था कि श्री लाभ शंकर जी ने मेरे पिता का स्थानान्तरण पहले जोधपुर किया, फिर कोटा किया। मेरे पिता को उन्होंने ही गायब करवाया है। श्री लादूराम, तत्कालीन निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग, अजमेर ने अवगत करवाया कि श्री केशुलाल सितम्बर 1969 से मार्च, 1970 के प्रथम सप्ताह तक कोटा डिपो में डेप्यूटेशन पर रहा। केशुलाल को रुपयों की आवश्यकता होने पर मार्च के प्रथम सप्ताह में केशुलाल से वेतन अधिकार पत्र लेकर मार्च की एडवांस तनख्वाह दी थी। श्री सोहनलाल, जो कि केशुलाल के साथ आयुर्वेदिक रसायन शाला, उदयपुर में काम करता था, ने बताया था कि वह कैसे गायब हुआ, कुछ पता नहीं। श्री लाभ शंकर शर्मा, रिटा. सहायक निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग ने बताया कि केशुलाल ने कोटा में डेप्यूटेशन पर जाने को अपनी इच्छा से लिखित में दिया था। केशुलाल एक भक्त आदमी था। उसके

गुम होने के वक्त उसकी काफी तलाश करवाई गई। तदोपरान्त कार्यालय द्वारा विभागीय कार्यवाही नियमानुसार कराई गई।

जांच से केशुलाल का कोई पता चला नहीं। इस प्रकार कोई सबूत भी नहीं मिले जिससे यह साबित होता कि केशुलाल के साथ कोई घटना घटित हुई हो, केशुलाल या तो कहीं मर गया हो या अपनी आदत के मुताबिक कहीं साधू बन गया हो। केशुलाल के पुत्र ओंकार सिंह का लाभ शंकर जी पर शक करना महज एक कल्पना है। जांच से, मामला काफी पुराना होने से केशुलाल का कोई पता नहीं चल पाया है।

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 812 की सूची

घना पक्षी विहार की 25 कि. मी. परिधि में स्थित औद्योगिक इकाइयों की सूची

1. मैसर्स सिमको लि. (वैगन फैक्ट्री) भरतपुर।
2. ,, सिमको लि. (हैवी इंजीनियरिंग डिविजन) भरतपुर।
3. ,, परफैक्ट सैनेटरी पाइप भरतपुर।
4. ,, जनरल इंजिनियरिंग वर्क्स भरतपुर।
5. ,, डालमिया इण्डस्ट्रीज लि. भरतपुर।
6. ,, राजस्थान पिगमैंट एण्ड केमीकल्स भरतपुर।
7. ,, गोर्धन ऑयल मिल्स, भरतपुर।
8. ,, जगन ऑयल इण्डस्ट्रीज भरतपुर।
9. ,, जे. आर. इण्डस्ट्रीज भरतपुर।
10. ,, पूरन इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मिल्स भरतपुर।
11. ,, गोपाल ऑयल मिल भरतपुर।
12. ,, हिमगिरी ऑयल इण्डस्ट्रीज भरतपुर।
13. ,, श्री हीरालाल तेल उद्योग भरतपुर।
14. ,, शिव इण्डस्ट्रीज एण्ड आयल मिल भरतपुर।
15. ,, कुबेर ऑयल मिल प्रा. लि. भरतपुर।
16. ,, गुप्ता इण्डस्ट्रीज भरतपुर।
17. ,, श्री पराग इण्डस्ट्रीज भरतपुर।
18. ,, आदित्य ऑयल इण्डस्ट्रीज भरतपुर।
19. ,, बंसल तेल उद्योग भरतपुर।
20. ,, श्री गणेश इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मिल भरतपुर।
21. ,, शकुन्तला इण्डस्ट्रीज भरतपुर।

22. ,, अग्रवाल ऑयल इण्डस्ट्रीज भरतपुर।
23. ,, योगेश इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मिल भरतपुर।
24. ,, डी. पी. ऑयल इण्डस्ट्रीज भरतपुर।
25. ,, श्री हरी इण्डस्ट्रीज भरतपुर।
26. ,, भरतपुर स्टील रोलिंग मिल भरतपुर।
27. ,, नेशनल ग्लास सिलिकेट एण्ड केमिकल्स भरतपुर।
28. ,, गर्ग स्टील रोलिंग मिल्स भरतपुर।
29. ,, सरस्वती स्टील रोलिंग मिल्स भरतपुर।
30. ,, बन्टी इंजीनियरिंग वर्क्स भरतपुर।
31. ,, कैलाश इंजीनियरिंग वर्क्स भरतपुर।
32. मैसर्स बी. आर. ऑयल मिल्स भरतपुर।

ईंट भट्टे

---

1. मैसर्स जीवन ईंट उद्योग भरतपुर।
2. ,, बसन्त ईंट उद्योग भरतपुर।
3. ,, गणेश ईंट उद्योग भरतपुर।
4. ,, गोयल ईंट उद्योग भरतपुर।
5. ,, जनता ब्रिक्स उद्योग भरतपुर।
6. ,, विमल ब्रिक्स उद्योग भरतपुर।
7. ,, प्रभा ब्रिक्स उद्योग भरतपुर।
8. ,, सूरत ब्रिक्स उद्योग भरतपुर।
9. ,, वृन्दावन ब्रिक्स उद्योग भरतपुर।
10. ,, सोलंकी ब्रिक्स उद्योग भरतपुर।
11. ,, गोल्डन ब्रिक्स उद्योग भरतपुर।
12. ,, खादी ईंट कुमारी उद्योग भरतपुर।
13. ,, मोहन ब्रिक्स उद्योग भरतपुर।
14. ,, सिंघल ब्रिक्स उद्योग भरतपुर।
15. ,, गीता ब्रिक्स उद्योग भरतपुर।
16. ,, राकेश ब्रिक्स उद्योग भरतपुर।
17. ,, विनोद ब्रिक्स उद्योग भरतपुर।
18. ,, शांति ब्रिक्स उद्योग भरतपुर।
19. ,, रमन उद्योग भरतपुर।
20. ,, कृष्णा ब्रिक्स भरतपुर।

(२६४)

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 815 के आदेश की प्रति

कार्यालय उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, धौलपुर

क्रमांक :– एफ कार्मिक/उवस/93–94/6627–47 दिनांक—22–12–93

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित वनपाल एवं वनरक्षकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार किए जाते हैं।

क्र सं	नाम कर्मचारी व पद		कहां से	कहां को
1	2		3	4
1.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,	वनपाल	नाका सरमथुरा	नाका मुर्जा रेंज बाडी
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह,	वनपाल	नाका सहेडी	नाका वन विहार
3.	श्री महावीर सिंहपाल,	वनपाल	नाका केसर बाग	नाका सहेडी रेंज वन विहार
4.	श्री विजयकुमार बंसल	वनपाल	नर्सरी एवं वन चेतना, धौलपुर	नाका केसर बाग रेंज धौलपुर
5.	श्री धूनीलाल	वनपाल	नाका सोने का गुर्जा, रेंज बाड़ी	नर्सरी एवं वन चेतना, धौलपुर
6.	श्री कल्याण सिंह	वनपाल	नाका वन विहार	सदर नाका, धौलपुर
7.	श्री हरीबाबू शर्मा	वनपाल	नाका धौलपुर	नाका सरमथुरा
8.	श्री सियाराम मीणा	वनरक्षक	रेंज सरमथुरा	नर्सरी राजाखेड़ा
9.	श्री रणधीर सिंह	वनरक्षक	नर्सरी राजाखेड़ा	इन्दौरा रेंज सरमथुरा
10.	श्री सुन्दर सिंह	वनरक्षक	मनियां रेंज धौलपुर	रेंज वन विहार
11.	श्री प्रेमशंकर शर्मा	वनरक्षक	रेंज वन विहार	मनियां रेंज धौलपुर

श्री सुरेन्द्र सिंह, वनपाल अपने कार्य के साथ साथ अग्रिम व्यवस्था होने तक क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विहार का भी कार्यभार संभालेंगे। इसी प्रकार श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, वनपाल स्वयं के कार्य के साथ रेंज बाड़ी का भी कार्य संभालेंगे।

भवदीय
ह.
उप वन संरक्षक
सामाजिक वानिकी,
धौलपुर

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 817 की सूची

जयपुर जिले में पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की सूची, जिनकी कि अविमानता के आधार पर नियुक्ति का मामला विचाराधीन है।

क्र सं.	मृतक कर्मचारी का नाम	आश्रित का नाम जिसने नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।	जिस पद के लिए आवेदन किया गया
1	2	3	4
	सर्व श्री —	सर्व श्री—	
1.	नाथूराम	देवाराम, (दत्तक पुत्र)	चतुर्थ श्रेणी क. सहायक–II
2.	गणेश जाट	श्रीमती गोदी, पत्नि	चतुर्थ श्रेणी
3.	जानकीलाल	श्रीमती भूरी देवी, पत्नि	उपरोक्त
4.	गोपीराम	रमेश चन्द, पुत्र	,,
5.	हरमोहन चौधरी	दिनेश, पुत्र (दत्तक पुत्र)	,,
6.	गिरधारी लाल	श्रीमती बनारसी, पत्नि	,,
7.	लाडली मोहन माथुर	विशाल माथुर, पुत्र	,,
8.	ईश्वरसिंह	उम्मेदसिंह, पुत्र	,,
9.	छोटूराम	श्रीमती सन्ज्या, पत्नि	,,
10.	भेरू	श्रीमती सांगरी देवी	,,
11.	जगदीश	श्रीमती रूकमा देवी, पत्नि	,,
12.	गोपीराम	प्रभु दयाल, पुत्र	,,
13.	सीताराम	शिवचरन, पुत्र	,,
14.	दुलीचन्द	संतोष कुमार, पुत्र	,,
15.	सूजाराम	भंवरलाल, पुत्र	,,
16.	लालाराम	श्रीमती प्रभु देवी, पत्नि	,,
17.	बद्रीनारायण योगी	राम गोपाल, पुत्र	,,
18.	हनुमान प्रसाद जांगिड़	राधेश्याम, पुत्र	,,
19.	गफूर खां	मोहम्मद शाकिर, पुत्र	,,
20.	दयालराम बैरवा	कंचन देवी, पत्नि	,,
21.	रामू	बाबूलाल, पुत्र	,,
22.	नाथूलाल	भैरूलाल, पुत्र	,,

(266)

1	2	3	4
23.	मोहनलाल	गोपाला लाल, पुत्र	उपरोक्त
24.	श्रवण लाल स्वामी	श्रीमती संतोषी देवी, पत्नि	,,
25.	छोटूराम	मन्नाराम सैनी (दत्तक पुत्र)	कनिष्ठ लि.
26.	छीतरमल शर्मा	बनवारी लाल, पुत्र	उपरोक्त
27.	एच. सी. बांगा	राजीव बांगा	,,
28.	जय जय राम मिश्रा	महेश कुमार शर्मा (दत्तक पुत्र)	,,
29.	मांगीलाल	जीवनराम (दत्तक पुत्र)	,,
30.	प्रेम प्रकाश माथुर	राजीव माथुर	,,
31.	रामधन मीणा	मुन्शीराम मीणा	,,
32.	लखन लाल जैन	कमलेश कुमार जैन	,,
33.	जगदीश चन्द	राकेश सैनी	,,
34.	गोपाल गुजर	रामसिंह गुजर	,,
35.	नोन्दाराम	बाबूलाल मीणा	,,
36.	गोविन्दसिंह	लक्ष्मण सिंह, पुत्र	,,
37.	भैरूलाल	शंकरलाल शर्मा	,,

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 824 की सूची व विवरण

उपखण्ड वार एल. टी. व 11 के. वी. लाईन से किये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	एल. टी. से किये गये कृषि कनेक्शन	11 के. वी. से किये गये कृषि कनेक्शन	उपयोग किये गये ट्रांसफार्मर की संख्या
1.	डेगाना	153	39	39
2.	मेड़ता	29	129	129
3.	मूण्डवा	11	127	127
4.	कुचामन सिटी	66	46	42
5.	नांवा सिटी	45	22	22
	योग	304	363	359

उपखण्डवार लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या सूची जिनके मांग पत्र की राशि जमा है व एल. टी. व 11 के. वी. पर दिये जाने हैं

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	एल. टी. लाईन पर	11 के. वी. लाईन पर
1.	डेगाना	14	26
2.	मेड़ता	7	47
3.	मूडण्वा	3	52
4.	कुचामन सिटी	10	27
5.	नावा सिटी।	4	15
	योग	38	167

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 826 का विवरण

नागोर जिले की श्रेणीवार व पंचायत समितिवार आवंटित लक्ष्यों की सूची

श्रेणी का नाम

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	एकपोल	एस. सी	एस. टी	हेन्डी केप्ट	एक्स डिफेन्स और विडो	ग्राम जिनमें कनेक्शन नहीं है	सामान्य	कुल
1.	नागौर	11	89	—	2	4	10	39	75
2.	मुण्डवा	87	92	—	7	22	—	160	368
3.	जायल	27	28	—	1	4	10	31	101
4.	डिडवाना	12	33	—	3	19	10	71	148
5.	लाडनू	—	3		—	2	10	21	36
6.	मेड़ता	61	32	—	10	19	—	105	227
7.	रियाबड़ी	84	33	—	11	7	—	120	255
8.	डेगाना	17	22	—	5	4	—	48	96
9.	मकराना	3	8	—	--	8	—	62	81
10.	कुचामन सिटी	102	39	2	4	35	—	162	344
11.	परवतसर	28	16	—	2	5	—	77	128
	कुल योग :—	432	315	2	45	129	40	896	1859

(268)

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 833 का विवरण

240 दिन की सेवा पूरी करने के बाद हटा दिये गये दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का विवरण जिसने निगम से समझौते के आधार पर न्यायालय से अपना मुकदमा वापिस ले लिया था।

....

श्री जगदीश प्रसाद गूजर, पार्ट टाइम जलधारी के रूप में दिनांक 6.6.87 से फालना आगार में कार्यरत था। उक्त कर्मचारी को दिनांक 18.9.89 को निगम सेवा से हटा दिया गया था। जिसके विरुद्ध कर्मचारी द्वारा श्रम न्यायालय, जोधपुर में सेवा पृथक किये जाने के विरुद्ध वाद संख्या एल सी. आर. 212/90 तथा बकाया वेतन हेतु वाद संख्या एल. सी. सी. 41/90 दायर किया गया था।

निगम के समझौते के आधार पर उक्त कर्मचारी ने वाद संख्या 212/90 को श्रम न्यायालय से वापिस ले लिया है जिसके फलस्वरूप कर्मचारी को आदेश क्रमांक संस्था-2/93/344 दिनांक 23.3 93 द्वारा फालना आगार में दैनिक वेतन भोगी जलधारी के रूप में पुनः नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। कर्मचारी का बकाया वेतन बाबत वाद अभी तक श्रम न्यायालय में विचाराधीन है।

विद्युत कनेक्शन में अनियमितता

[श्री महादेव सिंह (खण्डेला)]

विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम जैताकी ढाणी में तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए निम्न पांच आवेदनकर्ताओं द्वारा उनके नाम के आगे अंकित तिथिनुसार डिमाण्ड राशि जमा करायी गयी :—

1. श्री भींवाराम पुत्र श्री हरदेवा राम,	3-4-93	15,900=00	रुपये
2. श्री नाथूराम पुत्र श्री बिरदूराम जाट,	6-4-94	11,800=00	,,
3. श्री पेमाराम पुत्र श्री मानाराम,	6-4-93	15,900=00	,,
4. श्री पूराराम पुत्र श्री हरदेवाराम	31-3-93	11,800=00	,,
5. श्रीमती भापली पत्नी श्री बिड़दूराम	31-3-93	11,800=00	,,

इसके अतिरिक्त तुरन्त प्राथमिकता योजना के द्वारा आवेदन करते समय एक हजार रुपये प्रति कनेक्शन के लिए जमा कराया गया था। इन समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बावजूद भी अधिशाषी अभियन्ता नीम का थाना द्वारा तानाशाही बरती जा रही है, एवं विभाग की आंखों में धूल झोंक कर कृषि कनेक्शन देने में भारी अनियमितता की जा रही है। इसके साथ ही खुले रूप से पांच हजार रुपये प्रति कनेक्शन के रिश्वत मांगी जा रही है। उक्त प्रार्थियों में श्री भींवाराम द्वारा यह राशि 3000 रुपये अग्रिम रूप से दी गयी, लेकिन समस्त राशि एक मुश्त मांगी गयी। इस पर प्रार्थियों ने लड़झगड़ कर अग्रिम राशि 3000 रुपये वापिस निकलवायी।

महोदय, इस प्रकार से विद्युत कनेक्शन देने में अभियन्ताओं द्वारा तानाशाही बरती जा रही है एवं कृषकों को परेशान किया जा रहा है। कृषकों को आर्थिक एवं मानसिक क्षति के साथ फसल को भी नुकसान पहुंचाया जाना विभाग की लापरवाही का घोर उदाहरण है। विद्युत अभियन्ताओं द्वारा कृषि कनेक्शनों के अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को खुले रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः इस अत्यन्त लोक महत्व के तथ्य पर सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान कर अनुगृहित करावें।

पुरानी पुलिया पर चौकीदार की व्यवस्था

[श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)]

बनास नदी पर टोंक के पास जो पुरानी पुलिया है, उसके सकड़ी होने की वजह से एक तरफा आवागमन ही सुलभ है। रोड पर ट्रकों, बसों, जीपों, कारों आदि का अत्यधिक आवागमन होने से रोड व्यस्त रहता है। नदी के किनारे पुलिया के

270

दोनों ओर चौकीदार नहीं होने से कई बार सकड़ी पुलिया पर दोनों ओर से वाहन आ जाते हैं और दोनों ओर के ड्राइवर अपनी मूंछ का सवाल बना लेते हैं, कोई रिवर्स में नहीं हटना चाहता ऐसी हालत में कई बार 3-3 व 4-4 घण्टे तक ट्रैफिक जाम हो जाता है। लड़ाई-झगड़े की सम्भावना भी बढ़ जाती है और यात्री समय पर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते।

अतः मेरा सुझाव है कि जब तक नई पुलिया का उद्घाटन नहीं हो जाता, नई पुलिया पर वाहनों का आवागमन चालू नहीं हो जाता तब तक पुरानी पुलिया के दोनों ओर चौकीदार लगाये जाएं जो ट्रैफिक को कन्ट्रोल करें जिससे वाहनों का ट्रैफिक जाम नहीं होने पाये।

शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण सुविधा

[श्री श्रवण कुमार (पिलानी)]

प्रधानमन्त्री जी ने घोषणा की है कि शिक्षित बेरोजगारों को एक लाख रुपये तक की ऋण राशि देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने में मदद की जाएगी। प्रधान मन्त्रीजी ने जिस भावना से यह योजना चालू की थी उसकी क्रियान्विति भी उसी भावना से होनी चाहिए लेकिन खेद है कि नीचे के स्तर पर वह भावना व्यक्त नहीं हो रही है। कुछ धन्धे ऐसे हैं जिनमें पांच-सात लाख रुपये की धन राशि की आवश्यकता होती है लेकिन ऋण एक लाख के बजाय बीस-पच्चीस हजार ही स्वीकृत किये जाते हैं और वह भी बहुत कम लोगों को।

उदाहरण के रूप में बतलाना चाहूंगा कि राजेन्द्र कुमार युवक को जो फर्नीचर का उद्योग लगाना चाहता है और पांच-छह लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ पच्चीस हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया जिससे वह कोई कार्य नहीं कर सकता। पच्चीस हजार में एक मशीन भी नहीं आ सकती है। चिड़ावा के ही करीब पन्द्रह अन्य युवकों को ऋण स्वीकृत किये गये लेकिन बैंक ऋण नहीं दे रहे हैं, किन्हीं चार पांच को ही ऋण देकर कह दिया है कि हमारे पास रुपये नहीं हैं।

इस प्रकार का बैंकों का दृष्टिकोण पूरी योजना को ही असफल करने में लगा हुआ है अतः इस ओर समुचित कार्यवाही की आवश्यकता है।

———